



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

पहली  
FIRST

# अनुदानों के लिए पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए  
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

## 2023-2024

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है।)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसम्बर, December, 2023



**परिचायक टिप्पणी**

**INTRODUCTORY NOTE**

**विषय :** पूरक अनुदान मांगों 2023-2024 का प्रथम बैच

**Subject :** First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2023-2024.

वर्ष 2023-24 के लिए पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 79 अनुदान और 4 विनियोग शामिल हैं। ₹1,29,348.85 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई है। इसमें कुल मिलाकर ₹58,378.21 करोड़ निवल नकद व्यय जुड़े प्रस्तावों में और सकल अतिरिक्त व्यय शामिल है और साथ ही इसमें मंत्रालयों/विभागों की कुल मिलाकर ₹70,968.15 करोड़ बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूली को मिलाया गया है। इसके अलावा सांकेतिक प्रावधान ₹249 लाख की मांग की जा रही है, जिसमें नई सेवा या सेवा की नई लिखतों से जुड़े मामलों में बचत का पुनर्विनियोजन सक्षम करने के लिए व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपये हैं।

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2023-24 includes 79 Grants and 4 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹1,29,348.85 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹58,378.21 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹70,968.15 crore. Besides, token provision of ₹249 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकदी व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय की मदें इस प्रकार हैं:

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF AGRICULTURE &amp; FARMERS' WELFARE</b>			
<b>2 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग</b>	<b>2 Department of Agricultural Research and Education</b>			
(क) (i) क्वाड कार्यक्रम के तहत एआई-एंगेज पहल के कार्यान्वयन के लिए 'अन्य राजस्व व्यय' (₹6.80 करोड़) (ii) डीए में वृद्धि और नए कर्मचारियों के शामिल होने के लिए 'वेतन' (₹0.30 करोड़) और (iii) 'कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड' के तहत 'घरेलू यात्रा व्यय' (₹1.60 करोड़), 'भत्ते' (₹0.50 करोड़) और 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹0.80 करोड़) के व्यय को पूरा करना	(a) For meeting expenditure towards (i) 'Other Revenue Expenditure' for the implementation of AI-ENGAGE initiative under QUAD Programme (₹6.80 crore) (ii) 'Salaries' for increasing in DA and joining of new employees (₹0.30 crore) and (iii) 'Domestic Travel Expenses' (₹1.60 crore), 'Allowances' (₹0.50 crore) and 'Professional Services' (₹0.80 crore) under 'Agricultural Scientist Recruitment Board'.	10.00	-	10.00
(ख) 1. 'आईसीएआर मुख्यालय' के तहत राज्य कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मियों को बकाया वेतन के भुगतान के लिए सहायता अनुदान (₹72.40 करोड़) 2. (i) 'आईसीएआर मुख्यालय' के तहत आईसीएआर के कर्मचारियों को पेंशन लाभ (₹117.50 करोड़) भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान और (ii) 'केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड' के अंतर्गत सामान्य व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता (₹3 करोड़) 3. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुन्देलखंड के अंतर्गत नए केंद्रों के विकास के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) 4. मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के कारण 'योगदान' (i) 'अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के लिए परामर्शदात्री समूह' (₹0.15 करोड़)	(b) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid Salary for payment of salary arrears to teaching staff of State Agricultural University under 'ICAR Headquarter' (₹72.40 crore) 2. Grants-in-aid General for (i) payment of pensionary benefits to employees of ICAR under 'ICAR Headquarter' (₹117.50 crore) and (ii) additional requirement under General expenditure under 'Central Agricultural University, Bundelkhand' (₹3 crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets for development of new centres under 'Central Agricultural University, Bundelkhand' (₹10crore)			

(ii)

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
और (ii) 'एनएसीए' (₹0.02 करोड़) के व्यय को पूरा करना।	4. 'Contributions' due to fluctuations of currency exchange rate under (i) 'Consultative Group for International Agricultural Research' (₹0.15 crore) and (ii) 'NACA' (₹0.02 crore).	203.07	-	203.07
(ग) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार 'केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय' के तहत सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करना।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under 'Central Agricultural University' as per orders of Hon'ble Delhi High Court.	4.00	-	4.00
(घ) (i) 'केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल' के लिए सहायता अनुदान (₹4 करोड़) और (ii) 'केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल' के तहत नई पूंजीगत आस्तियों के सृजन और अधिग्रहण के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.58 करोड़) के व्यय को पूरा करना।	(d) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for 'Central Agricultural University, Imphal' (₹4 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets for construction and acquiring of new capital assets under 'Central Agricultural University, Imphal' (₹0.58 crore).	4.58	-	4.58
<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS</b>			
<b>6 उर्वरक विभाग</b>	<b>6 Department of Fertilisers</b>			
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के लिए (₹1,6300 करोड़) (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹5,000 करोड़ की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति शामिल है)।	For Nutrient Based Subsidy Scheme (₹1,6300 crore) (this includes recoupment of advance of ₹5,000 crore sanctioned from Contingency Fund of India).	13,350.81	-	13,350.81
<b>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY</b>			
<b>10 वाणिज्य विभाग</b>	<b>10 Department of Commerce</b>			
(i) 'ड्यूटी ड्राबैक स्कीम' के तहत सब्सिडी (₹20.70 करोड़) (ii) 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तहत (ii) सब्सिडी (₹5 करोड़), सहायता अनुदान वेतन (₹4 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) (iii) 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के तहत सहायता अनुदान वेतन (₹10 करोड़) (iv) 'बाजार पहुंच पहल' के तहत सहायता अनुदान सामान्य (₹50 करोड़) , (v) 'इंडियन नेशनल सेंटर फॉर लैब ग्रो डायमंड टेक्नोलॉजी' के तहत सहायता अनुदान सामान्य (₹14 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹74 करोड़), अनुदान सहायता वेतन (₹7 करोड़) (₹95 करोड़ की आकस्मिक अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति के व्यय को पूरा करना।	For meeting expenditure towards (i) Subsidies (₹20.70 crore) under 'Duty Drawback Scheme' (ii) Subsidies (₹5 crore), Grant-in-Aid Salary (₹4 crore), Grant-in-Aid General (₹1 crore) under 'Marine Product Export Development Authority (iii) Grant-in-Aid Salary (₹10 crore) under 'Indian Institute of Foreign Trade (iv) Grant-in-Aid General (₹50 crore) under 'Market Access Initiative', (v) Grant-in-Aid General (₹14 crore) , Grants for Creation of Capital Assets (₹74 crore) , Grant-in-Aid Salary (₹7 crore) under 'Indian National Centre for Lab Grown Diamond Technology' for recoupment of Contingency Advance of ₹95 crore.	145.00	-	145.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>संचार मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF COMMUNICATIONS</b>		
<b>13 दूरसंचार विभाग</b>		<b>13 Department of Telecommunications</b>		
(i) रक्षा सेवाओं के ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क (₹1,434.36 करोड़) और (ii) बीएसएनएल में पूंजीगत निवेश (₹11,850.17 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।		For meeting additional expenditure for (i) Optical Fibre Cable based network of Defence Services (₹1,434.36 crore) and (ii) capital infusion in BSNL (₹11,850.17 crore).		
		-	588.31	588.31
<b>उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &amp; PUBLIC DISTRIBUTION</b>		
<b>14 उपभोक्ता मामले विभाग</b>		<b>14 Department Of Consumer Affairs</b>		
(क) (i) भारतीय मानक ब्यूरो के तहत भारत में सोने की हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.05 करोड़) (ii) उपभोक्ता संरक्षण सेल के तहत कार्यालय व्यय। (₹2.60 करोड़) और (iii) उपभोक्ता संरक्षण सेल के तहत विज्ञापन और प्रचार (₹0.70 करोड़) के व्यय को पूरा करना।		(a) For meeting expenditure towards (i) Grants in aid-General for Setting up of Gold Hallmarking/Assaying Centres in India under Bureau of Indian Standard (₹0.05 crore) (ii) Office Expenses under Consumer Protection Cell. (₹2.60 crore) and (iii) Advertising & Publicity under Consumer Protection Cell (₹0.70 crore).		
		3.35	-	3.35
(ख) भारतीय मानक ब्यूरो के तहत भारत में सोने की हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना के लिए अनुदान सहायता के व्यय को पूरा करना।		(b) For meeting expenditure towards Grants in-aid General for Setting up of Gold Hallmarking/Assaying Centres in India under Bureau of Indian Standard.		
		0.45	-	0.45
(ग) (i) घरेलू यात्रा व्यय (₹0.07 करोड़) (ii) कार्यालय व्यय (₹2.33 करोड़) (iii) डिजिटल उपकरण (₹0.12 करोड़) (iv) लघु कार्य (₹0.85 करोड़) और (v) नेशनल टेस्ट हाउस के तहत मरम्मत और रखरखाव (₹0.80 करोड़) के व्यय को पूरा करना।		(c) For meeting expenditure towards (i) Domestic Travel Expenses (₹0.07 crore) (ii) Office Expenses (₹2.33 crore) (iii) Digital Equipment (₹0.12 crore) (iv) Minor Works (₹0.85 crore) and (v) Repair and Maintenance (₹0.80 crore) under National Test House.		
		4.17	-	4.17
(घ) (i) उपभोक्ता संरक्षण सेल के तहत कार्यालय व्यय (₹4.62 करोड़) और विज्ञापन और प्रचार (₹3.43 करोड़) और (ii) उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष घटक योजना (₹0.58 करोड़) और जनजातीय क्षेत्रों के उपयोजना (₹0.30 करोड़) के व्यय को पूरा करना।		(d) For meeting expenditure towards (i) Office Expenses (₹4.62 crore) and Advertising & Publicity (₹3.43 crore) under Consumer Protection Cell and (ii) Special Component Plan for Scheduled Caste Sub Plan (₹0.58 crore) and Tribal Areas Sub Plan (₹0.30 crore) under Consumer Awareness Programme.		
		8.93	-	8.93
(ङ) 1. बाट और माप के सुदृढीकरण के तहत प्रशिक्षण व्यय (₹0.25 करोड़) 2. (i) आरआरएसएल और आईआईएलएम के सुदृढीकरण के तहत कार्यालय व्यय (₹1.05 करोड़) और (ii) क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं का उन्नयन (₹0.10 करोड़) और (iii) समय के प्रसार के तहत विदेश यात्रा व्यय (₹0.05 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹0.04 करोड़) के व्यय को पूरा करना।		(e) For meeting expenditure towards 1. Training Expenses under Strengthening of Weights and Measures (₹0.25 crore) 2. Office Expenses under (i) Strengthening of RRLs and IILM (₹1.05 crore) and (ii) upgradation of Regional Reference Standards Laboratories (₹0.10 crore) and (iii) Foreign Travel Expenses (₹0.05 crore) and Professional Services (₹0.04 crore) under Dissemination of Time.		
		1.49	-	1.49

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(च) (i) नेशनल टेस्ट हाउस (₹0.80 करोड़) (ii) समय का प्रसार (₹1.40 करोड़) (iii) क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी (₹0.32 करोड़) और (iv) बाट और माप के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना (₹1 करोड़) के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण के लिए के व्यय को पूरा करना।	(f) For meeting expenditure towards Machinery & Equipment under (i) National Test House (₹0.80 crore) (ii) Dissemination of Time (₹1.40 crore) (iii) Regional Reference Standards Laboratory, Guwahati (₹0.32 crore) and (iv) Strengthening of Weights and Measures Infrastructure (₹1 crore).	-	3.52	3.52
(छ) राष्ट्रीय टेस्ट हाउस के तहत (i) मशीनरी और उपकरण (₹1.65 करोड़), (ii) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹0.73 करोड़) और (iii) भवन निर्माण और संरचनाएं (₹0.65 करोड़) के व्यय को पूरा करना।	(g) For meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipment (₹1.65 crore), (ii) Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment (₹0.73 crore) and (iii) Building & Structures (₹0.65 crore) under National Test House.	-	3.03	3.03
(ज) वजन और माप के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मशीनरी और उपकरण (₹4.23 करोड़) और सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹7 करोड़) और समय के प्रसार के लिए (₹4.56 करोड़) के व्यय को पूरा करना।	(h) For meeting expenditure towards Machinery & Equipment (₹4.23 crore) and Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment (₹7 crore) under Strengthening of Weights and Measures Infrastructure and under Dissemination of Time (₹4.56 crore).	-	15.79	15.79
<b>15 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग</b>	<b>15 Department of Food and Public Distribution</b>			
(क) स्थापना के तहत विज्ञापन और प्रचार के लिए व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting expenditure towards Advertising and Publicity under Establishment.	95.00	-	95.00
(ख) 1. (i) चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण और रखरखाव के लिए सब्सिडी (₹0.46 करोड़) 2. (i) एएवाई परिवारों के लिए पीडीएस के तहत देय चीनी सब्सिडी (₹61.18 करोड़) (ii) एएवाई परिवारों की अनुसूचित जाति उपयोजना (₹5.81 करोड़) (iii) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए एएवाई परिवार (₹3.01 करोड़) 3. (i) पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद पर राज्य सरकार को सब्सिडी (₹4,807 करोड़) (ii) अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए पीएमजीकेएवाई (₹456.50 करोड़) (iii) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए पीएमजीकेएवाई (₹236.50 करोड़) 4. एनएफएसए के तहत 'खाद्यान्नों और एफपीएस डीलरों के मार्जिन हेतु अंतर-राज्य परिवहन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता' के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹4.50 करोड़) 3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार के लिए कार्यालय व्यय (₹0.10 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹1 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹11.30 करोड़)	(b) For meeting expenditure towards 1. Subsidies for (i) creation and maintenance of Buffer Stock of Sugar' (₹0.46 crore) 2. Sugar Subsidy payable under PDS for (i) AAY Families (₹61.18 crore) (ii) AAY Families' Scheduled Caste Sub Plan (₹5.81 crore) (iii) AAY Families for Tribal Area Sub Plan (₹3.01 crore) 3. Subsidy to State Government on decentralised procurement of foodgrains under (i) PMGKAY (₹4,807 crore) (ii) PMGKAY for Scheduled Caste Sub Plan (₹456.50 crore) (iii) PMGKAY for Tribal Area Sub Plan (₹236.50 crore) 4. Grants-in-aid General under 'Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers' margin under NFSA (₹4.50 crore) 5. Office Expenses (₹0.10 crore),			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
5. स्थापना के तहत भूमि और भवनों के लिए किराया, दरें और कर (₹0.20 करोड़) और 5. स्थापना के तहत सामग्री और आपूर्ति (₹0.20 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹0.36 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं (₹0.90 करोड़) (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि) ₹14.40 करोड़ की प्रतिपूर्ति शामिल है के व्यय को पूरा करना।	Advertising and Publicity (₹1 crore) and Professional Services (₹11.30 crore) for Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System 6. Rent, Rates & Taxes (₹0.20 crore) for Land and Buildings under Establishment and 7. Material & Supplies (₹0.20 crore), Other Revenue Expenditure (₹0.36 crore) and Professional Services (₹0.90 crore) under Establishment (this includes ₹14.40 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	5,589.02	-	5,589.02
(ग) (i) एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतर-राज्य परिवहन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता (₹1,252.67 करोड़) (ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार (₹7.60 करोड़) और (iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का पुष्ठीकरण और इसका वितरण (₹0.11 करोड़) से संबंधित सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करना। (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹7.60 करोड़ रुपये की अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल हैं)।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid-General under (i) Assistance to State Agencies for Intra-State movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA (₹1,252.67 crore) (ii) Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System (₹7.60 crore) and (iii) Fortification of Rice and its distribution under Public Distribution System (₹0.11 crore) (this includes ₹7.60 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	1,260.38	-	1,260.38
(घ) 1 (i) एनएफएसए के तहत अनुसूचित जाति उप योजना के तहत खाद्यान्नों के अंतर-राज्य परिवहन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता (₹49.50 करोड़) (ii) अनुसूचित जाति उपयोजना (₹0.25 करोड़) और (iii) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए (₹0.25 करोड़) 2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार (₹1 करोड़) से संबंधित सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करना। (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत 1 करोड़ रुपये की अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल हैं)।	(d) For meeting expenditure towards Grants-in-aid-General under 1. Assistance to State Agencies for Intra-State movement of foodgrains and FPS dealers margin under (i) NFSA (₹49.50 crore) (ii) Scheduled Caste Sub Plan (₹0.25 crore) and (iii) for Tribal Area Sub Plan (₹0.25 crore) 2. Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System (₹1 crore) (this includes ₹1 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	51.00	-	51.00
(ङ) मीशन एवं निदेश के तहत 1. मशीनरी और उपकरण के लिए (i) (₹0.15 करोड़) और (ii) अन्य व्यय (₹3.42 करोड़) 2. निदेश और प्रशासन के तहत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹0.93 करोड़) और 3. राष्ट्रीय चीनी संस्थान के तहत भवन निर्माण और संरचनाएं (₹0.10 करोड़) के व्यय को पूरा करना।	(e) For meeting expenditure towards 1. Machinery & Equipment under (i) Machinery & Direction (₹0.15 crore) and (ii) Other Expenditure (₹3.42 crore) 2. Information, computer, Telecommunications (ICT) equipments under Direction & Administration (₹0.93 crore) and 3. Buildings and Structures under National Sugar Institute (₹0.10 crore).	-	4.60	4.60

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>संस्कृति मंत्रालय</b>				
<b>18 संस्कृति मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF CULTURE</b>		
1. शताब्दी और वर्षगाँठ योजना (एससीएसपी और एसटी घटक सहित) के लिए - ₹109.5829 करोड़ की अनुदान सहायता सामान्य की आवश्यकता है जिसमें से ₹60.00 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति भारत की आकस्मिकता निधि से की जाएगी। II. कला संस्कृति विकास योजना- ₹3 करोड़। III. ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम- ₹0.13 करोड़। IV. सांस्कृतिक मानचित्रण और रोडमैप पर राष्ट्रीय मिशन-₹1.75 करोड़। V. अकादमियों को सहायता- ₹36.1871 करोड़। VI. संग्रहालय को सहायता- ₹26.00 करोड़। VII. बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक- ₹10.67 करोड़। VIII. अनुदान प्राप्त निकाय-आईबीसी- ₹4 करोड़ 2. I. केएसवीवाई योजना (एसटी सहित) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान आवश्यक है - ₹10.00 करोड़। II. अकादमियों को सहायता- ₹13.01 करोड़। III. बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक- ₹25.50 करोड़। 3. I. बौद्ध तिब्बती संस्थानों और स्मारक के लिए अनुदान सहायता वेतन आवश्यक है- ₹7.8950 करोड़। II. अकादमियों को सहायता- ₹3.10 करोड़। III. संग्रहालयों को सहायता- ₹6.0051 करोड़। 4. अन्य शीर्ष संयुक्त I. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण- ₹24.4828 करोड़। II. शताब्दी एवं वर्षगाँठ योजना - ₹22 करोड़।		<b>18 Ministry of Culture</b> For 1. Grant-in-aid General is required for I. Centenaries and Anniversaries Scheme (including SCSP & ST component)- ₹109.5829 Cr. [out of which ₹60.00 cr. will be recouped to Contingency Fund of India] II. Kala Sanskriti Vikas Yojana- ₹3 cr. III. Global Engagement Scheme- ₹0.13 cr. IV. National Mission on Cultural Mapping and Roadmap-₹1.75 cr. V. Support to Akademies- ₹36.1871 cr. VI. Support to Museum- ₹26.00 cr. VII. Buddhist Tibetan Institutions & Memorials- ₹10.67 cr. VIII. Grantee Bodies-IBC- ₹4 cr. 2. Grants for Creation of Capital Assets is required for I. KSVY scheme (including ST)- ₹10.00 cr. II. Support to Akademies- ₹13.01 cr. III. Buddhist Tibetan Institutions & Memorial- ₹25.50 cr. 3. Grant-in-Aid Salaries is required for I. Buddhist Tibetan Institutions & Memorial- ₹7.8950 cr. II. Support to Akademies- ₹3.10 cr. III. Support to Museums- ₹6.0051 cr. 4. Other heads combined I. Archaeological Survey of India- ₹24.4828 cr. II. Centenaries & Anniversaries Scheme – ₹22 cr.		
		60.35	-	60.35
<b>रक्षा मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF DEFENCE</b>		
<b>19 रक्षा मंत्रालय (सिविल)</b>		<b>19 Ministry of Defence (Civil)</b>		
(क) सीमा सड़क संगठन के लिए चिकित्सा उपचार (₹8 करोड़), भत्ते (₹480 करोड़), टीई (डी) (₹17 करोड़), टीई (विदेशी) (₹0.50), कार्यालय व्यय (₹16 करोड़) सीमा सड़क संगठन के लिए मुद्रण और प्रकाशन (₹2.50 करोड़), सामग्री और आपूर्ति (₹46 करोड़), ईंधन और स्नेहन (₹25 करोड़), राशन की लागत (₹79.30 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएँ (₹2 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।।		(a) For meeting additional expenditure towards Medical Treatment (₹8 crore), Allowances (₹480 crore), TE (D) (₹17 crore), TE (foreign) (₹0.50), Office Expenses (₹16 crore), Printing & Publication (₹2.50 crore), Materials & Supplies (₹46 crore), Fuel and Lubrication (₹25 crore), Cost of Ration (₹79.30 crore) and Professional Services (₹2 crore) for Border Road Organization.		
		119.25	-	119.25
(ख) सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के लिए कार्यालय व्यय (₹5.25 करोड़), भूमि और भवनों के लिए किराया, दरें और कर (₹7.20 करोड़) और अन्य राजस्व व्यय (₹0.05 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।		(b) For meeting additional expenditure towards Office expenses (₹5.25 crore), Rent, Rates and Taxes for Lands and Buildings (₹7.20 crore) and Other Revenue Expenses (₹0.05 crore) for Armed Forces Tribunal.		
		12.50	-	12.50
(ग) तटरक्षक संगठन के संबंध में कैरी ओवर देनदारी को पूरा करने के लिए 'ईंधन और स्नेहक' के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।		(c) For meeting additional expenditure towards 'Fuel and Lubricants' to clear the carry over liability in respect of Coast Guard Organization.		
		499.77	-	499.77

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) सीमा सड़क संगठन के लिए लघु निर्माण कार्यों (₹1 करोड़), राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव (₹37 करोड़) और 'राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़क रखरखाव' (₹192 करोड़), सहायता अनुदान सामान्य ₹5 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹15 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(d) For meeting additional expenditure towards Minor Works (₹1 crore), Repair & Maintenance of National Highways (₹37 crore) and 'Road Maintenance other than National Highways' (₹192 crore), Grants-in-aid General (₹5 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹15 crore) for Border Roads Organisation.	67.25	-	67.25
(ङ) सीमा सड़क संगठन के संबंध में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(e) For meeting additional expenditure for Road Works in North Eastern Region in respect of Border Roads Organization.	-	150.00	150.00
(च) सीमा सड़क संगठन के लिए अवसंरचनात्मक आस्तियों के अंतर्गत (₹1,184 करोड़), मशीनरी और उपकरण (₹87 करोड़), भवन निर्माण और संरचना (₹100 करोड़) और भूमि (₹4 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(f) For meeting additional expenditure under Infrastructural Assets (₹1,184 crore), Machinery and Equipment (₹87 crore), Building and Structure (₹100 crore) and Land (₹4 crore) for Border Roads Organisation.	-	1,350.00	1,350.00
<b>20 रक्षा सेवाएँ (राजस्व)</b>	<b>20 Defence Services (Revenue)</b>			
(क) सेना के वेतन और भत्ते (₹₹300 करोड़), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) (₹2,600 करोड़), स्टोर (₹1,000 करोड़), निर्माण कार्य (₹250 करोड़) और अन्य व्यय (₹100 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards Pay & Allowances (₹300 crore), Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) (₹2,600 crore), Stores (₹1,000 crore), Works (₹250 crore) and Other Expenditure (₹100 crore) for Army.	4,250.00	-	4,250.00
(ख) नौसेना के संबंध में न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न होने वाले वेतन और भत्ते के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure towards Pay and Allowances arising out of Court Orders in respect of Navy.	3.00	-	3.00
(ग) नौसेना के लिए परिवहन (₹72 करोड़), मरम्मत और रिफिल्ट्स (₹550 करोड़), भंडार (₹500 करोड़), निर्माण कार्य (₹75 करोड़), संयुक्त कर्मचारी (₹100 करोड़) और अन्य व्यय के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹200 करोड़)	(c) For meeting additional expenditure towards payments of Transportation (₹72 crore), Repairs & Refills (₹550 crore), Stores (₹500 crore), Works (₹75 crore), Joint Staff (₹100 crore) and Other Expenditure (₹200 crore) for Navy.	1,497.00	-	1,497.00
(घ) वायु सेना के लिए वेतन और भत्ते (₹0.10 करोड़) और निर्माण कार्यों (₹4 करोड़) के संबंध में न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(d) For meeting additional Expenditure towards payments arising out of Court Orders in respect of Pay & Allowances (₹0.10 crore) and Works (₹4 crore) for Air Force.	4.10	-	4.10
(ङ) वायु सेना के लिए सिविलियन्स के वेतन और भत्ते (₹1.55 करोड़), भंडार (₹8,493.86 करोड़), निर्माण कार्य (₹180 करोड़), अग्निवीर (₹20 करोड़), विशेष परियोजनाओं (₹0.49 करोड़) और अन्य व्यय के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹300 करोड़)।	(e) For meeting additional expenditure towards Pay and Allowances Civilians (₹1.55 crore), Stores (₹8,493.86 crore), Works (₹180 crore), Agniveer (₹20 crore), Special Projects (₹0.49 crore) and Other Expenditure (₹300 crore) for Air Force.	3,624.10	-	3,624.10
(च) आईसीए के अतिरिक्त व्यय और डीआरडीओ के सहायता प्राप्त स्कूलों को प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों को सौंपने के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(f) For meeting additional expenditure towards ICA and handing over of DRDO aided schools to reputed educational institutions.	250.00	-	250.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<p><b>26 उच्च शिक्षा विभाग</b> केंद्रीय विश्वविद्यालयों के i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹769 करोड़), वेंद्रीय विश्वविद्यालय को - (₹355.50 करोड़), एचईएफए ऋण के तहत ब्याज के भुगतान के लिए निधि (₹18 करोड़), केंद्रीय विश्वविद्यालय - एचईएफए ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए धनराशि (₹100 करोड़), चिकित्सा विज्ञान संस्थान-बीएचयू (₹20.20 करोड़), केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (₹10 करोड़), वेंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश (₹3.58) करोड़), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय (₹3 करोड़), केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित डीम्ड विश्वविद्यालय (₹47.25 करोड़), इग्नू और राज्य के मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता (₹17 करोड़), इग्नू और राज्य के मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता - एचईएफए ऋण के तहत ब्याज के भुगतान के लिए धनराशि (₹2.80 करोड़), इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता - एचईएफए ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए धनराशि (₹6 करोड़), राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट को अनुदान (₹12.18 करोड़), राष्ट्रीय शिक्षा योजना संस्थान और प्रशासन (एनआईईपीए) (₹2.83 करोड़), राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (₹3 करोड़), आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन (₹10 करोड़) (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹160 करोड़), वेंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (₹6 करोड़), वेंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश (₹60 करोड़), राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) (₹1.60 करोड़), राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (₹1 करोड़) (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता के तहत अनुदान- वेतन (₹280 करोड़) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹90.50 करोड़), के लिए व्यय को पूरा करना। संस्कृत विश्वविद्यालय (₹10 करोड़), केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश (₹1.10 करोड़), राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) (₹1.45 करोड़) (iv) योजना के तहत अन्य राजस्व व्यय: विदेशी सरकार/संगठनों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्ति पर विदेश जाने वाला भारतीय विद्वान (₹0.40 करोड़) और (v) अंतर खाता अंतरण: माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण-</p>	<p><b>26 Department of Higher Education</b> For meeting expenditure towards i) Grants-in-aid General under Support to University Grants Commission (UGC) (₹769 Crore), Grants to Central Universities (₹355.50 Crore), Central Universities - Funds for payment of Interest under HEFA Loan (₹18 Crore), Central Universities - Funds for repayment of Principal of HEFA Loan (₹100 Crore), Institute of Medical Sciences-BHU (₹20.20 Crore), Central Sanskrit Universities (₹10 Crore), Central University, Andhra Pradesh (₹3.58 Crore), Andhra Pradesh &amp; Telangana Tribal Universities (₹3 Crore), Deemed Universities promoted by Central Government (₹47.25 Crore), Assistance to IGNOU &amp; State Open Universities (₹17 Crore), Assistance to IGNOU &amp; State Open Universities - Funds for Payment of Interest under HEFA Loan (₹2.80 Crore), Assistance to IGNOU &amp; State Open Universities - Funds for Repayment of Principal of HEFA Loan (₹6 Crore), Grants to National Book Trust (₹12.18 Crore), National Institute of Education Planning and Administration (NIEPA) (₹2.83 Crore), National Digital University (₹3 Crore), National Mission in Education through ICT (₹10 Crore) (ii) Grants for creation of capital asset under Grants to Central Universities (₹160 Crore), Central Sanskrit Universities (₹6 Crore), Central University, Andhra Pradesh (₹60 Crore), National Institute of Education Planning and Administration (NIEPA) (₹1.60 Crore), National Digital University (₹1 Crore) (iii) Grants-in-aid Salaries under Support to University Grants Commission (UGC) (₹280 Crore) Grants to Central Universities (₹90.50 Crore), Central Sanskrit Universities (₹10 Crore), Central University, Andhra Pradesh (₹1.10 Crore), National Institute of Education Planning and Administration (NIEPA) (₹1.45 Crore) (iv) Other Revenue expenditure under the scheme: Indian Scholars going abroad against scholarships offered by Foreign Govt./ Organisations (₹0.40 Crore) and (v) Inter Account Transfer: Transfer to Madhyamik and Uchhtar Shiksha Kosh-</p>			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
उच्चतर शिक्षा कोष-कोष-सामान्य शिक्षा (विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा) (₹3000 करोड़)	Uchchtar Shiksha Kosh- Kosh-General Education (University and Higher Education) (₹3000 Crore)	649.86	-	649.86
<b>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE</b>			
<b>28 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय</b>	<b>28 Ministry of Environment, Forests and Climate Change</b>			
(i) अंडमान और निकोबार द्वीप वन एवं वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹3.62 करोड़ के इक्विटी योगदान को बट्टे खाते में डालना (ii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान परिषद के लिए सहायता अनुदान-वेतन (₹253.23 करोड़) जिसमें भारत की आकस्मिकता निधि से निकाले गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹52.22 करोड़ शामिल हैं (iii) सामान्य अनुदान-सहायता- (₹0.60 करोड़) और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.69 करोड़) शामिल हैं। (iv) भारतीय वन्यजीव संस्थान के तहत सामान्य सहायता- अनुदान (₹5.50 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1.50 करोड़) (v) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के तहत सामान्य सहायता- अनुदान (₹5 करोड़) ।	For (i) write-off the equity contribution of ₹3.62 crore made by Government of India in Andaman & Nicobar Island Forest & Plantation Development Corporation Limited (ii) Grants-in-aid-Salaries (₹253.23 crore) for Indian Council of Forestry Research and Training Institute which includes ₹52.22 crore towards recoupment of advance withdrawn from Contingency Fund of India (iii) Grants-in-aid-General (₹0.60 crore) and Grants for creation of capital assets (₹0.69 crore) under Indian Institute of Forest Management (iv) Grants-in-aid-General (₹5.50 crore) and Grants for creation of capital assets (₹1.50 crore) under Wildlife Institute of India (v) Grants-in-aid-General (₹5 crore) under National Tiger Conservation Authority (NTCA).	25.53	-	25.53
<b>विदेश मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS</b>			
<b>29 विदेश मंत्रालय</b>	<b>29 Ministry of External Affairs</b>			
(क) (i) आकस्मिक अग्रिम की ₹650 करोड़ की प्रतिपूर्ति के लिए (नासिक प्रिंटिंग प्रेस को ₹500 करोड़ का भुगतान और पासपोर्ट सेवा परियोजना के लिए ₹150 करोड़ का भुगतान) (ii) नालंदा विश्वविद्यालय की निर्माण गतिविधियों (₹44.28 करोड़) (iii) दूतावासों और मिशनों के तहत प्रशिक्षण व्यय (₹0.28 करोड़), अन्य के लिए किराया (₹1.69 करोड़) और सामग्री और आपूर्ति (₹0.60 करोड़) (iv) पासपोर्ट और प्रवासन के तहत अन्य के लिए किराया (₹0.04 करोड़) स्वायत्त निकायों और अन्य संस्थानों के तहत इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ (₹0.05 करोड़) और (vi) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के आवास परिसर के निर्माण के भुगतान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹30 करोड़) व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting expenditure towards (i) Recoupment of Contingency Advance of ₹650 crore (payment to Nasik printing Press of ₹500 crore and for Passport Seva Project of ₹150 crore) (ii) construction activities of Nalanda University (₹44.28 crore) (iii) Training Expenses (₹0.28 crore), Rent for Other (₹1.69 crore) and Materials & Supplies (₹0.60 crore) under Embassies & Missions (iv) Rent for Others (₹0.04 crore) under Passport and Emigration (v) Indian Society of International Law (₹0.05 crore) under Autonomous Bodies & Other Institutions and (vi) Grants for Creation of Capital Assets (₹30 crore) for payment towards construction of Housing Complex of South Asian University.	650.00	-	650.00
(ख) गारंटी मोचन निधि के लिए ₹9013.72 करोड़ की राशि अंतरित करने के लिए।	(b) For transferring an amount of ₹9013.72 crore towards Guarantee Redemption Fund.	9,013.72	-	9,013.72

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) (i) निवेश संवर्धन और प्रचार कार्यक्रम के तहत ₹554 करोड़ की आकस्मिकता अग्रिम की प्रतिपूर्ति (मालदीव को सहायता के तहत यूटीएफ परियोजना के लिए ₹150 करोड़, आपदा राहत के लिए सहायता के तहत ऑपरेशन दोस्त के लिए ₹50 करोड़ और ब्याज समानीकरण सहायता के लिए ₹354 करोड़) एक्जिम बैंक (ii) मालदीव को सहायता के तहत यूटीएफ परियोजना भुगतान (₹87.37 करोड़) और निवेश संवर्धन और प्रचार कार्यक्रम के तहत एक्जिम बैंक को ब्याज समानीकरण सहायता (₹266.79 करोड़) (iii) अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के तहत क्वाड सहयोग (₹0.01 करोड़) के व्यय को पूरा करना।	(c) For meeting expenditure towards (i) Recoupment of Contingency Advance of ₹554 crore (₹150 crore for UTF project under Aid to Maldives, ₹50 crore for operation Dost under Aid for Disaster Relief and ₹354 crore towards Interest Equalization Support to Exim Bank) under Investment Promotion & Publicity Programme (ii) UTF project payment (₹87.37 crore) under Aid to Maldives and Interest Equalization Support to Exim Bank (₹266.79 crore) under Investment Promotion & Publicity Programme (iii) QUAD co-operation (₹0.01 crore) under Technical & Economic Co-operation with Other Countries.	908.16	-	908.16
(घ) (i) भूटान सरकार को ऋण और अग्रिम के तहत ग्यालसुंग परियोजना के लिए आकस्मिकता निधि से निकाले गए ₹500 करोड़ रुपये में अग्रिम की प्रतिपूर्ति और (ii) ग्यालसुंग परियोजना (₹550 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करना।	(d) For meeting expenditure towards (i) Recoupment of Contingency Advance of ₹500 crore for Gyalsung project under Loans & Advances to Govt. of Bhutan and (ii) Gyalsung project (₹550 crore).	-	500.00	500.00
<b>30 आर्थिक कार्य विभाग</b>	<b>30 Department of Economic Affairs</b>			
(क) आर्थिक कार्य विभाग सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय (₹43.08 करोड़), बजट तैयारी से संबंधित व्यय (₹0.30 करोड़) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय के स्थापना व्यय (₹0.17 करोड़) के लिए।	(a) For establishment related expenditure of Department of Economic Affairs Secretariat (₹43.08 crore), expenditure related to budget preparation (₹0.30 crore) & establishment expenditure of Indian Regional Office of New Development Bank (NDB) (₹0.17 crore).	42.55	-	42.55
(ख) कॉर्पोरेट ऋण (जीएफसीडी) के लिए गारंटी फंड (₹60 करोड़) प्रदान करना।	(b) providing towards Guarantee Fund for Corporate Debt(GFCD) (₹60 crore).	59.03	-	59.03
(ग) (i) अफ्रीकी विकास निधि (₹52.03 करोड़) और (ii) आईएमएफ - एसएआरटीटीएसी के चरण II प्रचालन (₹100 करोड़ रुपये) के अंशदान के लिए।	(c) For Contribution towards (i) African Development Fund (₹52.03 crore) and (ii) Phase II operations of IMF - SARTTAC (₹100 crore).	100.00	-	100.00
(घ) बुनियादी ढांचे के विकास-व्यवहार्यता अंतराल निधियन (₹220 करोड़), स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के लिए कमीशन (₹15.50 करोड़), सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2015 में अंतरण (₹889.15 करोड़), स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 में अंतरण के लिए (₹155 करोड़), भारतीय दूतावास, वाशिंगटन के आर्थिक विंग के लिए स्थापना व्यय (₹3 करोड़), आर्थिक विकास संस्थान के लिए पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹0.23 करोड़) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय के लिए अनुदान	(d) For assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding (₹220 crore), commission for Gold Monetisation Scheme, 2015 (₹15.50 crore), transfer to Sovereign Gold Bond Scheme 2015 (₹889.15 crore), transfer to Gold Monetization Scheme 2015 (₹155 crore), establishment expenditure towards Economic Wing of the Embassy of India, Washington (₹3 crore), Grants for creation of Capital Assets for Institute of Economic			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सहायता वेतन सेवा केंद्र प्राधिकरण (₹7.88 करोड़)।	Growth (₹0.23 crore) & Grants-in-aid Salaries for International Financial Services Centres Authority (₹7.88 crore).	140.53	-	140.53
(ड) भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना आई (आईडीईएस) के (₹1050 करोड़), अंतर्राष्ट्रीय योगदान (₹5.84 करोड़) के तहत क्रेडिट लाइनों के लिए ब्याज समानीकरण सहायता।	(e) For interest equalization support for lines of credit under Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS) (₹1050 crore), International Contribution (₹5.84 crore).	1,044.32	-	1,044.32
(च) राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष में निवेश के लिए (₹600.97 करोड़) और किफायती और मध्यम-आय वालों के आवास के लिए विशेष विंडो में निवेश के लिए (₹881.86 करोड़) (जिसमें से ₹881.86 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति भारत के आकस्मिक निधि को की जाएगी)।	(f) For investment into National Investment and Infrastructure Fund (₹600.97 crore) & investment into Special Window for Affordable and Middle-Income Housing (₹881.86 crore) (of which ₹881.86 crore will be recouped into Contingency Fund of India).	-	509.87	509.87
(छ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति मूल्य अनुरक्षण दायित्व (एमओवी) के लिए (₹5,922.15 करोड़) और सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को भुगतान (₹13.94 करोड़)।	(g) For maintenance of Value (MOV) obligation towards International Monetary Fund (₹5,922.15 crore) & payment to International Finance Corporation towards General Capital Increase (GCI) (₹13.94 crore).	-	13.90	13.90
(ज) अवसंरचना के विकास-व्यवहार्यता अंतराल निधियन के लिए सहायता हेतु।	(h) For assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding.	-	6.00	6.00
<b>32 वित्तीय सेवाएं विभाग</b>	<b>32 Department of Financial Services</b>			
(क) (i) वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन बीमा योजना (₹23.49 करोड़) और (ii) प्रधानमंत्री वय योजना (पीएमवीवीवाई) (₹233.08 करोड़) के तहत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए।	(a) For reimbursement of subsidy under (i) Pension Plan for Senior Citizens under Varishtha Pension Bima Yojana (₹23.49 crore) and (ii) Pradhan Mantri Vaya Yojana (PMVVY) (₹233.08 crore).	256.57	-	256.57
(ख) फंसी हुई आस्ति के लिए स्थिरीकरण निधि (₹274.99 करोड़) को जारी प्रतिभूतियों के मोचन के व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (₹274.99 crore).	236.11	-	236.11
(ग) पूंजी भाग के तहत स्थापना संबंधी व्यय के लिए (₹8.05 करोड़)।	(c) For establishment related expenditure under capital section (₹8.05 crore).	-	6.32	6.32
(घ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की शेयर पूंजी की सदस्यता के लिए (₹500 करोड़) और एक्जिम बैंक के लिए टियर- I बांड के इक्विटी में ₹559.38 के रूपांतरण के कारण लेखांकन समायोजन।	(d) For Subscription to the Share Capital of Industrial Finance Corporation of India (IFCI) (₹500 crore) and accounting adjustment on account of conversion of Tier-I bonds into equity of ₹559.38 for EXIM Bank.	-	249.98	249.98
<b>35 राजस्व विभाग</b>	<b>35 Department of Revenue</b>			
(क) 'मेरा बिल मेरा अधिकार' के संबंध में जीएसटीएन को भुगतान के लिए भारत की आकस्मिक निधि को प्रतिपूर्ति के लिए निधि से निकाली गई राशि।	(a) For recoupment of Contingency Fund of India which was drawn from the fund for payment to GSTN in connection with 'Mera Bill Mera Adhikar'.	7.50	-	7.50
(ख) जीएसटीएन में महत्वपूर्ण ढांचागत वृद्धि के कारण जीएसटीएन को उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय	(b) For establishment related expenditure of Enforcement Directorate and for making payment of User charges to			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	के स्थापना संबंधी व्यय के लिए।			
(ग) अफीम के उत्पादन में वृद्धि और उच्च दर के कारण व्यय के लिए और अफीम को सेमी रिफाइंड मॉर्फिन (एसआरएम) में परिवर्तित करने के लिए प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करने के लिए।	GSTN due to considerable infrastructural augmentation in GSTN. (c) For expenditure on account of increase in production and higher rate of opium and for making payment of processing fee for conversion of opium to Semi Refined Morphine (SRM).	303.72	-	303.72
(घ) भूमि की खरीद, कार्यालय भवनों के निर्माण और तैयार आवास की खरीद के लिए (₹198.91 करोड़)।	(d) For purchase of land, construction of office buildings and purchase of ready built accommodation (₹198.91 crore).	15.97	-	15.97
<b>36 प्रत्यक्ष कर</b>	<b>36 Direct Taxes</b>			
कार्यालय व्यय के तहत स्थापना संबंधी व्यय (₹143.70 करोड़), भूमि भवन के लिए आरआरटी (₹144.03 करोड़), अन्य के लिए किराया (₹202.09 करोड़), ईंधन और स्नेहक (₹21 करोड़), व्यावसायिक सेवाएँ (₹37.45 करोड़) और गुप्त सेवा व्यय (₹13 करोड़)।	For establishment related expenditure (₹143.70 crore) under Office Expenses, RRT for land building (₹144.03 crore), Rent for others (₹202.09 crore), fuels & lubricants (₹21 crore), Professional Services (₹37.45 crore) and Secret Service Expenditure (₹13 crore).	135.82	-	135.82
<b>38 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग</b>	<b>38 Indian Audit and Accounts Department</b>			
(क) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting the establishment expenditure of Indian Audit and Accounts Department.	66.79	-	66.79
(ख) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional establishment expenditure of Indian Audit and Accounts Department.	24.08	-	24.08
(ग) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में आईटी अवसंरचना की खरीद पर व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure on procurement of IT infrastructure in Indian Audit & Accounts Department.	-	70.05	70.05
<b>भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES</b>			
<b>48 भारी उद्योग मंत्रालय</b>	<b>48 Ministry of Heavy Industries</b>			
(i) व्यावसायिक सेवाओं (₹30.08 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹0.19 करोड़), सब्सिडी (₹1730.72 करोड़) के लिए, जिसमें 'फेम-इंडिया योजना चरण-रूद्ध' के तहत ₹1050.00 करोड़ की अग्रिम की प्रतिपूर्ति आकस्मिकता निधि को करने के लिए है (ii) प्रशिक्षण व्यय (₹0.09 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹0.10 करोड़), ₹ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना' के तहत कार्यालय व्यय (₹0.19 करोड़) (iii) व्यावसायिक सेवाएं (₹10.92 करोड़), ₹पीएलआई फॉर स्कीम नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज' के तहत कार्यालय व्यय (₹0.09 करोड़) (iv) वेतन सहायता अनुदान (₹0.42 करोड़), 'केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को सहायता के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹831.76 करोड़)।	For (i) Professional Services (₹30.08 crore), Digital Equipment (₹0.19 crore), Subsidies (₹1730.72 crore) comprising recoupment of Contingency Advance of ₹1050.00 crore under 'FAME-India scheme Phase-II' (ii) Training Expenses(₹0.09 crore), Foreign Travel Expenses (₹0.10 crore), Office Expenses (₹0.19 crore) under 'PLI Scheme for Automobiles and Auto Components Industry' (iii) Professional Services (₹10.92 crore), Office Expenses (₹0.09 crore) under 'PLI for Scheme National Programme on Advanced Chemistry Cell(ACC) Battery Storage' (iv) Grant-in-Aid Salary (₹0.42 crore), Grant-in-Aid General (₹831.76 crore) under 'Support to Central Public Sector Enterprises'	219.88	-	219.88

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>गृह मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HOME AFFAIRS</b>			
<b>50 मंत्रिमंडल</b>	<b>50 Cabinet</b>			
(क) मुद्रण और प्रकाशन के लिए (₹0.03 करोड़), अन्य के लिए किराया (₹1 करोड़), सामग्री और आपूर्ति (₹0.05 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹0.03 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹82.52 करोड़), पुरस्कार (₹0.10 करोड़), अंशदान (₹1.50 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹1.19 करोड़) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹7 करोड़)।	(a) For Printing & Publication (₹0.03 Crore), Rent for others (₹1Crore), Material and Supplies (₹0.05 Crore), Advertising & Publicity (₹0.03 Crore), Other Revenue Expenditure (₹82.52 Crore), Rewards (₹0.10 Crore), Contribution (₹1.50 Crore) and Office Expenses (₹1.19 Crore) (₹7 Crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	44.08	-	44.08
(ख) अन्य पूंजीगत व्यय (₹40 करोड़), फर्नीचर और फिक्सचर (₹0.30 करोड़) और अन्य अचल संपत्तियों (₹0.05 करोड़) के लिए (₹भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹40 करोड़)।	(b) For Other Capital Expenditure (₹40 Crore), Furniture & Fixtures (₹0.30 Crore) and Other Fixed Assets (₹0.05 Crore) (₹40 Crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	-	40.00	40.00
<b>53 चंडीगढ़</b>	<b>53 Chandigarh</b>			
(क) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, परामर्श शुल्क और भर्ती शुल्क, अधिकारियों और कर्मचारियों को पेट्रोल की प्रतिपूर्ति आदि के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure for payment of salaries, medical reimbursement, counsel fees and recruitment fees, reimbursement of petrol to officers and staff members, etc. to the employees of Hon'ble Punjab and Haryana High Court.	66.55	-	66.55
(ख) जिला न्यायालय एवं विधि विभाग को वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	(b) For meeting additional expenditure for the payment of salaries, District Court and Law Department.	9.50	-	9.50
(ग) स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग में नव नियुक्त 29 कनिष्ठ लेखा परीक्षकों को वेतन के भुगतान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure for the payment of salaries to the newly recruited 29 Junior Auditors in Local Audit Department.	1.03	-	1.03
(घ) पुलिस विभाग में नवनियुक्त 750 कांस्टेबलों के वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(d) For meeting additional expenditure for the payment of salaries to the newly recruited 750 constables in Police Department.	74.46	-	74.46
(ङ) वेतन भुगतान, आउटसोर्स कर्मचारियों को पारिश्रमिक, मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिए भुगतान, शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेलों के बिजली बिलों का भुगतान और गैर-आवासीय भवन के रखरखाव के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure for the payment of salaries, wages to the outsourced staff, payment for repair and maintenance works, payment of electricity bills of tubewells in Urban Areas and for upkeep of non-residential building.	24.15	-	24.15
(च) होम गार्ड स्वयंसेवकों को वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(f) For meeting additional expenditure for the payment of wages to the Home Guard volunteers.	3.50	-	3.50
(छ) शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के साथ-साथ नव नियुक्त 250 जूनियर बेसिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को	(g) For meeting additional expenditure for the payment of salaries to the employees as well as to the newly recruited 250			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	पूरा करने के लिए।			
	Junior Basic Teachers in Education Department.	16.05	-	16.05
(ज)	खेल विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	1.43	-	1.43
(झ)	केंद्रीय राज्य पुस्तकालय के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	0.85	-	0.85
(ञ)	सरकारी मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़ में कर्मचारियों के साथ-साथ नए भर्ती किए गए स्टाफ नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सीनियर रेजिडेंट्स (डॉक्टरों), सरकारी मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों और मिनिस्ट्रियल स्टाफ को वेतन के भुगतान और आयुष विभाग, अस्पतालों के आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करना।	90.07	-	90.07
(ट)	इंजीनियरिंग विभाग के तहत शहरी क्षेत्रों में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के भुगतान, ट्यूबवेलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	10.88	-	10.88
(ठ)	वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, नगर निगम को सहायता अनुदान और अस्थायी समग्र संयंत्र और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के संचालन और रखरखाव शुल्क के लिए माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों का अनुपालन करना।	56.80	-	56.80
(ड)	समाज कल्याण विभाग के वेतन भुगतान और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	4.04	-	4.04
(ढ़)	बिजली विभाग द्वारा आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी के भुगतान, विभिन्न उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव और ऊर्जा की खरीद और केंद्रीय भंडार में सामग्री की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	132.13	-	132.13
(ण)	इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर प्रोत्साहन के भुगतान और ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	2.00	-	2.00
(त)	वेतन, मजदूरी, पेट्रोल, तेल और स्नेहक के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, मेसर राइट्स को चंडीगढ़			
	For meeting additional expenditure for the payment of salaries, wages, Petrol, Oil and Lubricants, payment of			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	ट्राइसिटी के लिए व्यापक गतिशीलता योजना तैयार करने का भुगतान और फास्टैग, टोल टैक्स, परमिट शुल्क, काउंटर हस्ताक्षर शुल्क के भुगतान के लिए भुगतान, बसों के परिवहन के लिए पार्किंग शुल्क।	57.91	-	57.91
(थ)	चंडीगढ़ पुलिस विभाग में साइबर प्रचालन और सुरक्षा केन्द्र (सेनकॉप्स) परियोजना की स्थापना के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	-	40.00	40.00
<b>54 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव</b>	<b>54 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu</b>			
(क)	वीवीआईपी यात्रा के दौरान वाहन प्रभार किराए पर लेने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (₹8.00 करोड़)	5.00	-	5.00
(ख)	दीव जिले में आयोजित जी-20 की बैठक और अन्य विभिन्न कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (₹8.00 करोड़)	5.00	-	5.00
(ग)	निफ्ट और जीएनएलयू को सहायता अनुदान प्रदान करने, शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों को अनुदान प्रदान करने और छात्रों के लिए साइकिल की खरीद तथा श्रव्य दृश्य स्टूडियो के विकास के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (25.00 करोड़ रुपए)।	3.00	-	3.00
(घ)	स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग, सुरक्षा, बीईसीआईएल और कीट नियंत्रण के वेतन के भुगतान और संविदा कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए डीएनबी को वजीफा, पीजी/एनएमसी शुल्क, अतिथि व्याख्यान, वाहनों को किराए पर लेना और बिजली बिलों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (35.00 करोड़ रुपए)।	15.00	-	15.00
(ङ)	विभिन्न संस्थाओं अर्थात् शहरी स्थानीय निकायों, पीडीए आदि को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (120.00 करोड़ रुपए)	17.11	-	17.11
(च)	संघ राज्य क्षेत्र में वृक्षारोपण लक्ष्य में वृद्धि के कारण और संघ राज्य क्षेत्रों के वनक्षेत्रों में मरम्मत और अनुरक्षण कार्य अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (12.20 करोड़ रुपए)।	5.50	-	5.50
(छ)	सजावटी स्ट्रीट लाइटों, विभिन्न सरकारी भवनों की रोशनी, जी-20 की बैठकों और वीवीआईपी दौरे के लिए दीव में डीजी सेट की रोशनी और व्यवस्था, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रोशनी के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (10.00 करोड़ रुपए)	5.00	-	5.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ज) औद्योगिक संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत स्कीमों के सवितरण तथा संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के अंतर्गत स्कीम के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (40.00 करोड़ रुपए)	(h) For meeting additional expenditure for disbursement of schemes under industrial promotions schemes and for scheme under the infrastructure development in industrial areas of UT (₹40.00 crore).	6.00	-	6.00
<b>56 लक्षद्वीप</b>	<b>56 Lakshadweep</b>			
(क) विद्युत उत्पादन के लिए डीजल की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(a) For meeting additional expenditure for procurement of diesel towards power generation	68.00	-	68.00
(ख) लक्षद्वीप में जहाजों के संचालन और रखरखाव पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(b) For meeting additional expenditure on running and maintenance of Ships in Lakshadweep	113.07	-	113.07
<b>58 जम्मू-वर्कमीर को अन्तरण</b>	<b>58 Transfers to Jammu and Kashmir</b>			
संघ राज्य क्षेत्र के संसाधनों के अन्तराल को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards Central Assistance to meet resource gap of the UT.	3,170.00	-	3,170.00
<b>59 पुडुचेरी को अन्तरण</b>	<b>59 Transfers to Puducherry</b>			
पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को बकाया राशि के भुगतान के लिए (110 करोड़ रुपये) और शैक्षिक संस्थानों के शिक्षा संकाय हेतु 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की बकाया राशि के भुगतान के लिए (161 करोड़ रुपये)।	For payment of arrears to pensioners, family pensioners (₹110 crore) and 7th Central Pay Commission (CPC) arrears for teaching faculty of educational institutions (₹161 crore).	271.00	-	271.00
<b>विधि और न्याय मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF LAW AND JUSTICE</b>			
<b>65 विधि और न्याय</b>	<b>65 Law and Justice</b>			
(क) निम्नलिखित हेतु व्यय को पूरा करने के लिए 1. एलएडीसीएस की गतिविधियों के लिए (i) एनएएलएसए को सामान्य सहायता अनुदान (200 करोड़ रुपए), (ii) न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करने पर (दिशा) (8 करोड़ रुपए) और (iii) भारत की आकस्मिकता निधि से भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र के लिए आहरित अग्रिम की वसूली (1.50 करोड़ रुपए)। 2. ई-न्यायालय चरण-III परियोजना (742.49 करोड़ रु) (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित 225.00 करोड़ रु की अग्रिम राशि की वसूली शामिल है) 3. निम्न के लिए पुजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (i) एनजेए परिसर, भोपाल में अधीनस्थ अतिथि गृह का निर्माण (3.98 करोड़ रुपए) और (ii) भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र आईआईएसी के मौजूदा कार्यालय परिसरों के नवीकरण/सुधार के लिए सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान के लिए (2 करोड़ रुपए) 4. भारतीय मध्यस्थता परिषद के सामान्य सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए) और सहायता अनुदान वेतन (0.50 करोड़ रुपए) 5. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के सहायता अनुदान वेतन (9.92 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-Aid-General (i) to NALSA for activities of LADCS (₹200 crore) (ii) on Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice (DISHA) (₹8 crore) and (iii) recoupment of advance withdrawn from Contingency Fund of India to India International Arbitration Centre (₹1.50 crore). 2. e-Court Phase-III Project (₹742.49 crore) (this includes recoupment of advance of ₹225.00 crore withdrawn from Contingency Fund of India) 3. Grants for Creation of Capital Assets for (i) construction of subordinate guest house in NJA Campus, Bhopal (₹3.98 crore) and (ii) India International Arbitration Centre for payment to CPWD towards renovation/refurbishment of existing office premises of IIAC (₹2 crore) 4. Grants-in-aid General (₹1.00 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.50 crore) of Mediation Council of India 5 Grant-in-Aid Salaries of National Judicial Academy (₹9.92 crore).	954.47	-	954.47

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) निम्नलिखित के लिए (i) निर्वाचन संबंधी व्यय भारत सरकार के हिस्से की देयता का निपटान करना के लिए (2536.65 करोड़ रुपए) और (ii) आगामी लोक सभा चुनाव, 2024 के लिए खरीदी गई ईवीएम का परीक्षण और रखरखाव के लिए (36.20 करोड़ रुपए)।	(b) For (i) clearing the liability of Government of India' share towards election related expenditure (₹2536.65 crore) and (ii) testing and maintenance of EVMs procured for ensuing Lok Sabha Elections, 2024 (₹36.20 crore).	2,572.85	-	2,572.85
(ग) ई-न्यायालय चरण-III परियोजना पर व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure on e-Court Phase III project .	82.50	-	82.50
(घ) निम्नलिखित के लिए (i) विभिन्न स्थानों पर आईटीएटी के कार्यालय भवनों के लिए निर्माण परियोजनाओं को पूरा करना (43 करोड़ रुपये) और (ii) लोकसभा चुनाव, 2024 आयोजित करने के लिए ईवीएम की खरीद के लिए। (575.07 करोड़ रुपये)	(d) For (i) completion of construction projects for office buildings of ITAT at different locations (₹43 crore) and (ii) procurement of EVMs for conducting Lok Sabha Elections, 2024 (₹575.07 crore).	-	618.07	618.07
<b>66 चुनाव आयोग</b>	<b>66 Election Commission</b>			
(क) चिकित्सा उपचार (0.40 करोड़ रुपए), भत्ते (0.82 करोड़ रुपए), विदेश यात्रा भत्ते (0.50 करोड़ रुपए), कार्यालय व्यय (7.36 करोड़ रुपए), भूमि एवं भवनों के लिए आरआरटी (0.41 करोड़ रुपए), लघु सिविल एवं विद्युत निर्माण कार्य (10.33 करोड़ रुपए), व्यावसायिक सेवाएं (3.95 करोड़ रुपए), मरम्मत एवं अनुरक्षण (30.96 करोड़ रुपए), विज्ञापन एवं प्रचार (17.30 करोड़ रुपए), घरेलू यात्रा व्यय (1.36 करोड़) मुद्रण और प्रकाशन (0.10 करोड़) और डिजिटल उपकरण (0.18 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(a) For meeting additional expenditure towards Medical Treatment (₹0.40 crore), Allowances (₹0.82 crore), Foreign Travel Allowances (₹0.50 crore), Office Expenses (₹7.36 crore), RRT for Land and Buildings (₹0.41 crore), Minor Civil and Electric Works (₹10.33 crore), Professional Services (₹3.95 crore), Repair & Maintenance (₹30.96 crore), Advertising and Publicity (₹17.30 crore), Domestic Travel Expenses (₹1.36 crore), Printing and Publication (₹0.10 crore) and Digital Equipment (₹0.18 crore).	73.67	-	73.67
(ख) आईआईआईआईईएम परिसर के निर्माण के संबंध में एकमात्र मध्यस्थ द्वारा लगाए गए मध्यस्थता अधिनिर्णय पर व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure on arbitration award imposed by sole arbitrator in connection with the construction of IIIDEM campus.	-	28.09	28.09
<b>67 भारत का सर्वोच्च न्यायालय</b>	<b>67 Supreme Court of India</b>			
(क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए के अन्तर्गत (i) कार्यालय व्यय (25.52 करोड़ रुपए), (ii) अन्य के लिए किराया (0.09 करोड़ रुपए) और (iii) विज्ञापन और प्रचार (0.08 करोड़ रुपए), जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आहरित भारत की आकस्मिकता निधि को 0.17 करोड़ रुपए की पूतिपूर्ति शामिल है।	(a) For meeting additional expenditure under meeting additional expenditure under (i) Office Expenses (₹25.52 crore) (ii) Rent for Others (₹0.09 crore) and (iii) Advertising and Publicity (₹0.08 crore), which includes recoupment of ₹0.17 crore to the Contingency Fund of India drawn during the current financial year.	25.69	-	25.69
(ख) भारत की आकस्मिकता निधि को पूतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम आहरित की: (i) रजिस्ट्री के लिए मोटर वाहनों की खरीद के लिए मोटर वाहन (17.65 करोड़ रुपए) और (ii) फर्नीचर और फिक्स्चर (0.79 करोड़ रुपए)।	(b) For recoupment to the Contingency Fund of India advance drawn to meet additional expenditure under (i) Motor Vehicles for purchase of Motor Vehicles for the Registry (₹17.65 crore) and (ii) Furniture and Fixtures (₹0.79 crore).	-	18.44	18.44

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	<b>MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS</b>			
<b>74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय</b>	<b>74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions</b>			
(क) अन्य के लिए किराए के लिए।	(a) For Rent for others.	0.29	-	0.29
(ख) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के लिए (168.78 करोड़ रुपए) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की पूतिपूर्ति के लिए 100 करोड़ रुपए शामिल हैं)।	(b) For Staff Selection Commission (SSC) under Professional Services (₹168.78 crore) (includes ₹100 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	168.78	-	168.78
(ग) अन्य राजस्व व्यय के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लिए।	(c) For Central Bureau of Investigation (CBI) under Other Revenue Expenditure.	0.50	-	0.50
(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अंतर्गत भत्तों (33.07 करोड़ रुपए), कार्यालय व्यय (10.42 करोड़ रुपए) और लघु सिविल एवं विद्युत कार्यों (7.50 करोड़ रुपए) के लिए।	(d) For Allowances (₹33.07 crore), Office Expenses (₹10.42 crore) and Minor Civil and Electric Works (₹7.50 crore) under Central Bureau of Investigation (CBI).	50.99	-	50.99
(ङ) लोकपाल के कार्यालय व्यय के लिए।	(e) For Office Expenses of Lokpal.	1.48	-	1.48
(च) सिविल सेवा और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (एसपीवी (22.37 करोड़ रुपए), व्यावसायिक सेवाएं (एलबीएसएनए) (5 करोड़ रुपए), अवसंरचना में सुधार और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन के लिए एलबीएसएनए (7.67 करोड़ रुपए), प्रशिक्षण व्यय - आईएसटीएम (5.26 करोड़ रुपए), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान-जीआईए (10 करोड़ रुपए), प्रशासनिक सुधार जीआईए सामान्य- डीएआरपीजी (8 करोड़ रुपए), एनपीसीएससीबी विश्व बैंक जीआईए सामान्य (15 करोड़ रुपए), आईएसटीएम के तहत लघु सिविल और विद्युत निर्माण कार्य, मरम्मत और रखरखाव (आईएसटीएम), प्रशिक्षण व्यय (आईएसटीएम), अन्य के लिए किराया (आईएसटीएम), एनपीसीएससीबी ईएपी विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना-कार्यालय व्यय (₹5 करोड़), एनपीसीएससीबी ईएपी विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना-अन्य राजस्व व्यय (₹0.01 करोड़)।	(f) For Grants-in-aid General for National Programme for Civil Services and Capacity Building – SPV (₹22.37 crore), Professional Services (LBSNAA) (₹5 crore), LBSNAA for Improvement of Infrastructure and upgradation of essential facilities (₹7.67 crore), Training Expenses - ISTM (₹5.26 crore), Indian Institute of Public Administration-GIA (₹10 crore), administrative Reforms GIA General – DARPG (₹8 crore), NPCSCB World Bank GIA General (₹15 crore), Minor Civil and Electric Works under ISTM, Repair and Maintenance (ISTM), Training Expenses(ISTM), Rent for Others(ISTM), NPCSCB EAP World Bank Aided Project-Office Expenses (₹5 crore), NPCSCB EAP World Bank Aided Project- Other Revenue Expenditure (₹0.01 crore).	40.30	-	40.30
(छ) भूमि अधिग्रहण और लोकपाल के भवन के निर्माण के लिए (21.01 करोड़ रुपए)।	(g) For acquisition of land & construction of building of LOKPAL (₹21.01 cr).	-	21.01	21.01
(ज) अवसंरचना में सुधार और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन के लिए एलबीएसएनए के लिए (2.61 करोड़ रुपए), बैठक-भवन एवं संरचना की विभिन्न पीठों के लिए भूमि की खरीद और भवन का निर्माण (5 करोड़ रुपए), अवसंरचना में सुधार और आवश्यक सुविधाओं का उन्नयन (एलबीएसएनए) (55 करोड़ रुपए) और आईएसटीएम और डीओपीटी के लिए एकीकृत भवन (2 करोड़ रुपए)।	(h) For LBSNAA for Improvement of Infrastructure and upgradation of essential facilities (₹2.61 crore), Purchase of Land & Construction of Building for various benches of CAT - Buildings and Structure (₹5 crore), Improvement of Infrastructure and upgradation of essential facilities (LBSNAA) (₹55 crore) and Integrated Building for ISTM and DoPT (₹2 crore).	-	2.61	2.61

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>75 केंद्रीय सतर्कता आयोग</b>	<b>75 Central Vigilance Commission</b>			
1. (i) चिकित्सा उपचार के अंतर्गत चिकित्सा बिलों का भुगतान करना (0.10 करोड़ रुपए) (ii) घरेलू यात्रा व्यय के अंतर्गत बिल (0.10 करोड़ रुपए) 2. भत्तों के तहत डीए, एचआरए आदि के भुगतान के लिए (2.20 करोड़ रुपए) 3. कार्यालय के अंतर्गत व्यय की प्रतिबद्धता को पूरा करना। व्यय (0.82 करोड़ रुपए) 4. 'डिजिटल उपस्कर' के तहत आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियों को पूरा करने के लिए (0.05 करोड़ रुपए)	For meeting additional fund required 1. to clear the (i) Medical bills under 'Medical Treatment' (₹0.10 crore) (ii) bills under 'Domestic Travel Expenses' (₹0.10 crore) 2. towards payment of DA, HRA, etc. under 'Allowances' (₹2.20 crore) 3. to meet the committed nature of expenses under 'Office Expenses' (₹0.82 crore) 4. to meet the requirement under 'Digital Equipment' (₹0.05 crore).	3.27	-	3.27
<b>पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS</b>			
<b>78 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय</b>	<b>78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways</b>			
(क) 1. सागरमाला योजना के तहत गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹52.50 करोड़) 2. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शेष 10% सब्सिडी जारी करने के लिए सब्सिडी (i) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता द्वारा हुगली नदी और हल्दिया चैनल का नदी की ड्रेजिंग और रखरखाव (₹5.53 करोड़) और (ii) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता द्वारा हल्दिया चैनल में रखरखाव और ड्रेजिंग (₹13.98 करोड़) 3. लाइट हाउस और हल्के जहाजों के तहत कार्यालय चलाने के व्यय को पूरा करने के लिए कार्यालय व्यय (₹15 करोड़) 4. सागरमाला योजना के तहत गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी करना (₹87.50 करोड़) और 5. छोटे बंदरगाहों (एएलएचडब्ल्यू) के विकास के लिए ईंधन और स्नेहक (₹0.87 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएँ (₹0.18 करोड़) हेतु।	(a) For 1. Grants for Creation of Capital Assets for development of National Maritime Heritage Complex at Lothal in Gujarat under Sagarmala Scheme (₹52.50 crore) 2. Subsidies to release balance 10% subsidy for the FY 2022-23 to Syama Prasad Mookerjee port, Kolkata under (i) River Dredging and Maintenance of river Hooghly and Haldia Channel by Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata and Haldia channel (₹5.53 crore) and (ii) Maintenance and Dredging in Haldia Channel by Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata (₹13.98 crore) 3. Office Expense to meet expenditure towards expenses for running of office under Light House and Light ships (₹15 crore) 4. release of Grants for Creation of Capital Assets for development of National Maritime Heritage Complex at Lothal in Gujarat under Sagarmala Scheme (₹87.50 crore) and 5. Fuels and Lubricants (₹0.87 crore) and Professional Services (₹0.18 crore) for development of Minor Ports (ALHW).	72.01	-	72.01
(ख) पोत परिवहन महानिदेशक के लिए व्यावसायिक सेवाओं के व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting expenditure towards Professional Services for Director General of Shipping.	9.83	-	9.83
(ग) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत निवेश के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Investment under Inland Waterways Authority of India.	-	43.00	43.00
(घ) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत निवेश के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards Investment under Inland Waterways Authority of India.	-	51.54	51.54

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	<b>THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT</b>			
<b>80 राष्ट्रपति के स्टाफ, गृह प्रबंधन और भत्ते</b>	<b>80 Staff, Household and Allowances of the President</b>			
(क) (i) बोनस के भुगतान के लिए पुरस्कार (0.37 करोड़ रुपये), (ii) राष्ट्रपति के विदेशी दौरों के कारण लंबित भुगतानों का भुगतान करने के लिए विदेश यात्रा व्यय (1.50 करोड़ रुपये), (iii) कार्यालय व्यय (2.68 करोड़ रुपये), (iv) राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रपति संपदा को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान (0.18 करोड़ रुपये) (v) राष्ट्रपति के दौरों से संबंधित अन्य राजस्व व्यय (0.58 करोड़ रुपये) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	(a) For meeting additional expenditure under (i) Rewards for payment of bonus (₹0.37 crore), (ii) Foreign Travel Expenses to clear pending payments on account of foreign tours of the President (₹1.50 crore), (iii) Office Expenses (₹2.68 crore), (iv) Grants-in-aid General to provide additionality to Rajendra Prasad Kendriya Vidyalaya, President's Estate (₹0.18 crore) (v) Other Revenue Expenditure to clear payments related to Presidential Tours (₹0.58 crore).	5.31	-	5.31
(ख) (i) राष्ट्रीय सचिवालय में प्रतिबद्ध देनदारियों को निपटाने के लिए आईसीटी उपस्कर के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (1.72 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रपति के मोटर गैरेज के लिए मोटर वाहनों की खरीद के कारण लंबित भुगतानों का निपटान करने के लिए मोटर वाहन (0.05 करोड़ रुपये) और (iii) राष्ट्रपति के परिवार में व्यय को पूरा करने के लिए विरासत परिसंपत्तियों और एनईसी का उन्नयन, अधिप्राप्ति (0.47 करोड़ रुपये)।	(b) For meeting additional expenditure under (i) ICT Equipment to clear committed liabilities and to procure ICT equipments in the President's Secretariat (₹1.72 crore) (ii) Motor Vehicles to clear pending payments on account of purchase of Motor Vehicles for the Presidential Motor Garage (₹0.05 crore) and (iii) Upgradation, Procurement of Heritage Assets & NEC to meet expenditure in the Presidential Household (₹0.47 crore).	-	2.24	2.24
<b>84 संघ लोक सेवा आयोग</b>	<b>84 Union Public Service Commission</b>			
परीक्षाओं और चयन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure on Examinations and Selections.	46.24	-	46.24
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	<b>MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY</b>			
<b>91 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग</b>	<b>91 Department of Scientific and Industrial Research</b>			
(क) सीएसआईआर की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (311 करोड़ रुपए) और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (225 करोड़ रुपए) के लिए निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting requirement of funds towards Grants-in-aid General (₹311 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹225 crore) under National Laboratories of CSIR.	452.46	-	452.46
(ख) डीएसआईआर की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सीईएल (निवेश) के लिए 4 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement of funds of ₹4 crore for CEL(Investment) under Assistance to PSEs Scheme of DSIR.	-	3.56	3.56
<b>कुल नकद व्यय</b>	<b>Total Cash Outgo</b>	<b>53,858.46</b>	<b>4,519.75</b>	<b>58,378.21</b>

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
3. अनुपूरक अनुदान मांगों के इस बैच में 70,968.15 करोड़ रुपए के तकनीकी अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं जिनका मिलान मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा तदनुसूची बचतों से किया जाता है। उक्त मद निम्नानुसार हैं: अनुदान की तकनीकी अनुपूरक मांगें	3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹70,968.15 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:  <b>Technical Supplementary Demands for grants</b>			
<b>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF AGRICULTURE &amp; FARMERS' WELFARE</b>			
<b>1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग</b>	<b>1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare</b>			
भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अंतर्गत मोटर वाहन (0.43 करोड़ रुपए), मशीनरी एवं उपस्कर (1.65 करोड़ रुपए), सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (2.20 करोड़ रुपए) और फर्नीचर एवं फिक्स्चर (2 करोड़ रुपए) शामिल हैं।	For 'Motor Vehicles' (₹0.43 crore), 'Machinery & Equipment' (₹1.65 crore), 'Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment' (₹2.20 crore) and 'Furniture & Fixture' (₹2 crore) under Soil and Land Use Survey of India.	-	6.28	6.28
<b>परमाणु ऊर्जा विभाग</b>	<b>DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY</b>			
<b>3 परमाणु ऊर्जा</b>	<b>3 Atomic Energy</b>			
इंधन की खरीद के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत 750 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की पूर्तिपूर्ति के लिए।	For recoupment of advance of ₹750 crore sanctioned from Contingency Fund of India for procurement of fuel.	600.60	-	600.60
<b>नागरिक उड्डयन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CIVIL AVIATION</b>			
<b>8 नागरिक उड्डयन मंत्रालय</b>	<b>8 Ministry of Civil Aviation</b>			
(क) (i) एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) को वित्तीय सहायता के लिए एआईएएचएल में इक्विटी निवेश हेतु निवेश (600 करोड़ रुपए) (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की डडड के लिए 300 करोड़ रुपए शामिल हैं) और (ii) नागर विमानन महानिदेशालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर आदि की खरीद के लिए सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण व्यय को पूरा करने के लिए (2.50 करोड़ रुपए)	(a) For meeting expenditure towards (i) Investment for Equity infusion in AIAHL for Financial Support to Alliance Air Aviation Limited (AAAL) (₹600 crore) (this includes ₹300 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India) and (ii) 'Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment for purchase of IT Equipment etc. under Directorate General of Civil Aviation (₹2.50 crore).	-	602.50	602.50
(ख) सचिवालय-आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर आदि की खरीद के लिए सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर (2.48 करोड़ रुपए), फर्नीचर एवं फिक्स्चर (0.44 करोड़ रुपए) और मोटर वाहन (0.07 करोड़ रुपए) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards 'Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment (₹2.48 crore), Furniture & fixtures (₹0.44 crore) and 'Motor Vehicles' (₹0.07 crore) for purchase of IT equipment etc. under Secretariat - Economic Services.	-	2.99	2.99

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY</b>		
<b>11 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग</b>	<b>11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade</b>			
पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक में अवसंरचना विकास के तहत भवन और संरचनाओं के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (₹17 करोड़)।	For meeting expenditure towards Building and Structures (₹17 crore) under Infrastructure Development in Controller General of Patents Designs and Trade Marks.	-	10.61	10.61
<b>संचार मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF COMMUNICATIONS</b>		
<b>13 दूरसंचार विभाग</b>	<b>13 Department of Telecommunications</b>			
(i) रक्षा सेवाओं के ऑप्टिकल फाइबर नियंत्रण आधारित नेटवर्क (1434.36 करोड़ रुपए) और (ii) बीएसएनएल में पूंजी निवेश (के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 11,850.17 करोड़ रुपए)।	For meeting additional expenditure for (i) Optical Fibre Control based network of Defence Services (₹1434.36 crore) and (ii) capital infusion in BSNL (₹11,850.17 crore)	-	7,722.45	7,722.45
<b>उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &amp; PUBLIC DISTRIBUTION</b>		
<b>15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग</b>	<b>15 Department of Food and Public Distribution</b>			
भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए निवेश के व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Investment for construction of Food Storage godowns by FCI.	-	20.40	20.40
<b>सहकारिता मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF COOPERATION</b>		
<b>16 सहकारिता मंत्रालय</b>	<b>16 Ministry of Cooperation</b>			
स्थापनाधीन सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर के लिए।	For Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment under Establishment.	-	0.50	0.50
<b>संस्कृति मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF CULTURE</b>		
<b>18 संस्कृति मंत्रालय</b>	<b>18 Ministry of Culture</b>			
(क) सचिवालय सामाजिक सेवाओं के लिए।	(a) For Secretariat Social Services.	2.00	-	2.00
(ख) निम्नलिखित के लिए 1 I. शताब्दी और वर्षगांठ योजना (एससीएसपी और एसटी घटक सहित) - ₹109.5829 करोड़ इजिसमें से ₹60.00 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि में वापस कर दिए जाएंगे। II. कला संस्कृति विकास योजना - ₹3 करोड़। III. वैश्विक सम्बद्धता योजना- ₹0.13 करोड़। iv. सांस्कृतिक मानचित्रण और रोडमैप पर राष्ट्रीय मिशन - ₹1.75 करोड़ (v) अकादेमी को सहायता- ₹36.1871 करोड़ vi. संग्रहालय को सहायता- ₹26.00 करोड़। vii. बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक - ₹10.67 करोड़ viii अनुदान ग्राही निकाय- आईबीसी- 4 करोड़ रुपये। 2. I. केएसवीवाई योजना (एसटी सहित) के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान की आवश्यकता है- ₹10.00 करोड़। ii. अकादेमी को सहायता- ₹13.01 करोड़ III.				
	(b) For 1. Grant-in-aid General is required for I. Centenaries and Anniversaries Scheme (including SCSP & ST component)- ₹109.5829 Cr. [out of which ₹60.00 cr. will be recouped to Contingency Fund of India] II. Kala Sanskriti Vikas Yojana- ₹3 cr. III. Global Engagement Scheme- ₹0.13 cr. IV. National Mission on Cultural Mapping and Roadmap- ₹1.75 cr. V. Support to Akademies- ₹36.1871 cr. VI. Support to Museum- ₹26.00 cr. VII. Buddhist Tibetan Institutions & Memorials- ₹10.67 cr. VIII. Grantee Bodies-IBC- ₹4 cr. 2. Grants for Creation of Capital Assets is required for I. KSVY scheme (including ST)-			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक- ₹25.50 करोड़। 3. I बौद्ध तिब्बती संस्थानों और स्मारकों के लिए सहायता अनुदान वेतन की आवश्यकता है- ₹7.8950 करोड़ II. अकादेमी को सहायता- ₹3.10 करोड़। III संग्रहालयों को सहायता - ₹6.0051 करोड़। 4. अन्य शीर्ष संयुक्त I भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - 24.4828 करोड़ रुपये। II. शताब्दी और वर्षगांठ योजना- 22 करोड़ रुपये के लिए सामान्य सहायता अनुदान की आवश्यकता है	₹10.00 cr. II. Support to Akademies- ₹13.01 cr. III. Buddhist Tibetan Institutions & Memorial- ₹25.50 cr. 3. Grant-in-Aid Salaries is required for I. Buddhist Tibetan Institutions & Memorial- ₹7.8950 cr. II. Support to Akademies- ₹3.10 cr. III. Support to Museums- ₹6.0051 cr. 4. Other heads combined I. Archaeological Survey of India- ₹24.4828 cr. II. Centenaries & Anniversaries Scheme – ₹22 cr.	178.08	-	178.08
(ग) (i) शताब्दी और वर्षगांठ योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान योजना (19.92 करोड़ रुपए) और (ii) संग्रहालय के विकास के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान योजना के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.0011 करोड़ रुपए)।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General for Centenaries and Anniversaries Scheme (₹19.92 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets for Development of Museums Scheme (₹0.0011 crore).	19.92	-	19.92
<b>रक्षा मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF DEFENCE</b>			
<b>19 रक्षा मंत्रालय (सिविल)</b>	<b>19 Ministry of Defence (Civil)</b>			
(क) कैंटीन स्टोर डिपो के संबंध में व्यावसायिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Professional Services in respect of Canteen Store Depot.	0.35	-	0.35
(ख) कैंटीन स्टोर डिपो के लिए अनिवार्य संविदात्मक देनदारियों और लघु सिविल और विद्युत कार्यों के लिए सामग्री और आपूर्ति के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure towards Materials & Supplies for obligatory contractual liabilities and Minor Civil and Electric Works for Canteen Stores Depot.	2,499.65	-	2,499.65
(ग) भूमि के अंतर्गत प्रभारित व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Charged expenditure under Land.	-	2.00	2.00
(घ) सीमा सड़क संगठन के लिए अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों (1184 करोड़ रुपए), मशीनरी और उपस्कर (87 करोड़ रुपए), भवन और संरचना (100 करोड़ रुपए) और भूमि (4 करोड़ रुपए) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure under Infrastructural Assets (₹1184 crore), Machinery and Equipment (₹87 crore), Building and Structure (₹100 crore) and Land (₹4 crore) for Border Roads Organisation.	-	25.00	25.00
<b>20 रक्षा सेवा (राजस्व)</b>	<b>20 Defence Services (Revenue)</b>			
वायु सेना के लिए वेतन और भत्तें सिविलियंस (1.55 करोड़ रुपये), स्टोर (8,493.86 करोड़ रुपये), निर्माण कार्यों (180 करोड़ रुपये), अग्निवीर (20 करोड़ रुपये), विशेष परियोजनाओं (0.49 करोड़ रुपये) और अन्य व्यय (300 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	For meeting additional expenditure towards Pay and Allowances Civilians (₹1.55 crore), Stores (₹8,493.86 crore), Works (₹180 crore), Agniveer (₹20 crore), Special Projects (₹0.49 crore) and Other Expenditure (₹300 crore) for Air Force.	5,371.80	-	5,371.80
<b>21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>	<b>21 Capital Outlay on Defence Services</b>			
न्यायालय के आदेश से उत्पन्न नौसेना के लिए निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Construction Works for Navy arising out of Court Order.	-	1.00	1.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>शिक्षा मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF EDUCATION</b>		
<b>25 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग</b>	<b>25 Department of School Education and Literacy</b>			
सचिवालय के अंतर्गत मशीनरी और उपस्कर के लिए।	For Machinery and Equipment under Secretariat.	-	0.10	0.10
<b>इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY</b>		
<b>27 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	<b>27 Ministry of Electronics and Information Technology</b>			
(क) एसटीक्यूसी कार्यक्रम के अंतर्गत भवनों और संरचनाओं (28 करोड़ रुपए) और सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर (2.05 करोड़ रुपए) के लिए 30.05 करोड़ रुपए के व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting an expenditure of ₹30.05 crore towards Buildings & Structures (₹28 crore) and Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment (₹2.05 cr) under STQC Programme.	-	29.55	29.55
(ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान कार्यक्रम एनआईसीनेट के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (i) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान कार्यक्रम और नए जिला केन्द्रों के लिए मशीनरी और उपस्कर (1 करोड़ रुपए) और अन्य स्थायी आस्तियां (1.25 करोड़ रुपए) (ii) केन्द्रीय सार्वजनिक अधिप्राप्ति पोर्टल के लिए सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर (0.30 करोड़ रुपए) और डाटा सेंटर एवं क्लाउड सेवाएं के लिए 12.55 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (10 करोड़ रुपए)	(b) For meeting an additional expenditure of ₹12.55 crore towards (i) Machinery & Equipment (₹1 crore) and Other Fixed Assets (₹1.25 crore) for National Informatics Centre under National Informatics Programme NICNET and New District Centres (ii) Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment for Central Public Procurement Portal (₹0.30 crore) and Data Centres & Cloud Services (₹10 crore).	-	10.63	10.63
<b>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE</b>		
<b>28 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय</b>	<b>28 Ministry of Environment, Forests and Climate Change</b>			
(क) निम्नलिखित के लिए (i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड (एएनआईएफपीडीसीएल) में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹3.62 करोड़ रुपए के इक्विटी अंशदान को बट्टे खाते में डालने के लिए, (ii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान परिषद (आईसीएफआरई) के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹253.23 करोड़ रुपए) जिसमें भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की पूर्ति के लिए ₹52.22 करोड़ रुपए शामिल हैं। (iii) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.60 करोड़) और पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹0.69 करोड़) (iv) भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹5.50 करोड़ रुपए) और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1.50 करोड़ रुपए)	(a) For (i) write-off the equity contribution of ₹3.62 crore made by Government of India in Andaman & Nicobar Island Forest & Plantation Development Corporation Limited (ANIFPDCL) (ii) Grants-in-aid-Salaries (₹253.23 crore) for Indian Council of Forestry Research and Training Institute (ICFRE) which includes ₹52.22 crore towards recoupment of advance withdrawn from Contingency Fund of India (ii) Grants-in-aid-General (₹0.60 crore) and Grants for creation of capital assets (₹0.69 crore) under Indian Institute of Forest Management (IIFM) (iv) Grants-in-aid-General (₹5.50 crore) and Grants for creation of capital assets (₹1.50 crore) under Wildlife Institute of India (WII)			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(v) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के अंतर्गत सहायता अनुदान (5 करोड़ रुपए)।	(v) Grants-in-aid-General (₹5 crore) under National Tiger Conservation Authority (NTCA).	3.62	-	3.62
(ख) निम्नलिखित सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए (i) पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम (1.82 करोड़ रुपए) और (ii) प्रदूषण नियंत्रण के (10 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid-General under (i) Environment Information, Awareness, Capacity Building and Livelihood Programme (₹1.82 crore) and (ii) Control of Pollution (₹10 crore).	10.00	-	10.00
(ग) जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (3 करोड़ रुपए) और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (4 करोड़ रुपए) के लिए व्यय को पूरा करना (ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (7 करोड़ रुपए) और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (7 करोड़ रुपए) (iii) राष्ट्रीय तटीय मिशन के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (24.80 करोड़ रुपए), सामान्य सहायता अनुदान (एससीएसपी) (3 करोड़ रुपए) और सामान्य सहायता अनुदान (टीएसपी) (3 करोड़ रुपए) और सामान्य सहायता अनुदान iv. पर्यावरण अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (0.04 करोड़ रुपए), (v) सामान्य सहायता अनुदान (40.41 करोड़ रुपए), सामान्य सहायता अनुदान (एससीएसपी) (13 करोड़ रुपए) और प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (टीएसपी) (29 करोड़ रुपए) (vi) जलीय पारितंत्रों के संरक्षण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ईएपी) (0.10 करोड़ रुपए)।	(c) meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid-General (₹3 crore) and Grants for creation of capital assets (₹4 crore) for GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development (ii) Grants-in-aid-General (₹7 crore) and Grants for creation of capital assets (₹7 crore) under Central Pollution Control Board (CPCB) (iii) Grants-in-aid-General (₹24.80 crore), Grants-in-aid-General (SCSP) (₹3 crore) and Grants-in-aid-General (TSP) (₹3 crore) under National Coastal Mission (iv) Grants-in-aid-General (₹0.04 crore) under Environment Research & Development Programme (v) Grants-in-aid-General (₹40.41 crore), Grants-in-aid-General (SCSP) (₹13 crore) and Grants-in-aid-General (TSP) (₹29 crore) under Control of Pollution (vi) Grants-in-aid-General (EAP) (₹0.10 crore) under Conservation of Aquatic Ecosystems.	53.41	-	53.41

**विदेश मंत्रालय**

**29 विदेश मंत्रालय**

- (क) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) 650 करोड़ रुपये की आकस्मिक अग्रिम राशि (नासिक प्रिंटिंग प्रेस को 500 करोड़ रुपये का भुगतान और 150 करोड़ रुपये की पासपोर्ट सेवा परियोजना के लिए भुगतान की प्रतिपूर्ति) (ii) नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण क्रियाकलाप (44.28 करोड़ रुपये) (iii) दूतावासों और मिशनों के तहत प्रशिक्षण व्यय (0.28 करोड़ रुपये), अन्य के लिए किराया (1.69 करोड़ रुपये) और सामग्री एवं आपूर्ति (0.60 करोड़ रुपये) (iv) पासपोर्ट और प्रवास के तहत अन्य के लिए किराया (0.04 करोड़ रुपये) (v) स्वायत्त निकाय एवं अन्य संस्थानों के तहत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि सोसाइटी (0.05 करोड़ रुपये) (vi) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**

**29 Ministry of External Affairs**

- (a) For meeting expenditure towards (i) Recoupment of Contingency Advance of ₹650 crore (payment to Nasik printing Press of ₹500 crore and for Passport Seva Project of ₹150 crore) (ii) construction activities of Nalanda University (₹44.28 crore) (iii) Training Expenses (₹0.28 crore), Rent for Other (₹1.69 crore) and Material & Supplies (₹0.60 crore) under Embassies & Missions (iv) Rent for Others (₹0.04 crore) under Passport and Emigration (v) Indian Society of International Law (₹0.05 crore) under Autonomous Bodies & Other Institutions and (vi) Grants for Creation of Capital Assets

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	के आवासीय परिसर के सृजन के लिए भुगतान हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (30 करोड़ रुपए)	44.28	-	44.28
(ख)	एक्जिम बैंक को अन्य देशों को ऋण देने के लिए एक्जिम बैंक द्वारा गारंटी के आह्वान पर 9,013.72 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करना। समतुल्य राशि गारंटी मोचन निधि से वसूल की जाएगी। भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत 4,655 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।		9,013.72	9,013.72
		-	9,013.72	9,013.72
<b>वित्त मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF FINANCE</b>		
<b>30 आर्थिक कार्य विभाग</b>		<b>30 Department of Economic Affairs</b>		
(क)	निम्नलिखित में योगदान के लिए (i) अफ्रीकी विकास निधि (52.03 करोड़ रुपए) और (ii) आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी के चरण-II प्रचालन (100 करोड़ रुपए)।	52.03	-	52.03
(ख)	स्वर्ण मौद्रिकरण योजना, 2015 में निवेश के लिए।	-	388.10	388.10
(ग)	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति मूल्य (एमओवी) दायित्व के अनुश्चप हेतु (5922.15 करोड़ रुपए) और सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को भुगतान (13.94 करोड़ रुपए)।	-	5,922.14	5,922.14
<b>32 वित्तीय सेवा विभाग</b>		<b>32 Department of Financial Services</b>		
(क)	डिजिटल भुगतान योजना के संवर्धन पर भुगतान के लिए जिसे तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) को अंतरित कर दिया गया है।	1,500.00	-	1,500.00
(ख)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिए।	-	1,100.00	1,100.00
(ग)	कंपनियों द्वारा जारी बोनस शेयर के आधार पर विभिन्न बीमा कंपनियों में भारत सरकार के निवेश के लिए। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) (5994.99 करोड़ रुपए), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) (552 करोड़ रुपए), जनरल इश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी) (376.25 करोड़ रुपए) और ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल) (50 करोड़ रुपए)	-	6,973.24	6,973.24
<b>33 लोक उद्यम विभाग</b>		<b>33 Department of Public Enterprises</b>		
	एल -2 स्विच और उससे संबंधित सहायक उपकरण और ऑनलाइन यूपीएस की खरीद के ऐवज जीईएम पर लंबित बिलों का भुगतान करने के लिए।	-	1.70	1.70

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>35 राजस्व विभाग</b>	<b>35 Department of Revenue</b>			
अफीम के उत्पादन में वृद्धि और उच्च दर के कारण व्यय के लिए और अफीम को सेमी रिफाईंड मॉर्फिन (एसआरएम) में बदलने के लिए प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना।	For expenditure on account of increase in production and higher rate of opium and for making payment of processing fee for conversion of opium to Semi Refined Morphine (SRM).	16.95	-	16.95
<b>36 प्रत्यक्ष कर</b>	<b>36 Direct Taxes</b>			
कार्यालय व्यय के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय (143.70 करोड़ रुपए), भूमि भवन के लिए आरआरटी (144.03 करोड़ रुपए), अन्य के लिए किराया (202.09 करोड़ रुपए), ईंधन एवं स्नेहक (21 करोड़ रुपए), व्यावसायिक सेवाएं (37.45 करोड़ रुपए) और गुप्त सेवा व्यय (13 करोड़ रुपए) शामिल हैं।	For establishment related expenditure (₹143.70 crore) under Office Expenses, RRT for land building (₹144.03 crore), Rent for others (₹202.09 crore), fuels & lubricants (₹21 crore), Professional Services (₹37.45 crore) and Secret Service Expenditure (₹13 crore).	399.60	-	399.60
<b>37 अप्रत्यक्ष कर</b>	<b>37 Indirect Taxes</b>			
डीजी सिस्टम के परियोजना इन्फ्रानेट के लिए सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	For meeting additional requirement for Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment for the project infranet of DG Systems.	-	2.66	2.66
<b>44 पशुपालन और डेयरी विभाग</b>	<b>44 Department of Animal Husbandry and Dairying</b>			
सहकारिता के माध्यम से डेयरी के तहत ऋण और अग्रिम के लिए।	For Loans and Advances under Dairying through Cooperative.	-	147.31	147.31
<b>भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES</b>			
<b>48 भारी उद्योग मंत्रालय</b>	<b>48 Ministry of Heavy Industries</b>			
निम्नलिखित के लिए (i) व्यावसायिक सेवाओं (30.08 करोड़ रुपए), डिजिटल उपस्कर (0.19 करोड़ रुपए), राजसहायता (1730.72 करोड़ रुपए) के लिए जिसमें फेम-इंडिया स्कीम चरण-II के अंतर्गत 1050.00 करोड़ रुपए की आकस्मिक अग्रिम राशि की वसूली शामिल है।(ii) आटोमोबाइल और आटो कम्पोनेट उद्योग के लिए पीएलआई योजना के तहत प्रशिक्षण व्यय (0.09 करोड़ रुपए) विदेश यात्रा व्यय (0.10 करोड़), कार्यालय व्यय (0.19 करोड़) (iii) उन्नत रसायन विज्ञान प्रकोष्ठ (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम पीएलआई योजना के तहत व्यावसायिक सेवा (10.92 करोड़ रुपए), कार्यालय व्यय (0.09 करोड़ रुपए) (iv) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को सहायता के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (0.42 करोड़ रुपए), सामान्य सहायता अनुदान (831.76 करोड़ रुपए)	For (i) Professional Services (₹30.08 crore), Digital Equipment (₹0.19 crore), Subsidies (₹1730.72 crore) comprising recoupment of Contingency Advance of ₹1050.00 crore under 'FAME-India scheme Phase-II' (ii) Training Expenses(₹0.09 crore), Foreign Travel Expenses (₹0.10 crore), Office Expenses (₹0.19 crore) under 'PLI Scheme for Automobiles and Auto Components Industry' (iii) Professional Services (₹10.92 crore), Office Expenses (₹0.09 crore) under 'PLI for Scheme National Programme on Advanced Chemistry Cell(ACC) Battery Storage' (iv) Grant-in-Aid Salary (₹0.42 crore), Grant-in-Aid General (₹831.76 crore) under 'Support to Central Public Sector Enterprises'	24.12	-	24.12
<b>गृह मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF HOME AFFAIRS</b>			
<b>49 गृह मंत्रालय</b>	<b>49 Ministry of Home Affairs</b>			
(क) निम्नलिखित के लिए (i) मोटर वाहन (₹1.23 करोड़), (ii) आईसीटी उपस्कर (₹49.56	(a) For (i) Motor Vehicles (₹1.23 crore) (ii) ICT Equipment (₹49.56 crore), (iii)			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	करोड़), (iii) फर्नीचर और फिक्स्चर (₹4.43 करोड़) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹2.00 करोड़ सहित), (iv) पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद के लिए अन्य अचल परिसंपत्तियां (₹0.01 करोड़), (v) मशीनरी और उपस्कर (₹0.17 करोड़), और (vi) रक्षा भूमि खरीदने के लिए (152.79 करोड़ रु)			
	Furniture & Fixtures (₹4.43 crore) (including ₹2.00 crore for recoupment of advance sanctioned from from Contingency Fund of India), (iv) Other Fixed Assets for purchase of books and periodicals (₹0.01 crore), (v) Machinery & Equipment (₹0.17 crore), and (vi) Land for purchasing defence land (₹152.79 crore).	-	184.17	184.17
	(ख) निम्नलिखित के लिए (i) मोटर वाहन (₹17.83 करोड़), (ii) मशीनरी और उपस्कर (₹26.00 करोड़), (iii) आईसीटी उपकरण (₹0.30 करोड़), (iv) फर्नीचर और फिक्स्चर (₹13.75 करोड़), (v) भूमि (₹1.71 करोड़)।			
	(b) For (i) Motor Vehicles (₹17.83 crore), (ii) Machinery & Equipment (₹26.00 crore), (iii) ICT Equipment (₹0.30 crore), (iv) Furniture & Fixtures (₹13.75 crore), (v) Land (₹1.71 crore).	-	59.59	59.59
<b>51 पुलिस</b>	<b>51 Police</b>			
(क) अन्य राजस्व व्यय (5.58 करोड़ रुपए) (विभिन्न अदालती आदेशों के कारण भुगतान का निपटान करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 0.77 करोड़ रुपए) और अन्य राजस्व व्यय (0.10 करोड़ रुपए)।	(a) For Other Revenue Expenditure (₹5.58 Crore) (₹0.77 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India to settle payments on account various Court decrees), and Other Revenue Expenditure (₹0.10 Crore).	4.09	-	4.09
(ख) मोटर वाहनों के लिए (1.90 करोड़ रुपए) (विभिन्न अदालती आदेशों के कारण भुगतान का निपटान करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 1.90 करोड़ रुपए)।	(b) For Motor Vehicles (₹1.90 Cr) (₹1.90 Cr for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India to settle payments on account various Court decrees).	-	0.90	0.90
<b>52 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</b>	<b>52 Andaman and Nicobar Islands</b>			
(क) भारत की आकस्मिकता निधि (6.55 करोड़ रुपए) की प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास लिमिटेड (6.40 करोड़ रुपए) के संबंध में अग्रिम भुगतान की छूट के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹6.55 crore) and for waiver of advance payment in respect of Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Limited (₹6.40 crore).	6.40	-	6.40
(ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन रोपण एवं विकास लिमिटेड के विरुद्ध बकाया ऋण (24 करोड़ रुपए) और अर्जित ब्याज (22.09 करोड़ रुपए) की माफी के लिए।	(b) For waiver of loan (₹24 crore) and accrued interest (₹22.09 crore) outstanding against Andaman and Nicobar Islands Forest Plantation and Development Limited.	-	46.09	46.09
<b>53 चंडीगढ़</b>	<b>53 Chandigarh</b>			
वेतन के भुगतान, आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन, विभिन्न उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव एवं ऊर्जा की खरीद और बिजली विभाग द्वारा केंद्रीय भंडारों में सामग्री की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure for the payment of salaries, wages to the outsourced staff, repair and maintenance of various equipments and purchase of Energy and procurement of material in central stores by the Electricity Department.	72.00	-	72.00
<b>56 लक्षद्वीप</b>	<b>56 Lakshadweep</b>			
लक्षद्वीप में जहाजों के संचालन और रखरखाव पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure on running and maintenance of Ships in Lakshadweep.	26.32	-	26.32

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS</b>		
<b>60 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय</b>	<b>60 Ministry of Housing and Urban Affairs</b>			
(क) 'लघु', सिविल और विद्युत निर्माण कार्य (₹20 करोड़) के तहत राष्ट्रपति निलायम, हैदराबाद और राष्ट्रपति निवास, मशोबरा से संबंधित अनुसंधान व्यय और राष्ट्रपति उद्यान प्रतिष्ठान के कार्य भारत कर्मचारियों पर व्यय को पूरा करने के लिए- 'वेतन' (₹5.95 करोड़), 'पुरस्कार' (₹0.09 करोड़), 'चिकित्सा उपचार' (₹0.24 करोड़), 'भत्ते' (₹3.79 करोड़) और 'अवकाश यात्रा रियायत' (₹0.03 करोड़) के लिए	(a) For maintenance expenditure pertaining to Rashtrapati Nilayam, Hyderabad and Rashtrapati Niwas, Mashobra under 'Minor', Civil and Electrical Works (₹20 crore) and 'Salaries' (₹5.95 cr), 'Rewards' (₹0.09 cr), 'Medical Treatment' (₹0.24 cr), 'Allowances' (₹3.79 cr) and 'Leave Travel Concession' (₹0.03 cr) to meet the expenditure on work charged employees of the President's Garden Establishment.	20.00	-	20.00
(ख) सीपीडब्ल्यूडी के तहत भवन और संरचनाओं के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (₹367 करोड़) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹80 करोड़ शामिल हैं) और कोलकाता में जीएसआई भवन का निर्माण कार्य व 'भवन एवं संरचना' और भूमि शीर्ष के अंतर्गत जम्मू में केंद्रीय सचिवालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद (₹34.48 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards Building & Structures under CPWD (₹367 crore) (includes ₹80 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India) and construction work of GSI Building at Kolkata and purchase of land for construction of Central Secretariat Building at Jammu under heads 'Building & Structure' and Land (₹34.48 crore).	-	367.00	367.00
(ग) राष्ट्रपति भवन, दिल्ली, राष्ट्रपति निलायम, हैदराबाद और राष्ट्रपति निवास, मशोबरा में चल रही विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए भवन और संरचनाओं हेतु (₹4.09 करोड़)।	(c) For Building and Structures (₹4.09 crore) to meet the expenditure pertaining to the various ongoing projects at the Rashtrapati Bhawan, Delhi, Rashtrapati Nilayam, Hyderabad and Rashtrapati Niwas, Mashobra.	-	4.09	4.09
(घ) सीपीडब्ल्यूडी के तहत भवन और संरचनाओं के व्यय को पूरा करना (₹333 करोड़) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹20 करोड़ शामिल हैं)।	(d) For meeting expenditure towards Building & Structures under CPWD (₹333 crore) (includes ₹20 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	-	333.00	333.00
<b>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING</b>		
<b>61 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>	<b>61 Ministry of Information and Broadcasting</b>			
निम्न के लिए (i) फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.24 करोड़), 'मशीनरी और उपस्कर' (₹0.01 करोड़) और सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपस्कर (₹1.29 करोड़) (ii) मशीनरी और उपस्कर (₹0.01 करोड़), 'सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपस्कर' (₹1.44 करोड़) और 'फर्नीचर और फिक्स्चर' (₹0.23 करोड़) के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो (iii) 'मशीनरी और उपस्कर' (₹0.01 करोड़) और सूचना, कंप्यूटर	For (i) Furniture and Fixtures (₹0.24 crore), 'Machinery and Equipment' (₹0.01 crore) and 'Information, Computer, Telecommunication Equipment' (₹1.29 crore) (ii) Press Information Bureau under 'Machinery and Equipment' (₹0.01 crore), "Information, Computer, Telecommunication Equipment" (₹1.44 crore) and 'Furniture			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
दूरसंचार उपस्कर' (₹0.11 करोड़) के तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (iv) 'सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार उपस्कर' (₹4 करोड़) के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो और (v) 'सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपस्कर' के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र के लिए (₹1.20 करोड़)।	& Fixtures' (₹0.23 crore) (iii) Central Board of Film Certification under "Machinery and Equipment" (₹0.01 crore) and Information, Computer Telecommunication Equipment" (₹0.11 crore) (iv) Central Bureau of Communication under 'Information, Computer, Telecommunication Equipment' (₹4 crore) and (v) Electronic Media Monitoring Centre under 'Information, Computer, Telecommunication Equipment' (₹1.20 crore).	-	8.00	8.00
<b>संसदीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS</b>			
<b>73 संसदीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>73 Ministry of Parliamentary Affairs</b>			
डिजिटल विधानमंडलों के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) के विकास/उन्नयन से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करना और नेशनल क्लाउड (मेघराज) पर एनईवीए एप्लिकेशन को प्रदर्शित करने के लिए एनआईसीएसआई को भुगतान करना।	For meeting additional expenditure relating to development/ upgradation of National eVidhan Application (NeVA) for Digital Legislatures and making payment to NICS I for hosting the NeVA Application at National Cloud (Meghraj).	-	2.07	2.07
<b>पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS</b>			
<b>76 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>	<b>76 Ministry of Petroleum and Natural Gas</b>			
(क) (i) वैश्विक जैव ईंधन संगठन (₹60 करोड़) (ii) बायोमास के संग्रह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना (₹8 करोड़) (iii) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - एलपीजी (₹1,280 करोड़) (iv) गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन (₹8,499.99 करोड़) (v) बीसीपीएल/असम गैस क्रैकर कम्प्लेक्स को फीडस्टॉक सब्सिडी (₹170.94 करोड़) और (vi) एलपीजी सब्सिडी के लिए परियोजना प्रबंधन व्यय (₹32 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure for (i) Global Biofuels Alliance (₹60 crore) (ii) providing financial support to collection of biomass (₹8 crore) (iii) Direct Benefit Transfer - LPG (₹1,280 crore) (iv) LPG connection to Poor Households (₹8,499.99 crore) (v) Feedstock Subsidy to BCPL/Assam Gas Cracker Complex (₹170.94 crore) and (vi) Project Management Expenditure for LPG Subsidy (₹32 crore).	9,196.54	-	9,196.54
(ख) राज्य सरकारों को विभेदक रॉयल्टी का भुगतान करना।	(b) For payment of differential Royalty to State Governments.	20.31	-	20.31
<b>पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS</b>			
<b>78 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय</b>	<b>78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways</b>			
1. सागरमाला योजना के तहत गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹52.50 करोड़) 2. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शेष 10% सब्सिडी जारी करने के लिए सब्सिडी (i) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता द्वारा हुगली नदी और हल्दिया चैनल का नदी की ड्रेजिंग और	For 1. Grants for Creation of Capital Assets for development of National Maritime Heritage Complex at Lothal in Gujarat under Sagarmala Scheme (₹52.50 crore) 2. Subsidies to release balance 10% subsidy for the FY 2022-23 to Syama Prasad Mookerjee port, Kolkata under (i) River			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<p>रखरखाव (₹5.53 करोड़) और (ii) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता द्वारा हल्दिया चैनल में रखरखाव और नकर्षण (ड्रेजिंग) (₹13.98 करोड़) 3. लाइट हाउस और हल्के जहाजों के तहत कार्यालय चलाने के व्यय को पूरा करने के लिए कार्यालय व्यय (₹15 करोड़) 4. सागरमाला योजना के तहत गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी करना (₹87.50 करोड़) और 5. छोटे बंदरगाहों (एएलएचडब्ल्यू) के विकास के लिए ईंधन और स्नेहक (₹0.87 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएँ (₹0.18 करोड़) हेतु।</p>	<p>Dredging and Maintenance of river Hooghly and Haldia Channel by Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata and Haldia channel (₹5.53 crore) and (ii) Maintenance and Dredging in Haldia Channel by Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata (₹13.98 crore) 3. Office Expense to meet expenditure towards expenses for running of office under Light House and Light ships (₹15 crore) 4. release of Grants for Creation of Capital Assets for development of National Maritime Heritage Complex at Lothal in Gujarat under Sagarmala Scheme (₹87.50 crore) and 5. Fuels and Lubricants (₹0.87 crore) and Professional Services (₹0.18 crore) for development of Minor Ports (ALHW).</p>	15.00	-	15.00
<b>विद्युत मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF POWER</b>		
<b>79 विद्युत मंत्रालय</b>		<b>79 Ministry of Power</b>		
(क) अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों से संबंधित व्यावसायिक सेवाओं के लिए।	(a) For Professional Services pertaining to International Arbitration cases.	10.00	-	10.00
(ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के तहत बाढ़ अनुशोधन (मॉडरेशन) भंडारण-पनबिजली परियोजनाओं की सहायता के लिए अन्य व्यय (₹108.99 करोड़) (ii) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर (₹0.42 करोड़) और (iii) भारत सरकार के पक्ष में बोनस शेयरों की पूर्व अवधि के निर्गमन के समायोजन के लिए (₹1,819.25 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure for (i) Other Expenditure for Support of flood moderation storage-Hydroelectric projects (₹108.99 crore) (ii) Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment” under Central Electricity Authority (₹0.42 crore) and (iii) towards adjustment of prior period issue of bonus shares in favour of Government of India (₹1,819.25 crore).	-	1,927.67	1,927.67
<b>रेल मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF RAILWAYS</b>		
<b>85 रेल मंत्रालय</b>		<b>85 Ministry of Railways</b>		
(क) अदालती आदेशों के अनुसार अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure arising out of court decrees.	82.10	-	82.10
(ख) अदालती आदेशों के अनुसार अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure arising out of court decrees.	-	619.54	619.54
(ग) मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (₹68.83 करोड़) और मेसर्स महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास कार्पोरेशन (एमआरआईडीसी) लिमिटेड (1 करोड़) द्वारा बोनस शेयर के लेखांकन निर्गमन के लिए। यह प्रावधान विभिन्न नवीन कार्य करने की दिशा में भी है।	(c) For accounting issue of Bonus share by M/s IRCON international Limited (₹68.83 crore) and M/s Maharashtra Rail Infrastructure Development Corporation (MRIDC) Ltd (₹1 crore). The provision is also towards carrying out various new works.	-	69.83	69.83

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT</b>		
<b>87 ग्रामीण विकास विभाग</b>		<b>87 Department of Rural Development</b>		
(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ₹16,142.86 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना, जिसमें भारत की आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ₹10,000 करोड़ शामिल हैं।	(a) For meeting additional ₹16,142.86 crore under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, including ₹10,000 crore for recoupment of advance taken from Contingency Fund of India.	14,524.29	-	14,524.29
(ख) कार्यालय फर्नीचर के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure for office furniture.	-	0.12	0.12
<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT</b>		
<b>88 भूमि संसाधन विभाग</b>		<b>88 Department of Land Resources</b>		
अंतिम अधिनिर्णय की प्रत्याशा में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 2.6.2023 के आदेश के अनुसरण में अदालती आदेश से संबंधित व्यय को पूरा करना।	For meeting expenditure related to court decree in pursuance of the Hon'ble High Court Delhi's Order dated 2.6.2023, in anticipation of the final award.	17.42	-	17.42
<b>अंतरिक्ष विभाग</b>		<b>DEPARTMENT OF SPACE</b>		
<b>95 अंतरिक्ष विभाग</b>		<b>95 Department of Space</b>		
(i) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) (₹3 करोड़), राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) (₹2.20 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय के लिए सहायता अनुदान (₹7 करोड़) और जलवायु एवं वायुमंडलीय कार्यक्रम (₹0.84 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए (ii) भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) (2 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय (₹0.89 करोड़) और जलवायु और वायुमंडलीय कार्यक्रम (₹5.42 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (iii) भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) के लिए (₹4.75 करोड़), भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) (₹10.80 करोड़), और राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) (₹2.35 करोड़) के लिए वेतन सहायता अनुदान (iv) विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) (₹121.19 करोड़), इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई (आईआईएसयू) (₹10 करोड़), सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र - एसएचएआर (एसडीएससी-एसएचएआर) (₹16.21 करोड़), इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) (₹79.62 करोड़), इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (आईपीआरसी) (₹22.26 करोड़), मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी (एमसीएफ) (₹8.44 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय (₹36.41 करोड़), यू आर राव सैटेलाइट सेंटर (यूआरएससी) (₹34.45 करोड़), मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एचएसएफसी) (₹7.88	(i) Grant in Aid General for Physical Research Laboratory (PRL) (₹3 crore), National Atmospheric Research Laboratory (NARL) (₹2.20 crore), Indian Space Research Organisation (ISRO) HQs. (₹7 crore) and Climate & Atmospheric Programme (₹0.84 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets for Indian Institute of Science & Technology (IIST) (₹2 crore), Indian Space Research Organisation (ISRO) HQs. (₹0.89 crore) and Climate & Atmospheric Programme (₹5.42 crore) (iii) Grant-in-Aid Salaries of Indian Institute of Science & Technology (IIST) (₹4.75 crore), Physical Research Laboratory (PRL) (₹10.80 crore), and National Atmospheric Research Laboratory (NARL) (₹2.35 crore) (iv) operational expenses under Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) (₹121.19 crore), ISRO Inertial Systems Unit (IISU) (₹10 crore), Satish Dhawan Space Centre - SHAR (SDSC-SHAR) (₹16.21 crore), ISRO Telemetry, Tracking and Command Network (ISTRAC) (₹79.62 crore), ISRO Propulsion Complex (IPRC) (₹22.26 crore), Master Control Facility (MCF) (₹8.44 crore), Indian Space Research Organisation (ISRO) HQs. (₹36.41 crore), U R RAO Satellite Centre (URSC) (₹34.45 crore), Human Spaceflight			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करोड़), अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी) (₹158.73 करोड़), राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एनएनआरएमएस) (₹5.49 करोड़), और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) (₹45.99 करोड़) के तहत परिचालन व्यय; और (v) तृष्णा के तहत सेवा का नया साधन (विदेश यात्रा व्यय - ₹0.40 करोड़)	Centre (HSFC) (₹7.88 crore), Space Applications Centre (SAC) (₹158.73 crore), National Natural Resources Management System (NNRMS) (₹5.49 crore), and National Remote Sensing Centre (NRSC) (₹45.99 cr); and (v) New Instrument of Service under TRISHNA (Foreign Travel Expenses – ₹0.40 crore).	586.32	-	586.32
<b>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT</b>			
<b>101 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</b>	<b>101 Ministry of Women and Child Development</b>			
सचिवालय के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर के व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment under the Secretariat.	-	6.00	6.00
<b>कुल तकनीकी</b>	<b>Total Technical</b>	<b>35,357.20</b>	<b>35,610.95</b>	<b>70,968.15</b>
4 नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक 1 लाख रुपये के पूरक अनुदान लेने का भी प्रस्ताव है, जिसके विरुद्ध दर्शाया गया व्यय संबंधित अनुदान के राजस्व या पूंजी भाग, जैसा भी मामला हो, के भीतर बचत के पुनर्विनियोजन से पूरा किया जाएगा।	4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>अनुदान के लिए सांकेतिक पूरक मांगें</b>	<b>Token Supplementary Demands for grants</b>			
<b>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF AGRICULTURE &amp; FARMERS' WELFARE</b>			
<b>1 कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग</b>	<b>1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare</b>			
2401- फसल पालन (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹5 करोड़ शामिल हैं)।	2401- Crop Husbandry (this includes ₹5 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	1,442.15	-	1,442.15
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	2435 - Other Agricultural Programmes	118.90	-	118.90
<b>आयुष मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF AYUSH</b>			
<b>4 आयुष मंत्रालय</b>	<b>4 Ministry of AYUSH</b>			
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ	2251 - Secretariat-Social Services	1.10	-	1.10
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	117.53	-	117.53
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	2.00	-	2.00
<b>रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS</b>			
<b>6 उर्वरक विभाग</b>	<b>6 Department of Fertilisers</b>			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	3451 - Secretariat-Economic Services	0.78	-	0.78
2852 - उद्योग	2852 - Industries	100.01	-	100.01

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS</b>		
<b>7</b>	<b>भेषज(फार्मास्यूटिकल्स) विभाग</b>	<b>7 Department of Pharmaceuticals</b>		
	2852 - उद्योग	1,021.44	-	1,021.44
	4857 - रसायन और भेषज(फार्मास्यूटिकल्स) उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	-	0.01	0.01
<b>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY</b>		
<b>10</b>	<b>वाणिज्य विभाग</b>	<b>10 Department of Commerce</b>		
	2407 - वृक्षारोपण	5.79	-	5.79
<b>11</b>	<b>उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग</b>	<b>11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade</b>		
	3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	46.50	-	46.50
	2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	4.87	-	4.87
	2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	67.02	-	67.02
	2852 - उद्योग	40.96	-	40.96
	2885 - उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	122.31	-	122.31
	3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1.58	-	1.58
	4875 - अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	-	1.46	1.46
<b>संचार मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF COMMUNICATIONS</b>		
<b>13</b>	<b>दूरसंचार विभाग</b>	<b>13 Department of Telecommunications</b>		
	3275 - अन्य संचार सेवाएँ (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹254.29 करोड़ शामिल है।)	6,719.29	-	6,719.29
	4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	-	159.38	159.38
<b>उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &amp; PUBLIC DISTRIBUTION</b>		
<b>15</b>	<b>खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग</b>	<b>15 Department of Food and Public Distribution</b>		
	2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2.00	-	2.00
<b>सहकारिता मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF COOPERATION</b>		
<b>16</b>	<b>सहकारिता मंत्रालय</b>	<b>16 Ministry of Cooperation</b>		
	2425 - सहकारिता	313.56	-	313.56
	2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	30.00	-	30.00
	3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	37.44	-	37.44
	3602 - संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	6.32	-	6.32

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>संस्कृति मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF CULTURE</b>		
<b>18 संस्कृति मंत्रालय</b>		<b>18 Ministry of Culture</b>		
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹5 करोड़ शामिल हैं)।	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture (this includes ₹5 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	-	17.62	17.62
4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250 - Capital Outlay on other Social Services	-	1.00	1.00
<b>21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>	<b>21 Capital Outlay on Defence Services</b>			
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076 - Capital Outlay on Defence Services	-	2,226.37	2,226.37
<b>उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION</b>		
<b>23 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>		<b>23 Ministry of Development of North Eastern Region</b>		
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070 - Capital Outlay on Other Administrative Services	-	0.35	0.35
<b>पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF EARTH SCIENCES</b>		
<b>24 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय</b>		<b>24 Ministry of Earth Sciences</b>		
3403 - समुद्र-विज्ञान अनुसंधान	3403 - Oceanographic Research	21.35	-	21.35
3455 - मौसम विज्ञान	3455 - Meteorology	17.20	-	17.20
5403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5403 - Capital Outlay on Oceanographic Research	-	78.06	78.06
5455 - मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	5455 - Capital Outlay on Meteorology	-	4.00	4.00
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	-	0.03	0.03
<b>शिक्षा मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF EDUCATION</b>		
<b>25 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग</b>		<b>25 Department of School Education and Literacy</b>		
2551 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ	2551 - Secretariat-Social Services	0.32	-	0.32
2202 - सामान्य शिक्षा	2202 - General Education	4,362.09	-	4,362.09
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	370.73	-	370.73
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments	3,000.00	-	3,000.00
<b>26 उच्चतर शिक्षा विभाग</b>		<b>26 Department of Higher Education</b>		
2203-तकनीकी शिक्षा (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹15 करोड़ शामिल हैं)।	2203-Technical Education (this includes ₹15 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	4,176.34	-	4,176.34
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	116.32	-	116.32
<b>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY</b>		
<b>27 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>		<b>27 Ministry of Electronics and Information Technology</b>		
2852 - उद्योग	2852 - Industries	750.29	-	750.29
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454 - Census Surveys and Statistics	58.92	-	58.92

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	<b>MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE</b>			
<b>28 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय</b>	<b>28 Ministry of Environment, Forests and Climate Change</b>			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	3451 - Secretariat-Economic Services	1.20	-	1.20
4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परियोजना	4406 - Capital Outlay on Forestry and Wild Life	-	3.01	3.01
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परियोजना	5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environment Research	-	13.36	13.36
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	-	5.06	5.06
विदेश मंत्रालय	<b>MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS</b>			
<b>29 विदेश मंत्रालय</b>	<b>29 Ministry of External Affairs</b>			
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	4070 - Capital Outlay on Other Administrative Services	-	15.32	15.32
4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	4075 - Capital Outlay on Miscellaneous General Services	-	0.50	0.50
वित्त मंत्रालय	<b>MINISTRY OF FINANCE</b>			
<b>30 आर्थिक कार्य विभाग</b>	<b>30 Department of Economic Affairs</b>			
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	4070 - Capital Outlay on Other Administrative Services	-	4.25	4.25
7610 - सरकारी सेवकों, आदि को ऋण।	7610 - Loans to Government Servants, etc.	-	10.00	10.00
<b>31 व्यय विभाग</b>	<b>31 Department of Expenditure</b>			
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	4070 - Capital Outlay on Other Administrative Services	-	0.59	0.59
<b>36 प्रत्यक्ष कर</b>	<b>36 Direct Taxes</b>			
4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	4075 - Capital Outlay on Miscellaneous General Services	-	5.81	5.81
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	<b>MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING</b>			
<b>43 मत्स्यपालन विभाग</b>	<b>43 Department of Fisheries</b>			
2405 - मत्स्यपालन	2405 - Fisheries	23.97	-	23.97
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	0.03	-	0.03
<b>44 पशुपालन और डेयरी विभाग</b>	<b>44 Department of Animal Husbandry and Dairying</b>			
2403 - पशुपालन (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹140.99 करोड़ शामिल है।)	2403 - Animal Husbandry (this includes ₹140.99 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	381.66	-	381.66
2404 - डेयरी विकास	2404 - Dairy Development	84.17	-	84.17
4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परियोजना	4403 - Capital Outlay on Animal Husbandry	-	1.55	1.55
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	<b>MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES</b>			
<b>45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय</b>	<b>45 Ministry of Food Processing Industries</b>			
2408 - खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण	2408 - Food Storage and Warehousing	1,690.22	-	1,690.22
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	50.96	-	50.96
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	-	0.30	0.30

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE</b>		
<b>46 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b>	<b>46 Department of Health and Family Welfare</b>			
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ	2251 - Secretariat-Social Services	1.58	-	1.58
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071 - Pensions and other Retirement Benefits	472.11	-	472.11
2210 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹5 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।)	2210 - Medical and Public Health (this includes ₹5 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	1,325.31	-	1,325.31
2211 - परिवार कल्याण (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹67.55 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।)	2211 - Family Welfare (this includes ₹67.55 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	1,511.33	-	1,511.33
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹49.50 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।)	2552 - North Eastern Areas (this includes ₹49.50 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	1,032.39	-	1,032.39
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹195.50 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।)	3601 - Grants-in-aid to State Governments (this includes ₹195.50 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	400.00	-	400.00
3606 - सहायता सामग्री और उपस्कर	3606 - Aid Materials and Equipment	219.69	-	219.69
4210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	-	367.54	367.54
4211 - परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹3.10 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।)	4211 - Capital Outlay on Family Welfare (this includes ₹3.10 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	-	5.11	5.11
4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250 - Capital Outlay on other Social Services	-	15.05	15.05
4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas	-	0.05	0.05
<b>47 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग</b>	<b>47 Department of Health Research</b>			
2210 - चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210 - Medical and Public Health	164.81	-	164.81
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	5.00	-	5.00
<b>भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES</b>		
<b>48 भारी उद्योग मंत्रालय</b>	<b>48 Ministry of Heavy Industries</b>			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	3451 - Secretariat-Economic Services	0.93	-	0.93
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	-	0.25	0.25
<b>गृह मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF HOME AFFAIRS</b>		
<b>49 गृह मंत्रालय</b>	<b>49 Ministry of Home Affairs</b>			
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	2070 - Other Administrative Services	0.01	-	0.01
2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण(मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को समय पर मुआवजा जारी करने में सक्षम बनाने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 5 करोड़ रुपये)	2235 - Social Security and Welfare (₹5 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India to enable timely release of compensation to the victims of communal violence in Manipur)	5.00	-	5.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2245 - Relief on account of Natural Calamities	0.02	-	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	28.49	-	28.49
3053 - नागर विमानन	3053 - Civil Aviation	7.00	-	7.00
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454 - Census Surveys and Statistics	0.23	-	0.23
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹200 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।)	3601 - Grants-in-aid to State Governments (this includes ₹200 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	325.20	-	325.20
3602 - संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	3602 - Grants-in-aid to Union Territory Governments	6.00	-	6.00
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	-	1.00	1.00
<b>51 पुलिस</b>	<b>51 Police</b>			
2055 - पुलिस(इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹9.16 करोड़ शामिल हैं)।	2055 - Police( this includes ₹9.16 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	7,045.06	-	7,045.06
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान(भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए)।	3601 - Grants-in-aid to State Governments (for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	183.68	-	183.68
4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय(इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹771.28 करोड़ शामिल हैं)।	4055 - Capital Outlay on Police (this includes ₹771.28 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India ).	-	3,316.91	3,316.91
<b>52 अंडमान व निकोबार द्वीप समूह</b>	<b>52 Andaman and Nicobar Islands</b>			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	3451 - Secretariat-Economic Services	4.85	-	4.85
2014 - न्याय प्रशासन	2014 - Administration of Justice	0.80	-	0.80
2053 - जिला प्रशासन	2053 - District Administration	5.21	-	5.21
2054 - राजकोष एवं लेखा प्रशासन	2054 - Treasury and Accounts Administration	0.67	-	0.67
2056 - कारागार	2056 - Jails	0.25	-	0.25
2058 - लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2058 - Stationery and Printing	0.39	-	0.39
2059 - लोक निर्माण	2059 - Public Works	17.00	-	17.00
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	2070 - Other Administrative Services	1.96	-	1.96
2202 - सामान्य शिक्षा	2202 - General Education	2.20	-	2.20
2204 - खेल एवं युवा सेवाएँ	2204 - Sports and Youth Services	0.14	-	0.14
2205 - कला और संस्कृति	2205 - Art and Culture	0.05	-	0.05
2210 - चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210 - Medical and Public Health	6.63	-	6.63
2215 - जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2215 - Water Supply and Sanitation	24.50	-	24.50
2216 - आवासन	2216 - Housing	16.27	-	16.27
2217 - शहरी विकास	2217 - Urban Development	35.00	-	35.00
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण (उपर्युक्त प्रावधान भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹118.60 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए है),	2225 - Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities (The above provision is for recoupment of advance of ₹118.60 crore sanctioned from Contingency Fund of India).	2.68	-	2.68
2230 - श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	2230 - Labour, Employment and Skill Development	1.09	-	1.09

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (उपरोक्त प्रावधान भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹2.38 करोड़ की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति के लिए है),	2235 - Social Security and Welfare (The above provision is for recoupment of advance of ₹2.38 crore sanctioned from Contingency Fund of India).	3.24	-	3.24
2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2245 - Relief on account of Natural Calamities	3.99	-	3.99
2401 - कृषि व्यवस्था	2401 - Crop Husbandry	1.38	-	1.38
2403-पशुपालन	2403-Animal Husbandry	2.50	-	2.50
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries	1.51	-	1.51
2425-सहकारिता	2425-Co-operation	4.96	-	4.96
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2435-Other Agricultural Programmes	0.13	-	0.13
2506-भूमि सुधार	2506-Land Reforms	1.25	-	1.25
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	12.97	-	12.97
2801- विद्युत	2801-Power	30.00	-	30.00
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	0.65	-	0.65
3051-पत्तन और लाइट हाउस	3051-Ports and Light Houses	1.15	-	1.15
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	1.33	-	1.33
3054-सड़कें एवं पुल	3054-Roads and Bridges	13.30	-	13.30
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	0.71	-	0.71
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹78.23 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।)	3425-Other Scientific Research (The above provision is for recoupment of advance of ₹78.23 crore sanctioned from Contingency Fund of India).	0.02	-	0.02
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	0.06	-	0.06
3456-सिविल आपूर्ति (उपर्युक्त प्रावधान भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹1.51 करोड़ की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति के लिए है),	3456-Civil Supplies (The above provision is for recoupment of advance of ₹1.51 crore sanctioned from Contingency Fund of India),	1.45	-	1.45
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	-	1.55	1.55
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	-	1.04	1.04
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	-	0.40	0.40
4851-ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	-	0.60	0.60
5052-पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	5052-Capital Outlay on Shipping	-	1.55	1.55
<b>53 चंडीगढ़</b>	<b>53 Chandigarh</b>			
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	-	17.40	17.40
4210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	-	8.16	8.16
4216 - आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	4216 - Capital Outlay on Housing	-	0.05	0.05
4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4217 - Capital Outlay on Urban Development	-	20.73	20.73
4235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4235 - Capital Outlay on Social Security and Welfare	-	1.30	1.30
4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250 - Capital Outlay on other Social Services	-	1.46	1.46
4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4403 - Capital Outlay on Animal Husbandry	-	0.24	0.24
5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	-	0.96	0.96
5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	5055 - Capital Outlay on Road Transport	-	1.07	1.07

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>54 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव</b>	<b>54 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu</b>			
2059 - लोक निर्माण कार्य	2059 - Public Works	5.90	-	5.90
2203 - तकनीकी शिक्षा	2203 - Technical Education	10.37	-	10.37
2204 - खेल एवं युवा सेवाएँ	2204 - Sports and Youth Services	5.96	-	5.96
2215 - जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2215 - Water Supply and Sanitation	10.00	-	10.00
2403 - पशुपालन	2403 - Animal Husbandry	0.50	-	0.50
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515 - Other Rural Development Programmes	221.00	-	221.00
3053 - नागर विमानन	3053 - Civil Aviation	8.50	-	8.50
4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055 - Capital Outlay on Police	-	24.00	24.00
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	-	44.00	44.00
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070 - Capital Outlay on Other Administrative Services	-	0.35	0.35
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	-	11.00	11.00
4210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	-	1.54	1.54
4215 - जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	4215 - Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	-	20.16	20.16
4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250 - Capital Outlay on other Social Services	-	0.30	0.30
4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4403 - Capital Outlay on Animal Husbandry	-	0.20	0.20
4405 - मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4405 - Capital Outlay on Fisheries	-	15.63	15.63
4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	4406 - Capital Outlay on Forestry and Wild Life	-	18.54	18.54
4810 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	4810 - Capital Outlay on New and Renewable Energy	-	10.00	10.00
5053 - नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	-	17.00	17.00
5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	-	250.00	250.00
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5452 - Capital Outlay on Tourism	-	7.00	7.00
<b>55 लद्दाख</b>	<b>55 Ladakh</b>			
2210 - चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210 - Medical and Public Health	6.10	-	6.10
2215 - जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2215 - Water Supply and Sanitation	6.00	-	6.00
2217 - शहरी विकास	2217 - Urban Development	4.99	-	4.99
2801 - विद्युत	2801 - Power	41.00	-	41.00
4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4403 - Capital Outlay on Animal Husbandry	-	1.13	1.13
4405 - मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4405 - Capital Outlay on Fisheries	-	0.70	0.70
4425 - सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	4425 - Capital Outlay on Co-operation	-	0.06	0.06
4575 - अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	4575 - Capital Outlay on Other Special Areas Programmes	-	484.49	484.49
4702 - लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4702 - Capital Outlay on Minor Irrigation	-	2.30	2.30
<b>56 लक्षद्वीप</b>	<b>56 Lakshadweep</b>			
2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	1.19	-	1.19
2236 - पोषण	2236 - Nutrition	0.35	-	0.35
4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055 - Capital Outlay on Police	-	0.09	0.09
4215 - जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	4215 - Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	-	7.35	7.35
5225 - दूरसंचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5225 - Capital Outlay on Telecommunication Services	-	106.00	106.00
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5452 - Capital Outlay on Tourism	-	8.00	8.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS</b>		
<b>60 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय</b>	<b>60 Ministry of Housing and Urban Affairs</b>			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	2052 - Secretariat-General Services	0.02	-	0.02
2058 - लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2058 - Stationery and Printing	1.06	-	1.06
2059 - लोक निर्माण कार्य	2059 - Public Works	5.85	-	5.85
2216 - आवासन	2216 - Housing	2,001.00	-	2,001.00
2217 - शहरी विकास	2217 - Urban Development	99.00	-	99.00
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए)	2552 - North Eastern Areas (for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	49.97	-	49.97
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ(भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए)	3475 - Other General Economic Services (for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	100.00	-	100.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान(इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 351.03 करोड़ शामिल हैं)।	3601 - Grants-in-aid to State Governments (this includes ₹351.03 crore for recoupment of advance sanctioned from the Contingency Fund of India).	424.25	-	424.25
3602 - संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए)	3602 - Grants-in-aid to Union Territory Governments (for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	2.00	-	2.00
4058-लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	4058 - Capital Outlay on Stationery and Printing	-	0.10	0.10
<b>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING</b>		
<b>61 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>	<b>61 Ministry of Information and Broadcasting</b>			
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ	2251 - Secretariat-Social Services	0.05	-	0.05
2205 - कला और संस्कृति	2205 - Art and Culture	0.01	-	0.01
2220 - सूचना एवं प्रचार	2220 - Information and Publicity	58.52	-	58.52
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	5.00	-	5.00
<b>जल शक्ति मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF JAL SHAKTI</b>		
<b>62 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग</b>	<b>62 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation</b>			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	5.50	-	5.50
2700 - मुख्य सिंचाई	2700 - Major Irrigation	0.60	-	0.60
2701 - मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	2701 - Major and Medium Irrigation	172.00	-	172.00
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435 - Ecology and Environment	5.00	-	5.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments	30.06	-	30.06
4701 - मुख्य और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4701 - Capital Outlay on Major and Medium Irrigation	-	0.05	0.05
5075 - अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹12 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल हैं)।	5075 - Capital Outlay on Other Transport Services(this includes ₹12 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	-	12.01	12.01

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>63</b> पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	<b>63 Department of Drinking Water and Sanitation</b>			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	3451 - Secretariat-Economic Services	0.03	-	0.03
2215 - जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2215 - Water Supply and Sanitation	270.68	-	270.68
<b>श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT</b>			
<b>64</b> श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	<b>64 Ministry of Labour and Employment</b>			
2230 - श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	2230 - Labour, Employment and Skill Development	4.77	-	4.77
<b>विधि और न्याय मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF LAW AND JUSTICE</b>			
<b>65</b> विधि और न्याय	<b>65 Law and Justice</b>			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएँ(इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹3.91 शामिल है)।	2052 - Secretariat-General Services (this includes ₹3.91 for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	3.94	-	3.94
2020 - आय और व्यय पर कर का संग्रहण(भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹1.77 करोड़)।	2020 - Collection of Taxes on Income and Expenditure(₹1.77 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	1.77	-	1.77
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ(इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹5.28 शामिल है)।	2070 - Other Administrative Services (this includes ₹5.28 for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	5.28	-	5.28
4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹1.02 करोड़ शामिल है)।	4075 - Capital Outlay on Miscellaneous General Services(this includes ₹1.02 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	-	1.29	1.29
<b>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES</b>			
<b>68</b> सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	<b>68 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises</b>			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	3451 - Secretariat-Economic Services	0.30	-	0.30
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	112.11	-	112.11
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग(इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 400 करोड़ शामिल है)।	2851-Village and Small Industries (this includes ₹400 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	1,336.59	-	1,336.59
6851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण	6851 - Loans for Village and Small Industries	-	0.25	0.25
<b>खान मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF MINES</b>			
<b>69</b> खान मंत्रालय	<b>69 Ministry of Mines</b>			
2853 - अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853 - Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	0.96	-	0.96
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	-	0.58	0.58

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS</b>		
<b>74</b>	<b>कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय</b>	<b>74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions</b>		
4055 - पुलिस विभाग पर पूंजीगत परिव्यय	4055 - Capital Outlay on Police	-	20.00	20.00
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070 - Capital Outlay on Other Administrative Services	-	13.40	13.40
4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4075 - Capital Outlay on Miscellaneous General Services	-	2.40	2.40
<b>पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS</b>		
<b>76</b>	<b>पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>	<b>76 Ministry of Petroleum and Natural Gas</b>		
4802 - पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	4802 - Capital Outlay on Petroleum	-	3,264.67	3,264.67
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	-	0.42	0.42
<b>पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS</b>		
<b>78</b>	<b>पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय</b>	<b>78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways</b>		
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	3451 - Secretariat-Economic Services	1.34	-	1.34
5051 - पत्तन और लाइट हाउस पर पूंजीगत परिव्यय	5051 - Capital Outlay on Ports and Light Houses	-	2.34	2.34
<b>विद्युत मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF POWER</b>		
<b>79</b>	<b>विद्युत मंत्रालय</b>	<b>79 Ministry of Power</b>		
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	9.00	-	9.00
2801 - विद्युत(इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 6.67 करोड़ शामिल हैं)।	2801 - Power(this includes ₹6.67 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	143.73	-	143.73
<b>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS</b>		
<b>86</b>	<b>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>	<b>86 Ministry of Road Transport and Highways</b>		
3054 - सड़कें एवं पुल	3054 - Roads and Bridges	127.86	-	127.86
4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas	-	102.00	102.00
5054 - सड़कें एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	-	6,098.44	6,098.44
<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>		<b>MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT</b>		
<b>87</b>	<b>ग्रामीण विकास विभाग</b>	<b>87 Department of Rural Development</b>		
2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	40.00	-	40.00
2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	2501- Special Programme for Rural Development	0.10	-	0.10
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515 - Other Rural Development Programmes	0.10	-	0.10
3054 - सड़कें एवं पुल	3054 - Roads and Bridges	25.05	-	25.05
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments	3,857.14	-	3,857.14

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>88 भूमि संसाधन विभाग</b>	<b>88 Department of Land Resources</b>			
2501 - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501 - Special Programmes for Rural Development	2.50	-	2.50
2506 - भूमि सुधार	2506 - Land Reforms	2.00	-	2.00
<b>विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY</b>			
<b>89 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग</b>	<b>89 Department of Science and Technology</b>			
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	3451-Secretariat-Economic Services	0.43	-	0.43
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425 - Other Scientific Research	264.80	-	264.80
<b>90 जैव प्रौद्योगिकी विभाग</b>	<b>90 Department of Biotechnology</b>			
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425 - Other Scientific Research	10.62	-	10.62
<b>कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP</b>			
<b>92 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय</b>	<b>92 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship</b>			
2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	2230 - Labour, Employment and Skill Development	50.00	-	50.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments	3.25	-	3.25
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250 - Capital Outlay on other Social Services	-	10.00	10.00
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE &amp; EMPOWERMENT</b>			
<b>93 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग</b>	<b>93 Department of Social Justice and Empowerment</b>			
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225 - Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	143.26	-	143.26
<b>94 दिव्यांगजन का सशक्तिकरण विभाग</b>	<b>94 Department of Empowerment of Persons With Disabilities</b>			
2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	53.75	-	53.75
<b>अंतरिक्ष विभाग</b>	<b>DEPARTMENT OF SPACE</b>			
<b>95 अंतरिक्ष विभाग</b>	<b>95 Department of Space</b>			
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5402 - Capital Outlay of Space Research	-	128.52	128.52
<b>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION</b>			
<b>96 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय</b>	<b>96 Ministry of Statistics and Programme Implementation</b>			
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454 - Census Surveys and Statistics	41.50	-	41.50
<b>इस्पात मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF STEEL</b>			
<b>97 इस्पात मंत्रालय</b>	<b>97 Ministry of Steel</b>			
2852 - उद्योग	2852 - Industries	2.36	-	2.36

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<b>वस्त्र मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF TEXTILES</b>			
<b>98 वस्त्र मंत्रालय</b>	<b>98 Ministry of Textiles</b>			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	3451 - Secretariat-Economic Services	0.20	-	0.20
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	2.48	-	2.48
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2851 - Village and Small Industries	24.73	-	24.73
2852 - उद्योग	2852 - Industries	176.22	-	176.22
4851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4851 - Capital Outlay on Village and Small Industries	-	1.40	1.40
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	-	0.43	0.43
<b>जनजातीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS</b>			
<b>100 जनजातीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>100 Ministry of Tribal Affairs</b>			
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ	2251 - Secretariat-Social Services	0.25	-	0.25
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225 - Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	78.00	-	78.00
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250 - Capital Outlay on other Social Services	-	0.09	0.09
<b>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT</b>			
<b>101 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</b>	<b>101 Ministry of Women and Child Development</b>			
2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹15 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।)	2235 - Social Security and Welfare (this includes ₹15 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	53.91	-	53.91
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	42.40	-	42.40
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments	357.09	-	357.09
3602 - संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के लिए सहायता अनुदान	3602 - Grants-in-aid to Union Territory Governments	28.00	-	28.00
<b>युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS</b>			
<b>102 युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय</b>	<b>102 Ministry of Youth Affairs and Sports</b>			
2204 - खेल एवं युवा सेवाएँ	2204 - Sports and Youth Services	225.78	-	225.78
<b>कुल सांकेतिक</b>	<b>Total Token</b>	<b>1.65</b>	<b>0.84</b>	<b>2.49</b>
5. अनुदान की पूरक मांगों में 30 विभागों/मंत्रालयों द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि से निकाली गई 28,138.95 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति शामिल है।	5. The Supplementary Demands for Grants includes a total of Rs. ₹28,138.95 crore to be recouped to Contingency Fund of India advance from which were drawn by 30 Departments/Ministeries.			
<b>कुल योग</b>	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>89,217.31</b>	<b>40,131.54</b>	<b>1,29,348.85</b>
निवल नकद व्यय	<b>Net Cash Outgo</b>	<b>53,858.46</b>	<b>4,519.75</b>	<b>58,378.21</b>
तकनीकी पूरक	<b>Technical Supplementary</b>	<b>35,357.20</b>	<b>35,610.95</b>	<b>70,968.15</b>
सांकेतिक पूरक	<b>Token Supplementary</b>	<b>1.65</b>	<b>0.84</b>	<b>2.49</b>



## विषय सूची CONTENTS

		(₹ करोड़ in ₹ crore)					
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page		
<b>कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF AGRICULTURE &amp; FARMERS WELFARE</b>						
1. कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	स्वीकृत 1. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	Voted 0.02	6.28	6.30	1-2		
2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	भारित स्वीकृत 2. Department of Agricultural Research and Education	Charged 4.00 Voted 217.65	...	4.00 217.65	3		
<b>परमाणु ऊर्जा विभाग</b>	<b>DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY</b>						
3. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत 3. Atomic Energy	Voted 600.60	...	600.60	4		
<b>आयुष मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF AYUSH</b>						
4. आयुष मंत्रालय	स्वीकृत 4. Ministry of AYUSH	Voted 0.03	...	0.03	5-6		
<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS</b>						
6. उर्वरक विभाग	स्वीकृत 6. Department of Fertilizers	Voted 13350.83	...	13350.83	7		
7. भेषज विभाग	स्वीकृत 7. Department of Pharmaceuticals	Voted 0.01	0.01	0.02	8		
<b>नागर विमानन मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CIVIL AVIATION</b>						
8. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत 8. Ministry of Civil Aviation	Voted ...	605.49	605.49	9		
<b>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY</b>						
10. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत 10. Department of Commerce	Voted 145.01	...	145.01	10		
11. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	स्वीकृत 11. Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Voted 0.06	10.62	10.68	11-12		
<b>संचार मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COMMUNICATIONS</b>						
13. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत 13. Department of Telecommunications	Voted 0.01	8310.77	8310.78	13-14		
<b>उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION</b>						
14. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत 14. Department of Consumer Affairs	Voted 18.39	22.34	40.73	15-16		
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत 15. Department of Food and Public Distribution	Voted 6995.41	25.00	7020.41	17-18		
<b>सहकारिता मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF COOPERATION</b>						
16. सहकारिता मंत्रालय	स्वीकृत 16. Ministry of Cooperation	Voted 0.04	0.50	0.54	19-20		
<b>संस्कृति मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF CULTURE</b>						
18. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत 18. Ministry of Culture	Voted 260.35	0.02	260.37	21-22		
<b>रक्षा मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF DEFENCE</b>						
19. रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	भारित स्वीकृत 19. Ministry of Defence (Civil)	Charged 0.35 Voted 3198.42	2.00	2.35 4723.42	23-24		
20. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	भारित स्वीकृत 20. Defence Services (Revenue)	Charged 7.10 Voted 14992.90	...	7.10 14992.90	25-26		
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिच्यय	भारित स्वीकृत 21. Capital Outlay on Defence Services	Charged ... Voted ...	1.00	1.00	27		
<b>उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION</b>						
23. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत 23. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted ...	0.01	0.01	28		
<b>पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF EARTH SCIENCES</b>						
24. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत 24. Ministry of Earth Sciences	Voted 0.02	0.03	0.05	29-30		
<b>शिक्षा मंत्रालय</b>	<b>MINISTRY OF EDUCATION</b>						
25. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत 25. Department of School Education and Literacy	Voted 0.04	0.10	0.14	31-32		
26. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत 26. Department of Higher Education	Voted 649.88	...	649.88	33-34		

मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	<b>MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY</b>					
27. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	27. Ministry of Electronics and Information Technology	स्वीकृत Voted	0.02	40.18	40.20	35-36
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	<b>MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE</b>					
28. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	स्वीकृत Voted	92.57	0.03	92.60	37-38
विदेश मंत्रालय	<b>MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS</b>					
29. विदेश मंत्रालय	29. Ministry of External Affairs	स्वीकृत Voted	10616.16	9513.74	20129.90	39-40
वित्त मंत्रालय	<b>MINISTRY OF FINANCE</b>					
30. आर्थिक कार्य विभाग	30. Department of Economic Affairs	स्वीकृत Voted	1438.46	6840.03	8278.49	41-42
31. व्यय विभाग	31. Department of Expenditure	स्वीकृत Voted	...	0.01	0.01	43
32. वित्तीय सेवाएं विभाग	32. Department of Financial Services	स्वीकृत Voted	1992.68	8329.54	10322.22	44-45
33. लोक उद्यम विभाग	33. Department of Public Enterprises	स्वीकृत Voted	...	1.70	1.70	46
35. राजस्व विभाग	35. Department of Revenue	स्वीकृत Voted	344.14	179.82	523.96	47
36. प्रत्यक्ष कर	36. Direct Taxes	स्वीकृत Voted	535.42	0.01	535.43	48
37. अप्रत्यक्ष कर	37. Indirect Taxes	स्वीकृत Voted	...	2.66	2.66	49
38. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	38. Indian Audit and Accounts Department	भारित स्वीकृत Charged Voted	66.79 24.08	...	66.79 94.13	50
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	<b>MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING</b>					
43. मत्स्यपालन विभाग	43. Department of Fisheries	स्वीकृत Voted	0.02	...	0.02	51
44. पशु पालन और डेयरी विभाग	44. Department of Animal Husbandry and Dairying	स्वीकृत Voted	0.02	147.32	147.34	52-53
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	<b>MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES</b>					
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	45. Ministry of Food Processing Industries	स्वीकृत Voted	0.02	0.01	0.03	54-55
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	<b>MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE</b>					
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46. Department of Health and Family Welfare	स्वीकृत Voted	0.07	0.04	0.11	56-59
47. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	47. Department of Health Research	स्वीकृत Voted	0.02	...	0.02	60
भारी उद्योग मंत्रालय	<b>MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES</b>					
48. भारी उद्योग मंत्रालय	48. Ministry of Heavy Industries	स्वीकृत Voted	244.01	0.01	244.02	61
गृह मंत्रालय	<b>MINISTRY OF HOME AFFAIRS</b>					
49. गृह मंत्रालय	49. Ministry of Home Affairs	स्वीकृत Voted	0.08	243.77	243.85	62-63
50. मंत्रिमंडल	50. Cabinet	स्वीकृत Voted	44.08	40.00	84.08	64
51. पुलिस	51. Police	भारित स्वीकृत Charged Voted	4.09 0.02	0.90	4.99 0.03	65-66
52. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	52. Andaman and Nicobar Islands	स्वीकृत Voted	6.75	46.14	52.89	67-70
53. चंडीगढ़	53. Chandigarh	भारित स्वीकृत Charged Voted	66.55 556.80	...	66.55 596.89	71-73
54. दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	54. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	स्वीकृत Voted	61.68	0.14	61.82	74-77
55. लद्दाख	55. Ladakh	स्वीकृत Voted	0.04	0.05	0.09	78-79
56. लक्षद्वीप	56. Lakshadweep	स्वीकृत Voted	207.41	0.04	207.45	80-81
58. जम्मू कश्मीर को अंतरण	58. Transfers to Jammu and Kashmir	स्वीकृत Voted	3170.00	...	3170.00	82
59. पुडुचेरी को अंतरण	59. Transfers to Puducherry	स्वीकृत Voted	271.00	...	271.00	83
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	<b>MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS</b>					
60. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	60. Ministry of Housing and Urban Affairs	भारित स्वीकृत Charged Voted	20.00 0.09	4.09	24.09 700.10	84-86

मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	(₹ करोड़ in ₹ crore)				
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	<b>MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING</b>					
61. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत 61. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.04	8.00	8.04	87-88
जल शक्ति मंत्रालय	<b>MINISTRY OF JAL SHAKTI</b>					
62. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	स्वीकृत 62. Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	0.05	0.02	0.07	89-90
63. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	स्वीकृत 63. Department of Drinking Water and Sanitation	Voted	0.02	...	0.02	91
श्रम और रोजगार मंत्रालय	<b>MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT</b>					
64. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत 64. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.01	...	0.01	92
विधि और न्याय मंत्रालय	<b>MINISTRY OF LAW AND JUSTICE</b>					
65. विधि और न्याय	स्वीकृत 65. Law and Justice	Voted	3609.85	618.08	4227.93	93-94
66. निर्वाचन आयोग	स्वीकृत 66. Election Commission	Voted	73.67	28.09	101.76	95
67. उच्चतम न्यायलय	भारित 67. Supreme Court of India	Charged	25.69	18.44	44.13	96
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	<b>MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES</b>					
68. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत 68. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.03	0.01	0.04	97-98
खान मंत्रालय	<b>MINISTRY OF MINES</b>					
69. खान मंत्रालय	स्वीकृत 69. Ministry of Mines	Voted	0.01	0.01	0.02	99
संसदीय कार्य मंत्रालय	<b>MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS</b>					
73. संसदीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत 73. Ministry of Parliamentary Affairs	Voted	...	2.07	2.07	100
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	<b>MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS</b>					
74. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	भारित 74. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Charged	1.98	21.01	22.99	101-102
75. केन्द्रीय सतर्कता आयोग	स्वीकृत 75. Central Vigilance Commission	Voted	260.36	2.64	263.00	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	भारित 76. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Charged	3.27	...	3.27	103
76. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत 76. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	9216.85	0.02	9216.87	104-105
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	<b>MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS</b>					
78. पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत 78. Ministry of Ports, Shipping and Waterways	Voted	96.85	94.55	191.40	106-107
विद्युत मंत्रालय	<b>MINISTRY OF POWER</b>					
79. विद्युत मंत्रालय	भारित 79. Ministry of Power	Charged	10.00	...	10.00	108-109
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	स्वीकृत 79. Ministry of Power	Voted	0.02	1927.67	1927.69	
80. राष्ट्रपति के स्टाफ, गृह-प्रबंधन और भत्ते	<b>THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT</b>					
84. संघ लोक सेवा आयोग	भारित 80. Staff, Household and Allowances of the President	Charged	5.31	2.24	7.55	110
रेल मंत्रालय	भारित 84. Union Public Service Commission	Charged	46.24	...	46.24	111
85. रेल मंत्रालय	भारित 85. Ministry of Railways	Charged	82.10	619.54	701.64	112-114
	स्वीकृत	Voted	...	69.83	69.83	

(1)

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	(₹ करोड़ in ₹ crore)				
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	<b>MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS</b>					
86. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	86. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	0.01	0.02	0.03	115-116
ग्रामीण विकास मंत्रालय	<b>MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT</b>					
87. ग्रामीण विकास विभाग	87. Department of Rural Development	Voted	14524.34	0.12	14524.46	117-118
88. भूमि संसाधन विभाग	88. Department of Land Resources	Charged	17.42	...	17.42	119
		Voted	0.02	...	0.02	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	<b>MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY</b>					
89. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	89. Department of Science and Technology	Voted	0.02	...	0.02	120
90. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	90. Department of Biotechnology	Voted	0.01	...	0.01	121
91. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	91. Department of Scientific and Industrial Research	Voted	452.46	3.56	456.02	122
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	<b>MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP</b>					
92. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	92. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Voted	0.02	0.01	0.03	123
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	<b>MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT</b>					
93. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	93. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	0.01	...	0.01	124
94. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	94. Department of Empowerment of Persons with Disabilities	Voted	0.01	...	0.01	125
अंतरिक्ष विभाग	<b>DEPARTMENT OF SPACE</b>					
95. अंतरिक्ष विभाग	95. Department of Space	Voted	586.32	0.01	586.33	126-127
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	<b>MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION</b>					
96. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	96. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.01	...	0.01	128
इस्पात मंत्रालय	<b>MINISTRY OF STEEL</b>					
97. इस्पात मंत्रालय	97. Ministry of Steel	Voted	0.01	...	0.01	129
वस्त्र मंत्रालय	<b>MINISTRY OF TEXTILES</b>					
98. वस्त्र मंत्रालय	98. Ministry of Textiles	Voted	0.04	0.02	0.06	130-131
जनजातीय कार्य मंत्रालय	<b>MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS</b>					
100. जनजातीय कार्य मंत्रालय	100. Ministry of Tribal Affairs	Voted	0.02	0.01	0.03	132
महिला और बाल विकास मंत्रालय	<b>MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT</b>					
101. महिला और बाल विकास मंत्रालय	101. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.04	6.00	6.04	133-134
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	<b>MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS</b>					
102. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	102. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.01	...	0.01	135
कुल जोड़	<b>GRAND TOTAL</b>		<b>89217.31</b>	<b>40131.54</b>	<b>129348.85</b>	
	भारित	Charged	360.89	669.22	1030.11	
	स्वीकृत	Voted	88856.42	39462.32	128318.74	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1  
कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग  
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>		<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>		
राजस्व	Revenue	...	115489.37	115489.37
पूंजी	Capital	...	42.42	42.42
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>115531.79</b>	<b>115531.79</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	6.28	6.28
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>6.30</b>	<b>6.30</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>115538.09</b>	<b>115538.09</b>
राजस्व	Revenue	...	115489.39	115489.39
पूंजी	Capital	...	48.70	48.70

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
<b>राजस्व भाग</b>		<b>REVENUE SECTION</b>		
<b>मुख्य शीर्ष</b>		<b>MAJOR HEAD</b>		
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01	(का) 0.01
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2435-Other Agricultural Programmes	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>		<b>CAPITAL SECTION</b>		
<b>मुख्य शीर्ष</b>		<b>MAJOR HEAD</b>		
4402-मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	4402-Capital Outlay on Soil and Water Conservation	...	6.28	(गक) 6.28
जोड़ (पूरक)	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>6.30</b>	<b>6.30</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित की गई अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति के लिए राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम), हैदराबाद के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (5 करोड़ रुपये)। (ii) प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत 'सब्सिडी' (1200 करोड़ रुपये)। (iii) बाजार अंतःक्षेप योजना/मूल्य समर्थन योजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत 'सब्सिडी' (40 करोड़ रुपये)। (iv) कृषि अवसरचना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत 'सब्सिडी' (100 करोड़ रुपये)। (v) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (50 करोड़ रुपये)। (vi) पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय (डीपीपीक्यूएंडएस), फरीदाबाद के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (4 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (5 करोड़ रुपये)। (vii) डिजिटल कृषि के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1.50 करोड़ रु.)। (viii) खाद्य और पोषण सुरक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना (7 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (5 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (19.65 करोड़ रुपये)। (ix) अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (5 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) कृषि विपणन के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना (37.28 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (5.81 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (75.81 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grants-in-aid General under National Institute of Plant Health Management (NIPHM), Hyderabad for recoupment of an advance drawn from Contingency Fund of India (₹ 5 crore). (ii) 'Subsidies' under Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA) (₹ 1200 crore). (iii) 'Subsidies' under Implementation of Market Intervention Scheme /Price Support Scheme (₹ 40 crore). (iv) 'Subsidies' under Agriculture Infrastructure Fund (AIF) (₹ 100 crore). (v) Grants-in-aid General under National Beekeeping Honey Mission (NBHM) (₹ 50 crore). (vi) Grants-in-aid General (₹ 4 crore) and Grants for Creation of Capital Asset (₹ 5 crore) under Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage (DPPQ&S), Faridabad. (vii) Grants-in-aid General under Digital Agriculture (₹ 1.50 crore). (viii) Grants-in-aid General (₹ 19.65 crore), for Scheduled Caste Sub Plan (₹ 7 crore) & for Tribal Area Sub Plan (₹ 5 crore) under Food and Nutrition Security. (ix) Grants-in-aid General under International Rice Research Institute (IRRI) South Asia Regional Centre (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid General (₹ 75.81 crore), for Scheduled Caste Sub Plan (₹ 37.28 crore) & for Tribal Area Sub Plan (₹ 5.81 crore) under Agricultural Marketing.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

---

(ग)	भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (एसयूएल&एसआई) के अंतर्गत 'मोटर वाहन' (0.43 करोड़ रुपये), 'मशीनरी और उपकरण' (1.65 करोड़ रुपये), 'सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' (2.20 करोड़ रुपये) और 'फर्नीचर और फिक्स्चर' (2 रुपये) करोड़। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;	(c)	'Motor Vehicles' (₹ 0.43 crore), 'Machinery & Equipment' (₹ 1.65 crore), 'Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment' (₹ 2.20 crore) and 'Furniture & Fixture' (₹ 2 crore) under Soil and Land Use Survey of India (SUL&SI). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
-----	--	-----	--

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 2  
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग  
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>			
राजस्व	...	9493.59	9493.59
पूंजी	...	10.41	10.41
<b>जोड़</b>	...	<b>9504.00</b>	<b>9504.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>			
राजस्व	4.00	217.65	221.65
पूंजी	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>4.00</b>	<b>217.65</b>	<b>221.65</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>4.00</b>	<b>9721.65</b>	<b>9725.65</b>
राजस्व	4.00	9711.24	9715.24
पूंजी	...	10.41	10.41
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	...	10.00	(का) 10.00
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	...	203.07	(खब) 203.07
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	4.00	(गघ) 4.58	8.58
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>4.00</b>	<b>217.65</b>	<b>221.65</b>
यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं: The supplementary Grants/Appropriations are required for:			
(क)	(i) 'सचिवालय' के अंतर्गत क्यूएडी कार्यक्रम के अंतर्गत एआई-एंगेज पहल के कार्यान्वयन के लिए 'अन्य राजस्व व्यय' (6.8 करोड़ रुपये)। (ii) 'सचिवालय' के अंतर्गत महंगाई भत्ते में वृद्धि और नए कर्मचारियों के आने के लिए 'वेतन' (0.30 करोड़ रुपये)। (iii) 'कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड' के अंतर्गत 'घरेलू यात्रा व्यय' (1.60 करोड़ रुपये)। (iv) 'कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड' के अंतर्गत 'भत्ते' (0.50 करोड़ रुपये)। (v) 'कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड' के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' (0.80 करोड़ रुपये)।	(a)	(i) 'Other Revenue Expenditure' for the implementation of AI-ENGAGE initiative under QUAD Programme under 'Secretariat' (₹ 6.8 crore). (ii) 'Salaries' for increasing in DA and joining of new employees under 'Secretariat' (₹ 0.30 crore). (iii) 'Domestic Travel Expenses' under 'Agricultural Scientist Recruitment Board' (₹ 1.60 crore). (iv) 'Allowances' under 'Agricultural Scientist Recruitment Board' (₹ 0.50 crore). (v) 'Professional Services' under 'Agricultural Scientist Recruitment Board' (₹ 0.80 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.
(ख)	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा। (i) 'आईसीएआर मुख्यालय' के अंतर्गत राज्‍यिक कृषि विश्‍वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारियों को बकाया वेतन के भुगतान के लिए वेतन सहायता अनुदान (72.40 करोड़ रुपये)। (ii) 'आईसीएआर मुख्यालय' के अंतर्गत आईसीएआर के कर्मचारियों को पेंशन लाभ के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (117.50 करोड़ रुपये)। (iii) 'केंद्रीय कृषि विश्‍वविद्यालय, बुंदेलखण्ड' के अंतर्गत नए केंद्रों के विकास के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (10 करोड़ रुपये)। (iv) 'केंद्रीय कृषि विश्‍वविद्यालय, बुंदेलखण्ड' के अंतर्गत सामान्य व्यय के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (3 करोड़ ₹.)। (v) 'अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्शदात्री समूह' के अंतर्गत मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के कारण 'अंशदान' (0.15 करोड़ रुपये)। (vi) 'एनएसीए' के अंतर्गत मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण 'अंशदान' (0.02 करोड़ रुपये)।	(b)	(i) Grants-in-aid Salary for payment of salary arrears to teaching staff of State Agricultural University under 'ICAR Headquarter' (₹ 72.40 crore). (ii) Grants-in-aid General for payment of pensionary benefits to employees of ICAR under 'ICAR Headquarter' (₹ 117.50 crore). (iii) Grants for Creation of Capital Assets for development of new centres under 'Central Agricultural University, Bundelkhand' (₹ 10 crore). (iv) Grants-in-aid General for additional requirement under General expenditure under 'Central Agricultural University, Bundelkhand' (₹ 3 crore). (v) 'Contributions' due to fluctuations of currency exchange rate under 'Consultative Group for International Agricultural Research' (₹ 0.15 crore). (vi) 'Contributions' due to fluctuations of currency exchange rate under 'NACA' (₹ 0.02 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.
(ग)	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार केंद्रीय कृषि विश्‍वविद्यालय के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (4.00 करोड़ रुपये)। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।	(c)	Grants-in-aid General under 'Central Agricultural University' as per orders of Hon'ble Delhi High Court (₹ 4 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.
(घ)	(i) केंद्रीय कृषि विश्‍वविद्यालय, इंपॉल के लिए सामान्य सहायता अनुदान (4.00 करोड़ रुपये)। (ii) केंद्रीय कृषि विश्‍वविद्यालय, इंपॉल के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन और नई पूंजीगत आस्तियों के सृजन और अधिग्रहण हेतु अनुदान। (0.58 करोड़ रुपये) उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।	(d)	(i) Grants-in-aid General for 'Central Agricultural University, Imphal' (₹ 4 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets for construction and acquiring of new capital assets under 'Central Agricultural University, Imphal' (₹ 0.58 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

परमाणु ऊर्जा  
ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	1.00	17478.46	17479.46
पूंजी	Capital	...	17783.03	17783.03
जोड़	<b>Total</b>	<b>1.00</b>	<b>35261.49</b>	<b>35262.49</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	600.60	600.60
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>600.60</b>	<b>600.60</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>1.00</b>	<b>35862.09</b>	<b>35863.09</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	<b>1.00</b>	<b>18079.06</b>	<b>18080.06</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>17783.03</b>	<b>17783.03</b>
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2801-विद्युत	2801-Power	...	600.60	600.60

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ईंधन की खरीद के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत 750 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की वसूली।  
अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध 600.60 करोड़ रुपये की बचत और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

recoupment of advance of ₹ 750 crore sanctioned from Contingency Fund of India for procurement of fuel.  
Taking into account the surrender of savings of ₹ 600.60 crore available in the Capital Section of the Grant and savings available in the same section of the Grant, this will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुष मंत्रालय  
MINISTRY OF AYUSH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>			
राजस्व	Revenue	3641.56	3641.56
पूंजी	Capital	5.94	5.94
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>3647.50</b>	<b>3647.50</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>		
राजस्व	Revenue	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>3647.53</b>	<b>3647.53</b>
राजस्व	Revenue	3641.59	3641.59
पूंजी	Capital	5.94	5.94
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	0.01	(का) 0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	0.01	(खब) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	0.01	(गक) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क) (I) किराए के भुगतान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सचिवालय हेतु (1.10 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(a) (I) ₹ 1.10 crore to Secretariat to meet the requirement for payment of rent. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) (II) (i) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (एनसीआईएसएम) को सामान्य सहायता अनुदान (4.55 करोड़ रुपये) (ii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईए) को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (42.23 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (2 करोड़ रुपये) (iii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए) को सामान्य सहायता अनुदान (7 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (6.50 करोड़ रुपये) (iv) केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) को टीएसपी हेतु वेतन अनुदान सहायता (14 करोड़ रुपये) और सामान्य सहायता अनुदान (3.45 करोड़ रुपये) (v) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर को सामान्य सहायता अनुदान (2.30 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (2.57 करोड़ रुपये)। (vi) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), कोलकाता को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (8.51 करोड़ रुपये)। (vii) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (5.75 करोड़ रुपये) (viii) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई को वेतन सहायता अनुदान (1.21 करोड़ रुपये) (ix) केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), चेन्नई को सामान्य सहायता अनुदान (1.14 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (0.41 करोड़ रुपये) (x) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) को सामान्य सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपये) (xi) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर) को वेतन सहायता अनुदान (1.53 करोड़ रुपये) (xii) अयुर्जान को सामान्य सहायता अनुदान (6.16 करोड़ रुपये) (xiii) आयुर्विज्ञान योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (7.22 करोड़ रुपये)।	(b) (II) (i) Grants-in-aid General (₹ 4.55 crore) to National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 42.23 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 2 crore) to All India Institute of Ayurveda (AIIA) (iii) Grants-in-aid General (₹ 7 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 6.50 crore) to National Institute of Ayurveda (NIA) (iv) Grant-in-aid Salary (₹ 14 crore) and Grants-in-aid General (₹ 3.45 crore) of TSP to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) (v) Grants-in-aid General (₹ 2.30 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 2.57 crore) to Institute of Teaching and Research in Ayurveda (ITRA), Jamnagar (vi) Grants for creation of Capital Assets (₹ 8.51 crore) to National Institute of Homoeopathy (NIH), Kolkata (vii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 5.75 crore) to Central Council for Research in Unani Medicine (CCRUM) (viii) Grants-in-aid Salary (₹ 1.21 crore) to National Institute of Siddha, Chennai (ix) Grants-in-aid General (₹ 1.14 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.41 crore) to Central Council for Research in Siddha (CCRS), Chennai (x) Grants-in-aid General (₹ 1.00 crore) to Morarji Desai National Institute of Yoga (MDNIY) (xi) Grants-in-aid Salary (₹ 1.53 crore) to National Institute of Sowa Rigpa (NISR) (xii) Grants-in-aid General (₹ 6.16 crore) to Ayurgyan (xiii) Grants-in-aid General (₹ 7.22 crore) to Ayurwasthaya Yojana

---

	<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>				<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
(ग)	(III)	(i) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक औषधी अनुसंधान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपये) (ii) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपये) (iii) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) को सामान्य सहायता अनुदान (1 करोड़ रुपये)	(c)	(III)	(i) Grants-in-aid Salary (₹ 0.50 crore) to North-Eastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.50 crore) to Central Council for Research in Unani Medicine (iii) Grants-in-aid General (₹ 1 crore) to Central Council for Research in Homoeopathy (CCRH)
		<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>			<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 6  
उर्वरक विभाग  
DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	179125.79	179125.79
पूंजी	Capital	...	2.69	2.69
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>179128.48</b>	<b>179128.48</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	13350.83	13350.83
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>13350.83</b>	<b>13350.83</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>192479.31</b>	<b>192479.31</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>192476.62</b>	<b>192476.62</b>
पूंजी	Capital	...	2.69	2.69
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(क) 0.01
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	13350.81	(ख) 13350.81
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(ग) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>13350.83</b>	<b>13350.83</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (I) स्थापना संबंधी व्यय (₹0.78 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (I) पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (16300 करोड़ रुपये) (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत 5000 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति शामिल है)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) (I) बाजार विकास सहायता (एमडीए) (100 करोड़ रुपये) और भारतीय उर्वरक और उर्वरक प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद (आईसीएफएफटीआर) (0.01 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (I) establishment related expenditures (₹0.78 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (I) Nutrient Based Subsidy Scheme (₹ 16300 cr) (This includes recoupment of advance of ₹5000 crore sanctioned from Contingency Fund of India). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.
- (c) (I) Market Development Assistance (MDA) (₹ 100 crore) and Indian Council for Fertilizers and Fertilizer Technology Research (ICFFTR) (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 7  
भेषज विभाग  
DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>			
राजस्व	Revenue	3158.87	3158.87
पूंजी	Capital	1.19	1.19
जोड़	Total	3160.06	3160.06
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>		
राजस्व	Revenue	0.01	0.01
पूंजी	Capital	0.01	0.01
जोड़	Total	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3160.08	3160.08
राजस्व	Revenue	3158.88	3158.88
पूंजी	Capital	1.20	1.20
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2852-उद्योग	2852-Industries	0.01	0.01
<b>पूंजी भाग</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4857-रसायन और भेषज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4857-Capital Outlay on Chemical and Pharmaceutical Industries	0.01	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) सामान्य सहायता अनुदान/व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में नई मानव संसाधन विकास योजना (31.00 करोड़ रुपये), (ख) सामान्य सहायता अनुदान/व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर (एएमडी-सीएफ) के लिए नई योजना सहायता सेवाएँ (33.00 करोड़ रुपये), (ग) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत भेषज के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (600.00 करोड़ रुपये), (घ) सामान्य सहायता अनुदान/व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत फार्मा मेड-टेक (पीआरआईपी) में अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा देने की नई योजना (1.00 करोड़ रुपये) और (ड) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) हेतु (356.44 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) बुक समायोजन के माध्यम से एचएएल द्वारा अधिग्रहित केएपीएल के इक्विटी शेयरों के नियमितीकरण के लिए हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) हेतु (0.01 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (a) New Scheme Human Resource Development in Medical Devices Sector under GIA-General/Professional Services (₹ 31.00 cr), (b) New Scheme Assistance to Medical Device Clusters for Common Facilities (AMD-CF) under GIA-General/Professional Services (₹ 33.00 cr), (c) Production Linked Incentive Scheme for Pharmaceuticals under Grant-in-Aid-General (₹ 600.00 cr), (d) New Scheme Promotion of Research and Innovation in Pharma Med-Tech (PRIP) under GIA-General/Professional Services (₹ 1.00 cr) and (e) Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd (IDPL) under Grant – in-Aid-General (Rs 356.44 cr).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Hindustan Antibiotics Limited (HAL) for regularization of equity shares of KAPL acquired by HAL through book adjustment (₹ 0.01 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 8  
नागर विमानन मंत्रालय  
MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	3026.70	3026.70
पूंजी	Capital	...	86.66	86.66
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>3113.36</b>	<b>3113.36</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	605.49	605.49
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>605.49</b>	<b>605.49</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>3718.85</b>	<b>3718.85</b>
राजस्व	Revenue	...	3026.70	3026.70
पूंजी	Capital	...	692.15	692.15
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	...	602.50 (का)	602.50
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	2.99 (ख)	2.99
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>605.49</b>	<b>605.49</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सीएफआई (300 करोड़ रुपये) से आहरित की गई अग्रिम की वसूली के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएल) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एआईएचएल में इक्विटी निवेश हेतु 'निवेश'। (ii) एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएल) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एआईएचएल में इक्विटी निवेश के लिए 'निवेश' (300 करोड़ रुपये)। (iii) नागर विमानन महानिदेशालय के अंतर्गत आईटी उपकरण आदि की खरीद के लिए सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण हेतु (2.50 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) सचिवालय (आर्थिक सेवाएं) के अंतर्गत आईटी उपकरण आदि के खरीद के लिए सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (2.48 करोड़ रुपये), फर्नीचर और फिक्स्चर (0.44 करोड़ रुपये) और 'मोटर वाहन' (0.07 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) 'Investment' for Equity infusion in AIAHL for Financial Support to Alliance Air Aviation Limited (AAAL) for recoupment of advance from CFI (₹ 300 crore). (ii) 'Investment' for Equity infusion in AIAHL for Financial Support to Alliance Air Aviation Limited (AAAL) (₹ 300 crore). (iii) 'Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment for purchase of IT Equipment etc. under Directorate General of Civil Aviation (₹ 2.50 crore).  
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) 'Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment (₹ 2.48 crore), Furniture & fixtures (₹ 0.44 crore) and 'Motor Vehicles' (₹ 0.07 crore) for purchase of IT equipment etc. under Secretariat (Economic Services).  
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 10  
वाणिज्य विभाग  
DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	0.50	5215.93	5216.43
पूंजी	Capital	...	38.15	38.15
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>0.50</b>	<b>5254.08</b>	<b>5254.58</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	145.01	145.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>145.01</b>	<b>145.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>0.50</b>	<b>5399.09</b>	<b>5399.59</b>
राजस्व	Revenue	<b>0.50</b>	<b>5360.94</b>	<b>5361.44</b>
पूंजी	Capital	...	<b>38.15</b>	<b>38.15</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2407-पौधरोपण	2407-Plantations	...	0.01 (का)	0.01
3453-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	...	145.00 (खब)	145.00
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>145.01</b>	<b>145.01</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) 'टी बोर्ड' के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 0.62 करोड़), (ii) 'कॉफी बोर्ड' के अंतर्गत सब्सिडी (टीएएसपी) (₹ 1.14 करोड़), (iii) 'रबड़ बोर्ड' के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.53 करोड़), (iv) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उपयोगना में सब्सिडी (₹ 0.50 करोड़), 'मसाला बोर्ड' के अंतर्गत अन्य व्यय में सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) (i) 'ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम' के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 20.70 करोड़), (ii) 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)' के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 5.00 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 4.00 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़) (iii) 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)' के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़), (iv) 'बाजार पहुँच पहल' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50.00 करोड़), (v) ₹95.00 करोड़ की आकस्मिक अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति हेतु भारतीय राष्ट्रीय लैब ग्रो डायमंड टेक्नोलॉजी केंद्र (इनसेंट) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 14.00 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 74.00 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 7.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय (145.00 करोड़ रुपये) होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Subsidies (₹ 0.62 crore ) under 'Tea Board', (ii) Subsidies(TASP) (₹ 1.14 crore ) under 'Coffee Board', (iii) Grant-in-Aid Salary (₹ 0.53 crore ) under 'Rubber Board', (iv) Grant-in-Aid General (₹ 2.50 crore), Subsidies in Tribal Area Sub Plan (₹ 0.50 crore), Grant-in-Aid General (SAP) in Other Expenditure(₹ 0.50 crore) under 'Spice Board'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Subsidies (₹ 20.70 crore ) under 'Duty Drawback Scheme', (ii) Subsidies (₹ 5.00 crore ), Grant-in-Aid Salary( ₹ 4.00 crore), Grant-in-Aid General (₹ 1.00 crore) under 'Marine Product Export Development Authority (MPEDA)' (iii) Grant-in-Aid Salary (₹ 10.00 crore ) under 'Indian Institute of Foreign Trade (IIFT)', (iv) Grant-in-Aid General (₹ 50.00 crore) under 'Market Access Initiative', (v) Grant-in-Aid General (₹ 14.00 crore ) , Grants for Creation of Capital Assets (₹ 74.00 crore ), Grant-in-Aid Salary( ₹ 7.00 crore) under 'Indian National Centre (InCent) for Lab Grown Diamond Technology' for recoupment of Contingency Advance of ₹95.00 crore

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo (₹ 145.00 crore)

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 11  
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  
DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>			
राजस्व	Revenue	6548.93	6548.93
पूंजी	Capital	1651.70	1651.70
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>8200.63</b>	<b>8200.63</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>		
राजस्व	Revenue	0.06	0.06
पूंजी	Capital	10.62	10.62
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>10.68</b>	<b>10.68</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>8211.31</b>	<b>8211.31</b>
राजस्व	Revenue	6548.99	6548.99
पूंजी	Capital	1662.32	1662.32
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	0.01	(का) 0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	0.01	(खb) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	0.01	(गc) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	0.01	(घd) 0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	0.01	(ङe) 0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	0.01	(चf) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>
<b>पूंजी भाग</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	10.61	(छg) 10.61
4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4875-Capital Outlay on Other Industries	0.01	(जh) 0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>10.68</b>	<b>10.68</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) 'उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग - स्थापना' के अंतर्गत, मजदूरी (₹ 0.0050 करोड़), पुरस्कार (₹ 0.25 करोड़), भूमि और भवन निर्माण के लिए किराया, दरें और कर (₹ 1.25 करोड़), अन्य के लिए किराया (₹ 0.01 करोड़), सामग्री और आपूर्ति (₹ 0.08 करोड़), ईंधन और स्नेहक (₹0.10 करोड़), मरम्मत और अनुरक्षण (₹0.30 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹0.0150 करोड़), भत्ते (₹5.98 करोड़), अवकाश यात्रा रियायत (₹0.05 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹0.55 करोड़), मुद्रण और प्रकाशन (₹0.02 करोड़) डिजिटल उपकरण (₹0.50 करोड़) (ii) 'सीसीए कार्यालय - स्थापना' के अंतर्गत पुरस्कार (₹ 0.04 करोड़), अन्य के लिए किराया (₹0.01 करोड़), मरम्मत और अनुरक्षण (₹ 0.02 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹ 0.01 करोड़), भत्ते (₹ 0.15 करोड़), लघु सिविल और विद्युत संबंधी निर्माण कार्य (₹ 0.04 करोड़), (iii) 'आर्थिक सलाहकार - स्थापना' के अंतर्गत पुरस्कार (₹ 0.03 करोड़), अन्यों के लिए किराया (₹0.01 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹ 0.01 करोड़), मरम्मत और अनुरक्षण (₹ 0.01 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹ 0.01 करोड़), भत्ते (₹0.75 करोड़), कार्यालय व्यय (₹0.80 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹0.02 करोड़) (iv) संचारिकी अवसंरचना योजना, निगरानी और विकास के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹35.47 करोड़)

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Wages (₹ 0.0050 crore), Rewards (₹ 0.25 crore), Rents, Rates and Taxes for Land and Buildings (₹1.25 crore), Rent for Others (₹0.01 crore), Materials and Supplies (₹0.08 crore), Fuels and Lubricants (₹ 0.10 crore), Repair and Maintenance (₹ 0.30 crore), Other Revenue Expenditure (₹ 0.0150 crore), Allowances (₹5.98 crore), Leave Travel Concession (₹0.05 crore), Domestic Travel Expenses (₹0.55 crore), Printings and Publications (₹0.02 crore) Digital Equipment (₹0.50 crore) under 'Department for Promotion of Industry and Internal Trade - Establishment', (ii) Rewards (₹ 0.04 crore), Rent for Others (₹0.01 crore), Repair and Maintenance (₹ 0.02 crore), Other Revenue Expenditure (₹ 0.01 crore), Allowances (₹0.15 crore), Minor Civil and Electric Works (₹0.04 crore), under 'CCA Office - Establishment', (iii) Rewards (₹ 0.03 crore), Rent for Others (₹0.01 crore), Advertising and Publicity (₹ 0.01 crore), Repair and Maintenance (₹ 0.01 crore), Other Revenue Expenditure (₹ 0.01 crore), Allowances (₹0.75 crore), Office Expenses (₹0.80 crore), Digital Equipment (₹0.02 crore) under 'Economic Advisor - Establishment' (iv) Professional Services (₹35.47 crore) under Logistic Infrastructure Planning, Monitoring and Development

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) 'पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) -स्थापना के अंतर्गत पुरस्कार (₹ 0.20 करोड़), भते (₹ 2.00 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 1.25 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 0.92 करोड़), भूमि और भवन निर्माण के लिए किराया, दरें और कर (₹ 0.50 करोड़)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) (i) 'परिवहन सब्सिडी योजना' के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 35.00 करोड़), (ii) जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्य और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य में स्थित इकाइयों को 'माल और सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय सहायता' के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 32.02 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (घ) (i) 'नमक आयुक्त - स्थापना' के अंतर्गत पुरस्कार (₹ 0.16 करोड़), भते (₹ 1.00 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.30 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 0.22 करोड़), (ii) 'स्वायत्त निकायों (भारतीय रबर निर्माता अनुसंधान संघ) को परियोजना आधारित सहायता' के अंतर्गत, पूंजीगत आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹5.80 करोड़) (iii) 'औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना' के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.09 करोड़), (iv) 'स्वायत्त निकायों (राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान) को परियोजना आधारित सहायता' के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 8.25 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹ 5.53 करोड़) (v) 'स्टार्ट-अप इंडिया' के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 15.61 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ङ) (i) जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित इकाइयों को माल और सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय सहायता हेतु सब्सिडी (₹ 9.32 करोड़), (ii) संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹ 0.49 करोड़) (iii) 'हिमाचल प्रदेश (एचपी) और उत्तराखंड राज्यों के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017' के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 105.00 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 0.49 करोड़)।, (ii) 'जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास' के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹ 7.01 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (च) पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक के अंतर्गत i) पुरस्कार (₹ 0.20 करोड़), अन्य के लिए किराया (₹ 0.01 करोड़), सामग्री और आपूर्ति (₹ 0.01 करोड़), ईंधन और स्नेहक (₹ 0.01 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹ 0.01 करोड़), भते (₹ 0.50 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.80 करोड़), (ii) 'विश्व बौद्धिक संपदा संगठन' के अंतर्गत अंशदान (₹0.04 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (छ) पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक (आईडीसीजीपीटीएम) में अवसंरचना के विकास के अंतर्गत भवन निर्माण और संरचनाएं (₹ 17.00 करोड़)।  
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 10.61 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ज) सचिवालय - उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत (i) मशीनरी और उपकरण (₹ 0.10 करोड़), सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण हेतु (₹ 1.25 करोड़) (ii) सचिवालय सम्बद्ध कार्यालय - आर्थिक सलाहकार' के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण (₹ 0.01 करोड़), अन्य स्थायी आस्ति (₹0.01 करोड़), सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण हेतु (₹0.09 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  
Rewards (₹ 0.20 crore), Allowances (₹2.00 crore), Domestic Travel Expenses (₹1.25 crore), Office Expenses(₹0.92 crore), Rents, Rates and Taxes for Land and Buildings (₹ 0.50 crore) under 'Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO) – Establishment'  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  
(i) Subsidies( ₹ 35.00 crore) under 'Transport Subsidy Scheme' , (ii) Subsidies( ₹ 32.02 crore) under 'Budgetary support under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim'  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  
(i) Rewards ( ₹ 0.16 crore), Allowances (₹ 1.00 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 0.30 crore), Office Expenses(₹ 0.22 crore) under 'Salt Commissioner – Establishment', (ii) Grants for Creation of Capital Assets ( ₹ 5.80 crore) under 'Project Based Support to Autonomous Bodies (Indian Rubber Manufacturers Research Association)', (iii) Grants for Creation of Capital Assets ( ₹ 4.09 crore) under 'Industrial Infrastructure Upgradation Scheme', (iv) Grants for Creation of Capital Assets ( ₹ 8.25 crore), Grant-in-Aid Salary (₹ 5.53 crore) under 'Project Based Support to Autonomous Bodies (National Institute of Design)' (v) Professional Services (₹15.61 crore) under 'Start-up India'  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  
(i) Subsidies ( ₹ 9.32 crore) under Budgetary support under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim,(ii) Office Expenses (₹ 0.49 crore) under Industrial Development Scheme 2017 for UT of J&K and UT of Ladakh, (iii) Subsidies (₹ 105.00 crore), Office Expenses(₹ 0.49 crore) under 'Industrial Development Scheme for the states of Himachal Pradesh (HP) and Uttarakhand, 2017', (ii) Office Expenses(₹ 7.01 crore) under 'Industrial Development of UT of Jammu & Kashmir'  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  
(i) Rewards (₹ 0.20 crore), Rent for Others (₹0.01 crore), Materials and Supplies (₹0.01 crore), Fuels and Lubricants (₹ 0.01 crore), Advertising and Publicity (₹ 0.01 crore), Allowances (₹ 0.50 crore), Domestic Travel Expenses (₹0.80 crore) under Controller General of Patents Designs and Trade Marks, (ii) Contribution (₹0.04 crore) under 'World Intellectual Property Organisation'  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.  
Building and Structures (₹ 17.00 crore) under Infrastructure Development in Controller General of Patents Designs and Trade Marks (IDCGPTM)  
Taking into account the surrender of savings of ₹ 10.61 crore available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.  
(i) Machinery and Equipment (₹ 0.10 crore), Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment (₹1.25 crore) under Secretariat – Department for Promotion of Industry and Internal Trade, (ii) Machinery and Equipment (₹ 0.01 crore), Other Fixed Assets (₹0.01 crore), Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment (₹0.09 crore) under Secretariat – Attached Offices – Economic Advisor'  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 13  
दूरसंचार विभाग  
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
		Charged	Voted	जोड़	Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
राजस्व	Revenue	...	41461.43		41461.43
पूंजी	Capital	...	66691.82		66691.82
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>108153.25</b>		<b>108153.25</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>				
राजस्व	Revenue	...	0.01		0.01
पूंजी	Capital	...	8310.77		8310.77
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>8310.78</b>		<b>8310.78</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>116464.03</b>		<b>116464.03</b>
राजस्व	Revenue	...	41461.44		41461.44
पूंजी	Capital	...	75002.59		75002.59
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित	स्वीकृत		
		Charged	Voted	जोड़	Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
3275-अन्य संचार सेवाएं	3275-Other Communication Services	...	0.01	(का)	0.01
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
4552-पूर्वातर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01	(खब)	0.01
5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5275-Capital Outlay on Other Communication Services	...	8310.76	(गक)	8310.76
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>8310.77</b>		<b>8310.77</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>8310.78</b>		<b>8310.78</b>
<b>टिप्पणी:</b> अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !					
<b>Note:</b> The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.					
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>3275-अन्य संचार सेवाएं</b>	3275-Other Communication Services	...	(-5300.00)		(-5300.00)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) एमटीएनएल बांड के मूल घटक का मोचन (865.00 करोड़ रुपये) (ii) आईटीएल लिमिटेड के संवैधानिक देयताएं (154.29 करोड़ रुपये) (iii) सी-डॉट (100 करोड़ रुपये) और (iv) यूएसओएफ से पूरी की जाने वाली दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति (5,600 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। पूरक की मंजूरी के अनुसार आईटीएल लिमिटेड के संवैधानिक देयताओं के निर्वहन के लिए 154.29 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि और भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत एमटीएनएल बांड के मूल घटक के मोचन के लिए 100 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी।

(ख) रक्षा सेवाओं के ओएफसी आधारित नेटवर्क के लिए 159.38 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) redemption of principal component of the MTNL bonds (₹ 865.00 crore) (ii) statutory obligations of the ITL Ltd. (₹ 154.29 crore) (iii) C-DoT (₹ 100 crore) and (iv) Compensation to Telecom Service Providers (₹ 5,600 crore) to be met from USOF.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. With the approval of supplementary, the advances of ₹ 154.29 crore for discharging statutory obligations of ITL Ltd. and ₹ 100 crore towards redemption of principal component of MTNL Bonds sanctioned from Contingency Fund of India will be recouped.

(b) Meeting additional expenditure of ₹ 159.38 crore towards OFC based network of defence services Taking into account the savings available in the same section of the grant, this will not entail cash outgo.

---

(ग)	निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) रक्षा सेवाओं के ओएफसी आधारित नेटवर्क हेतु (1434.36 करोड़ रुपये) और (ii) बीएसएनएल में पूंजी निवेश हेतु (11,850.17 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 8,310.76 करोड़ रुपये की मांग की जाती है। अतिरिक्त प्राप्तियों और वसूलियों सहित इस पूरक में 588.31 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।	(c)	Meeting additional expenditure for (i) OFC based network of Defence Services (₹ 1434.36 crore) and (ii) capital infusion in BSNL (₹ 11,850.17 crore) Taking into account the savings available in the same section, supplementary for the balance amount of ₹ 8,310.76 crore is sought. With the additional receipts and recoveries this supplementary will entail ₹ 588.31 crore as additional cash outgo.
-----	---	-----	--

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 14  
उपभोक्ता मामले विभाग  
DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>		
राजस्व	...	259.59	259.59
पूंजी	...	28.07	28.07
जोड़	...	<b>287.66</b>	<b>287.66</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>		
राजस्व	...	18.39	18.39
पूंजी	...	22.34	22.34
जोड़	...	<b>40.73</b>	<b>40.73</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	...	<b>328.39</b>	<b>328.39</b>
राजस्व	...	<b>277.98</b>	<b>277.98</b>
पूंजी	...	<b>50.41</b>	<b>50.41</b>
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>		
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>		
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	3.35 (का)	3.35
2852-उद्योग	...	0.45 (खब)	0.45
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	...	4.17 (गघ)	4.17
3456-नागरिक आपूर्ति	...	8.93 (घद)	8.93
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	...	1.49 (डे)	1.49
जोड़ (राजस्व भाग)	...	<b>18.39</b>	<b>18.39</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>		
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>		
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.52 (च)	3.52
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.03 (छग)	3.03
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	15.79 (जह)	15.79
जोड़ (पूंजी भाग)	...	<b>22.34</b>	<b>22.34</b>
जोड़ (पूरक)	...	<b>40.73</b>	<b>40.73</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary Grants are required for:

(क)	भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत भारत में गोल्ड हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना के लिए 'सामान्य सहायता अनुदान (0.05 करोड़ रुपये)।  उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के तहत 'कार्यालय व्यय' (2.60 करोड़ रुपये)  'उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के अंतर्गत 'विज्ञापन एवं प्रचार' (0.70 करोड़ रुपये)  उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।	(a)	(i) 'Grants in aid-General' for Setting up of Gold Hallmarking/Assaying Centres in India under Bureau of Indian Standard (0.05 crore).  (ii) 'Office Expenses' under Consumer Protection Cell. (₹ 2.60 crore)  (iii) 'Advertising & Publicity' under Consumer Protection Cell (₹ 0.70 crore)  The above expenditure will entail a cash outgo.
(ख)	भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत भारत में गोल्ड हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना के लिए 'सामान्य सहायता अनुदान (0.45 करोड़ रुपये)।  उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।	(b)	'Grants in-aid General' for Setting up of Gold Hallmarking/Assaying Centres in India under Bureau of Indian Standard (₹ 0.45 crore).  The above expenditure will entail a cash outgo.
(ग)	नेशनल टेस्ट हाउस के अंतर्गत (i) घरेलू यात्रा व्यय (0.07 करोड़ रुपये) (ii) कार्यालय व्यय (2.33 करोड़ रुपये) (iii) डिजिटल उपकरण (0.12 करोड़ रुपये) (iv) छोटे निर्माण कार्य (0.85 करोड़ रुपये) और (v) मरम्मत और अनुरक्षण (0.80 करोड़ रुपये)  उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।	(c)	(i) Domestic Travel Expenses (₹ 0.07 crore) (ii) Office Expenses (₹ 2.33 crore) (iii) Digital Equipment (₹ 0.12 crore) (iv) Minor Works (₹ 0.85 crore) and (v) Repair and Maintenance (₹ 0.80 crore) under National Test House.  The above expenditure will entail a cash outgo.
(घ)	(i) उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के अंतर्गत (क) कार्यालय व्यय (4.62 करोड़ रुपये) और (ख) विज्ञापन और प्रचार (3.43 करोड़ रुपये)।	(d)	(i) (a) Office Expenses (₹ 4.62 crore) and (b) Advertising & Publicity (₹ 3.43 crore) under Consumer Protection Cell.

	(ii) उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत (क) अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष घटक योजना (0.58 करोड़ रुपये) और (ख) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (0.30 करोड़ रुपये)। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		(ii) (a) Special Component Plan for Scheduled Caste Sub Plan (₹ 0.58 crore) and (b) Tribal Areas Sub Plan(₹ 0.30 crore) under Consumer Awareness Programme. The above expenditure will entail a cash outgo.
(ड)	(i) बाट एवं माप सुदृढीकरण के अंतर्गत प्रशिक्षण व्यय (0.25 करोड़ रुपये)।	(e)	(i) Training Expenses under Strengthening of Weights and Measures (₹ 0.25 crore).
	(ii) आरआरएसएल और आईआईएलएम के सुदृढीकरण के अंतर्गत कार्यालय व्यय (1.05 करोड़ रुपये)।		(ii) Office Expenses under Strengthening of RRSLS and IILM (₹ 1.05 crore).
	(iii) क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं के उन्नयन के अंतर्गत कार्यालय व्यय (0.10 करोड़ रुपये)।		(iii) Office Expenses under upgradation of Regional Reference Standards Laboratories (₹ 0.10 crore).
	(iv) समय के प्रसार के अंतर्गत (क) विदेश यात्रा व्यय (0.05 करोड़ रुपये) और (ख) व्यावसायिक सेवाएं (0.04 करोड़ रुपये)।		(iv) (a) Foreign Travel Expenses (₹ 0.05 crore) and (b) Professional Services (₹ 0.04 crore) under Dissemination of Time.
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo.
(च)	नेशनल टेस्ट हाउस के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण (0.80 करोड़ रुपये)।	(f)	(i) Machinery & Equipment under National Test House (₹ 0.80 crore).
	समय के प्रसार के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण (1.40 करोड़ रुपये)।		(ii) Machinery & Equipment under Dissemination of Time (₹ 1.40 crore).
	(iii) क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण (0.32 करोड़ रुपये)।		(iii) Machinery & Equipment under Regional Reference Standards Laboratory, Guwahati (₹ 0.32 crore).
	(iv) बाट और माप के अवसंरचना को सुदृढ करने के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण (1 करोड़ रुपये)।		(iv) Machinery & Equipment under Strengthening of Weights and Measures Infrastructure (₹ 1 crore).
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo.
(छ)	नेशनल टेस्ट हाउस के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण (1.65 करोड़ रुपये),	(g)	(i) Machinery & Equipment (₹ 1.65 crore), (ii) Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment (₹ 0.73 crore) and (iii) Building & Structures (₹ 0.65 crore) under National Test House.
	(ii) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (0.73 करोड़ रुपये) और		
	(iii) भवन निर्माण और संरचनाएं (0.65 करोड़ रुपये)।		
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo.
(ज)	(i) वजन और माप अवसंरचना को सुदृढ करने के अंतर्गत (क) मशीनरी और उपकरण (4.23 करोड़ रुपये) और (ख) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (7 करोड़ रुपये)।	(h)	(i) (a) Machinery & Equipment (₹ 4.23 crore) and (b) Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment (₹ 7 crore) under Strengthening of Weights and Measures Infrastructure.
	समय के प्रसार के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण (4.56 करोड़ रुपये)।		(ii) Machinery & Equipment (₹ 4.56 crore) under Dissemination of Time.
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 15  
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>		<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>		
राजस्व	Revenue	...	205363.57	205363.57
पूंजी	Capital	...	25150.37	25150.37
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>230513.94</b>	<b>230513.94</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>		<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>		
राजस्व	Revenue	...	6995.41	6995.41
पूंजी	Capital	...	25.00	25.00
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>7020.41</b>	<b>7020.41</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>237534.35</b>	<b>237534.35</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>212358.98</b>	<b>212358.98</b>
पूंजी	Capital	...	<b>25175.37</b>	<b>25175.37</b>

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	95.00 (का)	95.00
2408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम	2408-Food Storage and Warehousing	...	5589.02 (खब)	5589.02
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गक)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	1260.38 (घद)	1260.38
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	51.00 (डे)	51.00
जोड़ (राजस्व भाग)	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>6995.41</b>	<b>6995.41</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय	4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	...	4.60 (चफ)	4.60
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	20.40 (छग)	20.40
जोड़ (पूंजी भाग)	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>
जोड़ (पूरक)	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>7020.41</b>	<b>7020.41</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) स्थापना के अंतर्गत 'विज्ञापन एवं प्रचार' (95 करोड़ रुपये)।  
उपरोक्त व्यय में रु. 95 करोड़ का नकद व्यय होगा
- (ख) (i) 'चीनी के बफर स्टॉक के सृजन और अनुरक्षण योजना' के अंतर्गत 'सब्सिडी' (0.46 करोड़ रुपये)।  
(ii) एवाई परिवारों के लिए पीडीएस के अंतर्गत देय 'चीनी सब्सिडी' हेतु 'सब्सिडी' (61.18 करोड़ रुपये)।  
(iii) एवाई परिवारों की अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए पीडीएस के अंतर्गत देय चीनी सब्सिडी हेतु 'सब्सिडी' (5.81 करोड़ रुपये)।  
(iv) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए 'एवाई परिवारों हेतु पीडीएस के अंतर्गत देय चीनी सब्सिडी' के अंतर्गत 'सब्सिडी' (3.01 करोड़ रुपये)।  
(v) पीएमजीकेवाई के अंतर्गत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद पर राज्य सरकार को 'सब्सिडी' के अंतर्गत 'सब्सिडी' (4807 करोड़ रुपये)।  
(vi) अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए पीएमजीकेवाई के अंतर्गत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद पर राज्य सरकार को सब्सिडी के अंतर्गत 'सब्सिडी' (456.50 करोड़ रुपये)।  
(vii) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए पीएमजीकेवाई के अंतर्गत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद पर राज्य सरकार को सब्सिडी के अंतर्गत 'सब्सिडी' (236.50 करोड़ रुपये)।  
(viii) एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्न और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के

The supplementary Grants are required for:

- (a) 'Advertising and Publicity' under Establishment (₹ 95 crore).  
The above expenditure will entail a cash outgo ₹ 95 crore.
- (b) (i) 'Subsidies' under 'Scheme for creation of and maintenance of Buffer Stock of Sugar' (₹ 0.46 crore).  
(ii) 'Subsidies' under 'Sugar Subsidy payable under PDS for AAY Families' (₹ 61.18 crore).  
(iii) 'Subsidies' under Sugar Subsidy payable under PDS for AAY Families' Scheduled Caste Sub Plan (₹ 5.81 crore).  
(iv) 'Subsidies' under 'Sugar Subsidy payable under PDS for AAY Families' for Tribal Area Sub Plan (₹ 3.01 crore).  
(v) 'Subsidies' under 'Subsidy to State Government on decentralised procurement of foodgrains under PMGKAY' (₹ 4807 crore).  
(vi) 'Subsidies' under 'Subsidy to State Government on decentralised procurement of foodgrains under PMGKAY' for Scheduled Caste Sub Plan (₹ 456.50 crore).  
(vii) 'Subsidies' under 'Subsidy to State Government on decentralised procurement of foodgrains under PMGKAY' for Tribal Area Sub Plan (₹ 236.50 crore).  
(viii) Grants-in-aid General under 'Assistance to State

	<p>अंतर-राज्य आबाजाही के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता के अंतर्गत सहायता अनुदान (4.50 करोड़ रुपये)।</p> <p>(ix) 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली (स्मार्ट-पीडीएस) में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना के लिए 'कार्यालय व्यय' (0.10 करोड़ रुपये)।</p> <p>(x) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना (स्मार्ट-पीडीएस) के लिए 'विज्ञापन और प्रचार' (1 करोड़ रुपये)।</p> <p>(xi) 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली (स्मार्ट-पीडीएस) में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना के लिए 'व्यावसायिक सेवाएं' (11.30 करोड़ रुपये)।</p> <p>(xii) 'स्थापना' के अंतर्गत भूमि और भवन निर्माण के लिए किराया, दरें और कर (0.20 करोड़ रुपये)।</p> <p>(xiii) 'स्थापना' के अंतर्गत 'सामग्री और आपूर्ति' (0.20 करोड़ रुपये)।</p> <p>(xiv) स्थापना के अंतर्गत 'अन्य राजस्व व्यय' (0.36 करोड़ रुपये)।</p> <p>(xv) स्थापना के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' (0.90 करोड़ रुपये)।</p> <p>उपरोक्त व्यय में 5589.02 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा, जिसमें सीएफआई अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 14.40 करोड़ रुपये शामिल हैं।</p>	<p>Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers' margin under NFSA' (₹ 4.50 crore).</p> <p>(ix) 'Office Expenses' for 'Scheme for Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System (SMART-PDS)' (₹ 0.10 crore).</p> <p>(x) 'Advertising and Publicity' for 'Scheme for Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System (SMART-PDS)' (₹ 1 crore).</p> <p>(xi) 'Professional Services' for 'Scheme for Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System (SMART-PDS)' (₹ 11.30 crore).</p> <p>(xii) 'Rent, Rates &amp; Taxes for Land and Buildings under 'Establishment' (₹ 0.20 crore).</p> <p>(xiii) 'Material &amp; Supplies' under 'Establishment' (₹ 0.20 crore).</p> <p>(xiv) 'Other Revenue Expenditure' under Establishment (₹ 0.36 crore).</p> <p>(xv) 'Professional Services' under Establishment (₹ 0.90 crore).</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 5589.02 crore including ₹ 14.40 crore for recoupment of CFI advance.</p>
(ग)	<p>'सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना (स्मार्ट - पीडीएस) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (2 करोड़ रुपये)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>	<p>Grants-in-aid-General under 'Scheme for Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System (SMART - PDS)' (₹ 2 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
(घ)	<p>(i) 'एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों की अंतर-राज्यिक आवाजाही और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1252.67 करोड़ रुपये)।</p> <p>(iv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना (स्मार्ट - पीडीएस) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (7.60 करोड़ रुपये)।</p> <p>(v) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 'चावल के सुदृढीकरण और इसके वितरण' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (0.11 करोड़ रुपये)।</p> <p>उपरोक्त व्यय में 1260.38 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा जिसमें सीएफआई अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 7.60 करोड़ रुपये शामिल हैं।</p>	<p>(i) Grants-in-aid-General under 'Assistance to State Agencies for Intra-State movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA' (₹ 1252.67 crore).</p> <p>(iv) Grants-in-aid-General under 'Scheme for Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System (SMART - PDS)' (₹ 7.60 crore).</p> <p>(v) Grants-in-aid-General under 'Fortification of Rice and its distribution under Public Distribution System' (₹ 0.11 crore).</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 1260.38 crore including ₹ 7.60 crore for recoupment of CFI advance.</p>
(ङ)	<p>(i) 'एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों की अंतर-राज्यिक आवाजाही और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (49.50 करोड़ रुपये)।</p> <p>(ii) अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 'एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों की अंतर-राज्यिक आवाजाही और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपये)।</p> <p>(iii) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए 'एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतर-राज्यिक आवाजाही और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपये)।</p> <p>(iv) 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना (स्मार्ट - पीडीएस) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1 करोड़ रुपये)।</p> <p>उपरोक्त व्यय में 51 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा जिसमें सीएफआई अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 1 करोड़ रुपये शामिल हैं।</p>	<p>(i) Grants-in-aid-General under 'Assistance to State Agencies for Intra-State movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA' (₹ 49.50 crore).</p> <p>(ii) Grants-in-aid-General under 'Assistance to State Agencies for Intra-State movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA' for Scheduled Caste Sub Plan (₹ 0.25 crore).</p> <p>(iii) Grants-in-aid-General under 'Assistance to State Agencies for Intra-State movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA' for Tribal Area Sub Plan (₹ 0.25 crore).</p> <p>(iv) Grants-in-aid-General under 'Scheme for Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System (SMART-PDS)' (₹ 1 crore).</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 51 crore including of ₹ 1 crore for recoupment of CFI advance.</p>
(च)	<p>(i) मशीनरी और निदेशन के अंतर्गत 'मशीनरी और उपकरण' (0.15 करोड़ रुपये)।</p> <p>(ii) अन्य व्यय के अंतर्गत 'मशीनरी और उपकरण' (3.42 करोड़ रुपये)।</p> <p>(iii) निदेशन और प्रशासन के अंतर्गत 'सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' (0.93 करोड़ रुपये)।</p> <p>(iv) राष्ट्रीय चीनी संस्थान के अंतर्गत 'भवन निर्माण और संरचनाएं' (0.10 करोड़ रुपये)।</p> <p>उपरोक्त व्यय में 4.60 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।</p>	<p>(i) 'Machinery &amp; Equipment' under Machinery &amp; Direction (₹ 0.15 crore).</p> <p>(ii) 'Machinery &amp; Equipment' under Other Expenditure (₹ 3.42 crore).</p> <p>(iii) 'Information, computer, Telecommunications (ICT) equipments' under Direction &amp; Administration (₹ 0.93 crore).</p> <p>(iv) 'Buildings and Structures' under National Sugar Institute (₹ 0.10 crore).</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo ₹ 4.60 crore.</p>
(छ)	<p>'एफसीआई द्वारा खाद्य भंडारण गोदामों के सृजन' के लिए 'निवेश' (20.40 करोड़ रुपये)।</p> <p>अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>'Investment' for 'Construction of Food Storage godowns by FCI' (₹ 20.40 crore).</p> <p>Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 16  
सहकारिता मंत्रालय  
MINISTRY OF COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	1149.38	1149.38
पूंजी	Capital	...	1.00	1.00
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>1150.38</b>	<b>1150.38</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.50	0.50
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.54</b>	<b>0.54</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>1150.92</b>	<b>1150.92</b>
राजस्व	Revenue	...	1149.42	1149.42
पूंजी	Capital	...	1.50	1.50
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2425-सहकारिता	2425-Co-operation	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गc)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	0.50 (डे)	0.50
जोड़ (पूरक)	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.54</b>	<b>0.54</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) केंद्रीय एकीकृत कृषि सहयोग क्षेत्र योजना (सीएसआईएससी) के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना (44.82 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (23.22 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (201.95 करोड़ रुपये)।
- (ii) नई अनुमोदित योजना के लिए सूचना औद्योगिकी के सहयोग से सहकारी समितियों के सुदृढीकरण के अंतर्गत कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कम्प्यूटरीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (1 करोड़ रुपये)।
- (iii) सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से सहकारी समितियों के सुदृढीकरण के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (0.58 करोड़ रुपये)।
- (iv) सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से सहकारी समितियों के सुदृढीकरण के अंतर्गत केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपये)।
- (v) सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) के सुदृढीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपये)।
- (vi) जीएफआर, 2017 के परिशिष्ट 10 के अंतर्गत किए गए अतिरिक्त व्यय को विनियमित करने के लिए 1.58 करोड़ रुपये सहित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसएस) के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (41.73 करोड़ रुपये)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General (₹ 201.95 crore), Scheduled Caste Sub Plan (₹ 44.82 crore) and Tribal Area Sub Plan (₹ 23.22 crore) under Central Sector Integrated Scheme on Agricultural Cooperation (CSISAC).
- (ii) Grants-in-aid General for Computerization of Agriculture and Rural Development Banks under Strengthening of Cooperatives through IT Interventions (₹ 1 crore) for new approved scheme.
- (iii) Grants-in-aid General for Computerization of Office of Registrars of Cooperatives of States and UTs under Strengthening of Cooperatives through IT Interventions (₹ 0.58 crore).
- (iv) Grants-in-aid General for Central Project Monitoring Unit (CPMU) under Strengthening of Cooperatives through IT Interventions (₹ 0.25 crore).
- (v) Grants-in-aid General for National Cooperative Development Corporation under strengthening of Cooperative Sugar Mills (CSMs) (₹ 0.01 crore).
- (vi) Grants-in-aid General under Computerization of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) including ₹ 1.58 crore for regularizing the excess expenditure incurred under Appendix 10 of GFR, 2017 (₹ 41.73 crore).

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) एकीकृत कृषि सहयोग योजना (आईएसएसी) के अंतर्गत अनुसूचित जाति (b) उपयोजना (4.98 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (2.58 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (22.44 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) (i) नई अनुमोदित योजना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से सहकारी (c) समितियों के सुदृढीकरण के अंतर्गत कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कम्प्यूटरीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (26.40 करोड़ रुपये)।
- (ii) सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से सहकारी समितियों के सुदृढीकरण के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (11.04 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (घ) (i) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत (d) सामान्य सहायता अनुदान (4.68 करोड़ रुपये)।
- (ii) नई अनुमोदित योजना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से सहकारी समितियों के सुदृढीकरण के अंतर्गत कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कम्प्यूटरीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (1.21 करोड़ रुपये)।
- (iii) सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से सहकारी समितियों के सुदृढीकरण के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (0.43 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ङ) स्थापना के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (0.50 (e) करोड़ रुपये)।
- अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Grants-in-aid-General (₹ 22.44 crore), Scheduled Caste Sub Plan (₹ 4.98 crore) and Tribal Area Sub Plan (₹ 2.58 crore) under Integrated Scheme on Agricultural Cooperation (ISAC). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grant-in-aid General for Computerization of Agriculture and Rural Development Banks under Strengthening of Cooperatives through IT Interventions (₹ 26.40 crore) for new approved scheme.
- (ii) Grant-in-aid General for Computerization of Office of Registrars of Cooperatives of States and UTs under Strengthening of Cooperatives through IT Interventions (₹ 11.04 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants-in-aid General under Computerization of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) (₹ 4.68 crore).
- (ii) Grants-in-aid General for Computerization of Agriculture and Rural Development Banks under Strengthening of Cooperatives through IT Interventions (₹ 1.21 crore) for new approved scheme.
- (iii) Grants-in-aid General for Computerization of Office of Registrars of Cooperatives of States and UTs under Strengthening of Cooperatives through IT Interventions (₹ 0.43 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment under Establishment (₹ 0.50 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.



- अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत बचत का उपयोग करने के बाद तकनीकी पूरक की मांग की जाती है। उपरोक्त व्यय में ₹ 60.35 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ग) विभिन्न मदों के लिए सांकेतिक निम्नानुसार हैं - क. शताब्दी और वर्षगांठ योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान ₹ 19.92 करोड़। ख. संग्रहालय योजना के विकास के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान ₹ 0.0011 करोड़।  
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत बचत का उपयोग करने के बाद तकनीकी पूरक की मांग की जाती है। उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) विभिन्न मदों के लिए सांकेतिक निम्नानुसार हैं - I. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - ₹ 10.02 करोड़ II. राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा- ₹ 6.60 करोड़। (जिसमें से ₹ 5 करोड़ की अग्रिम राशि भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति की जाएगी) III. राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला (एनआरएलसी) - ₹ 0.50 करोड़ IV. राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण- ₹ 0.50 करोड़।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ङ) सचिवालय सामाजिक सेवाएं- 1 करोड़ रुपये  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (c) Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 60.35 crore.
- A. Grants-in-aid General is required for Centenaries and Anniversaries Scheme- ₹ 19.92 cr. B. GiA for Creation of Capital Assets for Development of Museums Scheme- ₹ 0.0011 cr.
- Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- I. Archaeological Survey of India- ₹ 10.02 cr. II. National Gallery of Modern Art- ₹ 6.60 cr. ( out of which an advance of ₹ 5 cr. will be recouped to Contingency Fund of India) III. National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC)- ₹ 0.50 cr. IV. National Monuments Authority- ₹ 0.50 cr.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Secretariat Social Services – ₹ 1 cr.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 19  
रक्षा मंत्रालय (सिविल)  
MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19-20 देखिये)

(See page 19-20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	0.99	37068.72	37069.71
पूंजी	Capital	20.00	8829.79	8849.79
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>20.99</b>	<b>45898.51</b>	<b>45919.50</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.35	3198.42	3198.77
पूंजी	Capital	2.00	1525.00	1527.00
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>2.35</b>	<b>4723.42</b>	<b>4725.77</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>23.34</b>	<b>50621.93</b>	<b>50645.27</b>
राजस्व	Revenue	1.34	40267.14	40268.48
पूंजी	Capital	22.00	10354.79	10376.79
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	119.25	(का) 119.25
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	12.50	(खb) 12.50
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	...	499.77	(गc) 499.77
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	0.35	(घd) 2499.65	(ङe) 2500.00
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	67.25	(चf) 67.25
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	<b>0.35</b>	<b>3198.42</b>	<b>3198.77</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	2.00	(छg) ...	2.00
4552-पूर्वार्ध क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	150.00	(जh) 150.00
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	1375.00	(झi) 1375.00
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	<b>2.00</b>	<b>1525.00</b>	<b>1527.00</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>2.35</b>	<b>4723.42</b>	<b>4725.77</b>
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुतियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)-25.00	(-)-25.00

यह पूरक अनुदानेविनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) चिकित्सा उपचार (8 करोड़ रुपये), भत्ते (480 करोड़ रुपये), यात्रा व्यय (घरेलू (17 करोड़ रुपये), यात्रा व्यय (विदेशी) (0.50 करोड़ रुपये), कार्यालय व्यय (16 करोड़ रुपये), मुद्रण और प्रकाशन (2.50 करोड़ रुपये), सामग्री और आपूर्ति (46 करोड़ रुपये), ईंधन और स्नेहन (25 करोड़ रुपये) राशन की लागत (79.30 करोड़ रुपये) और व्यावसायिक सेवाएँ (2 करोड़ रुपये) के अंतर्गत आवश्यकताओं के लिए सीमा सड़क संगठन हेतु 119.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यय हेतु पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) Supplementary is sought towards additional expenditure of ₹ 119.25 crore for Border Road Organization for requirements under Medical Treatment (₹ 8 crore), Allowances (₹ 480 crore), TE (D) (₹ 17 crore), TE (foreign) (₹ 0.50 crore), Office Expenses (₹ 16 crore), Printing & Publication (₹ 2.50 crore), Materials & Supplies (₹ 46 crore), Fuel and Lubrication (₹ 25 crore) Cost of Ration (₹ 79.30 crore) & Professional Services (₹ 2 crore).

	अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में 119.25 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा;		Taking into account savings available in the grant, the above expenditure will entail ₹ 119.25 crore as cash outgo;
(ख)	कार्यालय व्यय (5.25 करोड़ रुपये), भूमि और भवन निर्माण के लिए किराया, दरें और कर (7.20 करोड़ रुपये) और अन्य राजस्व व्यय (0.05 करोड़ रुपये) के अंतर्गत आवश्यकताओं के लिए 12.50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b)	Meeting additional expenditure of ₹ 12.50 crore towards requirements under Office expenses (₹ 5.25 crore), Rent, Rates and Taxes for Lands and Buildings (₹ 7.20 crore) and Other Revenue Expenses (₹ 0.05 crore).
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा;		The above expenditure will entail cash outgo;
(झ)	सीमा सड़क संगठन के लिए अवसंरचनागत आस्ति (1184 करोड़ रुपये), मशीनरी और उपकरण (87 करोड़ रुपये), भवन और संरचना (100 करोड़ रुपये) और भूमि (4 करोड़ रुपये) के अंतर्गत 1375 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(i)	Meeting additional expenditure of ₹ 1375 crore under Infrastructural Assets (₹ 1184 crore), Machinery and Equipment (₹ 87 crore), Building and Structure (₹ 100 crore) and Land (₹ 4 crore) for Border Roads Organization.
	25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली को ध्यान में रखते हुए इसमें 1350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।		Taking into account the additional recovery of ₹ 25 crore this will entail additional cash out go of ₹ 1350 crore.
(ग)	मुख्य रूप से तटरक्षक संगठन के संबंध में अग्रनयन देयताओं के लिए 'ईंधन और स्नेहक' हेतु 499.77 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(c)	Meeting additional expenditure of ₹ 499.77 crore towards 'Fuel and Lubricants' mainly to clear the carry over liability in respect of Coast Guard Organization.
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा;		The above expenditure will entail cash outgo;
(घ)	कैंटीन भंडार डिपो के संबंध में 'व्यावसायिक सेवाओं' के अंतर्गत 0.35 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना;	(d)	Meeting additional expenditure of ₹ 0.35 crore under 'Professional Services' in respect of Canteen Store Depot;
	₹ 0.35 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा;		Taking into account the additional receipt of ₹ 0.35 crore, this will not entail any cash outgo;
(ङ)	कैंटीन भंडार डिपो के लिए अनिवार्य संविदात्मक देयताओं 'छोटे सिविल और विद्युत संबंधी निर्माण कार्यों' के लिए 'सामग्री और आपूर्ति' के अंतर्गत आवश्यक 2499.65 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(e)	Meeting additional expenditure of ₹ 2499.65 crore requirements under 'Materials & Supplies' for obligatory contractual liabilities and 'Minor Civil and Electric works' for Canteen Stores Depot.
	₹ 2499.65 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा;		Taking into account the additional receipt of ₹ 2499.65 crore, this will not entail any cash outgo;
(च)	लघु निर्माण कार्यों (1 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण (37 करोड़ रुपये) और 'राष्ट्रीय राजमार्गों से इतर सड़क अनुरक्षण (192 करोड़ रुपये), सामान्य सहायता अनुदान (₹. 5 करोड़) और सीमा सड़क संगठन के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (15 करोड़ रुपये) के लिए 250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(f)	Meeting additional expenditure of ₹ 250 crore towards Minor works (₹ 1 crore), Repair & Maintenance of National Highways (₹ 37 crore) & 'Road Maintenance other than National Highways' (₹ 192 crore), Grants-in-aid (General) (₹ 5 crore) and Grants for creation Capital Assets (₹ 15 crore) for Border Roads Organization.
	अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में 67.25 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा;		Taking into account savings available in the Grant, the above expenditure will entail ₹ 67.25 crore cash outgo;
(छ)	'भूमि' के अंतर्गत भारत व्यय के लिए 2 करोड़ रुपये।	(g)	₹ 2 crore towards charged expenditure under 'Land'.
	अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में नकद व्यय नहीं होगा;		Taking into account savings available in the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo;
(ज)	सीमा सड़क संगठन के संबंध में पूर्वोक्त क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों के लिए 150 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(h)	Meeting additional expenditure of ₹ 150 crore for Road works in North Eastern Region in respect of Border Road Organization.
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा;		The above expenditure will entail cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20  
रक्षा सेवा (राजस्व)  
DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	101.62	276931.99	277033.61
पूँजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>101.62</b>	<b>276931.99</b>	<b>277033.61</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	7.10	14992.90	15000.00
पूँजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>7.10</b>	<b>14992.90</b>	<b>15000.00</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>108.72</b>	<b>291924.89</b>	<b>292033.61</b>
राजस्व	Revenue	108.72	291924.89	292033.61
पूँजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	...	4250.00	(क) 4250.00
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy	3.00	(ख) 1497.00	(ग) 1500.00
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force	4.10	(घ) 8995.90	(ङ) 9000.00
2080-रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	2080-Defence Services - Research and Development	...	250.00	(च) 250.00
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	<b>7.10</b>	<b>14992.90</b>	<b>15000.00</b>

यह पूरक अनुदानेविनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	वेतन और यात्रा भत्ते (300 करोड़ रुपये), भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) (2,600 करोड़ रुपये), भंडारण (1,000 करोड़ रुपये), निर्माण कार्य (250 करोड़ रुपये) और सेना के लिए अन्य व्यय (100 करोड़ रुपये) हेतु 4,250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	(a)	Meeting additional expenditure of ₹ 4,250 crore towards Pay & Allowances TA(₹ 300 crore), Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) (₹ 2,600 crore), Stores (₹ 1,000 crore), Works (₹ 250 crore) and Other Expenditure(₹ 100 crore) for Army.
(ख)	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा; नौसेना के संबंध में न्यायालय के आदेशों के अनुसार वेतन और भत्ते हेतु 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b)	The above expenditure will entail a cash outgo; Meeting additional Expenditure of ₹ 3 crore towards Pay and Allowance Civilians arising out of Court Orders in respect of Navy.
(ग)	इसमें 3 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा; परिवहन (72 करोड़ रुपये), मरम्मत और दुरुस्त (550 करोड़ रुपये), भंडारण (500 करोड़ रुपये), निर्माण कार्य (75 करोड़ रुपये), संयुक्त कर्मचारी (100 करोड़ रुपये) और नौसेना के लिए अन्य व्यय (200 करोड़ रुपये) के भुगतान हेतु 1,497 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(c)	This will entail cash outgo of ₹ 3 crore; Meeting additional expenditure of ₹ 1,497 crore towards payments of Transportation (₹ 72 crore), Repairs & Refits (₹ 550 crore), Stores (₹ 500 crore), Works(₹ 75 crore), Joint Staff (₹ 100 crore) and Other Expenditure(₹ 200 crore) for Navy.
(घ)	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा; वायु सेना के लिए वेतन और भत्ते (0.10 करोड़ रुपये) और कार्यों (4 करोड़ रुपये) के संबंध में न्यायालय के आदेशों से होने वाले भुगतान के लिए 4.10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(d)	The above expenditure will entail cash outgo; Meeting additional Expenditure of ₹ 4.10 crore towards payments arising out of Court Orders in respect of Pay & Allowances Civilians (₹ 0.10 crore) and Works (₹ 4 crore) for Air Force.
(ङ)	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा; नागरिकों के वेतन और भत्ते (1.55 करोड़ रुपये), भंडारण (8,493.86 करोड़ रुपये), निर्माण कार्य (180 करोड़ रुपये), अग्निवीर (20 करोड़ रुपये), विशेष परियोजनाएं (0.49 करोड़ रुपये) और वायु सेना के लिए अन्य व्यय (₹. 300 करोड़) के 8,995.90 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(e)	The above expenditure will entail cash outgo; Meeting additional expenditure of ₹ 8,995.90 crore towards Pay & Allowances Civilians (₹ 1.55 crore), Stores (₹ 8,493.86 crore), Works (₹ 180 crore), Agniveer (₹ 20 crore), Special Projects (₹ 0.49 crore) and Other Expenditure (₹ 300 crore) for Air Force.
	अनुदान के पूँजी अनुभाग (5,371.80 करोड़ रुपये) में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में 3,624.10 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा;		Taking into account the savings available in the Capital Grant (₹ 5,371.80 crore), the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 3,624.10 crore;

---

(च)	'अनुसंधान/अनुसंधान विकास' (234.90 करोड़ रुपये) और अनुसंधान एवं विकास के 'अन्य व्यय' (15.10 करोड़ रुपये) के लिए 250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(f)	Meeting additional expenditure of ₹ 250 crore towards 'Research/Research Development' (₹ 234.90 crore) and 'Other expenditure' (₹ 15.10 crore) of Research and Development.
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 21  
रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय  
CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>			
राजस्व	...	...	...
पूंजी	115.42	162484.58	162600.00
जोड़	115.42	162484.58	162600.00
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>			
राजस्व	...	...	...
पूंजी	1.00	0.01	1.01
जोड़	1.00	0.01	1.01
जोड़ (मूल और पूरक)	116.42	162484.59	162601.01
राजस्व	...	...	...
पूंजी	116.42	162484.59	162601.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>पूंजी भाग</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.00 (का)	0.01 (खब)	1.01

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के आदेश से होने वाले नौसेना के विनिर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।  
अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ रुपये का तकनीकी पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) वायु सेना के लिए अन्य उपकरणों के तहत 2,226.37 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) Meeting additional expenditure of ₹ 1 crore towards Construction Works for Navy arising out of Court Order. Taking into account of savings available in voted section of the Grant a Technical Supplementary for ₹ 1 crore is sought.
- (b) Meeting additional expenditure of ₹ 2,226.37 Crore under Other Equipment's for Air Force. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	1798.75	1798.75
पूंजी	Capital	...	4093.25	4093.25
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>5892.00</b>	<b>5892.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>5892.01</b>	<b>5892.01</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>1798.75</b>	<b>1798.75</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>4093.26</b>	<b>4093.26</b>
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के रूप में 0.35 करोड़ रुपये [पूर्वोत्तर परिषद योजनाओं के तहत "पूर्वोत्तर संसाधन केंद्र" (एनईआरसीईएन) को (कार्यालय वाहनों की खरीद के लिए 25 लाख रुपये और फर्नीचर एवं फिक्स्चर के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

₹ 0.35 crore as capital outlay on other administrative services [ ₹ 25 lakh for procurement of office vehicles and ₹ 10 lakh for furniture and fixtures] for "North East Resource Centre" (NERCEN) under 'Schemes of North-East Council'. Taking into account the savings available in same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 24  
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  
MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	2650.57	2650.57
पूंजी	Capital	...	673.81	673.81
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>3324.38</b>	<b>3324.38</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>3324.43</b>	<b>3324.43</b>
राजस्व	Revenue	...	2650.59	2650.59
पूंजी	Capital	...	673.84	673.84
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403-Oceanographic Research	...	0.01 (का)	0.01
3455-मौसम विज्ञान	3455-Meteorology	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5403-Capital Outlay on Oceanographic Research	...	0.01 (गc)	0.01
5455-मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	5455-Capital Outlay on Meteorology	...	0.01 (घd)	0.01
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	0.01 (ङe)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
जोड़ (पूरक)	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर (पीएसीईआर) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (13.75 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के स्वायत्त निकायों को सहायता योजना के तहत इन-सीटू पदोन्नति, अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी, सीपीएफ अंशदान, वर्ष में दो बार महंगाई भत्ते में वृद्धि आदि के लिए कर्मचारियों को वेतन और भत्ते के लिए वेतन सहायता अनुदान ( 4.60 करोड़ रुपये)(iii) कार्यालय भवन के सिविल अनुरक्षण कार्य के लिए राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) के स्वायत्त निकायों को सहायता योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान ( 2 करोड़) और (iv) एनसीपीओआर के स्वायत्त निकायों को योजना सहायता के तहत वेतन सहायता अनुदान ( 1 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग, अवलोकन प्रणाली और सेवाएं (एक्रॉस) योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (16.20 करोड़ रुपये) और (ii) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र में स्वायत्त निकायों को सहायता के तहत सामान्य सहायता अनुदान (1 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid General (₹ 13.75 crore) under the Scheme Polar Science and Cryosphere (PACER) (ii) Grants-in-Aid Salaries (₹ 4.60 crore) under the Scheme Assistance to Autonomous Bodies for National Institute of Ocean Technology for pay & allowances to the employees for in-situ promotion, Leave Encashment, Gratuity, CPF Contribution, Increase in Dearness allowance twice in a year etc. (iii) Grants-in-Aid General (₹ 2 crore) under the Scheme Assistance to Autonomous Bodies for National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR) for Civil Maintenance work of Office Building and (iv) Grants-in-Aid Salaries (₹ 1crore) under the Scheme Assistance to Autonomous Bodies for NCPOR.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 16.20 Crore) under the Scheme Atmosphere & Climate Research-Modelling, Observing Systems & Services (ACROSS) and (ii) Grants-in-aid General (₹ 1 crore) under the Assistance to Autonomous bodies at National Centre for Earth Science Studies.

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) निम्नलिखित योजना के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) एमओईएस के सम्बद्ध कार्यालयों अर्थात् राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) और समुद्री जीवन संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र (सीएमएलआरई) के लिए जीनोमिक अध्ययन के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (एफटीआईआर), कार्बन विश्लेषक, उपकरण जैसे लिखतों की खरीद के लिए प्रतिबद्ध व्यय के लिए महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओएसएमएआरटी) (2.61 करोड़ रुपये)। (ii) डीओएम के वर्टिकल-3 के अंतर्गत सीएमएलआरई कोच्चि द्वारा अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए वैज्ञानिक लिखतों की खरीद के लिए गहन सामुद्रिक मिशन (डीओएम) (1.45 करोड़ रुपये) 2. डीओएम के वर्टिकल-4 के अंतर्गत महासागर अनुसंधान पोत के अधिग्रहण के लिए गहन सामुद्रिक मिशन (डीओएम) योजना के अंतर्गत अवसंरचनागत आस्तियों के लिए अनुदान (74 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (घ) नए डॉपलर मौसम केन्द्र के लिए भवन निर्माण, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र गुवाहाटी, चांदबली आदि में नए कार्यालय भवन निर्माण के लिए वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग, अवलोकन प्रणाली और सेवाएं (एक्रॉस) योजना के अंतर्गत भवन निर्माण और संरचनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (4 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ङ) एयर कंडीशनर आदि जैसी कुछ मशीनरी (0.03 करोड़) मदों की खरीद के लिए विभागीय लेखा संगठन के तहत मशीनरी और उपकरणों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (c) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards Machinery and Equipment under the Scheme (i) Ocean Services, Modelling, Application, Resources and Technology (OSMART) (₹ 2.61 crore) for committed expenditure for procuring the instruments such as Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), carbon Analyser, equipment for genomic studies for attached offices of MoES namely National Centre for Coastal Research (NCCR) and Centre For Marine Living Resources & Ecology (CMLRE) (ii) Deep Ocean Mission (DOM) (₹ 1.45 Crore) for procurement of Scientific Equipments for setting up of Research Labs by CMLRE Kochi under Vertical-3 of DOM and 2. Grants for Infrastructural Assets (₹ 74 crore) under the Scheme Deep Ocean Mission (DOM) for Acquisition of Ocean Research Vessel under Vertical-4 of DOM.
- (d) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards Building and Structures (₹ 4 crore) under the Scheme Atmosphere & Climate Research-Modelling, Observing Systems & Services (ACROSS) for construction of building for new Doppler Weather Stations, new office building at Regional Meteorological Centre Guwahati, Chandbali, etc. of Indian Meteorological Department (IMD).
- (e) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards Machinery and Equipment (₹ 0.03 Crore) under Departmental Accounting Organization to purchase some machinery items like Air conditioner etc.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25  
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग  
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	104804.30	104804.30
पूंजी	Capital	...	0.55	0.55
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>104804.85</b>	<b>104804.85</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.10	0.10
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>104804.99</b>	<b>104804.99</b>
राजस्व	Revenue	...	104804.34	104804.34
पूंजी	Capital	...	0.65	0.65
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	...	0.01	(क) 0.01
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01	(ख) 0.01
2552-पूर्वांतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ग) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(घ) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.10	(ङ) 0.10
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) सचिवालय (0.10 करोड़ रुपये), (ii) डीएई (0.02 करोड़ रुपये) की योजना में पुरस्कार	(a)	(i) Rewards in the Scheme of (i) Secretariat (₹ 0.10 cr), (ii) Directorate of Adult Education (₹ 0.02 cr)
	(ii) सचिवालय (₹. 0.10 करोड़) की योजना में डिजिटल उपकरण	(ii)	Digital Equipment in the Scheme of Secretariat (₹ 0.10 cr)
	(iii) सचिवालय (₹. 0.10 करोड़) की योजना में लघु सिविल एवं विद्युत कार्य	(iii)	Minor Civil and Electric works) in the Scheme of Secretariat (₹ 0.10 cr)
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) समग्र शिक्षा (₹. 222.38 करोड़), (ii) पीएम-श्री (₹. 30.00 करोड़) में व्यावसायिक सेवाएँ	(b)	(i) Professional Services in the Scheme of (i) Samagra Shiksha (₹ 222.38 cr), (ii) PM-SHRI (₹ 30.00 cr)
	(ii) (i) केवीएस (₹. 357.52 करोड़), (ii) राष्ट्रीय बाल भवन (₹. 0.06 करोड़), (iii) समग्र शिक्षा (₹. 72.81 करोड़), (iv) पीएम-श्री (₹. 80.56 करोड़) की योजना में सामान्य सहायता अनुदान	(ii)	Grants-in-Aid General in the Scheme of (i) KVS (₹ 357.52 cr), (ii) National Bal Bhawan (₹ 0.06 cr), (iii) Samagra Shiksha (₹ 72.81 cr), (iv) PM-SHRI (₹ 80.56 cr)
	(iii) (i) केवीएस (₹. 201.50 करोड़), (ii) एनवीएस (₹. 22.00 करोड़), (iii) समग्र शिक्षा (₹. 92.83 करोड़), (iv) पीएम-श्री (277.43 करोड़ रुपये) में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान	(iii)	Grants-in-Aid for creation of Capital Assets in the Scheme of (i) KVS (₹ 201.50 cr), (ii) NVS (₹ 22.00 cr), (iii) Samagra Shiksha (₹ 92.83 cr), (iv) PM-SHRI (₹ 277.43 cr)
	(iv) एनवीएस (₹. 5.00 करोड़) की योजना में वेतन सहायता अनुदान	(iv)	Grants-in-Aid Salaries in the Scheme of NVS (₹ 5.00 cr)
	(v) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) में अंतरण के लिए धनराशि (₹. 3000.00 करोड़)	(v)	Funds for Transfer to Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (MUSK) (₹ 3000.00 cr)
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) केवीएस (₹. 29.00 करोड़), (ii) एनवीएस (₹. 5.00 करोड़), (iii) पीएम-श्री (₹. 19.80 करोड़) की योजना में सामान्य सहायता अनुदान	(c)	(i) Grants-in-Aid General in the Scheme of (i) KVS (₹ 29.00 cr), (ii) NVS (₹ 5.00 cr), (iii) PM-SHRI (₹ 19.80 cr)

<p>(ii) (i) समग्र शिक्षा (239.25 करोड़ रु.), (ii) पीएम-श्री (42.18 करोड़ रु.), (iii) केवीएस (29.00 करोड़ रु.), (iv) एनवीएस (रु. 1.50 करोड़) योजना में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान</p> <p>(iii) एनवीएस (5.00 करोड़ रुपये) की योजना में वेतन सहायता अनुदान अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p> <p>(घ) (i) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) में अंतरण के लिए धनराशि (रु. 3000.00 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p> <p>(ङ) (i) सचिवालय की योजना में मशीनरी और उपकरण(रु. 0.10 करोड़)</p> <p>अनुदान के राजस्व/पूँजी अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा</p>	<p>(ii) Grants for Creation of Capital Assets in the Scheme of (i) Samagra Shiksha (Rs 239.25 cr), (ii) PM-SHRI (₹ 42.18 cr), (iii) KVS (₹ 29.00 cr), (iv) NVS (₹ 1.50 cr)</p> <p>(iii) Grants-in-Aid Salaries in the Scheme of NVS (₹ 5.00 cr) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(d) (i) Funds for Transfer to Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (MUSK) (₹ 3000.00 cr) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(e) (i) Machinery and Equipment in the Scheme of Secretariat (₹ 0.10 cr) Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;</p>
--	---

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 26  
उच्चतर शिक्षा विभाग  
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	50082.10	50082.10
पूंजी	Capital	...	12.52	12.52
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>50094.62</b>	<b>50094.62</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	649.88	649.88
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>649.88</b>	<b>649.88</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>50744.50</b>	<b>50744.50</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>50731.98</b>	<b>50731.98</b>
पूंजी	Capital	...	<b>12.52</b>	<b>12.52</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	649.86 (का)	649.86
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	0.01 (खब)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गं)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>649.88</b>	<b>649.88</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (I) निम्नलिखित योजनाओं के तहत सहायता अनुदान - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता [769 करोड़ रुपये], केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान [355.50 करोड़ रुपये], केंद्रीय विश्वविद्यालय - एचईएफए ऋण के तहत ब्याज के भुगतान के लिए धनराशि [18 करोड़ रुपये], केंद्रीय विश्वविद्यालय - एचईएफए ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए धनराशि [100 करोड़ रुपये], चिकित्सा विज्ञान संस्थान-बीएचयू [20.20 करोड़ रुपये], केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय [10 करोड़ रुपये], केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश [3.58 करोड़ रुपये], आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय [3 करोड़ रुपये], केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित डीमड विश्वविद्यालय [47.25 करोड़ रुपये], इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता [17 करोड़ रुपये], इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता - एचईएफए ऋण के तहत ब्याज के भुगतान के लिए निधि [2.80 करोड़ रुपये], इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता - एचईएफए ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए धनराशि [6 करोड़ रुपये], नेशनल बुक ट्रस्ट को अनुदान [12.18 करोड़ रुपये], राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईपीए) [2.83 करोड़ रुपये], राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय [3 करोड़ रुपये], आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन [10 करोड़ रुपये]
- (II) निम्नलिखित योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु के लिए अनुदान: केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान [160 करोड़ रुपये], केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय [6 करोड़ रुपये], केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश [60 करोड़ रुपये], राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईपीए) [1.60 करोड़ रुपये], नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी [1 करोड़ रुपये]
- (III) निम्नलिखित योजनाओं के तहत वेतन सहायता अनुदान: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता [280 करोड़ रुपये] केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान [90.50 करोड़ रुपये], केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय [10 करोड़ रुपये], केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश [रुपये]

The supplementary Grants are required for:

- (a) (I) Grants-in-aid General under the following schemes:- Support to University Grants Commission (UGC) [ ₹ 769 Crore], Grants to Central Universities [ ₹ 355.50 Crore], Central Universities - Funds for payment of Interest under HEFA Loan [ ₹ 18 Crore], Central Universities - Funds for repayment of Principal of HEFA Loan [ ₹ 100 Crore], Institute of Medical Sciences-BHU [ ₹ 20.20 Crore], Central Sanskrit Universities [ ₹ 10 Crore], Central University, Andhra Pradesh [ ₹ 3.58 Crore], Andhra Pradesh & Telangana Tribal Universities [ ₹ 3 Crore], Deemed Universities promoted by Central Government [ ₹ 47.25 Crore], Assistance to IGNOU & State Open Universities [ ₹ 17 Crore], Assistance to IGNOU & State Open Universities - Funds for Payment of Interest under HEFA Loan [ ₹ 2.80 Crore], Assistance to IGNOU & State Open Universities - Funds for Repayment of Principal of HEFA Loan [ ₹ 6 Crore], Grants to National Book Trust [ ₹ 12.18 Crore], National Institute of Education Planning and Administration (NIEPA) [ ₹ 2.83 Crore], National Digital University [ ₹ 3 Crore], National Mission in Education through ICT [ ₹ 10 Crore]
- (II) Grants for creation of capital assets under the following schemes: Grants to Central Universities [ ₹ 160 Crore], Central Sanskrit Universities [ ₹ 6 Crore], Central University, Andhra Pradesh [ ₹ 60 Crore], National Institute of Education Planning and Administration (NIEPA) [ ₹ 1.60 Crore], National Digital University [ ₹ 1 Crore]
- (III) Grants-in-aid Salaries under the following schemes: Support to University Grants Commission (UGC) [ ₹ 280 Crore] Grants to Central Universities [ ₹ 90.50 Crore], Central Sanskrit Universities [ ₹ 10 Crore], Central

	1.10 करोड़], राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) [1.45 करोड़ रुपये],		University, Andhra Pradesh [ ₹ 1.10 Crore], National Institute of Education Planning and Administration (NIEPA) [ ₹ 1.45 Crore],
(IV)	योजना के तहत 'अन्य राजस्व व्यय': विदेशी सरकार/संगठनों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बदले विदेश जाने वाले भारतीय विद्वान [0.40 करोड़ रुपये],	(IV)	'Other Revenue expenditure' under the scheme: Indian Scholars going abroad against scholarships offered by Foreign Govt./ Organisations [ ₹ 0.40 Crore],
(V)	'इंटर अकाउंट ट्रांसफर': माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष-उच्चतर शिक्षा कोष-कोश-सामान्य शिक्षा (विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा) में अंतरण [3000 करोड़ रुपये]	(V)	'Inter Account Transfer': Transfer to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh-Uchchatar Shiksha Kosh- Kosh-General Education (University and Higher E,ducation) [ ₹ 3000 Crore]
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 649.86 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।		Taking into Account the savings available in the same section of the grant this will entail a net cash outgo of Rs 649.86 crore
(ख) (I)	निम्नलिखित के तहत सामान्य सहायता अनुदान- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को सहायता [200 करोड़ रुपये], भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता [0.01 करोड़ रुपये], भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) - एचईएफए ऋण के तहत ब्याज के भुगतान के लिए धनराशि [30 करोड़ रुपये], राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता [58.60 करोड़ रुपये], भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता [50 करोड़ रुपये], भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता [4 करोड़ रुपये], नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र [17.97 करोड़ रुपये], आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) [20 करोड़ रुपये], विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान के लिए योजना (एसटीएआरएस) [37.27 करोड़ रुपये],	(b) (I)	Grants-in-aid General under the following :- Support to Indian Institutes of Technology (IITs) [ ₹ 200 Crore], Support to Indian Institutes of Management [ ₹ 0.01 Crore], Indian Institutes of Management (IIMs) - Funds for payment of Interest under HEFA Loan [ ₹ 30 Crore], Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST [ ₹ 58.60 Crore], Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [ ₹ 50 Crore], Support to Indian Institute of Science (IISc) [ ₹ 4 Crore], Centre for Nano Science and Engineering [ ₹ 17.97 Crore], Centers of Excellence (CoE) in Artificial Intelligence (AI) [ ₹ 20 Crore], Scheme for Transformational and Advanced Research in Sciences (STARS) [ ₹ 37.27 Crore],
(II)	'निम्नलिखित के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हैदराबाद (ईएपी) [222.71 करोड़ रुपये], भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता [1 करोड़ रुपये], भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता [31.55 करोड़ रुपये], योजना और वास्तुकला विद्यालय (एसपीए) [3 करोड़ रुपये], उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल [41.79 करोड़ रुपये], आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) [15 करोड़ रुपये], विज्ञान (एसटीएआरएस) में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान के लिए योजना [32.12 करोड़ रुपये] (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत 15 करोड़ रुपये के आग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है)	(II)	'Grants for creation of capital assets under the following : Indian Institute of Technology (IIT), Hyderabad (EAP) [ ₹ 222.71 Crore], Support to Indian Institutes of Management [ ₹ 1 Crore], Support to Indian Institute(s) of Information Technology [ ₹ 31.55 Crore], Schools of Planning and Architecture (SPAs) [ ₹ 3 Crore], Startup India Initiative for Higher Educational Institutions [ ₹ 41.79 Crore], Centers of Excellence (CoE) in Artificial Intelligence(AI) [ ₹ 15 Crore], Scheme for Transformational and Advanced Research in Sciences (STARS) [ ₹ 32.12 Crore] (this includes ₹ 15 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).
(III)	निम्नलिखित के तहत वेतन सहायता अनुदान: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को सहायता [340.32 करोड़ रुपये], भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता [20 करोड़ रुपये], भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता (आईआईएससी) [26 करोड़ रुपये], भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता [5 करोड़ रुपये]	(III)	Grants-in-aid Salaries under the following : Support to Indian Institutes of Technology (IITs) [ ₹ 340.32 Crore], Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [ ₹ 20 Crore], Support to Indian Institute of Science (IISc) [ ₹ 26 Crore], Support to Indian Institute(s) of Information Technology [ ₹ 5 Crore]
(IV)	योजना के तहत 'छात्रवृत्ति': राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) [20 करोड़ रुपये]	(IV)	'Scholarships' under the scheme: National Apprenticeship Training Scheme (NATS) [ ₹ 20 Crore]
(V)	'इंटर अकाउंट ट्रांसफर': माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष-उच्चतर शिक्षा कोष-तकनीकी शिक्षा में अंतरण [3000 करोड़ रुपये]	(V)	'Inter Account Transfer': Transfer to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh-Uchchatar Shiksha Kosh-Technical Education [ ₹ 3000 Crore]
	चूंकि अनुदान के एक ही अनुभाग में समतुल्य बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		As matching savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) (I)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सामान्य सहायता अनुदान- [24.82 करोड़ रुपये]	(c) (I)	Grants-in-aid General to Central Universities- [ ₹ 24.82 Crore]
(II)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु के लिए अनुदान- [90 करोड़ रुपये]	(II)	Grants for creation of capital assets to Central Universities- [ ₹ 90 Crore]
(III)	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों को वेतन सहायता अनुदान [1.5 करोड़ रुपये]	(III)	Grants-in-aid Salaries to Central Sanskrit Universities [ ₹ 1.5 Crore]
	चूंकि अनुदान के एक ही भाग में मिलान बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		As matching savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	16180.36	16180.36
पूंजी	Capital	...	368.68	368.68
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>16549.04</b>	<b>16549.04</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	40.18	40.18
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>40.20</b>	<b>40.20</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>16589.24</b>	<b>16589.24</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>16180.38</b>	<b>16180.38</b>
पूंजी	Capital	...	<b>408.86</b>	<b>408.86</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (का)	0.01
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	0.01 (खब)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4859-Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries	...	29.55 (गक)	29.55
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	10.63 (घद)	10.63
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>40.18</b>	<b>40.18</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>40.20</b>	<b>40.20</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

- (क) 1. इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत (i) कार्यक्रम घटक (31.39 करोड़ रुपये) और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना घटक (3 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (ii) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (230 करोड़ रुपये) और (iii) सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (13.90 करोड़ रुपये) 2. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (20 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु के लिए अनुदान (50 करोड़ रुपये)। 3. सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास के तहत सामान्य घटक (345 करोड़ रुपये), अनुसूचित जाति घटक (30 करोड़ रुपये) और अनुसूचित जनजाति घटक (25 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान 4. डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान के लिए (1.50 करोड़ रुपये) 750.29 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
- (ख) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (55.79 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (3.13 करोड़ रुपये) के लिए 58.92 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (a) meeting an additional expenditure of ₹ 750.29 crore towards 1. Grants-in-aid General for (i) Programme Component (₹ 31.39 crore) and Externally Aided Projects Component (₹ 3 crore) under Electronics Governance Programme (ii) National Knowledge Network (₹ 230 crore) and (iii) Semi Conductor Laboratory (₹ 13.90 crore) 2. Grants-in-Aid General (₹ 20 crore) & Promotions for Creation of Capital Assets (₹ 50 crore) under Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Manufacturing Cluster) 3. Grants-in-Aid General for General component (₹ 345 crore), Scheduled Caste Component (₹ 30 crore) and Scheduled Tribe Component (₹ 25 crore) under R&D in Information Technology, Electronics and CCBT 4. Grants-in-Aid General (₹ 0.50 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹ 1.50 crore) under Digital India Corporation.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting an additional expenditure of ₹ 58.92 crore towards Grants for creation of Capital Assets (₹ 55.79 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹ 3.13 crore) under Unique Identification Authority of India.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ग) एसटीक्यूसी कार्यक्रम के तहत इमारतों और संरचनाओं (28 करोड़ रुपये) और सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (2.05 करोड़ रुपये) के लिए 30.05 करोड़ रुपये का व्यय पूरा करना।
- अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;
- (घ) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान कार्यक्रम एनआईसीएनईटी और नए जिला केंद्रों के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के लिए (i) मशीनरी और उपकरण (1 करोड़ रुपये) और अन्य अचल संपत्ति (1.25 करोड़ रुपये) (ii) केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (0.30 करोड़ रुपये) और डेटा सेंटर और क्लाउड सेवाओं (10 करोड़ रुपये) के लिए सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण हेतु 12.55 करोड़ रुपये का व्यय पूरा करना।
- अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;
- (c) meeting an expenditure of ₹ 30.05 crore towards Buildings & Structures (₹ 28 crore) and Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment (₹ 2.05 cr) under STQC Programme.
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (d) meeting an expenditure of ₹ 12.55 crore towards (i) Machinery & Equipment (₹ 1 crore) and Other Fixed Assets (₹ 1.25 crore) for National Informatics Centre under National Informatics Programme NICNET and New District Centres (ii) Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment for Central Public Procurement Portal (₹ 0.30 crore) and Data Centres & Cloud Services (₹ 10 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 28  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	3576.27	3576.27
पूंजी	Capital	...	145.38	145.38
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>3721.65</b>	<b>3721.65</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	92.57	92.57
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>92.60</b>	<b>92.60</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>3814.25</b>	<b>3814.25</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>3668.84</b>	<b>3668.84</b>
पूंजी	Capital	...	<b>145.41</b>	<b>145.41</b>
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	29.15 (खb)	29.15
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	10.00 (गc)	10.00
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	53.41 (घd)	53.41
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>92.57</b>	<b>92.57</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	0.01 (ङe)	0.01
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	0.01 (चf)	0.01
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	0.01 (छg)	0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>92.60</b>	<b>92.60</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के हेतु (i) खतरनाक पदार्थ प्रबंधन के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹. 0.94 करोड़) (ii) खतरनाक पदार्थ प्रबंधन (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं) के तहत घरेलू यात्रा व्यय (0.01 करोड़ रुपये), कार्यालय व्यय (0.02 करोड़ रुपये), डिजिटल उपकरण (0.03 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करना। व्यावसायिक सेवाएं (0.10 करोड़ रुपये) और सामान्य सहायता अनुदान (0.10 करोड़ रुपये) के लिए व्यय को पूरा करना।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) अंडमान और निकोबार द्वीप वन एवं वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड (एएनआईएफपीडीसीएल) में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹. 3.62 करोड़ के इक्विटी योगदान को बड़े खाते में डालना (ii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान परिषद (आईसीएफआई) के लिए वेतन सहायता अनुदान (253.23 करोड़ रुपये) जिसमें भारत की आकस्मिकता निधि से निकाले गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹. 52.22 करोड़ शामिल हैं (iii) सामान्य सहायता अनुदान (₹. 0.60 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु के लिए अनुदान (₹. 0.69 करोड़) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम) के तहत (iv) सामान्य सहायता अनुदान (₹. 5.50 करोड़) और भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के तहत पूंजीगत आस्तियों

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid-General (₹ 0.94 crore) under Hazardous Substances Management (ii) Domestic Travel Expenses (₹ 0.01 crore), Office Expenses (₹ 0.02 crore), Digital Equipment (₹ 0.03 crore), Professional Services (₹ 0.10 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.10 crore) under Hazardous Substances Management (Externally Aided Projects).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) write-off the equity contribution of ₹ 3.62 crore made by Government of India in Andaman & Nicobar Island Forest & Plantation Development Corporation Limited (ANIFPDCL) (ii) Grants-in-aid-Salaries (₹ 253.23 crore) for Indian Council of Forestry Research and Training Institute (ICFRE) which includes ₹ 52.22 crore towards recoupment of advance withdrawn from Contingency Fund of India (iii) Grants-in-aid-General (₹ 0.60 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 0.69 crore) under Indian Institute of Forest Management (IIFM) (iv) Grants-in-aid-General (₹ 5.50 crore)

- के सृजन हेतु के लिए अनुदान (₹. 1.50 करोड़) (v) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹. 5 करोड़)।
- अनुदान के पूंजी भाग में 3.62 करोड़ रुपये की उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के उसी भाग के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में 25.53 रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।
- (ग) (i) पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम (₹. 1.82 करोड़) और (ii) प्रदूषण नियंत्रण (₹. 10 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करना।
- अनुदान के पूंजी अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी भाग के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के हेतु (i) जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹. 3 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु के लिए अनुदान (₹. 4 करोड़) (ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹. 7 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹. 7 करोड़) (iii) राष्ट्रीय तटीय मिशन के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹. 24.80 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (एससीएसपी) (₹. 3 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (टीएसपी) (₹. 3 करोड़) (iv) पर्यावरण अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता (₹. 0.04 करोड़) (v) -प्रदूषण नियंत्रण के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹. 40.41 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (एससीएसपी) (₹. 13 करोड़) और सामान्य अनुदान (टीएसपी) (₹. 29 करोड़) (vi) जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के तहत सामान्य सहायता अनुदान (ईएपी) (₹. 0.10 करोड़)।
- अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के उसी अनुभाग के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) (i) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के तहत अन्य अचल संपत्ति (₹. 0.01 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के तहत इमारतों और संरचनाओं (₹. 3 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (च) (i) गभारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के तहत मोटर वाहन (₹. 0.13 करोड़) और मशीनरी और उपकरण (₹. 0.33 करोड़) (ii) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (एनएमएनएच) के तहत भवन और संरचनाएं (₹. 5 करोड़) और (iii) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत आईसीटी उपकरण (₹. 7.90 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करना।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (छ) मुख्य सचिवालय के अंतर्गत आईसीटी उपकरण (₹. 1.80 करोड़) और फर्नीचर एवं फिक्स्चर (₹. 3.26 करोड़) के व्यय को पूरा करना।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- and Grants for creation of capital assets (₹ 1.50 crore) under Wildlife Institute of India (WII) (v) Grants-in-aid-General (₹ 5 crore) under National Tiger Conservation Authority (NTCA).
- Taking into account the surrender of savings of ₹ 3.62 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 25.53.
- meeting expenditure towards Grants-in-aid-General under (i) Environment Information, Awareness, Capacity Building and Livelihood Programme (₹ 1.82 crore) and (ii) Control of Pollution (₹ 10 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid-General (₹ 3 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 4 crore) for GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development (ii) Grants-in-aid-General (₹ 7 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 7 crore) under Central Pollution Control Board (CPCB) (iii) Grants-in-aid-General (₹ 24.80 crore), Grants-in-aid-General (SCSP) (₹ 3 crore) and Grants-in-aid-General (TSP) (₹ 3 crore) under National Coastal Mission (iv) Grants-in-aid-General (₹ 0.04 crore) under Environment Research & Development Programme (v) Grants-in-aid-General (₹ 40.41 crore), Grants-in-aid-General (SCSP) (₹ 13 crore) and Grants-in-aid-General (TSP) (₹ 29 crore) under Control of Pollution (vi) Grants-in-aid-General (EAP) (₹ 0.10 crore) under Conservation of Aquatic Ecosystems.
- Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- meeting expenditure towards (i) Other Fixed Assets (₹ 0.01 crore) under Wildlife Crime Control Bureau and (ii) Buildings & Structures (₹ 3 crore) under National Zoological Park.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting expenditure towards (i) Motor Vehicles (₹ 0.13 crore) and Machinery & Equipment (₹ 0.33 crore) under Botanical Survey of India (ii) Buildings & Structures (₹ 5 crore) under National Museum of Natural History (NMNH) and (iii) ICT Equipment (₹ 7.90 crore) under National Green Tribunal.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting expenditure towards ICT Equipment (₹ 1.80 crore) and Furniture & Fixture (₹ 3.26 crore) under Main Secretariat.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29  
विदेश मंत्रालय  
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

				(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)	
		भारित Charged	स्वीकृत Voted		
				जोड़ Total	
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
राजस्व	Revenue	0.03	16534.76		16534.79
पूंजी	Capital	...	1520.21		1520.21
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>0.03</b>	<b>18054.97</b>		<b>18055.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>				
राजस्व	Revenue	...	10616.16		10616.16
पूंजी	Capital	...	9513.74		9513.74
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>20129.90</b>		<b>20129.90</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>0.03</b>	<b>38184.87</b>		<b>38184.90</b>
राजस्व	Revenue	0.03	27150.92		27150.95
पूंजी	Capital	...	11033.95		11033.95
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित Charged	स्वीकृत Voted		
				जोड़ Total	
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs	...	694.28	(का)	694.28
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	...	9013.72	(खb)	9013.72
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	...	908.16	(गc)	908.16
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>10616.16</b>		<b>10616.16</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01	(घd)	0.01
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4075-Capital Outlay on Miscellaneous General Services	...	0.01	(ङe)	0.01
7465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण	7465-Loans to General Financial and Trading Institutions	...	9013.72	(चf)	9013.72
7605-विदेशी सरकारों को अग्रिम	7605-Advances to Foreign Governments	...	500.00	(छg)	500.00
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>9513.74</b>		<b>9513.74</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>20129.90</b>		<b>20129.90</b>
<b>टिप्पणी:</b> अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !					
<b>Note:</b> The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.					
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
7465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण	7465-Loans to General Financial and Trading Institutions	...	(-)9013.72		(-)9013.72

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) 650 करोड़ रुपये की आकस्मिकता अग्रिम की वसूली (नासिक प्रिंटिंग प्रेस को 500 करोड़ रुपये और पासपोर्ट सेवा परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये का भुगतान) (ii) नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यकलापों के लिए (44.28 करोड़ रुपये) (iii) दत्तावासों और मिशनों के तहत प्रशिक्षण व्यय (0.28 करोड़ रुपये), अन्य के लिए किराया (1.69 करोड़ रुपये) और सामग्री और आपूर्ति (0.60 करोड़ रुपये) (iv) पासपोर्ट और उत्प्रवास के तहत अन्य के लिए किराया (0.04 करोड़ रुपये) (v) स्वायत्त निकायों और अन्य संस्थानों के तहत इंडियन सोसाइटी ऑफ इमिग्रेशन लॉ (0.05 करोड़ रुपये) और (vi) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय आवासन परिसर के निर्माण हेतु भुगतान के

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards (i) Recoupment of Contingency Advance of ₹ 650 crore (payment to Nasik printing Press of ₹ 500 crore and for Passport Seva Project of ₹ 150 crore) (ii) construction activities of Nalanda University (₹ 44.28 crore) (iii) Training Expenses (₹ 0.28 crore), Rent for Other (₹ 1.69 crore) and Material & Supplies (₹ 0.60 crore) under Embassies & Missions (iv) Rent for Others (₹ 0.04 crore) under Passport and Emigration (v) Indian Society of International Law (₹ 0.05 crore) under Autonomous Bodies &

	<p>लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (30 करोड़ रुपये)के व्यय को पूरा करना।</p> <p>अनुदान के पूंजीगत भाग में 44.28 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी भाग में बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में 650 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।</p>		<p>Other Institutions and (vi) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 30 crore) for payment towards construction of Housing Complex of South Asian University.</p> <p>Taking into account the surrender of savings of ₹ 44.28 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 650 crore.</p>
(ख)	<p>गारंटी मोचन निधि के लिए 9013.72 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण।</p> <p>उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।</p>	(b)	<p>transferring an amount of ₹ 9013.72 crore towards Guarantee Redemption Fund.</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo;</p>
(ग)	<p>(i) निवेश संवर्धन और प्रचार कार्यक्रम के तहत 554 करोड़ रुपये की आकस्मिक अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति (मालदीव को सहायता के तहत यूटीएफ परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये, आपदा राहत के लिए सहायता के तहत ऑपरेशन दोस्त के लिए 50 करोड़ रुपये और एक्जिम बैंक को ब्याज समकारी सहायता के लिए 354 करोड़ रुपये) (ii) निवेश संवर्धन और प्रचार कार्यक्रम के तहत मालदीव को सहायता और एक्जिम बैंक को ब्याज समकारी सहायता (266.79 करोड़ रुपये) के तहत यूटीएफ परियोजना भुगतान (87.37 करोड़ रुपये) (iii) अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग के तहत क्वाड (क्यूएड) सहयोग के लिए (0.01 करोड़ रुपये)के व्यय को पूरा करना।</p> <p>अनुदान के एक ही भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय होगा।</p>	(c)	<p>meeting expenditure towards (i) Recoupment of Contingency Advance of ₹ 554 crore (₹ 150 crore for UTF project under Aid to Maldives, ₹ 50 crore for operation Dost under Aid for Disaster Relief and ₹ 354 crore towards Interest Equalization Support to Exim Bank) under Investment Promotion &amp; Publicity Programme (ii) UTF project payment (₹ 87.37 crore) under Aid to Maldives and Interest Equalization Support to Exim Bank ( ₹ 266.79 crore) under Investment Promotion &amp; Publicity Programme (iii) QUAD co-operation (₹ 0.01 crore) under Technical &amp; Economic Co-operation with Other Countries.</p> <p>Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.</p>
(घ)	<p>(i) दूतावासों और मिशनों के तहत मशीनरी और उपकरण (3.32 करोड़ रुपये) और फर्नीचर और फिक्स्चर (1.50 करोड़ रुपये) (ii) गणमान्य व्यक्तियों के सतकार के तहत मोटर वाहनों की खरीद (10.50 करोड़ रुपये)के व्यय को पूरा करना।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>	(d)	<p>meeting expenditure towards (i) Machinery &amp; Equipment (₹ 3.32 crore) and Furniture &amp; Fixtures (₹ 1.50 crore) under Embassies &amp; Missions and (ii) Purchase of Motor Vehicles (₹ 10.50 crore) under Entertainment of Dignitaries.</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
(ङ)	<p>सचिवालय सामान्य सेवाओं के तहत मशीनरी और उपकरण (0.50 करोड़ रुपये)के व्यय को पूरा करना।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>	(e)	<p>meeting expenditure towards Machinery &amp; Equipment (₹ 0.50 crore) under Secretariat General Services.</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
(च)	<p>अन्य देशों को ऋण के लिए एक्जिम बैंक द्वारा गारंटी के आह्वान के बदले में एक्जिम बैंक को 9,013.72 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करना। गारंटी मोचन निधि से समतुल्य राशि की वसूली के साथ उपरोक्त (ख) में नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत 4,655 करोड़ रुपये की राशि इस पूरक के पारित होने के बाद वसूल की जाएगी।</p>	(f)	<p>providing a loan of ₹ 9,013.72 crore to Exim Bank against invocation of guarantee by Exim Bank for loans to other countries. With an equivalent amount recovered from Guarantee Redemption Fund and given (b) above, this will not entail cash outgo.</p> <p>An amount of ₹ 4,655 crore sanctioned as an advance from Contingency Fund of India will be recouped after passage of this supplementary.</p>
(छ)	<p>(i) भूटान सरकार को ऋण और अग्रिम के तहत ग्यालसुंग परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये की आकस्मिकता अग्रिम की वसूली और (ii) ग्यालसुंग परियोजना (550 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करना।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें 500 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।</p>	(g)	<p>meeting expenditure towards (i) Recoupment of Contingency Advance of ₹ 500 crore for Gyalsung project under Loans &amp; Advances to Govt. of Bhutan and (ii) Gyalsung project (₹ 550 crore).</p> <p>Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 500 crore.</p>

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 30  
आर्थिक कार्य विभाग  
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
राजस्व	Revenue	...	6909.09		6909.09
पूंजी	Capital	...	8227.45		8227.45
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>15136.54</b>		<b>15136.54</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>				
राजस्व	Revenue	...	1438.46		1438.46
पूंजी	Capital	...	6840.03		6840.03
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>8278.49</b>		<b>8278.49</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>23415.03</b>		<b>23415.03</b>
राजस्व	Revenue	...	8347.55		8347.55
पूंजी	Capital	...	15067.48		15067.48
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	42.55	(का)	42.55
3465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	3465-General Financial and Trading Institutions	...	59.03	(खb)	59.03
3466-अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	3466-International Financial Institutions	...	152.03	(गc)	152.03
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	140.53	(घd)	140.53
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	...	1044.32	(ङe)	1044.32
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>1438.46</b>		<b>1438.46</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint	...	388.10	(चf)	388.10
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01	(छg)	0.01
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	509.87	(जh)	509.87
5466-अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	...	5936.04	(झi)	5936.04
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	6.00	(टj)	6.00
7610-सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	7610-Loans to Government Servants, etc.	...	0.01	(ठk)	0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>6840.03</b>		<b>6840.03</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>8278.49</b>		<b>8278.49</b>
<b>टिप्पणी:</b> अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !					
<b>Note:</b> The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.					
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint	...	(-)388.10		(-)388.10

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) आर्थिक कार्य विभाग सचिवालय का स्थापना संबंधी व्यय (₹43.08 करोड़),

The supplementary Grants are required for:

(a) establishment related expenditure of Department of

	बजट तैयारी से संबंधित व्यय (₹0.30 करोड़) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय का स्थापना व्यय (₹0.17 करोड़)।		Economic Affairs Secretariat (₹43.08 crore), expenditure related to budget preparation ( ₹ 0.30 crore) & establishment expenditure of Indian Regional Office of New Development Bank (NDB) (₹ 0.17 crore).
	इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें 42.55 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।		Taking into account savings available in the same section, It will entail cash outgo of ₹ 42.55 crore.
(ख)	कॉर्पोरेट ऋण के लिए गारंटी फंड (जीएफसीडी) में अंतरण (₹60.00 करोड़)।	(b)	providing towards Guarantee Fund for Corporate Debt (GFCD) (₹60.00 crore).
	इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 59.03 करोड़ का नकद व्यय होगा।		Taking into account savings available in the same section, It will entail cash outgo of ₹ 59.03 crore.
(ग)	अफ्रीकी विकास कोष में अंशदान (₹52.03 करोड़), आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी के चरण II संचालन के लिए अंशदान (100 करोड़ रुपये)।	(c)	contribution towards African Development Fund (₹52.03 crore), contributions towards Phase II operations of IMF-SARTTAC (₹ 100 crore).
	एमएच 6001 के तहत मिलान प्राप्तियों (52.03 करोड़ रुपये) को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्यय शामिल होगा।		Taking into account the matching receipts (₹ 52.03 crore) under MH 6001, the above expenditure will entail additional cash outgo of ₹ 100 crore.
(घ)	अवसंरचना के विकास-व्यवहार्यता गैप फंडिंग के लिए सहायता (₹220.00 करोड़), स्वर्ण मुद्राकरण योजना, 2015 के लिए कमीशन (₹15.50 करोड़), सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2015 में अंतरण (₹889.15 करोड़), स्वर्ण मुद्राकरण योजना 2015 में अंतरण (₹155.00 करोड़), भारतीय दूतावास, वाशिंगटन के आर्थिक विंग के लिए स्थापना व्यय (₹3.00 करोड़), आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) के लिए पूंजीगत आस्तिकी के सृजन हेतु अनुदान (₹0.23 करोड़) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) (₹7.88 करोड़) के लिए वेतन सहायता अनुदान।	(d)	assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding (₹220.00 crore), commission for Gold Monetisation Scheme, 2015 (₹15.50 crore), transfer to Sovereign Gold Bond Scheme 2015 (₹889.15 crore), transfer to Gold Monetization Scheme 2015 (₹155.00 crore), establishment expenditure towards Economic Wing of the Embassy of India, Washington (₹3.00 crore), Grants for creation of Capital Assets for Institute of Economic Growth(IEG) (₹0.23 crore) & Grants-in-aid Salaries for International Financial Services Centres Authority(IFSCA) (₹7.88 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 140.53 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।		Taking into account the savings available within the same section of the Grant, it will entail a cash outgo of ₹ 140.53 crore
(ङ)	भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) (₹1050.00 करोड़), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (₹ 5.84 करोड़) के अंतर्गत क्रेडिट लाइनों के लिए ब्याज समकारी समर्थन।	(e)	interest equalization support for lines of credit under Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS) (₹1050.00 crore), International Contribution ( ₹ 5.84 crore).
	इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 1044.32 करोड़ का नकद व्यय होगा।		Taking into account savings available in the same section, it will entail cash outgo of ₹ 1044.32 crore.
(च)	स्वर्ण मुद्राकरण योजना 2015 में निवेश (₹338.10 करोड़)।	(f)	investment into Gold Monetization Scheme 2015 (₹338.10 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध मिलान वसूलियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;		Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(छ)	आर्थिक कार्य विभाग सचिवालय का स्थापना संबंधी व्यय (₹4.25 करोड़)।	(g)	establishment related expenditure of Department of Economic Affairs Secretariat (₹4.25 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश (₹600.97 करोड़) और किफायती और मध्यम-आय आवास के लिए विशेष विंडो में निवेश (₹881.86 करोड़)।	(h)	investment into National Investment and Infrastructure Fund (₹600.97 crore) & investment into Special Window for Affordable and Middle-Income Housing (₹881.86 crore) (of which ₹ 881.86 crore will be recouped into Contingency Fund of India).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 509.87 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।		Taking into account the savings available within the same section of the Grant, it will entail a cash outgo of ₹ 509.87 crore .
(झ)	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति मूल्य (एमओवी) दायित्व का खरखाव (₹5922.15 करोड़) और सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को भुगतान (₹13.94 करोड़)।	(i)	Maintenance of Value (MOV) obligation towards International Monetary Fund (₹5922.15 crore) & payment to International Finance Corporation towards General Capital Increase (GCI) (₹13.94 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए और इसी भाग में उपलब्ध ₹ 5922.14 करोड़ की मिलान रसीद को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 13.90 करोड़ का नकद व्यय होगा।		Taking into account the savings available within the same section of the Grant, and matching receipt of ₹ 5922.14 crore under MH 6001, it will entail a cash outgo of ₹ 13.90 crore.
(ट)	अवसंरचना के विकास-व्यवहार्यता अंतराल निधियन के लिए सहायता (₹6.00 करोड़)।	(j)	assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding (₹6.00 crore).
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;		The above expenditure will entail a cash outgo;
(ठ)	कंप्यूटर और अन्य बाह्य उपकरणों आदि की खरीद के लिए अधिम (₹ 10.00 करोड़)	(k)	Advances for purchase of Computers and other peripherals etc. (₹ 10.00 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 31  
व्यय विभाग  
DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)  
(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b><i>I. मूल अनुदान:</i></b>	<b><i>I. ORIGINAL GRANT:</i></b>			
राजस्व	Revenue	...	389.26	389.26
पूंजी	Capital	...	128.08	128.08
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>517.34</b>	<b>517.34</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>517.35</b>	<b>517.35</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>389.26</b>	<b>389.26</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>128.09</b>	<b>128.09</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b><i>पूंजी भाग</i></b>	<b><i>CAPITAL SECTION</i></b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अर्पित है:

भारतीय लेखा एवं वित्त संस्थान (आईएनजीएफ) के लिए कंप्यूटर की खरीद (0.59 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

purchase of Computers for Institute of Government Accounts and Finance (INGAF) (₹ 0.59 crore).  
Taking into account savings available in the same section of the Grant, it will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 32  
वित्तीय सेवाएं विभाग  
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)	
				जोड़ Total	
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
राजस्व	Revenue	...	1112.35		1112.35
पूंजी	Capital	...	262.31		262.31
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>1374.66</b>		<b>1374.66</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>				
राजस्व	Revenue	...	1992.68		1992.68
पूंजी	Capital	...	8329.54		8329.54
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>10322.22</b>		<b>10322.22</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>11696.88</b>		<b>11696.88</b>
राजस्व	Revenue	...	3105.03		3105.03
पूंजी	Capital	...	8591.85		8591.85
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	256.57	(क)	256.57
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	236.11	(ख)	236.11
3465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	3465-General Financial and Trading Institutions	...	1500.00	(ग)	1500.00
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>1992.68</b>		<b>1992.68</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	6.32	(घ)	6.32
4416-कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	4416-Investments in Agricultural Financial Institutions	...	1100.00	(ङ)	1100.00
4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	4885-Other Capital Outlay on Industries and Minerals	...	249.98	(च)	249.98
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	6973.24	(छ)	6973.24
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>8329.54</b>		<b>8329.54</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>10322.22</b>		<b>10322.22</b>
<b>टिप्पणी:</b> अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !					
<b>Note:</b> The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.					
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>4416-कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश</b>	4416-Investments in Agricultural Financial Institutions	...	(-)1100.00		(-)1100.00

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

- (क) (i) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना (23.49 करोड़ रुपये) और (ii) प्रधानमंत्री वय योजना (पीएमवीवाई) (233.08 करोड़ रुपये) के तहत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति।
- (a) reimbursement of subsidy under (i) Pension Plan for Senior Citizens under Varishtha Pension Bima Yojana (₹ 23.49 crore) and (ii) Pradhan Mantri Vaya Yojana (PMVVY) (₹ 233.08 crore).

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The above expenditure will entail a cash outgo;

(ख)	संकटग्रस्त आस्ति स्थिरता कोष को निर्गमित प्रतिभूतियों के मोचन के लिए 274.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को पूरा करना।	(b)	meeting additional amount of ₹ 274.99 crore towards redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund.
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 236.11 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।		Taking into account savings available in same section of the grant, it will entail cash outgo of ₹ 236.11 crore.
(छ)	कंपनियों द्वारा निर्गमित बोनस शेयर के अधिनिर्णय के आधार पर विभिन्न बीमा कंपनियों में भारत सरकार का निवेश। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) (5994.99 करोड़ रुपये), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) (552 करोड़ रुपये), भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) (376.25 करोड़ रुपये) और ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल) (50 करोड़ रुपये)।	(g)	investment of Govt in various insurance companies on account award of bonus share issued by the companies. Life Insurance Corporation of India (LIC) (₹ 5994.99 crore), New India Assurance Company Ltd. (NIACL) (₹ 552 crore), General Insurance Corporation of India (GIC) (376.25 crore) and Oriental Insurance Company Ltd. (OICL) (₹ 50 crore).
	उपरोक्त व्यय में चूंकि तुल्य प्राप्ति अभिगृहीत कर ली जाएगी कोई नकद व्यय शामिल नहीं होगा।		The above expenditure will not entail any cash outgo as the equivalent receipts will be assumed.
(ग)	'डिजिटल भुगतान योजना के संवर्धन पर भुगतान। यह योजना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीवाई) से वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) को अंतरित कर दी गई है।	(c)	payment on 'promotion of Digital Payments Scheme'. The scheme stands transferred from Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) to Department of Financial Services (DFS).
	एमआईटीवाई द्वारा योजना के तहत बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए 1500 करोड़ रुपये की तकनीकी पूरक की मांग की गई है। इसमें कोई नकद व्यय शामिल नहीं होगा।		Taking into account surrender of savings under the scheme by MeitY, a technical supplementary of ₹ 1500 crore is sought. This will not entail any cash outgo.
(घ)	पूँजीगत भाग के तहत स्थापना संबंधी व्यय (8.05 करोड़ रुपये)।	(d)	establishment related expenditure under capital section (₹ 8.05 crore).
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में 6.32 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।		Taking into account savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 6.32 crore;
(ङ)	आरआरबी का पुनर्पूँजीकरण (1100 करोड़ रुपये)। उपरोक्त व्यय राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरा किया जाएगा और इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(e)	recapitalization of RRBs (₹ 1100 crore). The above expenditure will be met from National Investment Fund and it will not entail any additional cash outgo.
(च)	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की शेयर पूँजी का अभिदान (499.99 करोड़ रुपये) और एक्जिम बैंक के संबंध में टियर-1 बांड को 559.38 रुपये की इक्विटी में बदलने के कारण लेखांकन समायोजन।	(f)	Subscription to the Share Capital of Industrial Finance Corporation of India (IFCI) (₹ 499.99 crore) and accounting adjustment on account of conversion of Tier-I bonds into equity of ₹ 559.38 in r/o EXIM Bank.
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 249.98 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।		Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 249.98 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 33  
लोक उद्यम विभाग  
DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	32.15	32.15
पूंजी	Capital	...	0.90	0.90
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>33.05</b>	<b>33.05</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	1.70	1.70
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>1.70</b>	<b>1.70</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>34.75</b>	<b>34.75</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>32.15</b>	<b>32.15</b>
पूंजी	Capital	...	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	1.70	1.70

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

एल-2 स्विच और इसके संबंधित सहायक उपकरण और ऑनलाइन यूपीएस (1.70 करोड़ रुपये) की खरीद के लिए जीईएम पर लंबित बिलों के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure for making payment of pending bills on GeM against the procurement of L-2 switches and its related accessories and online UPSs (₹ 1.70 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 35  
राजस्व विभाग  
DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
राजस्व	Revenue	...	189707.53		189707.53
पूंजी	Capital	...	119.84		119.84
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>189827.37</b>		<b>189827.37</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>				
राजस्व	Revenue	...	344.14		344.14
पूंजी	Capital	...	179.82		179.82
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>523.96</b>		<b>523.96</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>190351.33</b>		<b>190351.33</b>
राजस्व	Revenue	...	190051.67		190051.67
पूंजी	Capital	...	299.66		299.66
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	7.50	(का)	7.50
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	2047-Other Fiscal Services	...	303.72	(खब)	303.72
2875-अन्य उद्योग	2875-Other Industries	...	32.92	(गक)	32.92
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>344.14</b>		<b>344.14</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	179.82	(घद)	179.82
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>523.96</b>		<b>523.96</b>
<b>टिप्पणी:</b> अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।					
<b>Note:</b> The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.					
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
2875-अन्य उद्योग	2875-Other Industries	...	(-)16.95		(-)16.95

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारत की आकस्मिकता निधि में 7.50 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति, जो 'मेरा बिल मेरा अधिकार' के संबंध में जीएसटीएन को भुगतान के लिए निधि से आहरित की गई थी।  
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (ख) प्रवर्तन निदेशालय के स्थापना संबंधी व्यय और जीएसटीएन में महत्वपूर्ण ढांचागत वृद्धि के कारण जीएसटीएन में उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना।  
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (ग) उत्पादन में वृद्धि और अफीम की उच्च दर के कारण व्यय और अफीम को एसआरएम में परिवर्तित करने के लिए प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना।  
16.95 करोड़ रुपये की प्राप्ति और वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें 15.97 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा। अफीम को एसआरएम में बदलने के लिए प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करने के लिए।
- (घ) भूमि की खरीद, कार्यालय भवनों का निर्माण और तैयार आवास की खरीद (198.91 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 179.82 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) recoupment of ₹ 7.50 crore into Contingency Fund of India which was drawn from the fund for payment to GSTN in connection with 'Mera Bill Mera Adhikar'.  
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) establishment related expenditure of Enforcement Directorate and for making payment of User charges to GSTN due to considerable infrastructural augmentation in GSTN.  
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (c) expenditure on account of increase in production and higher rate of opium and for making payment of processing fee for conversion of opium to Semi Refined Morphine (SRM).  
Taking into account receipt and recovery of ₹ 16.95 crore, it will entail cash outgo of ₹ 15.97 crore. For making payment of processing fee for conversion of opium to SRM.
- (d) purchase of land, construction of office buildings and purchase of ready built accommodation (₹ 198.91 crore).  
Taking into account savings available in the same section of the Grant, it will entail cash outgo of ₹ 179.82 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 36

प्रत्यक्ष कर  
DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	8282.87	8282.87
पूंजी	Capital	...	1610.00	1610.00
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>9892.87</b>	<b>9892.87</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	535.42	535.42
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>535.43</b>	<b>535.43</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>10428.30</b>	<b>10428.30</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>8818.29</b>	<b>8818.29</b>
पूंजी	Capital	...	<b>1610.01</b>	<b>1610.01</b>
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण	2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure	...	535.42 (का)	535.42
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4075-Capital Outlay on Miscellaneous General Services	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>535.43</b>	<b>535.43</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कार्यालय व्यय के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय- ₹. 143.70 करोड़, भूमि भवन हेतु आरआरटी के अंतर्गत ₹.144.03 करोड़, अन्य के लिए किराया के अंतर्गत ₹.202.09 करोड़, ईंधन और स्नेहक के अंतर्गत ₹.21.00 करोड़, व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत ₹.37.45 करोड़ और एसएससी के अंतर्गत ₹.13.00 करोड़।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत और अनुदान के पूंजीगत भाग (₹. 399.60 करोड़) में बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹. 135.82 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) मोटर वाहन के अंतर्गत स्टाफ वाहन की खरीद (0.81 करोड़ रुपये) और मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत ₹. 5.00 करोड़।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) establishment related expenditure- ₹ 143.70 crores under Office expenses, ₹ 144.03 crore under RRT for land building, ₹ 202.09 crore under Rent for others, ₹ 21.00 crores under fuels & lubricants, ₹ 37.45 crores under professional services and ₹ 13.00 crore under Secret Service Expenditure.  
Taking into account the savings available in the same Section and surrender of savings in Capital Section (₹ 399.60 crore) of the Grant, it will entail cash outgo of ₹ 135.82 crore.
- (b) purchase of staff cars (₹ 0.81 crore) under Motor Vehicle and ₹ 5.00 crore under Machinery & Equipment  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 37

अप्रत्यक्ष कर  
INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	36305.58	36305.58
पूंजी	Capital	...	2205.00	2205.00
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>38510.58</b>	<b>38510.58</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	2.66	2.66
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>2.66</b>	<b>2.66</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>38513.24</b>	<b>38513.24</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>36305.58</b>	<b>36305.58</b>
पूंजी	Capital	...	<b>2207.66</b>	<b>2207.66</b>
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	...	2.66	2.66

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

डीजी सिस्टम्स के प्रोजेक्ट इन्फ्रानेट के लिए वस्तु शीर्ष सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के तहत 2.66 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता  
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;

The supplementary Grant is required for:

Additional requirement of ₹ 2.66 crore under object head Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment for the project Infranet of DG Systems  
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 38  
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	263.67	5776.60	6040.27
पूंजी	Capital	...	142.76	142.76
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>263.67</b>	<b>5919.36</b>	<b>6183.03</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	66.79	24.08	90.87
पूंजी	Capital	...	70.05	70.05
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>66.79</b>	<b>94.13</b>	<b>160.92</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>330.46</b>	<b>6013.49</b>	<b>6343.95</b>
राजस्व	Revenue	330.46	5800.68	6131.14
पूंजी	Capital	...	212.81	212.81
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit	66.79	24.08	90.87
		(का)	(ख)	
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4075-Capital Outlay on Miscellaneous General Services	...	70.05	70.05
			(ग)	
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>66.79</b>	<b>94.13</b>	<b>160.92</b>
<b>टिप्पणी:</b> अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
<b>Note:</b> The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>2016-लेखा परीक्षा</b>	2016-Audit	...	(-)0.74	(-)0.74

यह पूरक अनुदानेविनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के स्थापना व्यय को पूरा करना।  
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।
- (ख) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करना।  
भाग के तहत 0.74 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें 23.34 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।
- (ग) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के सूचना और प्रौद्योगिकी की खरीद के व्यय को पूरा करना।  
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting the establishment expenditure of Indian Audit and Accounts Department.  
The above expenditure will entail cash outgo.
- (b) meeting additional establishment expenditure of Indian Audit and Accounts Department.  
Taking into account the additional recoveries of ₹ 0.74 crore under the Section, this will entail net cash outgo of ₹ 23.34 crore.
- (c) meeting expenditure on procurement of IT infrastructure in Indian Audit & Accounts Department.  
The above expenditure will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 43  
मत्स्यपालन विभाग  
DEPARTMENT OF FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	2228.37	2228.37
पूंजी	Capital	...	20.40	20.40
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>2248.77</b>	<b>2248.77</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>2248.79</b>	<b>2248.79</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>2228.39</b>	<b>2228.39</b>
पूंजी	Capital	...	<b>20.40</b>	<b>20.40</b>
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सामान्य सहायता अनुदान (23.95 करोड़ रुपये), (ii) अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष घटक योजना के लिए (0.01 करोड़ रुपये) और (iii) मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए (0.01 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) सामान्य सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपये), (ii) अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए (0.01 करोड़ रुपये) और (iii) मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए (0.01 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General (₹ 23.95 crore), (ii) Special Component Plan for Scheduled Caste Sub Plan (₹ 0.01 crore) and (iii) Tribal Area Sub Plan (₹ 0.01 crore) under Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Grants-in-aid-General (₹ 0.01 crore), (ii) Scheduled Caste Sub Plan (₹ 0.01 crore) and (iii) Tribal Area Sub Plan (₹ 0.01 crore) under Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.





अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 45  
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>		
राजस्व	...	3285.19	3285.19
पूंजी	...	2.46	2.46
<b>जोड़</b>	...	<b>3287.65</b>	<b>3287.65</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>		
राजस्व	...	0.02	0.02
पूंजी	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	...	<b>3287.68</b>	<b>3287.68</b>
राजस्व	...	3285.21	3285.21
पूंजी	...	2.47	2.47
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>		
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>		
2408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01 (खब)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>		
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>		
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01 (गc)	0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) (i) मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत 'सब्सिडी' (3.68 करोड़ रुपये), कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना योजना (29.12 करोड़ रुपये), एकीकृत शीतल श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के लिए योजना (170 करोड़ रुपये), खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं के सृजन/विस्तार के लिए योजना (145 करोड़ रुपये), बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के सृजन के लिए योजना (4 करोड़ रुपये), खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना के लिए योजना (10 करोड़ रुपये), मानव संसाधन और संस्थान के लिए योजना (0.50 करोड़ रुपये), पीएमकेएसवाई की उप-योजनाओं के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए योजना (118.97 करोड़ रुपये)। (ii) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) के लिए खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं के सृजन/विस्तार की योजना के अंतर्गत 'सब्सिडी' (12 करोड़ रुपये), एकीकृत शीतल श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना (10 करोड़ रुपये), बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के सृजन हेतु योजना (0.63 करोड़ रुपये), पीएमकेएसवाई की उप-योजनाओं के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन्स योजना (5.30 करोड़ रुपये)। (iii) कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर या जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टीएएसपी) के लिए अवसंरचना योजना के अंतर्गत 'सब्सिडी' (5 करोड़ रुपये), एकीकृत शीतल श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के लिए योजना (5 करोड़ रुपये), पीएमकेएसवाई की उप-योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं के सृजन/विस्तार के लिए (2.50 करोड़ रुपये)। (iv) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) के अंतर्गत 'सब्सिडी' (1143.27 करोड़ रुपये)। (v) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1.76 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (18.99 करोड़ रुपये)। (vi) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, तंजावुर के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (2 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2.50 करोड़ रुपये)।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) 'Subsidies' under the scheme Mega Food Parks (₹ 3.68 crore), Scheme for infrastructure for Agro-processing Clusters (₹ 29.12 crore), Scheme for integrated Cold Chain and value Addition Infrastructure (₹ 170 crore), Scheme for Creation/Expansion of Food Processing & Preservation Capacities (₹ 145 crore), Scheme for creation of Backward and forward Linkages (₹ 4 crore), Scheme for Food Safety and Quality assurance Infrastructure (₹ 10 crore), Scheme for Human Resources and Institutions (₹ 0.50 crore), Scheme for Operation Greens (₹ 118.97 crore) under sub-schemes of PMKSY. (ii) 'Subsidies' under the scheme for Creation/Expansion of Food Processing & Preservation Capacities for Special Component Plan for Scheduled Caste (SCSP) (₹ 12 crore), the scheme for integrated Cold Chain and value Addition Infrastructure (₹ 10 crore), the scheme for Creation of Backward and Forward Linkages (₹ 0.63 crore), the scheme for Operation Greens (₹ 5.30 crore) under sub-schemes of PMKSY. (iii) 'Subsidies' under the scheme for infrastructure for Agro-processing Clusters or Tribal Area Sub plan (TASP) (₹ 5 crore), the scheme for integrated Cold Chain and value Addition Infrastructure (₹ 5 crore), the scheme for Creation/Expansion of Food Processing & Preservation Capacities (₹ 2.50 crore) under sub-schemes of PMKSY. (iv) 'Subsidies' under Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLIS) (₹ 1143.27 crore). (v) Grants-in-Aid-

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए 'सब्सिडी' (11 करोड़ रुपये), एकीकृत शीतल श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के लिए योजना (10 करोड़ रुपये), खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार के लिए योजना (23.78 करोड़ रुपये), बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के सृजन हेतु योजना (2 करोड़ रुपये), पीएमकेएसवाई की उप-योजना के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए योजना (4 करोड़ रुपये)। (ii) मानव संसाधन और संस्थान योजना के अंतर्गत 'पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)' के लिए सामान्य सहायता अनुदान (0.18 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के तहत अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए 'मशीनरी और उपकरण' (0.15 करोड़ रुपये), 'फर्नीचर और फिक्स्चर' (0.10 करोड़ रुपये), 'अन्य अचल आस्तियां' (05 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

General (₹ 1.76 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 18.99 crore) under National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Kundli. (vi) Grants-in Aid-General (₹ 2 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2.50 crore) under National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Thanjavur.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) 'Subsidies' for North Eastern Region (NER) under the scheme for infrastructure for Agro-processing Clusters (₹ 11 crore), the scheme for integrated Cold Chain and value Addition Infrastructure (₹ 10 crore), the scheme for Creation/Expansion of Food Processing & Preservation Capacities (₹ 23.78 crore), the scheme for creation of Backward and forward Linkages (₹ 2 crore), the scheme for Operation Greens (₹ 4 crore) under sub-scheme of PMKSY. (ii) Grants-in-aid General for 'North Eastern Region (NER)' under the scheme Human Resources and Institutions (₹ 0.18 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

'Machinery and Equipment' (₹ 0.15 crore), 'Furniture & Fixture' (₹ 0.10 crore), 'Other fixed Assets' (₹ 0.05 crore) for providing additional fund under Capital Outlay on other General Economic Services.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
				जोड़ Total	
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
राजस्व	Revenue	...	99382.66	99382.66	
पूंजी	Capital	...	5300.34	5300.34	
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>104683.00</b>	<b>104683.00</b>	
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>				
राजस्व	Revenue	...	0.07	0.07	
पूंजी	Capital	...	0.04	0.04	
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>	
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>104683.11</b>	<b>104683.11</b>	
राजस्व	Revenue	...	99382.73	99382.73	
पूंजी	Capital	...	5300.38	5300.38	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	...	0.01	(का)	0.01
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	...	0.01	(खब)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	(गक)	0.01
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	...	0.01	(घद)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(डे)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(चफ)	0.01
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	...	0.01	(छग)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.07</b>		<b>0.07</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01	(जह)	0.01
4211-परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4211-Capital Outlay on Family Welfare	...	0.01	(झा)	0.01
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01	(च)	0.01
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01	(ठक)	0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>0.04</b>		<b>0.04</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.11</b>		<b>0.11</b>
<b>टिप्पणी:</b> अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !					
<b>Note:</b> The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.					
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	...	(-)219.69		(-)219.69

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पुरस्कार (0.50 करोड़ रुपये) - डिजिटल उपकरण (1.00 करोड़ रुपये) • प्रधान खाता कार्यालय स्थापना (0.08 करोड़ रुपये) - पुरस्कार (0.02 करोड़

The supplementary Grants are required for:

(a) - Rewards (₹ 0.50 Crore) - Digital Equipment (₹ 1.00 Crore) • Principal Account Office

	रुपये) - अन्य राजस्व व्यय (0.06 करोड़ रुपये)	Establishment (₹ 0.08 Crore) - Rewards (₹ 0.02 Crore)
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	- Other Revenue Expenditure (₹ 0.06 Crore)
(ख)	सीजीएचएस पेंशन भोगियों का चिकित्सा उपचार (472.11 करोड़ रुपये) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) 1. सीएनसीआई (₹ 2.00 करोड़) 2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 145.00 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलोर को ₹ 27.00 करोड़ का अनुदान (₹ 25.00 करोड़) और (एसएपी में ₹2.00 करोड़) 4. अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान, मैसूर को अनुदान (₹8.77 करोड़) 5. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान (₹50.00 करोड़) 6. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (एसएपी में ₹2.00 करोड़) 7. सेवाग्राम में मेडिकल कॉलेज के लिए कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी, वर्धा को अनुदान (₹4.22 करोड़) 8. राष्ट्रीय क्षय रोग और थसन रोग संस्थान (एनआईटीआरडी), नई दिल्ली (₹ 12.00 करोड़) और (एसएपी में ₹ 0.30 करोड़) 9. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी को अनुदान (₹ 0.03 करोड़) 10. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (₹ 89.51 करोड़) 11. भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर (₹ 0.09 करोड़) और (एसएपी में ₹ 0.10 करोड़) को अनुदान 12. राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (यूपी) (₹ 0.85 करोड़) 13. सीबीएचआई (₹ 0.31 करोड़) 14. आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए लचीला पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन -ईएपी (₹ 0.85 करोड़) 15. राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए ₹ 3.19 करोड़ - एम्स, नई दिल्ली में नशा मुक्ति केंद्र (₹ 2.94 करोड़) - निमहंस, बेंगलुरु में नशा मुक्ति केंद्र (₹ 0.25 करोड़) 16. बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 2.09 करोड़) 17. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (₹ 52.30 करोड़) 18. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के लिए ₹ 21.80 करोड़ - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (₹ 14.00 करोड़) - जनजातीय क्षेत्र उप योजना (₹ 7.80 करोड़) 19. नई दिल्ली टी.बी. केंद्र (₹ 0.23 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान (ii) 1. सीएनसीआई (₹ 11.14 करोड़) 2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹35.33 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलोर को अनुदान (₹37.00 करोड़) 4. एनआईटीआरडी (₹15.00 करोड़) 5. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (₹ 0.08 करोड़) 6. भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर को अनुदान (₹ 5.50 करोड़) 7. नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देना - मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थान पर नए नर्सिंग कॉलेजों (सीओएन) की स्थापना (₹10.00 करोड़) (नई योजना) 8. राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए ₹ 10.30 करोड़ - एम्स, नई दिल्ली में नशा मुक्ति केंद्र (₹9.60 करोड़) - पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में नशा मुक्ति केंद्र (₹0.70 करोड़) 9. बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (₹39.00 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (iii) 1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 210.00 करोड़) 2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान को अनुदान, बंगलोर (₹50.00 करोड़) 3. अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान, मैसूर को अनुदान (₹7.74 करोड़) 4. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान (₹150.00 करोड़) 5. नए एम्स का स्थापना व्यय (₹300.00 करोड़) 6. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी को अनुदान (₹0.05 करोड़) 7. राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (यूपी) (₹0.25 करोड़) 8. राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए ₹ 8.30 करोड़ - एम्स, नई दिल्ली में नशा मुक्ति केंद्र (₹6.30 करोड़) - पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में नशा मुक्ति केंद्र (₹ 1.00 करोड़) - निमहंस, बेंगलुरु में नशा मुक्ति केंद्र (₹ 1.00 करोड़) के लिए वेतन सहायता अनुदान। (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 5 करोड़ शामिल है)	(b) Medical Treatment of CGHS Pensioners (₹ 472.11 Crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
	(ii) 1. सीएनसीआई (₹ 2.00 करोड़) 2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 145.00 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलोर को ₹ 27.00 करोड़ का अनुदान (₹ 25.00 करोड़) और (एसएपी में ₹2.00 करोड़) 4. अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान, मैसूर को अनुदान (₹8.77 करोड़) 5. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान (₹50.00 करोड़) 6. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (एसएपी में ₹2.00 करोड़) 7. सेवाग्राम में मेडिकल कॉलेज के लिए कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी, वर्धा को अनुदान (₹4.22 करोड़) 8. राष्ट्रीय क्षय रोग और थसन रोग संस्थान (एनआईटीआरडी), नई दिल्ली (₹ 12.00 करोड़) और (एसएपी में ₹ 0.30 करोड़) 9. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी को अनुदान (₹ 0.03 करोड़) 10. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (₹ 89.51 करोड़) 11. भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर (₹ 0.09 करोड़) और (एसएपी में ₹ 0.10 करोड़) को अनुदान 12. राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (यूपी) (₹ 0.85 करोड़) 13. सीबीएचआई (₹ 0.31 करोड़) 14. आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए लचीला पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन -ईएपी (₹ 0.85 करोड़) 15. राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए ₹ 3.19 करोड़ - एम्स, नई दिल्ली में नशा मुक्ति केंद्र (₹ 2.94 करोड़) - निमहंस, बेंगलुरु में नशा मुक्ति केंद्र (₹ 0.25 करोड़) 16. बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 2.09 करोड़) 17. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (₹ 52.30 करोड़) 18. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के लिए ₹ 21.80 करोड़ - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (₹ 14.00 करोड़) - जनजातीय क्षेत्र उप योजना (₹ 7.80 करोड़) 19. नई दिल्ली टी.बी. केंद्र (₹ 0.23 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान (ii) 1. सीएनसीआई (₹ 11.14 करोड़) 2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹35.33 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलोर को अनुदान (₹37.00 करोड़) 4. एनआईटीआरडी (₹15.00 करोड़) 5. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (₹ 0.08 करोड़) 6. भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर को अनुदान (₹ 5.50 करोड़) 7. नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देना - मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थान पर नए नर्सिंग कॉलेजों (सीओएन) की स्थापना (₹10.00 करोड़) (नई योजना) 8. राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए ₹ 10.30 करोड़ - एम्स, नई दिल्ली में नशा मुक्ति केंद्र (₹9.60 करोड़) - पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में नशा मुक्ति केंद्र (₹0.70 करोड़) 9. बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (₹39.00 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (iii) 1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 210.00 करोड़) 2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान को अनुदान, बंगलोर (₹50.00 करोड़) 3. अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान, मैसूर को अनुदान (₹7.74 करोड़) 4. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान (₹150.00 करोड़) 5. नए एम्स का स्थापना व्यय (₹300.00 करोड़) 6. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी को अनुदान (₹0.05 करोड़) 7. राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (यूपी) (₹0.25 करोड़) 8. राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए ₹ 8.30 करोड़ - एम्स, नई दिल्ली में नशा मुक्ति केंद्र (₹6.30 करोड़) - पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में नशा मुक्ति केंद्र (₹ 1.00 करोड़) - निमहंस, बेंगलुरु में नशा मुक्ति केंद्र (₹ 1.00 करोड़) के लिए वेतन सहायता अनुदान। (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 5 करोड़ शामिल है)	(c) (i) Grants in aid General for 1. CNCI (₹ 2.00 crore) 2. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 145.00 Crore) 3. Grants to National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangalore (₹ 25.00 Crore) & (₹2.00 crore in SAP) 27.00 4. Grants to All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 8.77 Crore) 5. Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 50.00 Crore) 6. Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry (₹2.00 Crore in SAP) 7. Grants to Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram (₹ 4.22 Crore) 8. National Institute of Tuberculosis and Respiratory Disease (NITRD), New Delhi (₹ 12.00 crore) & (0.30 crore in SAP) 9. Grants to National Academy of Medical Sciences (₹ 0.03 Crore) 10. Food Safety and Standards Authority of India (₹ 89.51 Crore) 11. Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 0.09 Crore)& (₹ 0.10 crore in SAP) 12. National Institute of Biologicals, Noida (U.P) (₹ 0.85 Crore) 13. CBHI (₹ 0.31 Crore) 14. Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission -EAP (₹ 0.85 Crore) 15. National Drugs De-addiction Programme for 3.19 - Drug De-addiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 2.94 crore) - Drug De-addiction Centre at NIMHANS, Bangalore (₹ 0.25 crore) 16. National Programme for Health Care for the Elderly (₹ 2.09 Crore) 17. National Health Authority (₹ 52.30 Crore) 18. Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority - for 21.80 - Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 14.00 Crore) - Tribal Area Sub Plan (₹ 7.80 Crore) 19. New Delhi T.B Centre (₹ 0.23 Crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets for 1. CNCI (₹ 11.14 crore) 2. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 35.33 Crore) 3. Grants to National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangalore (₹ 37.00 Crore) 4. NITRD (₹ 15.00 crore) 5. Grants to National Academy of Medical Sciences (₹ 0.08 Crore) 6. Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 5.50 Crore) 7. Augmenting Nursing Education - Establishment of New Colleges of Nursing (CoN) in co-location with Medical Colleges (₹10.00 Crore) (New Scheme) 8. National Drugs De-addiction Programme for 10.30 - Drug De-addiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹9.60 crore) - Drug De-addiction Centre at PGIMER, Chandigarh (₹0.70 crore) 9. National Programme for Health Care for the Elderly (₹39.00 Crore) (iii) Grants in aid Salaries for 1. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 210.00 Crore) 2. Grants to National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangalore (₹ 50.00 Crore) 3. Grants to All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 7.74 Crore) 4. Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 150.00 Crore) 5. Establishment Expenditure of New AIIMS (₹ 300.00 Crore) 6. Grants to National Academy of Medical Sciences (₹ 0.05 Crore) 7. National Institute of Biologicals, Noida (U.P) (₹ 0.25 Crore) 8. National Drugs De-addiction Programme for 8.30 crore - Drug De-addiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 6.30 crore) - Drug De-addiction Centre at PGIMER, Chandigarh (₹ 1.00 crore) - Drug De-addiction Centre at NIMHANS, Bangalore (₹ 1.00 crore) (this includes ₹ 5 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (घ) i) 1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (₹ 2.43 करोड़) 2. भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (₹ 1.37 करोड़) 3. स्वास्थ्य सर्वेक्षण (₹ 124.17 करोड़) 4. डब्ल्यूएचओ समर्थित राष्ट्रीय पोलियो और निगरानी परियोजना (एनपीएस) (₹167.07 करोड़) 5. एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन (₹12.53 करोड़) को मजबूत करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (ii) निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना 1. आरसीएच के लिए लचीले पूल और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए - सामग्री और आपूर्ति के लिए (₹ 1200.00 करोड़) 2. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य अवसरचना मिशन, व्यावसायिक सेवाओं के लिए पीएम-एबीएचआईएम का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन (₹ 3 करोड़) 3. ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ (₹ 0.76 करोड़) - प्रशिक्षण के लिए व्यय (₹ 0.05 करोड़) - मुद्रण और प्रकाशन (₹ 0.05 करोड़) - अन्य के लिए किराया (₹ 0.24 करोड़) - डिजिटल उपकरण (₹ 0.40 करोड़) - बैंक और एजेंसी शुल्क (₹ 0.02 करोड़)। (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 67.55 करोड़ शामिल है)
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ङ) (i) 1. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल (₹ 5.84 करोड़) और (एसएपी में ₹ 1.00 करोड़) 2. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर (₹ 7.00 करोड़) और (एसएपी में ₹ 0.13 करोड़) 3. आरआईपीएनएस (₹ 1.68 करोड़) 4. आरसीएच के लिए लचीला पूल और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन (₹ 280.18 करोड़) 5. आरसीएच के लिए लचीला पूल और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन (₹237.62 करोड़) - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के लिए 6. राज्य औषधि विनियामक प्रणाली को मजबूत करना ₹2.69 करोड़ 7. प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) - ईएपी (₹122.71) करोड़) 8. ट्रॉमा सेंट्रों के क्षमता निर्माण के लिए सहायता (₹ 0.70 करोड़) 9. बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 280.18 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान (ii) निम्नलिखित हेतु पूंजीगत आस्थियों के सृजन के लिए अनुदान 1. एनईआईजीआरआईएमएचएस, शिलांग (₹ 135.66 करोड़) 2. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर (₹ 7.55 करोड़) 3. आरसीएच के लिए लचीला पूल और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन (₹ 87.73 करोड़) 4. आरसीएच के लिए लचीला पूल और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन (₹34.14 करोड़) - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के लिए 5. नर्सिंग शिक्षा को बढ़ाना - मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थान पर नर्सिंग के नए कॉलेजों (सीओएन) की स्थापना (₹ 90.00 करोड़) (नई योजना) (iii) निम्नलिखित हेतु वेतन सहायता अनुदान 1. एनईआईजीआरआईएमएचएस, शिलांग (₹12.50 करोड़) 2. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर (₹ 2.94 करोड़) (iv) निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थाओं/संगठनों के संबंध में सहायता अनुदान के अलावा व्यय की अन्य मदों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना: 1. क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय (₹0.01 करोड़) - पुरस्कार (₹0.01 करोड़) (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 49.50 करोड़ शामिल है)
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (च) पूंजीगत आस्थियों के सृजन के लिए अनुदान - नर्सिंग शिक्षा को बढ़ाने के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए - मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थान पर नए नर्सिंग कॉलेजों (सीओएन) की स्थापना (400.00 करोड़ रुपये) (नई योजना) (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 195.50 करोड़ शामिल है)
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (छ) सहायता सामग्री और उपकरण के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के सुदृढीकरण हेतु सामग्री सहायता-- 219.69 करोड़ रुपये
- (d) i) Grants-in-aid General for 1. National institute of Health and Family Welfare (₹ 2.43 Crore) 2. Indian Institute of Population Sciences (₹ 1.37 Crore) 3. Health Survey (₹ 124.17 Crore) 4. WHO supported National Polio and Surveillance Project (NPS) (₹167.07 Crore) 5. Strengthening National Programme Management of the NRHM (₹12.53 Crore) (ii) For meeting additional expenditure under 1. Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission - for Materials and Supplies (₹ 1200.00 Crore) 2. Pradhan Mantri Health Infrastructure Mission, National Programme Management of PM-ABHIM (₹ 3 Crore) for Professional Services 3. Rural Health Training Centre, Najafgarh (₹ 0.76 Crore) for - Training Expenses (₹ 0.05 Crore) - Printing and Publication (₹ 0.05 Crore) - Rent for others (₹ 0.24 Crore) - Digital Equipment (₹ 0.40 Crore) - Bank and Agency Charges (₹ 0.02 Crore) (this includes ₹ 67.55 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) (i) Grants in aid General for 1. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 5.84 Crore) & (₹1.00 Crore in SAP) 2. Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tezpur (₹ 7.00 Crore) & (₹ 0.13 Crore in SAP) 3. RIPANS (₹ 1.68 Crore) 4. Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission (₹ 280.18 Crore) 5. Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission (₹ 237.62 Crore) - for Special component Plan for Scheduled Caste 6. Strengthening of State Drug Regulatory System ₹2.69 Crore 7. Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) - EAP (₹ 122.71 Crore) 8. Assistance for Capacity Building for Trauma Centres (₹ 0.70 Crore) 9. National Programme for Health Care for the Elderly (₹ 2.31 Crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets for 1. NEIGRIHMS, Shillong (₹ 135.66 Crore) 2. Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tezpur (₹ 7.55 Crore) 3. Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission (₹ 87.73 Crore) 4. Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission (₹ 34.14 Crore) - for Special component Plan for Scheduled Caste 5. Augmenting Nursing Education - Establishment of New Colleges of Nursing (CoN) in co-location with Medical Colleges (₹ 90.00 Crore) (New Scheme) (iii) Grants in aid for Salaries for 1. NEIGRIHMS, Shillong (₹ 12.50 Crore) 2. Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tezpur (₹ 2.94 Crore) (iv) For meeting additional expenditure on other items of expenditure other than Grants-in-aid in respect of following schemes / programmes / Institutions / Organisations: 1. Regional Health Offices (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) (this includes ₹ 49.50 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) Grants for creation of Capital Assets - for meeting additional requirement under augmenting Nursing Education - Establishment of New Colleges of Nursing (CoN) in co-location with Medical Colleges (₹ 400.00 Crore) (New Scheme) (this includes ₹ 195.50 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (g) Material Assistance for Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication for Aid Materials and Equipment- - ₹ 219.69 Crore

	<p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
(ज)	<p>योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान आदि। 1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (₹0.65 करोड़) के लिए - आईसीटी उपकरण (₹0.65 करोड़) 2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (₹133.26 करोड़) के लिए - मशीनरी और उपकरण (₹130.00 करोड़) - आईसीटी उपकरण (₹ 1.40 करोड़) - फर्नीचर और फिक्स्चर (₹ 1.50 करोड़) - अन्य अचल आस्तियां (₹ 0.36 करोड़) 3. डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 18.00 करोड़) - मशीनरी और उपकरण (₹ 3.00 करोड़) - भवन और संरचनाएं (₹15.00 करोड़) 4. केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची (₹5.30 करोड़) - मोटर वाहन (₹0.10 करोड़) - मशीनरी और उपकरण (₹5.20 करोड़) 5. अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई (₹ 0.20 करोड़) - आईसीटी उपकरण (₹ 0.20 करोड़) 6. डॉ. आर.एम.एल. पी.जी. चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान), नई दिल्ली (₹ 47.68 करोड़) - आईसीटी उपकरण (₹ 0.50 करोड़) - भवन और संरचनाएं (₹ 40.00 करोड़) - अन्य अचल आस्तियां (₹ 7.18 करोड़) 7. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) - ईएपी (₹ 150.00 करोड़) - इमारतों और संरचनाओं के लिए (₹ 150.00 करोड़) 8. राज कुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नई दिल्ली (₹ 7.13 करोड़) - मशीनरी और उपकरण (₹ 0.63 करोड़) - अन्य पूंजीगत व्यय (₹ 6.50 करोड़) 9. एआईआईएच एंड पीएच, कोलकाता (₹ 0.61 करोड़) के लिए - मोटर वाहन (₹ 0.11 करोड़) - आईसीटी उपकरण (₹ 0.50 करोड़) 10. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ईएसी (₹0.02 करोड़) - मशीनरी और उपकरण के लिए (₹0.02 करोड़) 11. क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (मशीनरी और उपकरण के लिए ₹0.30 करोड़) 12. राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम - आईसीटी उपकरण के लिए (₹0.25 करोड़) 13. केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (₹0.18 करोड़) के लिए - अवसंरचना आस्ति (₹ 0.18 करोड़) 14. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (₹ 1.90 करोड़) के लिए - मोटर वाहन (₹ 0.15 करोड़) - मशीनरी और उपकरण (₹ 1.00 करोड़) - अभिदान (₹ 0.01 करोड़) - आईसीटी उपकरण (₹ 0.17 करोड़) - फर्नीचर और फिक्स्चर (₹ 0.56 करोड़) - अन्य अचल आस्तियां (₹ 0.01 करोड़) 15. आरसीएच के लिए लचीला पूल और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन (₹0.56 करोड़) - आईसीटी उपकरण (₹ 0.55 करोड़) - अन्य अचल आस्तियां (₹ 0.01 करोड़)</p>	<p>Schemes / Programmes /Institutions etc. 1. Directorate General of Health Services (₹ 0.65 Crore) for - ICT Equipment (₹ 0.65 Crore) 2. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 133.26 Crore) for - Machinery and Equipment (₹ 130.00 Crore) - ICT Equipment (₹ 1.40 Crore) - Furniture &amp; Fixtures (₹ 1.50 Crore) - Other Fixed Assets (₹ 0.36 Crore) 3. Dr. RML Hospital, New Delhi (₹ 18.00 Crore) for - Machinery and Equipment (₹ 3.00 Crore) - Buildings &amp; Structures (₹ 15.00 Crore) 4. Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹ 5.30 Crore) for - Motor Vehicle (₹ 0.10 Crore) - Machinery and Equipment (₹ 5.20 Crore) 5. All India Institute of Physical Medicine &amp; Rehabilitation, Mumbai (₹ 0.20 Crore) - ICT Equipment (₹ 0.20 Crore) 6. Dr. R.M.L. P.G. Institute of Medical Education and Research (Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences), New Delhi (₹ 47.68 Crore) for - ICT Equipment (₹ 0.50 Crore) - Buildings &amp; Structures (₹ 40.00 Crore) - Other Fixed Assets (₹ 7.18 Crore) 7. Pradhan mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) - EAP (₹ 150.00 Crore) for - Buildings &amp; Structures (₹ 150.00 Crore) 8. Raj Kumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi (₹ 7.13 Crore ) for - Machinery and Equipment (₹ 0.63 Crore) - Other Capital Expenditure (₹ 6.50 Crore) 9. AIHH &amp; PH, Kolkata (₹ 0.61 Crore) for - Motor Vehicle (₹ 0.11 Crore) - ICT Equipment (₹ 0.50 Crore) 10. National AIDS Control Programme) - EAC (₹0.02 Crore for - Machinery and Equipment (₹ 0.02 Crore) 11. Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (₹ 0.30 Cr. for Machinery &amp; Equipment) 12. National Organ Transplant Programme (₹ 0.25 crore) for ICT Equipment 13. Central research Institute, Kasauli (₹0.18 Crore) for - Infrastructure Asset (₹ 0.18 Crore) 14. Central Drugs Standards Control Organisation (₹ 1.90 Crore) for - Motor vehicle (₹ 0.15 Crore) - Machinery &amp; Equipment (₹ 1.00 Crore) - Subscription (₹ 0.01 Crore) - ICT Equipment (₹ 0.17 Crore) - Furniture &amp; Fixtures (₹ 0.56 Crore) - Other Fixed Assets (₹ 0.01 Crore) 15. Flexible Pool for RCH &amp; Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission (₹0.56 Crore) for - ICT Equipment (₹ 0.55 Crore) - Other Fixed Assets (₹ 0.01 Crore)</p>
(झ)	<p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p> <p>योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान आदि 1. ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ - मोटर वाहन (0.50 करोड़ रुपये) - मशीनरी और उपकरण (0.50 करोड़ रुपये) - आईसीटी उपकरण (0.50 करोड़ रुपये) - भवन और संरचना (0.50 करोड़ रुपये) - अवसंरचना आस्तियां (0.20 करोड़ रुपये) - फर्नीचर और फिक्स्चर (0.50 करोड़ रुपये) - अन्य अचल आस्तियां (0.40 करोड़ रुपये) 2. अन्य अचल आस्तियों के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय (0.01 करोड़ रुपये) 3. राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान और अनुसंधान, मुंबई (2.00 करोड़ रुपये) की भवन एवं संरचना के लिए। (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 3.10 करोड़ शामिल है)</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>Schemes / Programmes /Institutions etc. 1. Rural Health Training Centre, Najafgarh - Motor Vehicles (₹ 0.50 Crore) - Machinery &amp; Equipment (₹ 0.50 Crore) - ICT Equipment (₹ 0.50 Crore) - Building &amp; Structure (₹ 0.50 Crore) - Infrastructure Assets (₹0.20 Crore) - Furniture &amp; Fixtures (₹0.50 Crore) - Other Fixed Assets (₹ 0.40 Crore) () 2. Regional Health Offices (₹ 0.01 Crore) for Other Fixed Assets 3. National Institute of Public Health Training &amp; Research, Mumbai (₹ 2.00 Crore) for Building &amp; Structure (this includes ₹ 3.10 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).</p>
(ट)	<p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p> <p>सचिवालय - मोटर वाहन (0.15 करोड़ रुपये) - मशीनरी और उपकरण (8.00 करोड़ रुपये) - आईसीटी उपकरण (6.90 करोड़ रुपये)</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>Secretariat - Motor Vehicle (₹ 0.15 Crore) - Machinery &amp; Equipment (₹ 8.00 Crore) - ICT Equipment (₹ 6.90 Crore)</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
(ठ)	<p>क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय - मशीनरी और उपकरण (0.01 करोड़ रुपये) - आईसीटी उपकरण (0.03 करोड़ रुपये) - फर्नीचर और फिक्स्चर (0.01 करोड़ रुपये)</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>	<p>Regional Health Offices - Machinery &amp; Equipment (₹ 0.01 Crore) - ICT Equipment (₹ 0.03 Crore) - Furniture &amp; Fixtures (₹0.01 Crore)</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 47  
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग  
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>			
राजस्व	Revenue	2979.20	2979.20
पूंजी	Capital	0.80	0.80
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>2980.00</b>	<b>2980.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>		
राजस्व	Revenue	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>2980.02</b>	<b>2980.02</b>
राजस्व	Revenue	2979.22	2979.22
पूंजी	Capital	0.80	0.80
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	0.01	(क) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	0.01	(ख) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (I) (i) सामान्य सहायता अनुदान - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अंतर्गत (115.54 करोड़ रुपये); (ii) स्वास्थ्य अनुसंधान पर प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण और समन्वय के लिए अनुदान-सहायता योजना के अंतर्गत अनुदान-सहायता (4.8 करोड़ रुपये), (iii) पीएम- एभीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (36.00 करोड़ रुपये) और (iv) पीएम-एभीम के एक नए घटक के अंतर्गत अनुदान-सहायता (8.47 करोड़ रुपये) "राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के लिए एकीकृत रोग नियंत्रण और महामारी तैयारियों की दिशा में अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम"

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) (II) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत आईसीएमआर की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (5.00 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (I) (i) Grants-in-aid - General under Indian Council of Medical Research (ICMR) (₹ 115.54 crores); (ii) Grant-in-aid-General (₹ 4.8 crore) under Scheme for inter-sectoral convergence and Coordination for Promotion & Guidance on Health Research (iii) Grant for creation of Capital Assets under PM-ABHIM (₹ 36.00 crore) and (iv) Grant-in-aid-General (₹ 8.47 crore) under a new component of PM-ABHIM "programme for strengthening R&D towards integrated disease control and pandemic preparedness for National One Health Mission".

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (II) Grants for creation of Capital Assets under ICMR (₹ 5.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 48  
भारी उद्योग विभाग  
MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	6145.32	6145.32
पूंजी	Capital	...	26.31	26.31
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>6171.63</b>	<b>6171.63</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	244.01	244.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>244.02</b>	<b>244.02</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>6415.65</b>	<b>6415.65</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>6389.33</b>	<b>6389.33</b>
पूंजी	Capital	...	<b>26.32</b>	<b>26.32</b>
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	244.00 (खब)	244.00
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>244.01</b>	<b>244.01</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	0.01 (गc)	0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>244.02</b>	<b>244.02</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) 'सचिवालय आर्थिक सेवाओं' के अंतर्गत पुरस्कार (₹ 0.03 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹ 0.40 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 0.40 करोड़), लघु सिविल और विद्युत निर्माण कार्य (₹ 0.10 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को समर्थन' के अंतर्गत (i) व्यावसायिक सेवाएं (₹30.08 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹0.19 करोड़), सब्सिडी (₹1730.72 करोड़) जिसमें 'फेम-इंडिया योजना चरण-II' के अंतर्गत ₹1050.00 करोड़ की आकस्मिक अग्रिम राशि शामिल है (ii) प्रशिक्षण व्यय (₹ 0.09 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹ 0.10 करोड़), 'ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना' के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹ 0.19 करोड़) (iii) 'राष्ट्रीय उन्नत रसायन विज्ञान प्रकोष्ठ (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम योजना के लिए पीएलआई के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹10.92 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 0.09 करोड़) (iv) वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.42 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 831.76 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 24.12 करोड़ के बचत अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में ₹ 219.88 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ग) 'अन्य सामान्य आर्थिक सेवा पर पूंजी परिव्यय' के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण (₹0.25 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) Rewards (₹ 0.03 crore), Medical Treatment (₹ 0.40 crore), Office Expenses (₹ 0.40 crore), Minor Civil & Electric Works (₹ 0.10 crore) under 'Secretariat Economic Services' Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Professional Services (₹ 30.08 crore), Digital Equipment (₹ 0.19 crore), Subsidies (₹ 1730.72 crore) comprising recoupment of Contingency Advance of ₹ 1050.00 crore under 'FAME-India scheme Phase-II' (ii) Training Expenses (₹ 0.09 crore), Foreign Travel Expenses (₹ 0.10 crore), Office Expenses (₹ 0.19 crore) under 'PLI Scheme for Automobiles and Auto Components Industry' (iii) Professional Services (₹10.92 crore), Office Expenses (₹ 0.09 crore) under 'PLI for Scheme National Programme on Advanced Chemistry Cell(ACC) Battery Storage' (iv) Grant-in-Aid Salary (₹ 0.42 crore), Grant-in-Aid General (₹ 831.76 crore) under 'Support to Central Public Sector Enterprises' Taking into account the surrender of savings ₹ 24.12 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 219.88 crore

(c) Machinery and Equipment (₹0.25 crore) under 'Capital outlay on other General Economic Service' Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 49  
गृह मंत्रालय  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	5472.44	5472.44
पूंजी	Capital	...	428.87	428.87
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>5901.31</b>	<b>5901.31</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.08	0.08
पूंजी	Capital	...	243.77	243.77
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>243.85</b>	<b>243.85</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>6145.16</b>	<b>6145.16</b>
राजस्व	Revenue	...	5472.52	5472.52
पूंजी	Capital	...	672.64	672.64
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01 (का)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (खb)	0.01
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	...	0.01 (गc)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (घd)	0.01
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	0.01 (ङe)	0.01
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	0.01 (चf)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (छg)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (जh)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	184.17 (झi)	184.17
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	59.59 (टj)	59.59
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	0.01 (ठk)	0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>243.77</b>	<b>243.77</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>243.85</b>	<b>243.85</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary Grants are required for:

(क)	अन्य राजस्व व्यय (₹0.01 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(a)	Other Revenue Expenditure (₹0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	सामान्य सहायता अनुदान में मणिपुर में हिंसा के पीड़ितों को सहायता (₹5.00 करोड़) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(b)	assistance to victims of violence in Manipur in Grant-in-Aid General (₹5.00 crore) (for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	अन्य राजस्व व्यय (₹0.02 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(c)	Other Revenue Expenditure (₹0.02 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	असम में एनआरसी से संबंधित कार्यकलापों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹28.49 करोड़)।	(d)	Grant-in-Aid General' for NRC related activities in Assam (₹28.49 crores).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	सब्सिडी (₹7.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(e)	Subsidies (₹7.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	अन्य हेतु किराया (₹0.23 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(f)	Rent for Others (₹0.23 crores ). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	सब्सिडी (1.00 करोड़), मणिपुर में हिंसा से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास (₹174.86 करोड़) (भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹100.00 करोड़ शामिल) और मणिपुर में हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए पूर्व-निर्मित संरचना (₹ 149.34 करोड़) (भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹100.00 करोड़ शामिल हैं)।	(g)	Subsidies (1.00 crore), relief and rehabilitation of people affected by violence in Manipur (₹174.86 crore) (includes ₹100.00 crore for recoupment of advance from Contingency Fund of India) and pre-fabricated structure for people affected by violence in Manipur (₹149.34 crore) (includes ₹100.00 crore for recoupment of advance from Contingency Fund of India).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	सब्सिडी (₹6.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(h)	Subsidies (₹6.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ)	(i) मोटर वाहन (₹1.23 करोड़) (ii) आईसीटी उपकरण (₹49.56 करोड़), (iii) फर्नीचर और फिक्स्चर (₹4.43 करोड़) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹2.00 करोड़ सहित), (iv) पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद के लिए अन्य अचल संपत्तियाँ (₹0.01 करोड़), (v) मशीनरी और उपकरण (₹0.17 करोड़), और (vi) रक्षा भूमि खरीदने के लिए भूमि (₹152.79 करोड़)।	(i)	(i) Motor Vehicles (₹1.23 crore) (ii) ICT Equipment ( ₹49.56 crore ), (iii) Furniture & Fixtures (₹4.43 crore) (including ₹2.00 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India) , (iv) Other Fixed Assets for purchase of books and periodicals (₹0.01 crore), (v) Machinery & Equipment (₹0.17 crore), and (vi) Land for purchasing defence land (₹152.79 crore).
	अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा		Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ट)	(i) मोटर वाहन (₹17.83 करोड़), (ii) मशीनरी और उपकरण (₹26.00 करोड़), (iii) आईसीटी उपकरण (₹0.30 करोड़), (iv) फर्नीचर और फिक्स्चर (₹13.75 करोड़), (v) भूमि (₹1.71 करोड़)।	(j)	(i) Motor Vehicles (₹17.83 crore), (ii) Machinery & Equipment (₹26.00 crore), (iii) ICT Equipment (₹0.30 crore), (iv) Furniture & Fixtures (₹13.75 crore), (v) Land (₹1.71 crore).
	अनुदान के राजस्व में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा		Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ठ)	फर्नीचर और फिक्स्चर (₹1.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(k)	Furniture & Fixtures (₹1.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 50

मंत्रिमंडल  
CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	969.18	969.18
पूंजी	Capital	...	289.50	289.50
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>1258.68</b>	<b>1258.68</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	44.08	44.08
पूंजी	Capital	...	40.00	40.00
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>84.08</b>	<b>84.08</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>1342.76</b>	<b>1342.76</b>
राजस्व	Revenue	...	1013.26	1013.26
पूंजी	Capital	...	329.50	329.50
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2013-मंत्रि परिषद	2013-Council of Ministers	...	44.08 (का)	44.08
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4075-Capital Outlay on Miscellaneous General Services	...	40.00 (खb)	40.00
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>84.08</b>	<b>84.08</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) मुद्रण और प्रकाशन (0.03 करोड़ रुपये), अन्य के लिए किराया (1.00 करोड़ रुपये), सामग्री और आपूर्ति (0.05 करोड़ रुपये), विज्ञापन और प्रचार (0.03 करोड़ रुपये), अन्य राजस्व व्यय (82.52 करोड़ रुपये), रिवार्ड्स (0.10 करोड़ रुपये), अंशदान (1.50 करोड़ रुपये) और कार्यालय व्यय (1.19 करोड़ रुपये) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 7 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल होगा।
- (ख) अन्य पूंजीगत व्यय (40.00 करोड़ रुपये), फर्नीचर और फिक्स्चर (0.30 करोड़ रुपये) और अन्य अचल आस्तियां (0.05 करोड़ रुपये) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 40 करोड़ रुपये)  
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Printing & Publication (₹. 0.03 Crore), Rent for others (₹1.00 Crore), Material and Supplies (₹0.05 Crore), Advertising & Publicity (₹ 0.03 Crore), Other Revenue Expenditure (₹ 82.52 Crore), Rewards (₹0.10 Crore), Contribution (₹ 1.50 Crore) and Office Expenses (₹1.19 Crore) (₹ 7 Crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).  
Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.
- (b) Other Capital Expenditure (₹ 40.00 Crore), Furniture & Fixtures (₹ 0.30 Crore) and Other Fixed Assets (₹ 0.05 Crore) (₹ 40 Crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).  
Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

## मांग संख्या DEMAND NO 51

पुलिस  
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	7.69	117774.96	117782.65
पूंजी	Capital	5.57	11839.30	11844.87
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>13.26</b>	<b>129614.26</b>	<b>129627.52</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	4.09	0.02	4.11
पूंजी	Capital	0.90	0.01	0.91
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>4.99</b>	<b>0.03</b>	<b>5.02</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>18.25</b>	<b>129614.29</b>	<b>129632.54</b>
राजस्व	Revenue	11.78	117774.98	117786.76
पूंजी	Capital	6.47	11839.31	11845.78

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2055-पुलिस	2055-Police	4.09	0.01	4.10
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	<b>4.09</b>	<b>0.02</b>	<b>4.11</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	0.90	0.01	0.91
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>4.99</b>	<b>0.03</b>	<b>5.02</b>

यह पूरक अनुदानों/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (क) अन्य राजस्व व्यय (5.58 करोड़ रुपये) (विभिन्न न्यायालयी आदेशों के भुगतान के निपटान के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 0.77 करोड़ रुपये), और अन्य राजस्व व्यय (0.10 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;
- (ख) भत्ते (4602.53 करोड़ रुपये), ईंधन और स्नेहक (56.53 करोड़ रुपये), सामग्री और आपूर्ति (241.56 करोड़ रुपये), चिकित्सा उपचार (268.42 करोड़ रुपये), कार्यालय व्यय (504.87 करोड़ रुपये), अन्य प्रशासनिक व्यय (1.02 करोड़ रुपये), व्यावसायिक सेवाएँ (742.71 करोड़ रुपये), अन्य के लिए किराया (231.96 करोड़ रुपये), पुरस्कार (37.89 करोड़ रुपये), भूमि और भवनों के लिए आरआरटी (14.01 करोड़ रुपये), गुप्त सेवा व्यय (19.22 करोड़ रुपये), सामान्य सहायता अनुदान (148.79 करोड़ रुपये) (इसमें गरीब कैदियों को सहायता 20 करोड़ रुपये, भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण 4.5 करोड़ रुपये, अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली 60 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय 24 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय 20 करोड़ रुपये, कल्याण अनुदान 20.01 करोड़ रुपये, और अन्य 0.28 करोड़ रु. शामिल हैं।) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (175.55 करोड़ रुपये) (इसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 10 करोड़ रुपये, भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण 40 करोड़ रुपये, पुलिस बल का आधुनिकीकरण 17.55 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय 108 करोड़ रुपये शामिल हैं) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 9.16 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (a) Other Revenue Expenditure (₹ 5.58 Cr) (₹ 0.77 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India to settle payments on account various Court decrees), and Other Revenue Expenditure (₹ 0.10 Cr).  
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) Allowances (₹ 4602.53Cr.), Fuel and Lubricants (₹ 56.53 Cr.), Materials and Supplies (₹ 241.56 Cr.), Medical Treatment (₹ 268.42 Cr.), Office Expenses (₹ 504.87 Cr.), Other Administrative Expenses (₹ 1.02 Cr.), Professional Services (₹ 742.71 Cr.), Rent for others (₹ 231.96 Cr.), Rewards (₹ 37.89 cr), RRT for Land and Buildings (₹ 14.01 Cr.), Secret Service Expenditure (₹ 19.22 Cr.), Grants in Aid General (₹ 148.79 Cr) (includes Support to poor prisoners ₹ 20 cr, Land Port Authority of India ₹ 4.5 cr, Inter-operable Criminal Justice System ₹ 60 cr, Rashtriya Raksha University ₹ 24 cr, National Forensic Sciences University ₹ 20 cr, Welfare Grant ₹ 20.01 cr, and others 0.28 cr) and Grants for creation of capital assets (₹ 175.55 Cr) (includes Vibrant Village Programme ₹ 10 cr, Land Port Authority of India ₹ 40 cr, Modernisation of Police Force ₹ 17.55 cr, Rashtriya Raksha University ₹ 108 cr) (₹ 9.16 cr for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ग) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (177 करोड़ रुपये) और सामान्य सहायता अनुदान (6.68 करोड़ रुपये) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 183.68 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (घ) मोटर वाहन (1.90 करोड़ रुपये) (विभिन्न न्यायालयी आदेशों के भुगतान के निपटान के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 1.90 करोड़ रुपये)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी भाग में बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) मोटर वाहन (681.60 करोड़ रुपये), भवन और संरचनाएं (603.59 करोड़ रुपये), फर्नीचर और फिक्स्चर (33.27 करोड़ रुपये), सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) (553.01 करोड़ रुपये), अवसंरचनागत आस्तियां (896.20 करोड़ रुपये), भूमि (346.90 करोड़ रुपये), मशीनरी और उपकरण (201.07 करोड़ रुपये), अन्य अचल आस्तियां (0.27 करोड़ रुपये) और अन्य पूंजीगत व्यय (1.00 करोड़ रुपये)। इस पूरक के साथ भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत 771.28 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (c) Grants for creation of Capital Assets (₹ 177 Cr) and Grants-in-aid-General (₹ 6.68 Cr) (₹ 183.68 Cr for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Motor Vehicles (₹1.90 Cr) (₹1.90 Cr for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India to settle payments on account various Court decrees). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (e) Motor Vehicles (₹ 681.60 Cr), Buildings and Structures (₹ 603.59 Cr), Furniture & Fixtures (₹ 33.27 Cr), Information, Computer, Telecommunication (ICT) (₹ 553.01 Cr), Infrastructural Assets (₹ 896.20 Cr), Land (₹ 346.90 Cr), Machinery & Equipments (₹ 201.07 Cr), Other Fixed Assets (₹ 0.27 Cr) and Other capital Expenditure (₹ 1.00 cr) . With this Supplementary, an amount of ₹ 771.28 crore sanctioned as advance from the Contingency Fund of India will be recouped. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 52  
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह  
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>			
राजस्व	0.01	5541.95	5541.96
पूंजी	...	505.18	505.18
<b>जोड़</b>	<b>0.01</b>	<b>6047.13</b>	<b>6047.14</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>			
राजस्व	...	6.75	6.75
पूंजी	...	46.14	46.14
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>52.89</b>	<b>52.89</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>0.01</b>	<b>6100.02</b>	<b>6100.03</b>
राजस्व	0.01	5548.70	5548.71
पूंजी	...	551.32	551.32

**I. ORIGINAL GRANT:**

Revenue

Capital

**Total****Supplementary Estimate of the amount now required:**

Revenue

Capital

**Total****Total (Original plus Supplementary)**

Revenue

Capital

**Total**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	...	0.01	(क) 0.01
2014-न्याय प्रशासन	...	0.01	(ख) 0.01
2053-जिला प्रशासन	...	0.01	(ग) 0.01
2054-राजकोषीय और लेखा प्रशासन	...	0.01	(घ) 0.01
2056-जेल	...	0.01	(ङ) 0.01
2058-लेखन सामग्री और मुद्रण	...	0.01	(च) 0.01
2059-लोक निर्माण कार्य	...	0.01	(छ) 0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	...	0.01	(ज) 0.01
2202-सामान्य शिक्षा	...	0.01	(झ) 0.01
2204-खेल और युवा मामले	...	0.01	(ञ) 0.01
2205-कला और संस्कृति	...	0.01	(ट) 0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	...	0.01	(ड) 0.01
2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	...	0.01	(ढ) 0.01
2216-आवासन	...	0.01	(ण) 0.01
2217-शहरी विकास	...	0.01	(त) 0.01
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	...	0.01	(थ) 0.01
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	...	0.01	(द) 0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	...	0.01	(ध) 0.01
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	...	0.01	(न) 0.01
2401-कृषि कार्य	...	0.01	(प) 0.01
2403-पशु पालन	...	0.01	(फ) 0.01
2405-मत्स्य पालन	...	0.01	(ब) 0.01
2425-सहकारिता	...	0.01	(भ) 0.01
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	...	0.01	(म) 0.01
2506-भूमि सुधार	...	0.01	(य) 0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	...	0.01	(र) 0.01
2801-विद्युत	...	0.01	(क1A1) 0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	...	0.01	(ख1B1) 0.01
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	...	0.01	(ग1C1) 0.01
3053-नागर विमानन	...	0.01	(घ1D1) 0.01
3054-सड़क और पुल	...	0.01	(ङ1E1) 0.01
3055-सड़क परिवहन	...	0.01	(च1F1) 0.01
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	...	0.01	(छ1G1) 0.01
3452-पर्यटन	...	6.40	(ज1H1) 6.40
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	...	0.01	(झ1I1) 0.01
<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(क) 0.01
2014-Administration of Justice	...	0.01	(ख) 0.01
2053-District Administration	...	0.01	(ग) 0.01
2054-Treasury and Accounts Administration	...	0.01	(घ) 0.01
2056-Jails	...	0.01	(ङ) 0.01
2058-Stationery and Printing	...	0.01	(च) 0.01
2059-Public Works	...	0.01	(छ) 0.01
2070-Other Administrative Services	...	0.01	(ज) 0.01
2202-General Education	...	0.01	(झ) 0.01
2204-Sports and Youth Services	...	0.01	(ञ) 0.01
2205-Art and Culture	...	0.01	(ट) 0.01
2210-Medical and Public Health	...	0.01	(ड) 0.01
2215-Water Supply and Sanitation	...	0.01	(ढ) 0.01
2216-Housing	...	0.01	(ण) 0.01
2217-Urban Development	...	0.01	(त) 0.01
2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(थ) 0.01
2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01	(द) 0.01
2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(ध) 0.01
2245-Relief on account of Natural Calamities	...	0.01	(न) 0.01
2401-Crop Husbandry	...	0.01	(प) 0.01
2403-Animal Husbandry	...	0.01	(फ) 0.01
2405-Fisheries	...	0.01	(ब) 0.01
2425-Co-operation	...	0.01	(भ) 0.01
2435-Other Agricultural Programmes	...	0.01	(म) 0.01
2506-Land Reforms	...	0.01	(य) 0.01
2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01	(र) 0.01
2801-Power	...	0.01	(क1A1) 0.01
2851-Village and Small Industries	...	0.01	(ख1B1) 0.01
3051-Ports and Light Houses	...	0.01	(ग1C1) 0.01
3053-Civil Aviation	...	0.01	(घ1D1) 0.01
3054-Roads and Bridges	...	0.01	(ङ1E1) 0.01
3055-Road Transport	...	0.01	(च1F1) 0.01
3425-Other Scientific Research	...	0.01	(छ1G1) 0.01
3452-Tourism	...	6.40	(ज1H1) 6.40
3454-Census Surveys and Statistics	...	0.01	(झ1I1) 0.01

3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies	...	0.01	(ट1J1)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>6.75</b>		<b>6.75</b>
<b>पूँजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(ठ1K1)	0.01
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	0.01	(ड1L1)	0.01
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01	(ढ1M1)	0.01
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	0.01	(ण1N1)	0.01
5052-पोत परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	5052-Capital Outlay on Shipping	...	0.01	(त1O1)	0.01
6406-वानिकी और वन्य जीवन के लिए ऋण	6406-Loans for Forestry and Wild Life	...	46.09	(थ1P1)	46.09
<b>जोड़ (पूँजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>46.14</b>		<b>46.14</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>52.89</b>		<b>52.89</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (4.85 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है	(a)	The supplementary Grants are required for: meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 4.85 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.80 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है	(b)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 0.80 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (5.21 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है	(c)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 5.21 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.67 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है	(d)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 0.67 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.25 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है	(e)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 0.25 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.39 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है	(f)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 0.39 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (17.00 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है	(g)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 17.00 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.96 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है	(h)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 1.96 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (2.20 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है	(i)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 2.20 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ञ)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.14 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है	(j)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 0.14 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.05 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है	(k)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 0.05 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ठ)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के प्रति अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (6.63 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है	(l)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 6.63 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (24.50 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है	(m)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 24.50 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.



	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ1)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.33 करोड़ रुपये)।	(D1)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 1.33 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ1)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (13.30 करोड़ रुपये)।	(E1)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 13.30 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च1)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.71 करोड़ रुपये)।	(F1)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 0.71 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ1)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.02 करोड़ रुपये)।	(G1)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 0.02 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज1)	भारत की आकस्मिकता निधि (6.55 करोड़ रुपये) में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के प्रति अतिरिक्त व्यय को पूरा करना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और वृक्षारोपण विकास लिमिटेड (6.40 करोड़ रुपये) के संबंध में अग्रिम भुगतान की छूट	(H1)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 6.55 crore) and for waiver of advance payment in respect of Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Limited (₹ 6.40 crore)
	इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान की मांग की गई है।		Hence, technical supplementary Grant has been sought.
(झ1)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.06 करोड़ रुपये)	(I1)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 0.06 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ञ1)	भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति के लिए मजदूरी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.45 करोड़ रुपये)।	(J1)	meeting additional expenditure towards wages to recoup the Contingency Fund of India (₹ 1.45 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट1)	आईटी उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹. 1.55 करोड़)।	(K1)	meeting additional expenditure towards purchase of IT equipments (₹ 1.55 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ठ1)	कंप्यूटर आदि की खरीद और विभागीय भवनों में सौर पैनलों की स्थापना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (1.04 करोड़ रुपये)।	(L1)	meeting additional requirement towards procurement of computers etc. & installation of solar panels in departmental buildings (₹ 1.04 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड1)	कंप्यूटर आदि की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.40 करोड़ रु.)।	(M1)	meeting additional expenditure towards procurement of computers etc. (₹ 0.40 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ढ1)	कंप्यूटर आदि की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.60 करोड़ रु.)।	(N1)	meeting additional expenditure towards procurement of computers etc. (₹ 0.60 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ण1)	निर्मित ट्रक, तेल टैंकर और वाहनों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.55 करोड़ रुपये)।	(O1)	meeting additional expenditure towards purchase of built up truck, oil tanker and vehicles (₹ 1.55 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(त1)	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन वृक्षारोपण और विकास लिमिटेड पर बकाया ऋण (24.00 करोड़ रुपये) और अर्जित ब्याज (22.09 करोड़ रुपये) की छूट।	(P1)	waiver of loan (₹ 24.00 crore) and accrued interest (₹ 22.09 crore) outstanding against Andaman and Nicobar Islands Forest Plantation and Development Limited.
	इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Hence, technical supplementary Grant has been sought.



यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, परामर्श शुल्क और भर्ती शुल्क, अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को पेट्रोल की प्रतिपूर्ति, आदि के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (66.55 करोड़ रुपये)।
- उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (ख) जिला न्यायालय और विधि विभाग के वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (9.50 करोड़ रुपये)।
- उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (ग) स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग में नव नियुक्त 29 कनिष्ठ लेखा परीक्षकों को वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.03 करोड़ रु.)।
- उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (घ) पुलिस विभाग में नव नियुक्त 750 कांस्टेबलों के वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (74.46 करोड़ रुपये)।
- उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (ङ) वेतन के भुगतान, आउटसोर्स कर्मचारियों को मजदूरी, शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेलों की मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिए भुगतान, बिजली बिलों का भुगतान और गैर-आवासीय भवन के रखरखाव के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (24.15 करोड़ रुपये)।
- उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (च) होम गार्ड स्वयंसेवकों को वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (3.50 करोड़ रुपये)।
- उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (छ) शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के साथ-साथ नव नियुक्त 250 जूनियर बेसिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (16.05 करोड़ रुपये)।
- उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (ज) खेल विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.43 करोड़ रुपये)।
- उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (झ) सेंट्रल स्टेट पुस्तकालय के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.85 करोड़ रुपये)।
- उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (ट) कर्मचारियों के साथ-साथ सरकारी मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़ में नए भर्ती हुए स्टाफ नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सीनियर रेजिडेंट्स (डॉक्टरों), सरकारी मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल और आयुष विभाग के डॉक्टरों और अनुसचिवीच स्टाफ को वेतन और अस्पतालों के आउटसोर्स कर्मचारियों को मजदूरी, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (90.07 करोड़ रुपये)।
- उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (ठ) इंजीनियरिंग विभाग के तहत शहरी क्षेत्रों में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के भुगतान, शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेलों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (10.88 करोड़ रुपये)।
- उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (ड) नगर निगम को वेतन, अनुदान सहायता और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के अस्थायी समग्र संयंत्र और संचालन तथा अनुरक्षण प्रभार के लिए माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों का अनुपालन हेतु भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (56.80 करोड़ रुपये)।
- उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (ढ) समाज कल्याण विभाग के वेतन और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (4.04 करोड़ रुपये)।
- उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (ण) बिजली विभाग द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन भुगतान, विभिन्न उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण और ऊर्जा की खरीद और केंद्रीय भंडार में सामग्री की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (204.13 करोड़ रुपये)।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting additional expenditure for payment of salaries, medical reimbursement, counsel fees and recruitment fees, reimbursement of petrol to officers and staff members, etc. to the employees of Hon'ble Punjab and Haryana High Court (₹ 66.55 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) meeting additional expenditure for the payment of salaries, District Court and Law Department (₹ 9.50 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo;
- (c) meeting additional expenditure for the payment of salaries to the newly recruited 29 Junior Auditors in Local Audit Department (₹ 1.03 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo;
- (d) meeting additional expenditure for the payment of salaries to the newly recruited 750 constables in Police Department (₹ 74.46 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo;
- (e) meeting additional expenditure for the payment of salaries, wages to the outsourced staff, payment for repair and maintenance works, payment of electricity bills of tubewells in Urban Areas and for upkeep of non-residential building (₹ 24.15 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo;
- (f) meeting additional expenditure for the payment of wages to the Home Guard volunteers (₹ 3.50 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo;
- (g) meeting additional expenditure for the payment of salaries to the employees as well as to the newly recruited 250 Junior Basic Teachers in Education Department (₹ 16.05 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo;
- (h) meeting additional expenditure for the payment of wages to the outsourced staff of Sports Department (₹ 1.43 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo;
- (i) meeting additional expenditure for the payment of salaries to the employees of Central State Library (₹ 0.85 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo;
- (j) meeting additional expenditure for the payment of salaries to the employees as well as to the newly recruited Staff Nurses, paramedical Staff and Senior Residents (Doctors) in Government Medical College, Chandigarh, Doctors and Ministerial Staff of Government Multi-Specialty Hospital and AYUSH Department, wages to the outsourced staff of Hospitals, purchase of medicines and medical equipments (₹ 90.07 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo;
- (k) meeting additional expenditure for the payment of salaries and wages to the outsourced staff, repair and maintenance of tubewells in Urban areas under Engineering Department (₹ 10.88 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo;
- (l) meeting additional expenditure for the payment of salaries, Grants-in-Aid to Municipal Corporation and to comply with the directions of Hon'ble National Green Tribunal for temporary composite plant and Operation and Maintenance charges of Chandigarh Smart City (₹ 56.80 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo;
- (m) meeting additional expenditure for the payment of salaries and various welfare schemes of Social Welfare Department (₹ 4.04 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo;
- (n) meeting additional expenditure for the payment of salaries, wages to the outsourced staff, repair and maintenance of various equipments and purchase of Energy and procurement of material in central stores by the Electricity Department (₹ 204.13 crore).

	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध रु. 72.00 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए 132.13 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।		Taking into account the surrender of savings of ₹ 72.00 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 132.13 crore.
(त)	इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर प्रोत्साहन के भुगतान और ईवी चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (2.00 करोड़ रुपये)।	(o)	meeting additional expenditure for the payment of incentives on purchase of Electric Vehicle and creation of EV Charging infrastructure (₹ 2.00 crore).
(थ)	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा; वेतन, मजदूरी, पेट्रोल, तेल और स्नेहक, मेसर राइट्स को चंडीगढ़ ट्राइसिटी के लिए व्यापक गतिशीलता योजना तैयार करने का भुगतान और फास्टैग, टोल टैक्स, परमिट शुल्क, काउंटर हस्ताक्षर शुल्क, बसों के परिवहन के पार्किंग शुल्क भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना(57.91 करोड़ रुपये)।	(p)	The above expenditure will entail a cash outgo; meeting additional expenditure for the payment of salaries, wages, Petrol, Oil and Lubricants, payment of preparing the comprehensive mobility plan for Chandigarh Tricity to Messer RITES and for the payment for Fastag, Toll tax, permit fee, counter signature fee, parking fee for Transport of Buses (₹ 57.91 crore).
(द)	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा; चंडीगढ़ पुलिस विभाग में साइबर आपरेशन एवं सुरक्षा परियोजना (सेनकॉप्स) केंद्र की स्थापना हेतु (40.00 करोड़ रुपये)।	(q)	The above expenditure will entail a cash outgo; meeting additional expenditure for the establishment of Center for Cyber Operation and Security (CenCOPS) project in the Chandigarh Police Department (₹ 40.00 crore).
(ध)	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा; धनास और करसन में नए स्कूलों के निर्माण, पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों और चल रहे विभिन्न कार्यों की लंबित देनदारी के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना(17.40 करोड़ रुपये)।	(r)	The above expenditure will entail a cash outgo; meeting additional expenditure for construction of new schools at Dhanas and Karsan, to clear the pending liability of completed works and various ongoing work (₹ 17.40 crore).
(न)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। ब्लॉक-के में मातृ एवं शिशु देखभाल केंद्र के निर्माण, सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सेक्टर-32, चंडीगढ़ में नए आपातकालीन ब्लॉक और ट्रॉमा ब्लॉक के निर्माण और विभिन्न आयुष औषधालयों के नवीकरण और उन्नयन कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (8.16 करोड़ रुपये)।	(s)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for the construction of mother and child care center at Block-K, construction of new emergency block and trauma block in Government medical college and Hospital, Sector-32, Chandigarh and renovation and upgradation works of various AYUSH dispensaries (₹ 8.16 crore).
(प)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। इवेलर्स कालोनियों के पूर्ण निर्माण कार्यों की देनदारी को निपटाने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.05 करोड़ रुपये)।	(t)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for clearing the liability of completed works of Dwellers Colonies (₹ 0.05 crore).
(फ)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। थोक बाजार, सेक्टर-56 और अनाज बाजार, सेक्टर-39 की सड़क और पार्किंग कार्य के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (20.73 करोड़ रुपये)।	(u)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for road and parking work of Bulk Market, Sector-56 and Grain Market, Sector-39 (₹ 20.73 crore).
(ब)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। स्नेहालय और नारी निकेतन, चंडीगढ़ के नवीकरण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.30 करोड़ रुपये)।	(v)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for renovation of Snehalya and Nari Niketan, Chandigarh (₹ 1.30 crore).
(भ)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में वॉटरप्रूफिंग कार्य के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (रु. 1.46 करोड़)।	(w)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for the waterproofing work in Industrial Training Institute (₹ 1.46 crore).
(म)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। चंडीगढ़ के विभिन्न पशु चिकित्सा सेवा केंद्रों के विभिन्न उन्नयन एवं नवाचार निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.24 करोड़ रुपये)।	(x)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for the various upgradation and renovation works in various Veterinary Services Centers of Chandigarh(₹ 0.24 crore).
(य)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। चंडीगढ़ में विभिन्न सड़कों के रिकार्पेटिंग के लिए (0.96 करोड़ रुपये)।	(y)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for the recarpeting of various roads in Chandigarh (₹ 0.96 crore).
(र)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। आईएसबीटी सेक्टर-43 के उन्नयन कार्य और पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की लंबित देनदारियों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना(1.07 करोड़ रुपये)।	(z)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure for upgradation work of ISBT Sector-43 and to clear the pending liabilities of completed works(₹ 1.07 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 54  
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव  
DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>			
राजस्व	...	1533.86	1533.86
पूंजी	...	948.14	948.14
जोड़	...	2482.00	2482.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	61.68	61.68
पूंजी	...	0.14	0.14
जोड़	...	61.82	61.82
जोड़ (मूल और पूरक)	...	2543.82	2543.82
राजस्व	...	1595.54	1595.54
पूंजी	...	948.28	948.28

**I. ORIGINAL GRANT:**

Revenue	...	1533.86	1533.86
Capital	...	948.14	948.14
<b>Total</b>	...	<b>2482.00</b>	<b>2482.00</b>
<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
Revenue	...	61.68	61.68
Capital	...	0.14	0.14
<b>Total</b>	...	<b>61.82</b>	<b>61.82</b>
<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>2543.82</b>	<b>2543.82</b>
Revenue	...	1595.54	1595.54
Capital	...	948.28	948.28

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2041-वाहनों पर कर	...	5.00	(क) 5.00
2053-जिला प्रशासन	...	5.00	(ख) 5.00
2059-लोक निर्माण कार्य	...	0.01	(ग) 0.01
2202-सामान्य शिक्षा	...	3.00	(घ) 3.00
2203-तकनीकी शिक्षा	...	0.01	(ङ) 0.01
2204-खेल और युवा मामले	...	0.01	(च) 0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	...	15.00	(छ) 15.00
2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	...	0.01	(ज) 0.01
2217-शहरी विकास	...	17.11	(झ) 17.11
2403-पशु पालन	...	0.01	(ट) 0.01
2406-वानिकी और वन्य जीवन	...	5.50	(ठ) 5.50
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	...	0.01	(ड) 0.01
2801-विद्युत	...	5.00	(ढ) 5.00
2852-उद्योग	...	6.00	(ण) 6.00
3053-नागर विमानन	...	0.01	(त) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	...	<b>61.68</b>	<b>61.68</b>
<b>पूंजी भाग</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	(थ) 0.01
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	(द) 0.01
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	(ध) 0.01
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	(न) 0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	(प) 0.01
4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	(फ) 0.01
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	(ब) 0.01
4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	(भ) 0.01
4405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	(म) 0.01
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	(य) 0.01
4810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	(र) 0.01

5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	...	0.01	(क1A1)	0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	(ख1B1)	0.01
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism	...	0.01	(ग1C1)	0.01
<b>जोड़ (पूँजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>0.14</b>		<b>0.14</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>61.82</b>		<b>61.82</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) वीवीआईपी यात्रा के दौरान वाहनों को किराए पर लेने के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (8.00 करोड़ रुपये)  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध रु. 3.00 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में रु. 5.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) दीव जिले में आयोजित जी-20 बैठक और अन्य विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (रु.8.00 करोड़)  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध रु. 3.00 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में रु. 5.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ग) ऊर्जा प्रभार, जी-20 से संबंधित व्यय, सुविधा प्रबंधन सेवाएं और विभिन्न अनुरक्षण और मरम्मत कार्य के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (5.90 करोड़ रुपये)  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक पूरक की मांग की जाती है
- (घ) एनआईएफटी और जीएनएलयू को अनुदान सहायता प्रदान करने, शिक्षकों के वेतन के भुगतान और छात्रों के लिए साइकिल की खरीद और ऑडियो विजुअल स्टूडियो के विकास के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों को अनुदान प्रदान करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (25.00 करोड़ रुपये)  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध रु. 22.00 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में रु. 3.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ङ) छात्रों के लिए लैपटॉप की खरीद और उच्चतर एवं तकनीकी संस्थानों में सुव्यवस्थित कक्षा की स्थापना के लिए इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (10.37 करोड़ रुपये)  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक पूरक की मांग की जाती है
- (च) खेल विभाग द्वारा दीव में राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव के आयोजन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (5.96 करोड़ रुपये)  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक पूरक की मांग की जाती है
- (छ) स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग, हाउसकीपिंग, सुरक्षा, बीईसीआईएल और कीट नियंत्रण कर्मचारियों के वेतन भुगतान और संविदा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान, डीएनबी, पीजी/एनएमसी शुल्क के लिए वृत्तिका, अतिथि व्याख्यान, वाहनों को किराए पर लेना और बिजली बिल के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना ( रु. 35.00 करोड़)  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध रु. 20.00 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में 15.00 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (ज) जल शोधन संयंत्र, जल आपूर्ति वितरण पाइपलाइन नेटवर्क प्रणाली, पाइपलाइन नेटवर्क के स्थानांतरण और विभिन्न अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (रु. 10.00 करोड़)  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक पूरक की मांग की जाती है
- (झ) विभिन्न संस्थानों अर्थात् शहरी स्थानीय निकायों, पीडीए आदि को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (रु. 120.00 करोड़)  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 102.89 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में 17.11 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (ट) कुक्कुट विकास योजनाओं के लाभार्थियों को सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (0.50 करोड़ रु.)  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक पूरक की मांग की जाती है
- (ठ) संघ राज्य क्षेत्र में वृक्षारोपण लक्ष्य में वृद्धि और संघ राज्य क्षेत्र के वन क्षेत्रों में विभिन्न लघु, मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (12.20 करोड़ रुपये)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure for hiring of vehicles charges during VVIP visit. (₹ 8.00 crore)  
Taking into account the surrender of savings of ₹ 3.00 crore available in the same section of the Grant. Hence, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 5.00 crore.
- (b) meeting additional expenditure for G-20 meeting organized at Diu District and other various works. (₹ 8.00 crore)  
Taking into account the surrender of savings of ₹ 3.00 crore available in the same section of the Grant. Hence, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 5.00 crore.
- (c) meeting additional expenditure for energy charges, G-20 meeting related expenditure, providing Facility Management Services and various Maintenance & Repairs works. (₹ 5.90 crore)  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting additional expenditure for providing Grant-in-aid to NIFT & GNLU, for providing grants to aided schools for payment of salary of teachers and procurement of bicycle for students and development of Audio visual studio (₹ 25.00 crore).  
Taking into account the surrender of savings of ₹ 22.00 crore available in the same Section of the Grant. Hence, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 3.00 crore.
- (e) meeting additional expenditure for purchase of laptops for students and procurement of interactive flat panel for establishment of Smart Class rooms in Higher & Technical Institutions. (₹ 10.37 crore)  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) meeting additional expenditure for organizing National Beach Festival at Diu by Sports Department. (₹ 5.96 crore)  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (g) meeting additional expenditure for payment of salary to outsourcing staffs, Housekeeping, Security, BECIL & Pest control in Health Department and for payment of salary to contractual staffs, Stipend to DNB, PG/NMC Fees, Guest Lecture, Hiring of Vehicles and electricity bills (₹ 35.00 crore).  
Taking into account the surrender of savings of ₹ 20.00 crore available in the same Section of the Grant. Hence, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 15.00 crore.
- (h) meeting additional expenditure for water treatment plant, water supply distribution pipeline network system, shifting of pipeline network and various other works. (₹ 10.00 crore)  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) meeting additional expenditure for grant in aid to various institutions i.e. Urban Local Bodies, PDA etc. (₹ 120.00 crore)  
Taking into account the surrender of savings of ₹ 102.89 crore available in the same Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 17.11 crore.
- (j) meeting additional expenditure for Subsidies to beneficiaries of Poultry Development Schemes. (₹ 0.50 crore.)  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (k) meeting additional expenditure due to increase of Plantation Target in the UT and various minor, repairs and maintenance works in forest areas of the UT (₹ 12.20 crore).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 6.70 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में 5.50 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।		Taking into account the surrender of savings of ₹ 6.70 crore available in the same Section of the Grant. Hence, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 5.50 crore.
(ड)	संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों के लिए विभिन्न संस्थानों अर्थात् पंचायती राज संस्थानों को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (221.00 करोड़ रुपये)	(l)	meeting additional expenditure for grant in aid to various institutions i.e. Panchayati Raj Institutions for developmental works in Rural Areas of UT (₹ 221.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ढ)	सजावटी स्ट्रीट लाइट, विभिन्न सरकारी भवनों की रोशनी संबंधी व्यवस्था, जी-20 बैठक और वीवीआईपी यात्रा के लिए दीव में डीजी सेट के माध्यम से रोशनी की व्यवस्था और प्रावधान, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रोशनी की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (10.00 करोड़ रुपये)	(m)	meeting additional expenditure for decorative street lights, illumination of various government buildings, illumination and provision of DG Set at Diu for G-20 meeting & VVIP visit, illumination in occasion of Independence Day (₹ 10.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध रु. 5.00 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में रु. 5.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।		Taking into account the surrender of savings of ₹ 5.00 crore available in the same section of the Grant. Hence, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 5.00 crore.
(ण)	औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत योजनाओं के वितरण और संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास के अंतर्गत योजना के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (40.00 करोड़ रुपये)	(n)	meeting additional expenditure for disbursement of schemes under industrial promotions schemes and for scheme under the infrastructure development in industrial areas of UT (₹ 40.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध रु. 34.00 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में 6.00 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।		Taking into account the surrender of savings of ₹ 34.00 crore available in the same Section of the Grant. Hence, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 6.00 crore.
(त)	पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाओं, डोनियर एयरक्राफ्ट सर्विसेज और बीच क्राफ्ट एयरक्राफ्ट सर्विसेज को भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (8.50 करोड़ रुपये)	(o)	meeting additional expenditure for payment to Pawan Hans Helicopter services, Donier Aircraft Services and Beach craft Aircraft Services (₹ 8.50 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(थ)	आईआरबीएन/पुलिस विभाग द्वारा मोटर वाहन, मशीनरी और उपकरण, और हथियार तथा गोला-बारूद की खरीद और विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (24.00 करोड़ रुपये)	(p)	meeting additional expenditure for purchase of Motor Vehicle, Machinery & Equipments, and arms & ammunitions by IRBn/Police Department and for various construction works (₹ 24.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(द)	विभिन्न सरकारी भवनों के नवीकरण, जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (रु. 44.00 करोड़)	(q)	meeting additional expenditure for renovation, restoration and construction of various government buildings (₹ 44.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ध)	अग्निशमन विभाग में मोटर वाहन की खरीद और पुराने अग्नि केन्द्र के नवीनीकरण और विभिन्न अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.35 करोड़ रुपये)	(r)	meeting additional expenditure for procurement of Motor Vehicle in Fire Department and for Renovation of old Fire Station and various other developmental works (₹ 0.35 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(न)	फोटो कॉपी मशीन, छात्रों के लिए लैपटॉप और सुव्यवस्थित कक्षाओं की स्थापना के लिए इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (11.00 करोड़ रुपये)	(s)	meeting additional expenditure for procurement of Photo copy machine, laptops for students and interactive flat panel for establishment of smart classrooms (₹ 11.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(प)	नई एम्बुलेंस की खरीद और एम्बुलेंस के निर्माण कार्य और नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के लिए आईटी सामग्री की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.54 करोड़ रुपये)	(t)	meeting additional expenditure for purchase of new ambulance and fabrication work of Ambulance and for procurement of IT materials for Namo Medical Education and Research institute (₹ 1.54 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(फ)	विभिन्न आकार की डक्टाइल आयरन (डी.आई.) वितरण पाइपलाइन को कम करने और पाइपलाइन को व्यवस्थित करने, उपयोगिता जल आपूर्ति लाइन को स्थानांतरित करने और और विभिन्न अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (20.16 करोड़ रुपये)	(u)	meeting additional expenditure for Providing, Supplying Lowering & Laying ductile iron (D.I.) distribution pipeline of various size, for Shifting and Providing of Utility Water Supply Line and various other developmental works (₹ 20.16 crore.)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ब)	आईटीआई दमन और दीव जिलों के विभिन्न शाखाओं के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.30 करोड़ रुपये)	(v)	meeting additional expenditure for purchase of Machinery and tools for various trades of ITI Daman and Diu Districts (₹ 0.30 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(भ)	सरकारी डेयरी फार्म सिलवासा में दीवार परिसर के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.20 करोड़ रुपये)।	(w)	meeting additional expenditure for Construction of wall compound at Government Dairy Farm Silvassa (₹ 0.20 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(म)	पैदल चलने वाले पुल तक समुद्र नारायण जेट्टी के विस्तार और नानी दमन में नाव पार्किंग के विकास और विभिन्न अन्य मुख्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (15.63 करोड़ रुपये)।	(x)	meeting additional expenditure for extension of Samudra Narayan Jetty up to Pedestrian Bridge and Development of Boat parking at Nani Daman and various other major works (₹ 15.63 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(य)	नए वाहन, कंप्यूटर, फोटो कॉपी मशीनों की खरीद और वन और वन्य जीवन में विभिन्न मुख्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (18.54 करोड़ रुपये)।	(y)	meeting additional expenditure for purchase of new vehicle, computer, photo copy machines and for various major works in Forest and wildlife (₹ 18.54 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(र)	विभिन्न सरकारी भवनों में सौर पीवी संयंत्र और सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹. 10.00 करोड़)।	(z)	meeting additional expenditure for enhancement of capacity of Solar PV Plant and solar roof top power plant at various government buildings (₹ 10.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(क1)	नानी दमन में वाणिज्यिक हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (₹. 17.00 करोड़)।	(A1)	meeting additional expenditure for Construction of commercial Airport Terminal Building at Nani Daman. (₹ 17.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख1)	विभिन्न परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय और सड़कों और पुलों से संबंधित भूमि अधिग्रहण के भुगतान को पूरा करना (250.00 करोड़ रुपये)।	(B1)	meeting additional expenditure for various projects and payment of Land Acquisition related to Roads and Bridges (₹ 250.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग1)	पर्यटन क्षेत्र के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (₹.7.00 करोड़)	(C1)	meeting additional expenditure for various development works for tourism sector (₹ 7.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.



	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है।				
(च)	चालू कार्यों को पूरा करने के लिए भवन और संरचना के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.70 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है।	(f)	meeting additional expenditure towards building and structure for completion of ongoing construction works (₹ 0.70 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(छ)	निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के लिए भवन और संरचना के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.06 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है।	(g)	meeting additional expenditure towards building and structure for completion of ongoing construction works (₹ 0.06 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(ज)	चालू निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए भवन और संरचना के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.00 करोड़ रुपये), कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए (10.68 करोड़ रुपये), चालू अवसंरचना निर्माण के कार्यों को पूरा करने के लिए (362.81 करोड़ रुपये) और भूमि की खरीद के लिए चालू निर्माण कार्यों को पूरा करना (₹. 110.00 करोड़)।	(h)	meeting additional expenditure towards building and structure for completion of ongoing construction works (₹ 1.00 crore), for procurement of computer and software (₹ 10.68 crore), for completion of ongoing infrastructure works (₹ 362.81 crore) and for procurement of land & completion of ongoing construction works (₹ 110.00 crore).		
(झ)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है। निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के लिए अवसंरचना और आस्तियों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (2.30 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सार्केतिक पूरक की मांग की जाती है।	(i)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards infrastructure and assets for completion of going works (₹ 2.30 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		



(ड)	इंडिया रिजर्व बटालियन के भूमि मुआवजे के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.09 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(e)	meeting additional expenditure for payment of land compensation of India Reserve Battalion (₹ 0.09 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	अलवणीकरण संयंत्रों के भूमि मुआवजे से संबंधित व्यय को पूरा करना (7.35 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(f)	meeting expenditure related to land compensation of Desalination Plants (₹ 7.35 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	लक्षद्वीप से कनेक्टिविटी के लिए बैंडविड्थ शुल्क पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (106.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(g)	meeting additional expenditure on bandwidth charges for connectivity to Lakshadweep (₹ 106.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	टूरिस्ट हट्स और यूटी भवन आदि के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (8.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(h)	meeting additional expenditure for construction of Tourist Huts and UT Bhawan, etc. (₹ 8.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 58  
जम्मू और कश्मीर को अंतरण  
TRANSFERS TO JAMMU AND KASHMIR

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	35581.44	35581.44
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>35581.44</b>	<b>35581.44</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	3170.00	3170.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>3170.00</b>	<b>3170.00</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>38751.44</b>	<b>38751.44</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>38751.44</b>	<b>38751.44</b>
पूंजी	Capital	...	...	...
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	3170.00	3170.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संघ राज्य क्षेत्र के संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए 3170.00 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।  
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा;

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Central Assistance of ₹ 3170.00 crore to meet resource gap of the UT.  
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 59  
पुडुचेरी को अंतरण  
TRANSFERS TO PUDUCHERRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	3117.76	3117.76
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>3117.77</b>	<b>3117.77</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	271.00	271.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>271.00</b>	<b>271.00</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>3388.77</b>	<b>3388.77</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>3388.76</b>	<b>3388.76</b>
पूंजी	Capital	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	271.00	271.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अर्पित है:

पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को बकाया के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (110 करोड़ रुपये) और शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षण संकाय के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का बकाया (161 करोड़ रुपये)  
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure for payment of arrears to pensioners, family pensioners (₹ 110 crore) and 7th Central Pay Commission (CPC) arrears for teaching faculty of educational institutions (₹ 161 crore).  
The above expenditure will entail a cash outgo;

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 60  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>		
राजस्व	Revenue	117.72	50474.60
पूंजी	Capital	38.23	29568.05
जोड़	<b>Total</b>	<b>155.95</b>	<b>80042.65</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>		
राजस्व	Revenue	20.00	0.09
पूंजी	Capital	4.09	700.01
जोड़	<b>Total</b>	<b>24.09</b>	<b>700.10</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>180.04</b>	<b>80922.75</b>
राजस्व	Revenue	137.72	50474.69
पूंजी	Capital	42.32	30268.06

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>		
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>		
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01 (का)
2058-लेखन सामग्री और मुद्रण	2058-Stationery and Printing	...	0.01 (ख)
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works	...	0.01 (ग)
2216-आवासन	2216-Housing	20.00 (घ)	0.01 (ङ)
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01 (च)
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (छ)
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01 (ज)
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (झ)
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (ट)
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	<b>20.00</b>	<b>0.09</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>		
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>		
4058-लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	4058-Capital Outlay on Stationery and Printing	...	0.01 (ठ)
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	367.00 (ड)
4216-आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	4.09 (ढ)	333.00 (ण)
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	<b>4.09</b>	<b>700.01</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>24.09</b>	<b>700.10</b>

यह पूरक अनुदानेविनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	स्टाफ रिक्रिएशन क्लब के तहत कल्याणकारी कार्यकलापों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान (₹0.02 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(a)	Grants-in-Aid General to meet requirement for welfare activities under the Staff Recreation Club (₹0.02 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	मुद्रण, स्टेशनरी और प्रकाशन (पीएसपी) के तहत 'रिवार्ड्स' (0.11 करोड़ रुपये), 'प्रशिक्षण व्यय' (0.05 करोड़ रुपये), 'डिजिटल उपकरण' (0.4 करोड़ रुपये), 'अन्य राजस्व व्यय' (0.5 करोड़ रुपये) आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(b)	'Rewards' (₹ 0.11 cr), 'Training Expenses' (₹ 0.05 cr), 'Digital Equipment' (₹ 0.4 cr), 'Other Revenue Expenditure' (₹ 0.5 cr) under Printing, Stationery and Publication (PSP) to meet requirement. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न उप-शीर्षों के तहत शीर्ष 'रिवार्ड्स' (₹5.75 करोड़) और एल एंड डीओ के तहत 'विज्ञापन और प्रचार' (₹0.10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(c)	'Rewards' under various Sub-heads of CPWD (₹5.75 crore) and 'Advertising & Publicity' under L&DO (₹0.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (घ) "लघु, सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य (₹20 करोड़) और 'वेतन' (5.95 करोड़ रुपये), 'रिवार्ड्स' (0.09 करोड़ रुपये), 'चिकित्सा उपचार' के तहत (0.24 करोड़ रुपये), राष्ट्रपति निलयम, हैदराबाद और राष्ट्रपति निवास, मशोबरा से संबंधित रखरखाव व्यय राष्ट्रपति उद्यान प्रतिष्ठान के कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर व्यय को पूरा करने के लिए 'भत्ते' (3.79 करोड़ रुपये) और 'अवकाश यात्रा रियायत' (0.03 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध 10.10 करोड़ रुपये की बचत और पूंजी भाग में उपलब्ध समान बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) सीपीडब्ल्यूडी के विभिन्न उप-शीर्षों के तहत 'पुरस्कार' (₹1 करोड़) और पीएमएवाई-यू के तहत 'ब्याज छूट योजना' हेतु 'सब्सिडी' के लिए (₹2,000 करोड़)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (च) जीआईए सामान्य' (5 करोड़ रुपये) के तहत स्मार्ट सिटी मिशन और 'पीएम-ई-बस सेवा योजना' के तहत 'पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए जीआईए' (93 करोड़) और 'कार्यालय व्यय' (0.20 करोड़) और 'पेशेवर सेवाएं' (₹0.80 करोड़)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (छ) डीएवाई-एनयूएलएम के तहत 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹49.97 करोड़) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम प्रतिपूर्ति के लिए )
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ज) डीएवाई-एनयूएलएम के तहत 'सामान्य सहायता अनुदान, 'व्यावसायिक सेवाएं' और कार्यालय व्यय (₹20 करोड़ रुपये) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु) और पीएम-स्वनिधि योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान शीर्ष (₹80 करोड़) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (झ) स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सुल्तानपुर लोधी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु जीआईएन (₹54.22 करोड़) 'पीएम-ई बस सेवा योजना' के तहत 'पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए जीआईए', (19 करोड़ रुपये) और डीएवाई-एनयूएलएम के तहत 'सामान्य सहायता अनुदान' शीर्ष भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि ₹351.03 करोड़ की प्रतिपूर्ति)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ट) डीएवाई-एनयूएलएम के तहत 'सामान्य सहायता अनुदान' भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹2 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ठ) मुद्रण, स्टेशनरी और प्रकाशन (पीएसपी) के तहत 'फर्नीचर और फिक्स्चर' शीर्ष (₹0.10 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ड) सीपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत 'भवन एवं संरचना' शीर्ष के तहत (₹367 करोड़) (नए संसद भवन के सृजन के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ₹80 करोड़ शामिल हैं) और कोलकाता में जीएसआई भवन का निर्माण कार्य और 'भवन एवं संरचना' और 'भूमि' शीर्ष के तहत जम्मू में केंद्रीय सचिवालय भवन का (₹34.48 करोड़) निर्माण के लिए भूमि की खरीद।
- अनुदान के राजस्व/पूँजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ढ) 'भवन एवं संरचना' के तहत राष्ट्रपति भवन, दिल्ली, राष्ट्रपति निलयम, हैदराबाद और राष्ट्रपति निवास, मशोबरा में चल रही विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए (₹4.09 करोड़)।
- अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (d) maintenance expenditure pertaining to Rashtrapati Nilayam, Hyderabad and Rashtrapati Niwas, Mashobra under "Minor, Civil and Electrical Works(₹20 crore) and 'Salaries' (₹ 5.95 cr), 'Rewards' (₹ 0.09 cr), 'Medical Treatment' (₹ 0.24 cr), 'Allowances'(₹ 3.79 cr) and 'Leave Travel Concession'(₹ 0.03 cr) to meet the expenditure on work charged employees of the President's Garden Establishment.
- Taking into account the savings of ₹ 10.10 crore available in the Revenue Section and equivalent savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (e) 'Rewards' under various Sub-heads of CPWD (₹1 crore) and 'Subsidy' under PMAY-U for 'Interest Subvention Scheme' (₹2,000 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) Smart Cities Mission under heads 'GIA General' (₹5 crore) and 'GIA for creation of Capital Assets' (₹93 crore) and 'Office Expenses' (₹0.20 crore) and 'Professional Services' (₹0.80 crore) under 'PM-eBus Sewa Scheme'.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (g) 'Grants-in-Aid General' (₹49.97 crore) under DAY-NULM (for recoupment of advance sanctioned from the Contingency Fund of India).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (h) 'Grants-in-Aid General', 'Professional Services' and Office Expenses 'under DAY-NULM (₹20 crore) (for recoupment of advance sanctioned from the Contingency Fund of India) and 'Grants-in-Aid General' heads under PM-SVANidhi scheme (₹80 crore) (for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India) .
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) 'GIA for creation of Capital Assets' under Smart Cities Mission to meet requirement for Sultanpur Lodhi (₹54.22 crore), 'Grants-in-Aid General' and 'GIA for creation of Capital Assets' under 'PM-eBus Sewa Scheme' (₹19 crore) and 'Grants-in-Aid General' heads under DAY-NULM (₹351.03 crore recoupment of advance sanctioned from the Contingency Fund of India).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (j) 'Grants-in-Aid General' under DAY-NULM (₹2 crore for recoupment of advance sanctioned from the Contingency Fund of India).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (k) 'Furniture & Fixtures' head under Printing, Stationary and Publication (PSP) (₹0.10 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (l) 'Building & Structures' under CPWD (₹367 crore) (includes ₹80 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India ) and construction work of GSI Building at Kolkata and purchase of land for construction of Central Secretariat Building at Jammu under heads 'Building & Structure' and 'Land'(₹34.48 crore) .
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (m) to meet the expenditure pertaining to the various ongoing projects at the Rashtrapati Bhawan, Delhi, Rashtrapati Nilayam, Hyderabad and Rashtrapati Niwas, Mashobra under 'Building and Structures'(₹4.09 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

---

(ण)	सीपीडब्ल्यूडी के तहत 'भवन एवं संरचना' (₹333 करोड़) भारत की आकस्मिकता निधि से ₹20 करोड़ की स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा	(n)	'Building & Structures' under CPWD (₹333 crore) (includes ₹20 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
-----	--	-----	---



(घ) 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹ 5.00 करोड़) के तहत फिल्म सामग्री के विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनिवार्य प्रावधान रखना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ड) (क) "फर्नीचर और फिक्स्चर" (₹ 0.24 करोड़), (ख) 'मशीनरी और उपकरण' (₹ 0.01 करोड़) और 'सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण' (₹ 1.29 करोड़), (ख) प्रेस सूचना ब्यूरो 'मशीनरी और उपकरण' (₹ 0.01 करोड़) 'सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण' (₹ 1.44 करोड़) 'फर्नीचर और फिक्स्चर' (₹ 0.23 करोड़), (ग) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड- उपकरण शीर्ष खोलने के लिए- "मशीनरी और उपकरण" (₹ 0.01 करोड़) और सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार उपकरण" (₹ 0.11 करोड़), (घ) केंद्रीय संचार ब्यूरो - 'सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण' (₹4.00 करोड़), (ड.) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र - 'सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण' के तहत तकनीकी उपकरण खरीदने के लिए (₹1.20 करोड़)।

अनुदान के पूंजी और राजस्व अनुभाग में उपलब्ध एकसमान 0.54 करोड़ रुपये बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा

(d) keeping mandatory provision for NE region under Development Communication & Dissemination of Filmic Content (DCDFC) under 'Grants-in-Aid General' (₹ 5.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e) (a) "Furniture and Fixtures" (₹ 0.24 crore), 'Machinery and Equipment' (₹0.01 crore) and 'Information, Computer, Telecommunication Equipment' (₹ 1.29 crore), (b) Press Information Bureau under 'Machinery and Equipment' (₹ 0.01 crore), "Information, Computer, Telecommunication Equipment" (₹ 1.44 crore) and 'Furniture & Fixtures' (₹ 0.23 crore), (c) Central Board of Film Certification under "Machinery and Equipment" (₹0.01 crore) and Information, Computer Telecommunication Equipment" (₹ 0.11 crore), (d) Central Bureau of Communication under 'Information, Computer, Telecommunication Equipment' (₹4.00 crore), (e) Electronic Media Monitoring Centre under 'Information, Computer, Telecommunication Equipment' (₹ 1.20 crore).

Taking into account the savings of ₹ 0.54 crore available in the Capital Section and equivalent savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 62  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	19738.21	19738.21
पूंजी	Capital	...	380.48	380.48
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>20118.69</b>	<b>20118.69</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>20118.76</b>	<b>20118.76</b>
राजस्व	Revenue	...	19738.26	19738.26
पूंजी	Capital	...	380.50	380.50
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2700-वृहत सिंचाई	2700-Major Irrigation	...	0.01 (खब)	0.01
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	...	0.01 (गc)	0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01 (घd)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (ङe)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4701-वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना	4701-Capital Outlay on Major and Medium Irrigation	...	0.01 (चf)	0.01
5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	5075-Capital Outlay on Other Transport Services	...	0.01 (छg)	0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के तहत वेतन सहायता अनुदान (5.50 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (0.60 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) अटल भूजल योजना के तहत ईएपी घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान (65 करोड़ रुपये) और गैर-ईएपी घटक के तहत (102 करोड़ रुपये)।  
(ii) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के तहत वेतन सहायता अनुदान (5 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (घ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत सहायता अनुदान - अन्य बेसिन (5 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक प्रतीकात्मक अनुपूरक की मांग की जाती है।
- (ङ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान - नागपुर, महाराष्ट्र में नाग नदी परियोजना के प्रदूषण निवारण के लिए अन्य बेसिन (30.06 करोड़ रुपये)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Grant-in-aid Salary under Brahmaputra Board (₹ 5.50 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grant-in-aid Salary under Ken-Betwa Link Project (₹ 0.60 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) Grants-in-aid General under EAP Component (₹ 65 crore) and under Non-EAP Component (₹ 102 crore) under Atal Bhujal Yojana. (ii) Grants-in-aid Salary under National Institute of Hydrology (₹ 5 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Grants-in-aid General under National River Conservation Plan - Other Basin (₹ 5 crore).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) Grants for creation of Capital Assets to National River Conservation Plan- Other Basin for pollution abatement of River Nag project at Nagpur, Maharashtra (₹ 30.06 crore).

	अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (0.05 करोड़ रु.)।	National Water Informatics Centre (₹ 0.05 crore).
	अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	'मोटर वाहन' (0.01 करोड़ रुपये)। (ii) भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की वसूली के लिए फरक्का बैराज परियोजना में कटाव-रोधी कार्य, गेटों के प्रतिस्थापन, भूमि के सीमांकन आदि के लिए प्रतिबद्ध व्यय (12 करोड़ रुपये)।	(i) 'Motor Vehicles' (₹ 0.01 crore). (ii) Committed expenditure for anti-erosion works, replacements of Gates, Demarcation of land etc. at Farakka Barrage Project for recoupment of advance from Contingency Fund of India) (₹ 12 crore).
	अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 63  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग  
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	77221.80	77221.80
पूंजी	Capital	...	1.20	1.20
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>77223.00</b>	<b>77223.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>77223.02</b>	<b>77223.02</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>77221.82</b>	<b>77221.82</b>
पूंजी	Capital	...	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (क)	0.01
2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	0.01 (ख)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के लिए 'पुरस्कार' के रूप में 3 लाख रुपये। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) 'जल जीवन मिशन' के तहत सामान्य सहायता अनुदान ( 270.68 करोड़ रुपये ) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) ₹ 3 lakh as 'Rewards' towards payment of bonus to employees. Taking into account the savings available in same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants in aid General under 'Jal Jeevan Mission'(₹ 270.68 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 64

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	13183.86	13183.86
पूंजी	Capital	...	37.87	37.87
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>13221.73</b>	<b>13221.73</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>13221.74</b>	<b>13221.74</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>13183.87</b>	<b>13183.87</b>
पूंजी	Capital	...	<b>37.87</b>	<b>37.87</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अर्पित है:

राष्ट्रीय कैरियर सेवा योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान ( ₹ 4.77 करोड़)  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-Aid General ( ₹. 4.77 Crore) under the National Career Services scheme  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.



	सामान्य सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय प्रदान करना (8.00 करोड़ रुपये)।		on Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice (DISHA) (₹ 8.00 crore).
(v)	आईआईएसी के मौजूदा कार्यालय परिसर के नवीनीकरण/नवीयन के लिए सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के तहत व्यय को पूरा करना (2.00 करोड़ रुपये)।	(v)	meeting expenditure under Grants-in-aid for Creation of Capital Assets for India International Arbitration Centre for payment to CPWD towards renovation/refurbishment of existing office premises of IAC (₹ 2.00 crore).
(vi)	भारतीय मध्यस्थता परिषद के सामान्य सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपये) के तहत व्यय को पूरा करना।	(vi)	meeting expenditure under Grants-in-aid General (₹ 1.00 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 0.50 crore) of Mediation Council of India.
(vii)	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के वेतन सहायता अनुदान के तहत व्यय को पूरा करना (9.92 करोड़ रुपये)।	(vii)	meeting expenditure under Grant-in-Aid Salaries of National Judicial Academy (₹ 9.92 crore).
(viii)	भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति ( 1.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 14.92 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें 954.47 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।	(viii)	recoupment of advance withdrawn from Contingency Fund of India for providing additional Grants-in-aid-General to India International Arbitration Centre (₹ 1.50 crore). Taking into account the savings of ₹ 14.92 crore available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 954.47 crore.
(ग)	(i) चुनाव संबंधी व्यय के प्रति भारत सरकार के हिस्से की देनदारी का भुगतान (2536.65 करोड़ रुपये)।	(c)	(i) clearing the liability of Government of India' share towards election related expenditure (₹ 2536.65 crore).
	(ii) आगामी लोकसभा चुनाव, 2024 के लिए खरीदी गई ईवीएम का परीक्षण और रखरखाव (36.20 करोड़ रुपये)। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।	(ii)	(ii) testing and maintenance of EVMs procured for ensuing Lok Sabha Elections, 2024 (₹ 36.20 crore). The above expenditure will entail cash outgo.
(घ)	विभिन्न वस्तु शीर्षों के अंतर्गत स्थापना व्यय पूरा करना नामतः पुरस्कार (0.35 करोड़ रुपये), प्रशिक्षण व्यय (0.05 करोड़ रुपये), मुद्रण और प्रकाशन (0.02 करोड़ रुपये), अन्य के लिए किराया (1.00 करोड़ रुपये), डिजिटल उपकरण (0.20 करोड़ रुपये) और मरम्मत और रखरखाव ( 0.15 करोड़ रुपये )। भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित 1.77 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति अनुदान के उसी भाग में बचत के मिलान से की जाएगी।	(d)	(d) meeting establishment Expenditure under various Object Heads viz. Rewards (₹ 0.35 crore), Training Expenses (₹ 0.05 crore), Printing & Publications (₹ 0.02 crore), Rent for others (₹ 1.00 crore), Digital Equipment (₹ 0.20 crore) and Repair & Maintenance (₹ 0.15 crore). An amount of ₹ 1.77 crore withdrawn as advance from Contingency Fund of India will be recouped by matching savings in the same section of the Grant.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	(i) वस्तु शीर्षों के अंतर्गत विधि साहित्य प्रकाशन के स्थापना व्यय को पूरा करना नामतः पुरस्कार (0.06 करोड़ रुपये), डिजिटल उपकरण (0.02 करोड़ रुपये), मरम्मत और रखरखाव (0.10 करोड़ रुपये)। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित 0.18 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।	(e)	(i) meeting establishment expenditure of Vidhi Sahitya Prakashan under Object Heads viz. Rewards (₹ 0.06 crore), Digital Equipment (₹ 0.02 crore), Repair & Maintenance (₹ 0.10 crore). This includes recoupment towards the advance of ₹ 0.18 crore withdrawn from Contingency Fund of India.
	(ii) वस्तु शीर्ष कार्यालय व्यय (0.60 करोड़ रुपये), किराया, दरें और कर (3.50 करोड़ रुपये) और व्यावसायिक सेवाओं (1.00 करोड़ रुपये) के तहत भारत के विधि आयोग के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। यह भारत की आकस्मिकता निधि से निकाले गए 5.10 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की वसूली के लिए भी है।	(ii)	(ii) meeting additional expenditure in respect of Law Commission of India under Object Heads Office Expenses (₹ 0.60 crore), Rent, Rates and Taxes (₹ 3.50 crore) and Professional Services (₹ 1.00 crore). This is also to recoup the advance of ₹ 5.10 crore withdrawn from Contingency Fund of India.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	(i) ई-कोर्ट चरण III परियोजना पर व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।	(f)	(i) meeting expenditure on e-Court Phase III project . The above expenditure will entail cash outgo.
(छ)	(i) विभिन्न स्थानों पर आईटीएटी के कार्यालय भवनों के लिए निर्माण परियोजनाओं को पूरा करना (43.00 करोड़ रुपये)।	(g)	(i) completion of construction projects for office buildings of ITAT at different locations (₹ 43.00 crore).
	(ii) लोकसभा चुनाव, 2024 आयोजित करने के लिए ईवीएम की खरीद (575.07 करोड़ रुपये)। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।	(ii)	(ii) procurement of EVMs for conducting Lok Sabha Elections, 2024 (₹ 575.07 crore). The above expenditure will entail cash outgo.
(ज)	(i) जैसलमेर हाउस परिसर के 'सेंट्रल लॉन' के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना हेतु (0.27 करोड़ रुपये)।	(h)	(i) for installation of Statue of Dr. B.R. Ambedkar for the 'Central Lawn' of Jaisalmer House complex (₹ 0.27 crore).
	(ii) भारत के विधि आयोग के संबंध में भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित 0.30 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति ।	(ii)	(ii) recoupment of advance of ₹ 0.30 crore withdrawn from Contingency Fund of India in respect of Law Commission of India.
	(iii) विभिन्न वस्तु शीर्षों नामतः मशीनरी और उपकरण (0.10 करोड़ रुपये) और फर्नीचर और फिक्स्चर (0.62 करोड़ रुपये) के तहत स्थापना व्यय के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित 0.72 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति । अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(iii)	(iii) recoupment of advance of ₹ 0.72 crore withdrawn from Contingency Fund of India for establishment expenditure under various object heads viz. Machinery & Equipment (₹ 0.10 crore) and Furniture & Fixtures (₹ 0.62 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 66  
निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	312.00	312.00
पूंजी	Capital	...	28.00	28.00
जोड़	Total	...	340.00	340.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	73.67	73.67
पूंजी	Capital	...	28.09	28.09
जोड़	Total	...	101.76	101.76
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	441.76	441.76
राजस्व	Revenue	...	385.67	385.67
पूंजी	Capital	...	56.09	56.09
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2015-चुनाव	2015-Elections	...	73.67	(क) 73.67
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	28.09	(ख) 28.09
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	101.76	101.76

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) चिकित्सा उपचार (0.40 करोड़ रुपये), भते (0.82 करोड़ रुपये), विदेश यात्रा भता (0.50 करोड़ रुपये), कार्यालय व्यय (7.36 करोड़ रुपये), भूमि और भवनों के लिए आरआरटी (0.41 करोड़ रुपये), लघु सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य (10.33 करोड़ रुपये), व्यावसायिक सेवाएँ (3.95 करोड़ रुपये), मरम्मत और रखरखाव (30.96 करोड़ रुपये), विज्ञापन और प्रचार (17.30 करोड़ रुपये), घरेलू यात्रा व्यय (1.36 करोड़ रुपये) करोड़, मुद्रण और प्रकाशन (0.10 करोड़ रुपये) और डिजिटल उपकरण (0.18 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।  
(ख) भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव संस्थान, प्रबंधन (आईआईआईडीईएम) परिसर के परिसर के निर्माण के संबंध में एकमात्र मध्यस्थ द्वारा लगाए गए पांचाट पुरस्कार पर व्यय करना।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure under Medical Treatment (₹ 0.40 crore), Allowances (₹ 0.82 crore), Foreign Travel Allowance (₹ 0.50 crore), Office Expenses (₹ 7.36 crore), RRT for Land and Buildings (₹ 0.41 crore), Minor Civil and Electric Works (₹ 10.33 crore), Professional Services (₹ 3.95 crore), Repair & Maintenance (₹ 30.96 crore), Advertising and Publicity (₹ 17.30 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 1.36 crore), Printing and Publication (₹ 0.10 crore) and Digital Equipment (₹ 0.18 crore) .

The above expenditure will entail a cash outgo.  
(b) meeting expenditure on arbitration award imposed by sole arbitrator in connection with the construction of India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM) campus.

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 67 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय  
SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. विनियोग:</b>	<b>I. ORIGINAL APPROPRIATION:</b>			
राजस्व	Revenue	407.15	...	407.15
पूंजी	Capital	30.00	...	30.00
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>437.15</b>	...	<b>437.15</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	25.69	...	25.69
पूंजी	Capital	18.44	...	18.44
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>44.13</b>	...	<b>44.13</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>481.28</b>	...	<b>481.28</b>
राजस्व	Revenue	432.84	...	432.84
पूंजी	Capital	48.44	...	48.44
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	25.69	(क) ...	25.69
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4075-Capital Outlay on Miscellaneous General Services	18.44	(ख) ...	18.44
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>44.13</b>	...	<b>44.13</b>

यह पूरक अनुदानेविनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) मद शीर्ष के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) कार्यालय व्यय ( 25.52 करोड़ रु.), (ii) अन्य के लिए किराया ( 0.09 करोड़ रु.) और (iii) विज्ञापन और प्रचार ( 0.08 करोड़ रु.), जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की आकस्मिकता निधि से 0.17 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति का निर्गमन शामिल है।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

(ख) मद शीर्ष (i) रजिस्ट्री के लिए मोटर वाहनों की खरीद के लिए मोटर वाहन (17.65 करोड़ रुपये) और (ii) फर्नीचर और फिक्स्चर (0.79 करोड़ रुपये) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम के रूप में आहरित भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting additional expenditure under the Object Heads (i) Office Expenses (₹ 25.52 crore), (ii) Rent for Others (₹ 0.09 crore) and (iii) Advertising and Publicity (₹ 0.08 crore), which includes recoupment of ₹ 0.17 crore to the Contingency Fund of India drawn during the current financial year.

The above expenditure will entail a cash outgo.

(b) recoupment to the Contingency Fund of India advance drawn to meet additional expenditure under the Object Heads (i) Motor Vehicles for purchase of Motor Vehicles for the Registry (₹ 17.65 crore) and (ii) Furniture and Fixtures (₹ 0.79 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 68  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	21543.43	21543.43
पूंजी	Capital	...	594.52	594.52
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>22137.95</b>	<b>22137.95</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>22137.99</b>	<b>22137.99</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>21543.46</b>	<b>21543.46</b>
पूंजी	Capital	...	<b>594.53</b>	<b>594.53</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01 (गक)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
6851-ग्राम और लघु उद्योगों के लिए ऋण	6851-Loans for Village and Small Industries	...	0.01 (घद)	0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)	सचिवालय (स्थापना) के तहत अन्य के लिए किराया (₹ 0.30 करोड़)
(ख)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। (i) खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सामान्य सहायता अनुदान (2.74 करोड़ रुपये), सब्सिडी (7.78 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1.72 करोड़ रुपये), (ii) पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सामान्य सहायता अनुदान (99.87 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
(ग)	(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब सेंटर के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.25 करोड़), (ii) खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹71.40 करोड़), (iii) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.11 करोड़), (iv) कॉयूर विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.15 करोड़), (v) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 11.00 करोड़), टूल रूम और तकनीकी संस्थानों (टीआर/टीआई) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (₹ 33.00 करोड़), (vi) एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने (आरएएमपी) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 294.03 करोड़), (vii) आकस्मिक अग्रिम ₹ 400.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति सहित सामान्य सहायता अनुदान (₹ 761.15 करोड़), बैंक और एजेंसी शुल्क (₹ 7.00 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 1.00 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 59.00 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹ 40.00 करोड़), पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹19.00 करोड़) और ईनाम और पुरस्कार (₹2.50 करोड़), (viii) सूक्ष्म और लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹34.20 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹0.80 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

(a)	Rents for Others (₹ 0.30 crore) under Secretariat (Establishment) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(b)	(i) Grant in Aid General NER (₹ 2.74 crore), Subsidies of (₹ 7.78 crore), Grant for Creation of Capital Assets of (₹ 1.72 crore) under the scheme Khadi Gramodyog Vikas Yojana (KGVY), (ii) Grant in Aid General NER (₹ 99.87 crore) under PM Vishwakarma Scheme Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(c)	(i) Grant in Aid General of (₹1.25 crore) under National Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Hub Centre, (ii) Grant in Aid General (₹ 71.40 crore) under Khadi Gramodyog Vikas Yojana (KGVY), (iii) Grant in Aid General (₹ 1.11 crore) under Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation (MGIRI), (iv) Grant in Aid General (₹ 0.15 crore) under Coir Vikas Yojana, (v) Grant in Aid General (₹ 11.00 crore), Grant for Creation of Capital Assets (₹ 33.00 crore) under Tool Rooms & Technical Institutions (TR/TIs), (vi) Grant in Aid General (₹ 294.03 crore) under Raising and Accelerating MSMEs Performance (RAMP), (vii) Grant in Aid General (₹ 761.15 crore) ( including recoupment of Contingency Advance of ₹ 400.00 crore ), Bank and Agency Charges (₹ 7.00 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 1.00 crore), Office Expenses (₹ 59.00 crore), Advertising and Publicity (₹ 40.00 crore), Professional Services (₹ 19.00 crore) and Awards and Prizes

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (घ) खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) के तहत ऋण और अग्रिम (₹0.25 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(₹ 2.50 crore) under PM Vishwakarma Scheme, (viii) Grant for Creation of Capital Assets (₹ 34.20 crore), Foreign Travel Expenses (₹ 0.80 crore) under Micro and Small Enterprise-Cluster Development Programme (MSE-CDP)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Loan and Advances (₹ 0.25 crore) under Khadi Gramodyog Vikas Yojana (KGVY).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 69

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	2234.48	2234.48
पूंजी	Capital	...	77.12	77.12
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>2311.60</b>	<b>2311.60</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>2311.62</b>	<b>2311.62</b>
राजस्व	Revenue	...	2234.49	2234.49
पूंजी	Capital	...	77.13	77.13
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	...	0.01	(का) 0.01
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'अन्य कार्यक्रम/निकाय-राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान' के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (0.96 करोड़ रुपये)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) 'सचिवालय आर्थिक सेवाओं' के तहत मोटर वाहन (0.08 करोड़ रुपये), सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) (0.40 करोड़ रुपये), फर्नीचर और फिक्स्चर (0.10 करोड़ रुपये)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) Grant for Creation of Capital Assets ( ₹ 0.96 crore) under 'Other programmes/Bodies -National Institute of Rock Mechanics '

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Motor Vehicles( ₹ 0.08 crore), Information, Computer Telecommunication (ICT)(₹ 0.40 crore), Furniture & Fixtures (₹ 0.10 crore) under 'Secretariat Economic Services'

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 73  
संसदीय कार्य मंत्रालय  
MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)  
(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	59.00	59.00
पूंजी	Capital	...	4.00	4.00
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>63.00</b>	<b>63.00</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	2.07	2.07
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>2.07</b>	<b>2.07</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>65.07</b>	<b>65.07</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	...	<b>59.00</b>	<b>59.00</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	...	<b>6.07</b>	<b>6.07</b>
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
मुख्य शीर्ष	<b>MAJOR HEAD</b>			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	2.07	2.07

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अर्पित है:

डिजिटल विधानमंडलों के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) के विकास/उन्नयन से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करना और एनआईसीएसआई को नेशनल क्लाउड (मेघराज) पर एनईवीए एप्लिकेशन की मेजबानी के लिए भुगतान करना।  
अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure relating to development/upgradation of National eVidhan Application (NeVA) for Digital Legislatures and making payment to NICS for hosting the NeVA Application at National Cloud (Meghraj).  
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 74  
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय  
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

	भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>			
राजस्व	21.83	1910.19	1932.02
पूंजी	73.17	202.55	275.72
<b>जोड़</b>	<b>95.00</b>	<b>2112.74</b>	<b>2207.74</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>			
राजस्व	1.98	260.36	262.34
पूंजी	21.01	2.64	23.65
<b>जोड़</b>	<b>22.99</b>	<b>263.00</b>	<b>285.99</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>117.99</b>	<b>2375.74</b>	<b>2493.73</b>
राजस्व	23.81	2170.55	2194.36
पूंजी	94.18	205.19	299.37

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

	भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	...	0.29 (का)	0.29
2051-लोक सेवा आयोग	...	168.78 (खb)	168.78
2055-पुलिस	0.50 (गc)	50.99 (घd)	51.49
2062-सतर्कता	1.48 (डेe)	...	1.48
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	...	40.30 (चf)	40.30
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>1.98</b>	<b>260.36</b>	<b>262.34</b>
<b>पूंजी भाग</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01 (छg)	0.01
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	21.01 (जh)	2.61 (झi)	23.62
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01 (टj)	0.01
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01 (ठk)	0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>21.01</b>	<b>2.64</b>	<b>23.65</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>22.99</b>	<b>263.00</b>	<b>285.99</b>

यह पूरक अनुदानेविनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) अन्य के लिए किराया (₹0.29 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा;

(ख) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) (168.78 करोड़ रुपये) (इसमें विभिन्न परीक्षाओं के संचालन के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लंबित बिलों का भुगतान करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अधिम की प्रतिपूर्ति के लिए 100 करोड़ रुपये शामिल हैं)।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

(ग) अन्य राजस्व व्यय के अंतर्गत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) (₹0.50 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा;

(घ) भत्ते के अंतर्गत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) (₹33.07 करोड़), कार्यालय व्यय (₹10.42 करोड़) और लघु सिविल और विद्युत निर्माण कार्य (₹7.50 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा;

(ङ) लोकपाल से संबंधित कार्यालय व्यय (₹1.48 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा;

(च) क) सामान्य सहायता अनुदान (सिविल सेवा और क्षमता निर्माण के लिए

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) Rent for others (₹0.29 cr).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(b) Staff Selection Commission (SSC) under Professional Services (₹ 168.78 cr) (includes ₹ 100 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(c) Central Bureau of Investigation (CBI) under Other Revenue Expenditure (₹0.50 cr).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(d) Central Bureau of Investigation (CBI) under Allowances (₹33.07 cr), Office Expenses (₹10.42 cr) and Minor Civil and Electric Works (₹7.50 cr).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(e) Lokpal for Office Expenses (₹1.48 cr).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(f) a) GIA General (National Programme for Civil Services and

- राष्ट्रीय कार्यक्रम - एसपीवी) (₹22.37 करोड़), ख) व्यावसायिक सेवाएं (एलबीएसएनए) (₹5.00 करोड़), ग) अवसंरचना में सुधार और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन के लिए एलबीएसएनए (₹7.67 करोड़), घ) प्रशिक्षण व्यय - आईएसटीएम (₹5.26 करोड़), ङ) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान सामान्य सहायता अनुदान (₹10.00 करोड़), च) प्रशासनिक सुधार हेतु योजना सामान्य सहायता अनुदान - डीएआरपीजी (₹8.00 करोड़), छ) एनपीसीएससीबी विश्व बैंक संबंधी सामान्य सहायता अनुदान (₹15.00 करोड़), ज) आईएसटीएम के अंतर्गत लघु सिविल और विद्युत संबंधी निर्माण कार्य, झ) मरम्मत और अनुरक्षण (आईएसटीएम), ञ) प्रशिक्षण व्यय (आईएसटीएम) ट) अन्य के लिए किराया (आईएसटीएम), ठ) एनपीसीएससीबी ईएपी विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना-कार्यालय व्यय (₹5.00 करोड़), ड) एनपीसीएससीबी ईएपी विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना-अन्य राजस्व व्यय (₹0.01 करोड़)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) भवन और संरचनाओं के अंतर्गत सीबीआई शाखाओं का व्यापक (g) आधुनिकीकरण (₹20.00 करोड़)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ज) लोकपाल के लिए भूमि का अधिग्रहण और भवन निर्माण कार्य (₹21.01 (h) करोड़)।  
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा;
- (झ) (क) अवसंरचना में सुधार और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन के लिए (i) एलबीएसएनए (₹2.61 करोड़), (ख) कैट की विभिन्न बेंचों के लिए भूमि की खरीद और भवन निर्माण कार्य - भवन और संरचना (₹5.00 करोड़), (ग) अवसंरचना में सुधार और आवश्यक सुविधाओं का उन्नयन (एलबीएसएनए) (₹55.00 करोड़) और (घ) आईएसटीएम और डीओपीटी के लिए एकीकृत भवन (₹2.00 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय होगा।
- (ट) निम्नलिखित मौजूदा शीर्ष के अंतर्गत (क) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (j) (आईसीटी) उपकरण (आईएसटीएम) (₹0.50 करोड़), (ख) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (एलबीएसएनए) (₹0.30 करोड़), (ग) मोटर वाहन (पेंशन विभाग) (₹0.20 करोड़), (घ) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (डीओपीटी) (₹1.50 करोड़), (ङ) मोटर वाहन (एआरपीजी विभाग) (₹0.20 करोड़), (च) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (सीबीआई) (₹9.00 करोड़), (छ) फर्नीचर और फिक्स्चर (पीईएसबी) (₹0.80 करोड़), (ज) मोटर वाहन (सीआईसी) (₹0.40 करोड़) और (झ) आईएसटीएम के अंतर्गत अन्य स्थायी आस्तियों से संबंधित मद (₹0.50 करोड़)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ठ) (क) मोटर वाहन (सीएटी) (₹0.40 करोड़) और (ख) सूचना, कंप्यूटर, (k) दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (एसएससी) (₹2.00 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- Capacity Building – SPV) (₹22.37 cr), b) Professional Services (LBSNAA) (₹5.00 cr), c) LBSNAA for Improvement of Infrastructure and upgradation of essential facilities (₹7.67 cr), d) Training Expenses - ISTM (₹5.26 cr), e) Indian Institute of Public Administration-GIA (₹10.00 cr), f) Scheme for administrative Reforms GIA General – DARPG (₹8.00cr), g) NPCSCB World Bank GIA General (₹15.00 cr), h) Minor Civil and Electric Works under ISTM, i) Repair and Maintenance (ISTM), j) Training Expenses(ISTM) k) Rent for Others(ISTM), l) NPCSCB EAP World Bank Aided Project-Office Expenses (₹5.00 cr), m) NPCSCB EAP World Bank Aided Project-Other Revenue Expenditure (₹0.01 cr).
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.
- Comprehensive Modernisation of CBI branches under the head Building and Structures (₹20.00 cr).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- acquisition of land & construction of building for LOKPAL (₹21.01 cr).
- The above expenditure will entail a cash outgo;
- (a) LBSNAA for Improvement of Infrastructure and upgradation of essential facilities (₹2.61 cr), (b) Purchase of Land & Construction of Building for various benches of CAT - Buildings and Structure (₹5.00 cr), (c) Improvement of Infrastructure and upgradation of essential facilities (LBSNAA) (₹55.00 cr) and (d) Integrated Building for ISTM and DoPT (₹2.00 cr).
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.
- (a) Information, Computer, Telecommunications(ICT) equipment (ISTM) (₹0.50 cr), (b) Information, Computer, Telecommunications(ICT) equipment (LBSNAA) (₹0.30 cr), (c) Motor Vehicles (D/o Pensions) (₹0.20 cr), (d) Information, Computer, Telecommunications(ICT) equipment (DOPT) (₹1.50 cr), (e) Motor Vehicles (D/o ARPG) (₹0.20 cr), (f) Information, Computer, Telecommunications(ICT) equipment (CBI) (₹9.00 cr), (g) Furniture and Fixtures (PESB) (₹0.80 cr), (h) Motor Vehicles (CIC) (₹0.40 cr) and (i) Other Fixed Assets under ISTM (₹0.50 cr).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (a) Motor Vehicles (CAT) (₹0.40 cr) and (b) Information, Computer, Telecommunications(ICT) equipment (SSC) (₹2.00 cr).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 75 (विनियोग)(APPROPRIATION)  
केंद्रीय सतर्कता आयोग  
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. विनियोग:</b>	<b>I. ORIGINAL APPROPRIATION:</b>			
राजस्व	Revenue	43.21	...	43.21
पूंजी	Capital	1.25	...	1.25
जोड़	<b>Total</b>	<b>44.46</b>	...	<b>44.46</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	3.27	...	3.27
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	<b>3.27</b>	...	<b>3.27</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>47.73</b>	...	<b>47.73</b>
राजस्व	Revenue	<b>46.48</b>	...	<b>46.48</b>
पूंजी	Capital	<b>1.25</b>	...	<b>1.25</b>
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
मुख्य शीर्ष	<b>MAJOR HEAD</b>			
2062-सतर्कता	2062-Vigilance	3.27	...	3.27

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'चिकित्सा उपचार' के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना (₹ 0.10 करोड़), 'भत्ते' (₹. 2.20 करोड़), 'घरेलू यात्रा व्यय' (₹. 0.10 करोड़), 'कार्यालय व्यय' (₹. 0.82 करोड़) और 'डिजिटल उपकरण' (₹. 0.05 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional requirements under 'Medical Treatment' (₹ 0.10 Cr.), 'Allowances' (₹ 2.20 Cr.), 'Domestic Travel Expenses' (₹ 0.10 Cr.), 'Office Expenses' (₹ 0.82 Cr.) and 'Digital Equipment' (₹ 0.05 Cr.).

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 76  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय  
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	5498.74	5498.74
पूंजी	Capital	...	35508.98	35508.98
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>41007.72</b>	<b>41007.72</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	9216.85	9216.85
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>9216.87</b>	<b>9216.87</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>50224.59</b>	<b>50224.59</b>
राजस्व	Revenue	...	14715.59	14715.59
पूंजी	Capital	...	35509.00	35509.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	9196.54	(का) 9196.54
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	20.31	(ख) 20.31
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>9216.85</b>	<b>9216.85</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4802-पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	4802-Capital Outlay on Petroleum	...	0.01	(ग) 0.01
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	0.01	(घ) 0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>9216.87</b>	<b>9216.87</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 10,050.93 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के लिए 60 करोड़ रुपये, बायोमास के संग्रह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के लिए 8 करोड़ रुपये, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - एलपीजी के लिए 1,280 करोड़ रुपये, गरीबों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 8,499.99 करोड़ रुपये) बीसीपीएल/असम गैस क्रैकर कॉम्प्लेक्स को फीडस्टॉक सब्सिडी के लिए 170.94 करोड़ रुपये, एलपीजी सब्सिडी के लिए परियोजना प्रबंधन व्यय के लिए 32 करोड़ रुपये)। राजस्व के तहत 854.39 करोड़ रुपये की उपलब्ध बचत और अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (ख) राज्य सरकारों को 20.31 करोड़ रुपये की अंतर रॉयल्टी का भुगतान। चूंकि इसका मिलान अनुदान के पूंजीगत हिस्से से समतुल्य राशि के अभ्यर्पण से किया जाएगा, इसलिए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (ग) भारत सरकार के पक्ष में ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी बोनस शेयरों के समायोजन के लिए 2,939.67 करोड़ रुपये और इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के लिए भूमि की खरीद के लिए 325 करोड़ रुपये। अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting additional expenditure of ₹ 10,050.93 crore (₹ 60 crore for Global Biofuels' Alliance, ₹ 8 crore for Scheme for providing financial support for collection of biomass, ₹ 1,280 crore for Direct Benefit Transfer - LPG, ₹ 8,499.99 crore for LPG Connection to Poor Households, ₹ 170.94 crore for Feedstock Subsidy to BCPL/Assam Gas Cracker Complex, ₹ 32 crore for Project Management Expenditure for LPG subsidy). Taking into account savings available worth ₹ 854.39 crore under revenue section and matching surrenders of equivalent amount from capital section of grant, this will not entail cash outgo.
- (b) Payment of differential Royalty to State Governments worth ₹ 20.31 crore. As this will be matched by surrenders of equivalent amount from capital section of grant, it will not entail cash outgo.
- (c) ₹ 2,939.67 crore towards adjustment of bonus shares issued by Oil India Limited, Engineers India Limited and Gas Authority of India Limited in favour of Government of India and ₹ 325 crore towards purchase of land for Indian Strategic Petroleum Reserve Limited (ISPRL). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will not entail cash outgo.

- 
- (घ) सचिवालय - आर्थिक सेवाओं के लिए 0.42 करोड़ रुपये (सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के लिए 0.35 करोड़ रुपये और मोटर वाहनों के लिए 0.07 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (d) ₹ 0.42 crore for Secretariat – Economic Services (₹ 0.35 crore for Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment and ₹ 0.07 crore for Motor Vehicles). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 78  
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय  
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	1530.53	1530.53
पूँजी	Capital	...	1198.21	1198.21
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>2728.74</b>	<b>2728.74</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	96.85	96.85
पूँजी	Capital	...	94.55	94.55
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>191.40</b>	<b>191.40</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>2920.14</b>	<b>2920.14</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>1627.38</b>	<b>1627.38</b>
पूँजी	Capital	...	<b>1292.76</b>	<b>1292.76</b>
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses	...	87.01 (खb)	87.01
3052-पोत परिवहन	3052-Shipping	...	9.83 (गc)	9.83
जोड़ (राजस्व भाग)	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>96.85</b>	<b>96.85</b>
<b>पूँजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	43.00 (घd)	43.00
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूँजीगत परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses	...	0.01 (ङe)	0.01
5056-अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	5056-Capital Outlay on Inland Water Transport	...	51.54 (चf)	51.54
जोड़ (पूँजी भाग)	<b>Total (Capital Section)</b>	...	<b>94.55</b>	<b>94.55</b>
जोड़ (पूरक)	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>191.40</b>	<b>191.40</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) सचिवालय-आर्थिक सेवाओं के तहत 'भूमि और भवन के लिए किराए, दरें और कर' (1.20 करोड़ रुपये)। (ii) सचिवालय-आर्थिक सेवाओं के तहत अधिकारियों के ब्रीफकेस/समाचार पत्र दावे की प्रतिपूर्ति के लिए 'अन्य राजस्व व्यय' (0.14 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) (i) सागरमाला योजना के तहत गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (52.50 करोड़ रुपये)। (ii) श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता और हल्दिया चैनल द्वारा हुगली नदी और हल्दिया चैनल के नदी ड्रेजिंग और रखरखाव के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शेष 10 प्रतिशत सब्सिडी जारी करने के लिए 'सब्सिडी' (5.53 करोड़ रुपये)। (iii) श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता द्वारा हल्दिया चैनल में रखरखाव और ड्रेजिंग के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शेष 10 प्रतिशत सब्सिडी जारी करने के लिए 'सब्सिडी' (13.98 करोड़ रुपये)। (iv) लाइट हाउस और हल्के जहाजों के तहत कार्यालयी कार्य के व्यय को पूरा करने के लिए 'कार्यालय व्यय' (15 करोड़ रुपये)। (v) सागरमाला योजना के तहत गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (87.50 करोड़ रुपये)। (vi) छोटे बंदरगाहों (एएलएचडब्ल्यू) के विकास के लिए नए मद शीर्ष के लिए 'ईंधन और स्नेहक' (0.87 करोड़ रुपये)। (vii) छोटे

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) 'Rents, Rates and Taxes for Land and Building' under Secretariat-Economic Services (₹ 1.20 crore). (ii) 'Other Revenue Expenditure' for reimbursement of briefcase/newspaper claim of officers under Secretariat-Economic Services (₹ 0.14 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants for Creation of Capital Assets for development of National Maritime Heritage Complex at Lothal in Gujarat under Sagarmala Scheme (₹ 52.50 crore). (ii) 'Subsidies' to release balance 10% subsidy for the FY 2022-23 to Syama Prasad Mookerjee port, Kolkata under River Dredging and Maintenance of river Hooghly and Haldia Channel by Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata and Haldia channel (₹ 5.53 crore). (iii) 'Subsidies' to release balance 10% subsidy for the FY 2022-23 to Syama Prasad Mookerjee port, Kolkata under Maintenance and Dredging in Haldia Channel by Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata (₹ 13.98 crore). (iv) 'Office Expense' to meet expenditure towards expenses for running of office under Light House and Light ships (₹ 15 crore). (v) release of Grants for Creation of Capital Assets for development of National Maritime Heritage Complex at Lothal

	बंदरगाहों (एएलएचडब्ल्यू) के विकास के लिए नए मद शीर्ष के लिए 'व्यावसायिक सेवाएँ' (0.18 करोड़ रुपये)।		in Gujarat under Sagarmala Scheme (₹ 87.50 crore). (vi) 'Fuels and Lubricants' for new object head for development of Minor Ports (ALHW) (₹ 0.87 crore). (vii) 'Professional Services' for new object head for development of Minor Ports (ALHW) (₹ 0.18 crore).
	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी भाग में बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में निवल नकद व्यय (72.01 करोड़ रुपये) शामिल होगा।		Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo (₹ 72.01 crore).
(ग)	नौवहन महानिदेशालय के लिए व्यावसायिक सेवाएँ (9.83 करोड़ रुपये)।	(c)	Professional Services' for Director General of Shipping (₹ 9.83 crore).
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo.
(घ)	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तहत 'निवेश' (43 करोड़ रुपये)।	(d)	'Investment' under Inland Waterways Authority of India (₹ 43 crore).
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo.
(ङ)	(i) एएलएचडब्ल्यू के लिए 'सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी)' (2.25 करोड़ रुपये)। (ii) एएलएचडब्ल्यू के लिए 'फर्नीचर और फिक्स्चर' (0.09 करोड़ रुपये)।	(e)	(i) 'Information, Computer & Telecommunication (ICT)' for ALHW (₹ 2.25 crore). (ii) 'Furniture and Fixtures' for ALHW (₹ 0.09 crore).
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तहत 'निवेश' (51.54 करोड़ रुपये)।	(f)	'Investment' under Inland Waterways Authority of India (₹ 51.54 crore).
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 79

विद्युत मंत्रालय  
MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 देखिये)

(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	21794.52	21794.52
पूंजी	Capital	...	16.80	16.80
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>21811.32</b>	<b>21811.32</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	10.00	0.02	10.02
पूंजी	Capital	...	1927.67	1927.67
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>10.00</b>	<b>1927.69</b>	<b>1937.69</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>10.00</b>	<b>23739.01</b>	<b>23749.01</b>
राजस्व	Revenue	10.00	21794.54	21804.54
पूंजी	Capital	...	1944.47	1944.47

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2801-विद्युत	2801-Power	10.00 (खb)	0.01 (गc)	10.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	<b>10.00</b>	<b>0.02</b>	<b>10.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	1927.67 (घd)	1927.67
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>10.00</b>	<b>1927.69</b>	<b>1937.69</b>

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- |     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| (क) | अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण को सुदृढ़ करने की योजना के अंतर्गत "पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के लिए 9 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।   | (a) | Meeting additional expenditure of ₹ 9 crore under Grants for creation of Capital Assets under 'Strengthening of Transmission in the states of Arunachal Pradesh and Sikkim'. Taking into account the savings available under same section of grant, this will not entail cash outgo.  |
| (ख) | अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों से संबंधित व्यावसायिक सेवाओं के लिए 10 करोड़ रुपये। अनुदान के स्वीकृत भाग के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;  | (b) | ₹ 10 crore for Professional Services pertaining to International Arbitration cases. Taking into account surrenders from Voted section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;  |
| (ग) | 143.73 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना [(i) राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए 'सब्सिडी' में 38 करोड़ रुपये; (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर-पीएमआरपी पैकेज 2004 के लिए 63.99 करोड़ रुपये; (iii) सामान्य-सहायता- अनुदान के रूप में दिल्ली को छोड़कर संघ शासित क्षेत्र के लिए संयुक्त एसईआरसी की स्थापना के लिए 3.13 करोड़ रुपये; (iv) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के लिए 38.61 करोड़ रुपये (सामान्य सहायता अनुदान के लिए 17 करोड़ रुपये, पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए 13 करोड़ रुपये और स्थापना व्यय के रूप में 8.61 करोड़ रुपये); ], अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा। इस पूरक के साथ, भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत 6.67 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। | (c) | Meeting additional expenditure of ₹ 143.73 crore [(i) ₹ 38 crore in 'subsidies' for National Electricity Fund; (ii) ₹ 63.99 crore for Jammu and Kashmir-PMRP Package 2004 as Grants for creation of Capital Assets; (iii) ₹ 3.13 crore for Setting up of Joint SERC for UT except Delhi as Grants-in-aid-General; (iv) ₹ 38.61 crore for Central Electricity Authority (₹ 17 crore for Grants-in-aid General, ₹ 13 crore for Grants for creation of capital assets and ₹ 8.61 crore as Establishment expenditure); ], Taking into account the savings available under same section of grant, this will not entail cash outgo. With this supplementary, an advance of ₹ 6.67 crore sanctioned from Contingency Fund of India will be recouped. |

- (घ) ₹ 1,927.67 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना [(i) बाढ़ नियंत्रण भंडारण-पनबिजली परियोजनाओं की सहायता के लिए अन्य व्यय के रूप में 108.99 करोड़ रुपये; (ii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के तहत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के लिए 0.42 करोड़ रुपये; और (iii) भारत सरकार के पक्ष में बोनस शेयरों के पूर्व अवधि के मुद्दे के समायोजन के लिए 1,819.25 करोड़ रुपये (2021-22 के दौरान पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 861.53 करोड़ रुपये और 2018-19 के दौरान नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा 957.72 करोड़ रुपये)। ] इसे समान विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अभिगृहीत किया जाएगा।] पूंजीगत भाग के अंतर्गत 0.99 करोड़ रुपये की उपलब्ध बचतों और अनुदान के राजस्व भाग से समतुल्य राशि के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (d) Meeting additional expenditure of ₹ 1,927.67 crore [(i) ₹ 108.99 crore as Other Expenditure for Support of flood moderation storage-Hydroelectric projects; (ii) ₹ 0.42 crore for Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment” under Central Electricity Authority; and (iii) ₹ 1,819.25 crore towards adjustment of prior period issue of bonus shares in favour of Government of India (₹ 861.53 crore by Powergrid Corporation of India Limited during 2021-22 and ₹ 957.72 crore by National Thermal Power Corporation during 2018-19). This will be assumed with matching Miscellaneous Capital Receipts.] Taking into account savings available worth ₹ 0.99 crore under capital section and matching surrenders of equivalent amount from revenue section of grant, this will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 80 (विनियोग)(APPROPRIATION)  
राष्ट्रपति के कर्मचारी, गृह प्रबंधन और भत्ते  
STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 99 देखिये)

(See page 99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. विनियोग:</b>	<b>I. ORIGINAL APPROPRIATION:</b>			
राजस्व	Revenue	87.73	...	87.73
पूंजी	Capital	2.41	...	2.41
जोड़	<b>Total</b>	<b>90.14</b>	...	<b>90.14</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	5.31	...	5.31
पूंजी	Capital	2.24	...	2.24
जोड़	<b>Total</b>	<b>7.55</b>	...	<b>7.55</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>97.69</b>	...	<b>97.69</b>
राजस्व	Revenue	<b>93.04</b>	...	<b>93.04</b>
पूंजी	Capital	<b>4.65</b>	...	<b>4.65</b>
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	2012-President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	5.31	(का) ...	5.31
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4075-Capital Outlay on Miscellaneous General Services	2.24	(खब) ...	2.24
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>7.55</b>	...	<b>7.55</b>

यह पूरक अनुदानेविनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) बोनस के भुगतान के लिए पुरस्कार (₹. 0.37 करोड़), (ii) विदेश यात्रा व्यय (₹. 1.50 करोड़), (iii) कार्यालय व्यय (₹. 2.68 करोड़), (iv) सामान्य सहायता अनुदान राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रपति संपदा (0.18 करोड़ रुपये) को अतिरिक्त प्रदान करें, (v) राष्ट्रपति के दौरों से संबंधित भुगतानों को निपटाने के लिए अन्य राजस्व व्यय (0.58 करोड़ रुपये) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

(ख) (i) राष्ट्रपति सचिवालय में प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने और आईसीटी उपकरणों की खरीद के लिए आईसीटी उपकरण (1.72 करोड़ रुपये), (ii) लंबित भुगतानों को निपटाने के लिए मोटर वाहन (0.05 करोड़ रुपये) और (iii) राष्ट्रपति भवन में उन्नयन, विरासत संपत्तियों की खरीद और एनईसी के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए (0.47 करोड़ रुपये)।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting additional expenditure under (i) Rewards for payment of bonus (₹ 0.37 crore), (ii) Foreign Travel Expenses (₹ 1.50 crore), (iii) Office Expenses (₹ 2.68 crore), (iv) Grants-in-aid General to provide additionality to Rajendra Prasad Kendriya Vidyalaya, President's Estate (₹ 0.18 crore), (v) Other Revenue Expenditure to clear payments related to Presidential Tours (₹ 0.58 crore).  
The above expenditure will entail cash outgo.

(b) meeting additional expenditure under (i) ICT Equipment to clear committed liabilities and to procure ICT equipments in the President's Secretariat (₹ 1.72 crore), (ii) Motor Vehicles to clear pending payments (₹ 0.05 crore) and (iii) Upgradation, Procurement of Heritage Assets & NEC to meet expenditure in the Presidential Household (₹ 0.47crore).  
The above expenditure will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 84 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 देखिये)

(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b><i>I. विनियोग:</i></b>	<b><i>I. ORIGINAL APPROPRIATION:</i></b>			
राजस्व	Revenue	358.46	...	358.46
पूंजी	Capital	21.54	...	21.54
जोड़	<b>Total</b>	<b>380.00</b>	...	<b>380.00</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	46.24	...	46.24
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	<b>46.24</b>	...	<b>46.24</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>426.24</b>	...	<b>426.24</b>
राजस्व	<b>Revenue</b>	<b>404.70</b>	...	<b>404.70</b>
पूंजी	<b>Capital</b>	<b>21.54</b>	...	<b>21.54</b>
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:			
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
<b><i>राजस्व भाग</i></b>	<b><i>REVENUE SECTION</i></b>			
<b><i>मुख्य शीर्ष</i></b>	<b><i>MAJOR HEAD</i></b>			
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission	46.24	...	46.24

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

परीक्षाओं और चयनों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure on Examinations and Selections.

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 85

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104-105 देखिये)

(See page 104-105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	433.10	330567.42	331000.52
पूंजी	Capital	219.29	440409.78	440629.07
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>652.39</b>	<b>770977.20</b>	<b>771629.59</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	82.10	...	82.10
पूंजी	Capital	619.54	69.83	689.37
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>701.64</b>	<b>69.83</b>	<b>771.47</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>1354.03</b>	<b>771047.03</b>	<b>772401.06</b>
राजस्व	Revenue	515.20	330567.42	331082.62
पूंजी	Capital	838.83	440479.61	441318.44

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3002-भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइन-कार्य संचालन व्यय	3002-Indian Railways - Commercial Lines - Working Expenses	82.10 (का)	...	82.10
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5002-भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइन पर पूंजीगत परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	619.54 (खब)	69.83 (गद)	689.37
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>701.64</b>	<b>69.83</b>	<b>771.47</b>

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	अदालती डिक्रियों से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 82.10 करोड़। स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, ₹ 82.10 करोड़ की तकनीकी पूरक की मांग की गई है।	(a)	₹ 82.10 crore for meeting additional expenditure arising out of court decrees. Taking account of savings available in voted section, technical supplementary of ₹ 82.10 crore is sought.
(ख)	अदालती डिक्रियों से उत्पन्न होने वाले प्रभारित व्यय के लिए ₹ 619.54 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, ₹ 619.54 करोड़ की तकनीकी पूरक की मांग की गई है।	(b)	Meeting additional expenditure of ₹ 619.54 crore for charged expenditure arising out of court decrees. Taking account of savings available in voted section, technical supplementary of ₹ 619.54 crore is sought.
(ग)	(i) 2021-22 में मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (₹68.83 करोड़) और 2022-23 में मेसर्स महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमआरआईडीसी) लिमिटेड (₹ 1 करोड़) द्वारा जारी बोनस शेयर का लेखा-जोखा। (ii) हाई हॉर्स पावर (एचएचपी) इंजनों के लिए टर्बो सुपर चार्जर (टीएससी) के लिए ₹ 15.10 करोड़। (iii) हाई हॉर्स पावर (एचएचपी) इंजनों के लिए ट्रैक्शन अल्टरनेटर के लिए ₹ 16 करोड़। (iv) मोटर के साथ रेडिएटर फैन के लिए ₹ 4.99 करोड़। (v) एयर कंप्रेसर के लिए ₹ 2.96 करोड़। (vi) यूनिट फ्यूल इंजेक्टर सेट के लिए ₹ 4.55 करोड़। (vii) पावर असेंबली सेट के लिए ₹ 50 करोड़। (viii) पूंजीगत उपकरण पुनरुद्धार सहित हाई हॉर्स पावर (एचएचपी) लोको के ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के व्यापक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए ₹ 175.75 करोड़।	(c)	(i) Accounting of Bonus share issued in 2021-22 by M/s IRCON international Limited (₹ 68.83 crore) and in 2022-23 by M/s Maharashtra Rail Infrastructure Development Corporation (MRIDC) Ltd (₹ 1 crore). (ii) ₹ 15.10 crore towards Turbo Super Charger(TSC) for High Horse Power(HHP) locomotives. (iii) ₹ 16 crore towards Traction Alternator for High Horse Power(HHP) locomotives. (iv) ₹ 4.99 crore towards Radiator Fan with Motor. (v) ₹ 2.96 crore towards Air Compressor. (vi) ₹ 4.55 crore towards Unit Fuel Injectors set . (vii) ₹ 50 crore towards Power Assembly set. (viii) ₹ 175.75 crore towards Comprehensive asset management of Traction Control System of High Horse Power(HHP) Locos incl. Capital Equipment Rehabilitation.
(ix)	हाई हॉर्स पावर (एचएचपी) लोकोमोटिव के सीसीबी-2 सिस्टम में लगे वाल्व के ओवरहालिंग/पुनरुद्धार के लिए ₹ 25.83 करोड़।	(ix)	₹ 25.83 crore towards Overhauling/ Rehabilitation of valve fitted of CCB-2 System of High Horse Power(HHP) Locomotives.

(x)	हाई हॉर्स पावर (एचएचपी) लोकोमोटिव के सीसीबी-1.5 सिस्टम में लगे वाल्व की ओवरहॉलिंग/पुनरूद्धार के लिए ₹ 15.02 करोड़।	(x)	₹ 15.02 crore towards Overhauling / Rehabilitation of valve fitted of CCB-1.5 System of High Horse Power(HHP) Locomotives.
(xi)	हाई हॉर्स पावर (एचएचपी) डीजल लोकोमोटिव के यूनिट इंजेक्टर सेट की ओवरहॉलिंग/पुनरूद्धार के लिए ₹ 33.76 करोड़।	(xi)	₹ 33.76 crore towards Overhauling / Rehabilitation of Unit Injectors set of High Horse Power(HHP) Diesel Locomotives.
(xii)	हाई हॉर्स पावर (एचएचपी) डीजल लोकोमोटिव के ट्रैक्शन मोटर की ओवरहॉलिंग के लिए ₹ 39.52 करोड़।	(xii)	₹ 39.52 crore towards Overhauling of Traction Motor of High Horse Power(HHP) Diesel Locomotives.
(xiii)	हाई हॉर्स पावर (एचएचपी) डीजल लोकोमोटिव के रिवाइंडिंग कार्य सहित ट्रैक्शन अल्टरनेटर के पुनरूद्धार के लिए ₹ 18.50 करोड़।	(xiii)	₹ 18.50 crore towards Rehabilitation of Traction Alternator including rewinding work of High Horse Power(HHP) Diesel Locomotives.
(xiv)	पूंजीगत उपकरण पुनरूद्धार सहित हाई हॉर्स पावर (एचएचपी) इंजनों की सहायक विद्युत इकाई (एपीयू) प्रणाली के व्यापक आस्तियों प्रबंधन के लिए ₹ 5.13 करोड़।	(xiv)	₹ 5.13 crore towards Comprehensive asset management of Auxiliary Power Unit (APU) System of High Horse Power(HHP) Locos including Capital Equipment Rehabilitation.
(xv)	रेडिएटर असेंबली सेट के लिए ₹ 8 करोड़।	(xv)	₹ 8 crore towards Radiator Assembly Set.
(xvi)	उत्तर रेलवे के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे के प्रावधान के लिए ₹ 200 करोड़।	(xvi)	₹ 200 crore towards provision of Railway Security Infrastructure in Jammu and Kashmir under Northern Railway.
(xvii)	ट्रैक के पुनर्निर्माण और ट्रैक से संबंधित अन्य कार्यों के लिए ₹ 200 करोड़।	(xvii)	₹ 200 crore towards Reconstruction of track and other track related works.
(xviii)	उत्तर पश्चिम रेलवे पर 130 किमी प्रति घंटे की खण्डीय गति के लिए ट्रैक संरचना के उन्नयन के लिए ₹ 257.94 करोड़।	(xviii)	₹ 257.94 crore towards Upgradation of track structure for sectional speed of 130 kmph on North Western Railway.
(xix)	स्व-चालित निरीक्षण कारों के निर्माण के लिए ₹ 250 करोड़।	(xix)	₹ 250 crore towards Manufacturing of Self Propelled Inspection Cars.
(xx)	आग का पता लगाने और शमन प्रणाली के प्रावधान के लिए ₹ 28 करोड़।	(xx)	₹ 28 crore towards Provision of fire detection and suppression system
(xxi)	इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए रेलवे ड्राइवर सहायता प्रणाली (आरडीएएस) के साथ क्रू वॉयस और वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम के प्रावधान के लिए ₹ 250 करोड़।	(xxi)	₹ 250 crore towards Provision of Crew Voice & Video Recording System with Railway Driver Assistance System (RDAS) for Electric Locomotives.
(xxii)	वाइड एसी इलेक्ट्रिक गुड्स (डब्ल्यूएजी-9) और वाइड एसी इलेक्ट्रिक पैसेंजर (डब्ल्यूएपी-7) लोकोमोटिव में ट्रैक्शन मोटर्स को गिरने से रोकने के लिए बोगी संशोधन के प्रावधान के लिए ₹ 100.77 करोड़।	(xxii)	₹ 100.77 crore towards Provision of Bogie Modification for anti falling of Traction Motors in Wide AC Electric Goods (WAG-9) & Wide AC Electric passenger (WAP-7) Locomotives
(xxiii)	इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए ड्राइवर सीट के प्रावधान के लिए ₹ 16 करोड़।	(xxiii)	₹ 16 crore towards Provision of Driver Seat for electric locomotives.
(xxiv)	थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में वाटरलेस यूरिनल के रिट्रो-फिटमेंट के लिए ₹ 50 करोड़।	(xxiv)	₹ 50 crore towards Retro-fitment of Waterless Urinal in Three Phase Electric Locomotives.
(xxv)	3-चरण के इलेक्ट्रिक इंजनों में एलईडी आधारित हेड लाइट के प्रावधान के लिए ₹ 40 करोड़।	(xxv)	₹ 40 crore towards Provision of LED based Head Light in 3-phase electric locomotives.
(xxvi)	संस्करण-3 (पारंपरिक लोकोमोटिव के लिए) के साथ माइक्रोप्रोसेसर सहायता प्राप्त नियंत्रण और दोष निदान प्रणाली के लिए ₹ 95.04 करोड़।	(xxvi)	₹ 95.04 crore towards Microprocessor aided control & fault diagnostic system with version-3 (for conventional locomotives).
(xxvii)	3-चरण इलेक्ट्रिक इंजनों में कैब में एयर कंडीशनिंग के रिट्रो-फिटमेंट के लिए ₹ 28.72 करोड़।	(xxvii)	₹ 28.72 crore towards Retro-fitment of Air Conditioning in cabs in 3-phase electric locomotives.
(xxviii)	लोकोमोटिव में रीयल-टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली (आरटीआईएस) के रिट्रो-फिटमेंट के लिए ₹ 159 करोड़।	(xxviii)	₹ 159 crore towards Retro-fitment of Real-time Train Information System (RTIS) in locomotives.
(xxix)	इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए हाई रीच पेंटोग्राफ के प्रावधान के लिए ₹ 368.16 करोड़।	(xxix)	₹ 368.16 crore towards Provision of High Reach pantographs for Electric locos.
(xxx)	भारतीय रेलवे के इलेक्ट्रिक लोको शेडों में तीन चरण वाले इलेक्ट्रिक यात्री इंजनों के लिए डेटा पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण प्रणाली के प्रावधान के लिए समावेशी कार्य के लिए ₹ 60 करोड़।	(xxx)	₹ 60 crore towards Umbrella work for provision of Data retrieval and analytics system for three phase electric passenger locomotives in electric loco sheds of Indian Railways.
(xxxi)	जोनल रेलवे में कोचिंग/वॉशिंग डिपो में पुश पुल लोकोमोटिव के लिए सुविधाओं के सृजन के समावेशी कार्य के लिए ₹ 200 करोड़।	(xxxi)	₹ 200 crore towards Umbrella work of creation of facilities for push pull locomotives at coaching/washing depots in zonal Railways.
(xxxii)	कोचों में सीसीटीवी कैमरों के प्रावधान के लिए ₹ 700 करोड़।	(xxxii)	₹ 700 crore towards provision of CCTV cameras in coaches.
(xxxiii)	गैर-एसी कोचों में स्वचालित आग और धुआं पहचान प्रणाली के प्रावधान के लिए ₹ 2400 करोड़।	(xxxiii)	₹ 2400 crore towards provision of automatic fire and smoke detection system in Non-AC coaches.
(xxxiv)	पावर/पेंट्री कारों में मैनुअल अग्नि शमन प्रणाली को स्वचालित प्रणाली में अद्यतन करने के लिए ₹ 22 करोड़।	(xxxiv)	₹ 22 crore towards upgradation of manual fire suppression system to automatic system in power/pantry cars.
(xxxv)	एसी कोचों में फायर अलर्ट प्रणाली को हीट सेंपलिंग पॉइंट से एस्पिरेशन टाइप में बदलने के लिए ₹ 23 करोड़।	(xxxv)	₹ 23 crore towards conversion of fire alert system from heat sampling points to aspiration type in AC coaches.
(xxxvi)	एसी/नॉन-एसी कोचों के शौचालयों में आग का पता लगाने एवं शमन प्रणाली के प्रावधान के लिए ₹ 80 करोड़।	(xxxvi)	₹ 80 crore towards provision of fire detection cum Suppression system in lavatories of AC/Non -AC Coaches.

(xxxvii)	1000 नम्बरों के रूपांतरण के लिए ₹ 170 करोड़। नव रूपान्तरित माल (एनएमजी) कोचों को नव रूपान्तरित माल कोच/नव रूपान्तरित माल-उच्च गति (एनएमजीएच/एनएमजीएचएस) कोचों में परिवर्तित किया गया।	(xxxvii)	₹ 170 crore towards conversion of 1000 nos. Newly Modified Goods (NMG) coaches into New Modified Goods Coach/New Modified Goods-High Speed (NMGH/NMGHS) coaches
(xxxviii)	कोचों में स्वचालित दरवाजों के रिट्रोफिटमेंट के लिए ₹ 125 करोड़।	(xxxviii)	₹ 125 crore towards retrofitment of automatic doors in coaches.
(xxxix)	प्रीमियम ट्रेनों के नवीनीकरण/उन्नयन के लिए ₹500 करोड़।	(xxxix)	₹ 500 crore towards Refurbishment / Up gradation of premium trains.
(xl)	कोचों में सीटों और बर्थों के नवीनीकरण/उन्नयन के लिए ₹ 1175 करोड़।	(xl)	₹ 1175 crore towards refurbishment / upgradation of seats and berths in coaches.
(xli)	कोचों में शौचालयों के उन्नयन के लिए ₹ 2000 करोड़।	(xli)	₹ 2000 crore towards upgradation of toilets in coaches.
(xlii)	लिनक हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोचों में बैलेंस्ड ड्राफ्ट गियर बीडीजी के साथ सेंटर बफर कपलर के पुनर्वास के लिए ₹ 150 करोड़।	(xlii)	₹ 150 crore towards rehabilitation of Center Buffer Coupler with Balanced Draft Gear BDG in Linke Hofmann Busch (LHB) coaches.
(xliii)	एक्सल बॉक्स बेयरिंग कंडीशन मॉनिटरिंग प्रणाली के प्रावधान के लिए ₹ 100 करोड़।	(xliii)	₹ 100 crore towards provision of Axle Box bearing condition monitoring system.
(xliv)	साइकिल डाउनटाइम को कम करने के लिए लिनक हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोचों के पुनरुद्धार/ओवरहालिंग के लिए ₹ 234 करोड़।	(xliv)	₹ 234 crore towards rehabilitation/overhauling of Linke Hofmann Busch (LHB) Coaches to reduce the cycle downtime.
(xlv)	डी चेक के लिए कोचों में डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट डेम्प पावर पैक के नवीनीकरण के लिए ₹ 121.50 करोड़।	(xlv)	₹ 121.50 crore towards refurbishment for Diesel Electrical Multiple Unit DEMU power packs in coaches for D check .
(xlii)	विस्टा डोम कोच के लिए 215 करोड़।	(xlii)	₹ 215 crore towards Vista dome coaches.
(xlvii)	गेज कोच के लिए ₹200 करोड़।	(xlvii)	₹ 200 crore towards Gauge Coaches.
(xlviii)	कोचों में एटी-क्लाइंबर के साथ क्रैश बफर के लिए ₹ 50 करोड़।	(xlviii)	₹ 50 crore towards crash buffer with anti-climbers in coaches.
(xlix)	कोचों में एटी-ग्रेफिटी कोटिंग के लिए ₹ 66 करोड़।	(xlix)	₹ 66 crore towards Anti-graffiti coating in coaches.
(l)	वायु प्रदूषण/कोविड जैसे वायरस से निपटने के लिए एसी कोचों में वायु कीटाणुशोधन प्रणाली के प्रावधान के लिए ₹ 33 करोड़।	(l)	₹ 33 crore towards provision of Air disinfection system in AC coaches by combating air pollution / Covid like viruses.
(li)	पारंपरिक इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) और मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू) की बुनियादी इकाइयों में धुआं जांच/फायर अलार्म और शमन प्रणाली के प्रावधान के लिए ₹ 12.34 करोड़।	(li)	₹ 12.34 crore towards provision of Smoke Detection/Fire Alarm and Suppression System in Basic Units of Conventional Electric Multiple Unit (EMUs) and Mainline Electric Multiple Unit (MEMUs).
(lii)	3-चरण के ईएमयू और एमईएमयू की बुनियादी इकाइयों में धुआं जांच/फायर अलार्म और शमन प्रणाली के प्रावधान के लिए ₹ 84.50 करोड़।	(lii)	₹ 84.50 crore towards provision of Smoke Detection/fire alarm and Suppression System in Basic Units of 3-Phase EMUs and MEMUs.
(liii)	कोलकाता मेट्रो के रैक में धुआं जांच/फायर अलार्म और शमन प्रणाली के प्रावधान के लिए ₹ 27.45 करोड़।	(liii)	₹ 27.45 crore towards provision of Smoke Detection/fire alarm and Suppression System in Rakes of Kolkata Metro.
(liv)	वातानुकूलित 3-चरण के इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स (ईएमयू) के रैक में धुआं जांच/फायर अलार्म और शमन प्रणाली के प्रावधान के लिए ₹ 29.87 करोड़।	(liv)	₹ 29.87 crore towards provision of Smoke Detection/fire alarm and Suppression System in Rakes of Air Conditioned 3-phase Electrical Multiple Units (EMUs).
(lv)	ईएमयू/एमईएमयू/वंदे भारत ट्रेनों में रीयल-टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली (आरटीआईएस) के प्रावधान के लिए ₹ 99 करोड़।	(lv)	₹ 99 crore towards provision of Real-time Train Information System (RTIS) in EMU/MEMU/Vande Bharat trains.
(lvi)	ईएमयू/एमईएमयू/वंदे भारत ट्रेनों में कवच प्रणाली के प्रावधान के लिए ₹ 600 करोड़।	(lvi)	₹ 600 crore towards provision of Kavach system in EMU/MEMU/Vande Bharat Trains.
(lvii)	टीआरडी आस्तियों के रख-रखाव के लिए 8 डब्ल्यू डीजल इलेक्ट्रिक टॉवर कार (डीईटीसी) की आवश्यकता के लिए ₹ 1872 करोड़।	(lvii)	₹ 1872 crore towards requirement of 8W Diesel Electric Tower Car (DETC) for maintenance & upkeep of TRD assets.
(lviii)	रोलिंग स्टॉक रखरखाव डिपो के लिए पूरी तरह से स्वचालित कम्प्यूटरीकृत सिंगल कार टेस्ट रिग की आपूर्ति और स्थापना के प्रावधान के लिए ₹ 11.44 करोड़।	(lviii)	₹ 11.44 crore towards provision for supply and installation of fully automated computerized single car test rig for rolling stock maintenance depot.
(lix)	फ्लोर व्हील लेथ के तहत सीएनसी टैंडेम के प्रावधान के लिए ₹ 200 करोड़।	(lix)	₹ 200 crore towards provision of CNC tandem under floor wheel lathe.
(lx)	उन्नत और डिजिटल माप तोल और संयंत्रों के प्रावधान के लिए ₹ 500 करोड़।	(lx)	₹ 500 crore towards provision of upgraded and digital measurement tools and plants.
(lxi)	वंदे भारत ट्रेनसेट के लिए मोशन ड्राइविंग सिमुलेटर के प्रावधान के लिए ₹ 150 करोड़।	(lxi)	₹ 150 crore towards provision of motion driving simulator for Vande Bharat trainset.
(lxii)	स्टेशनों पर त्वरित जल व्यवस्था स्थापित करने के लिए ₹ 200 करोड़।	(lxii)	₹ 200 crore towards setting up of quick watering arrangement at stations.
(lxiii)	अन्य रोलिंग स्टॉक के लिए रखरखाव सुविधाओं के उन्नयन/विकास के लिए ₹ 1000 करोड़।	(lxiii)	₹ 1000 crore towards upgradation/development of maintenance facilities for other rolling stock.
(lxiv)	साधारण उपयोगिता वाहनों के लिए ₹ 3.92 करोड़। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए क्रम संख्या पर मद (ii) से (lxiv) तक सूचीबद्ध पर नकद व्यय नहीं होगा। रेलवे सीपीएसयू द्वारा बोनस शेयर जारी करने के लिए 69.83 करोड़ रुपये की तकनीकी पूरक राशि मांगी गई है।	(lxiv)	₹ 3.92 crore towards Ordinary Utility Vehicles. Taking into account the savings available within the same section of the Grant, items listed at Sl.No. (ii) to (lxiv) will not entail cash outgo. A technical supplementary of ₹ 69.83 crore is sought towards issue of bonus shares by Railways CPSUs.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 86  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 देखिये)

(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	23528.23	23528.23
पूंजी	Capital	5.00	321293.78	321298.78
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>5.00</b>	<b>344822.01</b>	<b>344827.01</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>...</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>5.00</b>	<b>344822.04</b>	<b>344827.04</b>
राजस्व	Revenue	...	23528.24	23528.24
पूंजी	Capital	5.00	321293.80	321298.80
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	0.01	(क) 0.01
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01	(ख) 0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	(ग) 0.01
<b>जोड़ (पूंजी भाग)</b>	<b>Total (Capital Section)</b>	<b>...</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>...</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के अंतर्गत केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित सड़क विंग द्वारा मरम्मत और अनुरक्षण (63.93 करोड़ रुपये)।  
(ii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण हेतु ब्लॉक अनुदान के अंतर्गत अंतर खाता अंतरण (63.93 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) राष्ट्रीय निवेश कोष से वित्तपोषण पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए अवसंरचना आस्तियों हेतु (102 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) (i) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए एनएचआईडीसीएल के अंतर्गत चालू परियोजनाओं के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निवेश (1000 करोड़ रुपये)।  
(ii) वर्ष 2014-15 से पूर्व अवधि के समायोजन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को जारी किए गए 101 करोड़ रुपये (इक्विटी निवेश के रूप में 100 करोड़ रुपये और बोनस शेयरों के रूप में 1 करोड़ रुपये) का नियमितीकरण और पुनः खाता शीर्ष खोलने हेतु (101 करोड़ रुपये)।  
(iii) सड़क विंग के अंतर्गत निर्माण कार्यों के तहत अन्य योजनाओं के लिए अवसंरचना आस्तियों हेतु (2427.44 करोड़ रुपये)।  
(iv) विदेश से सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत अवसंरचना आस्तियां-सड़क विंग के अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी हेतु (280 करोड़ रुपये)।  
(v) विदेश से सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत अवसंरचना आस्तियां-सड़क विंग के अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए विश्व बैंक, ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Repair and Maintenance by Roads Wing financed from Central Road and Infrastructure Fund under Maintenance of National Highways (₹ 63.93 crore).  
(ii) Inter Account Transfer under Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 63.93 crore).  
Taking into account the savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Infrastructural Assets for Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas- financed from National Investment Fund (₹ 102 crore).  
Taking into account the savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) Investment under Bharatmala Pariyojana for the ongoing projects under NHIDCL entrusted to National Highway Authority of India (₹ 1000 crore).  
(ii) Regularisation of ₹ 101 crore (₹ 100 crore as Equity infusion and ₹ 1 crore as Bonus Shares) released to National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL) for prior period adjustment in 2014-15 and to re-open the Head of Account (₹ 101 crore).  
(iii) Infrastructural Assets for Other Schemes under Works under Roads Wing (₹ 2427.44 crore).  
(iv) Infrastructural Assets under Externally Aided Schemes- Japan International Cooperation Agency for Works under Roads Wing (₹ 280 crore).  
(v) Infrastructural Assets under Externally Aided Schemes- World Bank, Green National Highways Corridor Project

गलियारा परियोजना (जीएनएचसीपी) के अंतर्गत अवसंरचना आस्तियों हेतु (565 करोड़ रुपये)।

(vi) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित अन्य राजमार्गों से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत विदेश से सहायता प्राप्त योजनाओं -जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के लिए प्रतिरूप वित्तपोषण हेतु अवसंरचना आस्तियों के लिए (70 करोड़ रुपये)

(vii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित अन्य राजमार्गों से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत विदेश से सहायता प्राप्त योजनाओं -विश्व बैंक- ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (जीएनएचसीपी) के लिए प्रतिरूप वित्तपोषण हेतु अवसंरचना आस्तियों के लिए (535 करोड़ रुपये)।

(viii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित अन्य राजमार्ग संबंधी योजनाओं के अंतर्गत रोप-वे के विकास के लिए अवसंरचना आस्तियों हेतु (50 करोड़ रुपये)।

(ix) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र (जनजातीय क्षेत्र उपयोगना) में सड़क संपर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित अवसंरचना आस्तियों हेतु (70 करोड़ रुपये)।

(x) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत अवसंरचना आस्तियों हेतु (1000 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(GNHCP) for Works under Roads Wing (₹ 565 crore).

(vi) Infrastructural Assets for Counterpart Funding for Externally Aided Schemes-Japan International Cooperation Agency under Other Highways related schemes financed from Central Road and Infrastructure Fund (₹ 70 crore).

(vii) Infrastructural Assets for Counterpart Funding for Externally Aided Schemes-World bank- Green National Highways Corridor Project (GNHCP) under Other Highways related schemes financed from Central Road and Infrastructure Fund (₹ 535 crore).

(viii) Infrastructural Assets for Development of Rope-ways under Other Highways related schemes financed from Central Road and Infrastructure Fund (₹ 50 crore).

(ix) Infrastructural Assets for financed from Central Road and Infrastructure Fund under Special Programme for Development of Road Connectivity in Left Wing Extremism Affected Area (Tribal Area Sub Plan) (₹ 70 crore).

(x) Infrastructural Assets under National Highways Original Works-Tribal Area Sub Plan- financed from Central Road and Infrastructure Fund (₹ 1000 crore).

Taking into account the savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87  
ग्रामीण विकास विभाग  
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		भारत	स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
		Charged	Voted	जोड़	Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>				
राजस्व	Revenue	...	236541.48		236541.48
पूंजी	Capital	...	3.52		3.52
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>236545.00</b>		<b>236545.00</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>				
राजस्व	Revenue	...	14524.34		14524.34
पूंजी	Capital	...	0.12		0.12
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>14524.46</b>		<b>14524.46</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>251069.46</b>		<b>251069.46</b>
राजस्व	Revenue	...	251065.82		251065.82
पूंजी	Capital	...	3.64		3.64

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारत	स्वीकृत		
		Charged	Voted	जोड़	Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(का)	0.01
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	...	0.01	(खब)	0.01
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	14524.29	(गक)	14524.29
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01	(घद)	0.01
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	0.01	(डे)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(चफ)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>14524.34</b>		<b>14524.34</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>				
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	0.12	(छग)	0.12
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>14524.46</b>		<b>14524.46</b>

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>				
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	(-)16142.86		(-)16142.86
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)3857.14		(-)3857.14
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>(-)20000.00</b>		<b>(-)20000.00</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन के लिए 40 करोड़ रुपये, जिसमें बैंक और एजेंसी शुल्क (39.95 करोड़ रुपये) और विज्ञापन और प्रचार (0.05 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) ₹ 40 crore towards allocation under National Social Assistance Programme, of which bank and agency charges (₹ 39.95 crore) and Advertising and Publicity (₹ 0.05 crore). Taking into account the savings available under same section of grant, this will not entail cash outgo.

(ख) विज्ञापन और प्रचार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत

(b) ₹ 0.10 crore towards allocation under National Rural

	आवंटन के लिए 0.10 करोड़ रुपये। अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।		Livelihood Mission for Advertising and Publicity. Taking into account the savings available under same section of grant, this will not entail cash outgo.
(ग)	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 16,142.86 करोड़ रुपये, जिसमें भारत की आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध बचतों और अतिरिक्त वसूली को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।	(c)	Additional ₹ 16,142.86 crore under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, including ₹ 10,000 crore for recoupment of advance taken from Contingency Fund of India. Taking into account savings available in same section of grant, and additional recoveries this will not entail cash outgo.
(घ)	विज्ञापन और प्रचार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के तहत आवंटन के लिए 0.10 करोड़ रुपये। अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।	(d)	₹ 0.10 crore towards allocation under National Institute of Rural Development and Panchayati Raj for Advertising and Publicity. Taking into account the savings available under same section of grant, this will not entail cash outgo.
(ङ)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आवंटन के लिए 25.05 करोड़ रुपये (विज्ञापन और प्रचार के लिए 25 करोड़ रुपये और व्यावसायिक सेवाओं के लिए 0.05 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।	(e)	₹ 25.05 crore towards allocation under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (₹ 25 crore for Advertising and Publicity and ₹ 0.05 crore for Professional Services). Taking into account the savings available under same section of grant, this will not entail cash outgo.
(च)	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 3,857.14 करोड़ रुपये। अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।	(f)	Additional ₹ 3,857.14 crore for meeting additional expenditure under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Taking into account the savings available under same section of grant, this will not entail cash outgo.
(छ)	कार्यालय फर्नीचर के लिए 0.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। अनुदान के राजस्व भाग से अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(g)	Meeting additional expenditure of ₹ 0.12 crore for office furniture. Taking into account surrenders from revenue section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 88  
भूमि संसाधन विभाग  
DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 देखिये)

(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	2417.97	2417.97
पूंजी	Capital	...	1.26	1.26
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>2419.23</b>	<b>2419.23</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	17.42	0.02	17.44
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>17.42</b>	<b>0.02</b>	<b>17.44</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>17.42</b>	<b>2419.25</b>	<b>2436.67</b>
राजस्व	Revenue	17.42	2417.99	2435.41
पूंजी	Capital	...	1.26	1.26
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	17.42	(क) 0.01	(ख) 17.43
2506-भूमि सुधार	2506-Land Reforms	...	0.01	(ग) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	<b>17.42</b>	<b>0.02</b>	<b>17.44</b>

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश, दिनांक 02.06.2023 के अनुसरण में अदालती डिक्री से संबंधित व्यय को पूरा करना। अंतिम अधिनिर्णय की प्रत्याशा में अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) 'वॉटरशेड विकास घटक - प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना' के तहत विज्ञापन और प्रचार हेतु मीडिया योजना हेतु (2.50 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) 'डिजिटल इंडिया पहल-भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम' के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार के लिए मीडिया योजना हेतु (2 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting expenditure related to court decree in pursuance of the Hon'ble High Court Delhi's Order dated 02.06.2023, in anticipation of the final award. Taking into account savings available under revenue section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.
- (b) media plan for advertising and publicity under 'Watershed Development Component - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana' (₹ 2.50 crore). Taking into account savings available in same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) media plan for advertising and publicity under 'Digital India Initiative- Land Records Modernization Programme' (₹ 2 crore). Taking into account savings available in same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 89  
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	7843.95	7843.95
पूंजी	Capital	...	88.30	88.30
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>7932.25</b>	<b>7932.25</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>7932.27</b>	<b>7932.27</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>7843.97</b>	<b>7843.97</b>
पूंजी	Capital	...	<b>88.30</b>	<b>88.30</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(क) 0.01
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	(ख) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) जी-20 इंडिया प्रेसिडेंसी 2022 (विज्ञान) के अन्तर्गत 'सामान्य सहायता अनुदान' में ₹ 0.43 करोड़ के खर्च को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) 1. सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय (i) स्वायत्त निकायों को सहायता (₹ 35.30 करोड़) (ii) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (₹ 200 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (₹ 4.50 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान 2 (i) स्वायत्त निकायों को सहायता (₹ 10 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (₹ 0.50 करोड़) के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान 3. (i) स्वायत्त निकायों को सहायता के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹)13 करोड़) और (ii) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (₹1.50 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 0.43 crore) under G-20 India Presidency 2022 (Science). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General for (i) Assistance to Autonomous Bodies (₹ 35.30 crore) (ii) Science and Engineering Research Board (₹ 200 crore) and (iii) National Quantum Mission (₹ 4.50 crore) 2. Grants for creation of Capital Assets for (i) Assistance to Autonomous Bodies (₹ 10 crore) and (ii) National Quantum Mission (₹ 0.50 crore) 3. Grants-in-aid Salaries for (i) Assistance to Autonomous Bodies (₹ 13 crore) and (ii) Science and Engineering Research Board (₹ 1.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 90  
जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 देखिये)

(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	2683.86	2683.86
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>2683.86</b>	<b>2683.86</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>2683.87</b>	<b>2683.87</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>2683.87</b>	<b>2683.87</b>
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अर्पित है:

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (2 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (8.62 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets (₹ 2 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 8.62 crore) under Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 91  
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग  
DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 देखिये)

(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	5737.05	5737.05
पूंजी	Capital	...	9.46	9.46
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>5746.51</b>	<b>5746.51</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	452.46	452.46
पूंजी	Capital	...	3.56	3.56
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>456.02</b>	<b>456.02</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>6202.53</b>	<b>6202.53</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>6189.51</b>	<b>6189.51</b>
पूंजी	Capital	...	<b>13.02</b>	<b>13.02</b>
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	452.46	(का) 452.46
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4859-Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries	...	3.56	(खब) 3.56
जोड़ (पूरक)	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>456.02</b>	<b>456.02</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सीएसआईआर की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (311 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (225 करोड़ रुपये) के लिए धन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल होगा।
- (ख) डीएसआईआर की पीएसई योजना के अंतर्गत सीईएल (निवेश) के लिए 4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional requirement of funds towards Grants-in-aid General (₹ 311 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 225 crore) under National Laboratories of CSIR. Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.
- (b) meeting additional requirement of funds of ₹ 4 crore for CEL(Investment) under Assistance to PSEs Scheme of DSIR. Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 92  
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय  
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	3418.07	3418.07
पूंजी	Capital	...	99.24	99.24
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>3517.31</b>	<b>3517.31</b>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
जोड़ (मूल और पूरक)	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>3517.34</b>	<b>3517.34</b>
राजस्व	Revenue	...	3418.09	3418.09
पूंजी	Capital	...	99.25	99.25
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01 (का)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) ईएपी- औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (एसटीआरआईवीई) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (50.00 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) संस्थागत प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना को सुदृढ करने की योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (3.25 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ग) एमएसडीई-सचिवालय के भवन और संरचनाएं (10.00 करोड़ रुपये)।  
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Grant-in-Aid General (₹ 50.00 Crore) under the scheme of EAP- Skill Strengthening for Industrial Value Enhancements (STRIVE).  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants for Creation of Capital Assets(₹ 3.25 Crore) under the scheme Strengthening of Infrastructure for Institutional Training .  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Buildings and Structures(₹ 10.00 Crore) of MSDE-Secretariat.  
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 93  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग  
DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	13117.11	13117.11
पूंजी	Capital	...	140.05	140.05
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>13257.16</b>	<b>13257.16</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>13257.17</b>	<b>13257.17</b>
राजस्व	Revenue	...	13117.12	13117.12
पूंजी	Capital	...	140.05	140.05
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (1) क) सामान्य सहायता अनुदान के तहत (i) प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम दक्ष) योजना (₹ 27.53 करोड़) (ii) ओबीसी और ईबीसी के लिए यंग अचीवर्स स्कीम (श्रेयस) में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना में ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (₹ 35.00 करोड़) (iii) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 को लागू करने के लिए मशीनरी को सुदृढ़ करना (₹ 0.73 करोड़) और (iv) अनुसूचित जाति के लिए यंग अचीवर्स स्कीम (श्रेयस) के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की योजना में एससी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (₹ 25.00 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (ख) पुरस्कार वाइब्रेंट इण्डिया (पीएम यशस्वी) के लिए पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति की योजना में (i) ओबीसी के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास (₹15.00 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्ति के सृजन अनुदान के लिए पुरस्कार योजना (ग) ओबीसी और ईबीसी के लिए युवा अचीवर्स योजना (श्रेयस) में ओबीसी और ईबीसी की उच्च शिक्षा के लिए विदेशी अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की योजना हेतु ब्याज सब्सिडी के तहत सब्सिडी (₹ 40.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

- (1) (a) Grants in aid General under (i) Pradhan Mantri Dakshta aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM DAKSH) Yojana (₹ 27.53 Crore) (ii) National Fellowship for OBCs (₹ 35.00 Crore) in the scheme of Scholarship for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for OBCs and EBCs Scheme (iii) Strengthening of machinery for Enforcement of Protection of Civil Right Act 1955 and Prevention of Atrocities Act, 1989 (₹ 0.73 Crore) and (iv) National Fellowship for SCs (₹ 25.00 Crore) in the Scheme of Scholarship for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for SCs (b) Grants for Creation of Capital Assets under (i) Boys and Girls Hostel for OBCs (₹ 15.00 Crore) in the Scheme of PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs (c) Subsidies under Interest Subsidy on Overseas Studies of OBCs and EBCs (₹ 40.00 Crore) in the scheme of Scholarship for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for OBCs and EBCs . Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 94  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	1224.09	1224.09
पूंजी	Capital	...	1.06	1.06
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>1225.15</b>	<b>1225.15</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>1225.16</b>	<b>1225.16</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>1224.10</b>	<b>1224.10</b>
पूंजी	Capital	...	<b>1.06</b>	<b>1.06</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) (क) राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (23.75 करोड़ रुपये) (ख) विकलांग व्यक्तियों को सहायता और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सामान्य सहायता अनुदान (30.00 करोड़ रुपये) (जिसमें सामान्य के लिए 22.80 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 4.80 करोड़ रुपये शामिल हैं) और अनुसूचित जनजाति के लिए 2.40 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) (a) Grant in aid General under National Institutes (₹ 23.75 crore) (b) Grant in aid General under Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances (₹ 30.00 crore) (which includes ₹ 22.80 crore for General, ₹ 4.80 crore for SCs and ₹ 2.40 crore for STs) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 95  
अंतरिक्ष विभाग  
DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	0.60	6186.50	6187.10
पूंजी	Capital	0.40	6356.41	6356.81
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>1.00</b>	<b>12542.91</b>	<b>12543.91</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	586.32	586.32
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>...</b>	<b>586.33</b>	<b>586.33</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>1.00</b>	<b>13129.24</b>	<b>13130.24</b>
राजस्व	Revenue	<b>0.60</b>	<b>6772.82</b>	<b>6773.42</b>
पूंजी	Capital	<b>0.40</b>	<b>6356.42</b>	<b>6356.82</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	586.32 (का)	586.32
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	0.01 (खब)	0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	<b>...</b>	<b>586.33</b>	<b>586.33</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) (3 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) (2.20 करोड़ रुपये), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय (7 करोड़ रुपये) और जलवायु एवं वायुमंडलीय कार्यक्रम (0.84 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (ii) भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) (2 करोड़ रुपये), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय (0.89 करोड़ रुपये) और जलवायु और वायुमंडलीय कार्यक्रम (5.42 करोड़ रुपये) पूंजीगत आस्तित्व के सृजन हेतु अनुदान (iii) भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) के अनुदान (4.75 करोड़ रुपये), भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) (10.80 करोड़ रुपये), और राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) (2.35 करोड़ रुपये) के लिए वेतन सहायता अनुदान (iv) विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) (121.19 करोड़ रुपये), इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई (आईआईएसयू) (₹ 10 करोड़), सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र - एसएचएआर (एसडीएससी-एसएचएआर) (16.21 करोड़ रुपये), इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) (79.62 करोड़ रुपये), इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (आईपीआरसी) (22.26 करोड़ रुपये), मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी (एमसीएफ) (8.44 करोड़ रुपये), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय (36.41 करोड़ रुपये), यू आर राव सैटेलाइट सेंटर (यूआरएससी) (34.45 करोड़ रुपये), मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एचएसएफसी) (7.88 करोड़ रुपये), अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसपी) (158.73 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एनएनआरएमएस) (5.49 करोड़ रुपये), और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) (₹ 45.99 करोड़); के अंतर्गत परिचालन व्यय और (v) तृष्णा के तहत सेवा का नया साधन (विदेश यात्रा व्यय - 0.40 करोड़ रुपये)।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards (i) Grant in Aid General for Physical Research Laboratory (PRL) (₹ 3 crore), National Atmospheric Research Laboratory (NARL) (₹ 2.20 crore), Indian Space Research Organisation (ISRO) HQs. (₹ 7 crore) and Climate & Atmospheric Programme (₹ 0.84 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets for Indian Institute of Science & Technology (IIST) (₹ 2 crore), Indian Space Research Organisation (ISRO) HQs. (₹ 0.89 crore) and Climate & Atmospheric Programme (₹ 5.42 crore) (iii) Grant-in-Aid Salaries of Indian Institute of Science & Technology (IIST) (₹ 4.75 crore), Physical Research Laboratory (PRL) (₹ 10.80 crore), and National Atmospheric Research Laboratory (NARL) (₹ 2.35 crore) (iv) operational expenses under Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) (₹ 121.19 crore), ISRO Inertial Systems Unit (IISU) (₹ 10 crore), Satish Dhawan Space Centre - SHAR (SDSC-SHAR) (₹ 16.21 crore), ISRO Telemetry, Tracking and Command Network (ISTRAC) (₹ 79.62 crore), ISRO Propulsion Complex (IPRC) (₹ 22.26 crore), Master Control Facility (MCF) (₹ 8.44 crore), Indian Space Research Organisation (ISRO) HQs. (₹ 36.41 crore), U R RAO Satellite Centre (URSC) (₹ 34.45 crore), Human Spaceflight Centre (HSFC) (₹ 7.88 crore), Space Applications Centre (SAC) (₹ 158.73 crore), National Natural Resources Management System (NNRMS) (₹ 5.49 crore), and National Remote Sensing Centre (NRSC) (₹ 45.99 cr); and (v) New Instrument of Service under TRISHNA (Foreign Travel Expenses - ₹ 0.40 crore).

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;

- (ख) (i) ट्राइसोनिक विंड टनल (टीडब्ल्यूटी) (55.44 करोड़ रुपये), सॉलिड प्रोपेलेंट स्पेस बूस्टर प्लांट (एसपीआरओबी) (6.50 करोड़ रुपये), जीएसएलवी एमके-III निरंतरता कार्यक्रम (चरण-1) के लिए मशीनरी और उपकरण (15 करोड़ रु.), नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस (नेत्रा) (8 करोड़ रु.) और अर्थ ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन मिशन (ईओएएम) (1.10 करोड़ रु.), भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन के अंतर्गत सेवा का नया साधन और प्राधिकरण केंद्र (आईएनएसपीसीई) (41.50 करोड़ रुपये) और जीएसएलवी निरंतरता (जीएसएलवी-सी) (0.28 करोड़ रुपये), और व्यय को पूरा करना (ii) यू आर राव सैटेलाइट सेंटर (यूआरएससी) के लिए अन्य अचल संपत्तियां (0.70 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(b) meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipment for (i) Trisonic Wind Tunnel (TWT) (₹ 55.44 crore), Solid Propellant Space Booster Plant (SPROB) (₹ 6.50 crore), GSLV Mk-III Continuation Programme (Phase-1) (₹ 15 crore), Network for Space Object Tracking & Analysis (NETRA) (₹ 8 crore) and Earth Observation Applications Mission (EOAM) (₹ 1.10 crore), New Instrument of Service under Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (INSPACe) (₹ 41.50 crore) and GSLV Continuation (GSLV-C) (₹ 0.28 crore), and (ii) Other Fixed Assets (₹ 0.70 crore) for U R RAO Satellite Centre (URSC).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 96  
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  
MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	5409.92	5409.92
पूंजी	Capital	...	33.48	33.48
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>5443.40</b>	<b>5443.40</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>5443.41</b>	<b>5443.41</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>5409.93</b>	<b>5409.93</b>
पूंजी	Capital	...	<b>33.48</b>	<b>33.48</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अर्पित है:

वेतन वृद्धि, डीए, एचआरए, पदोन्नति प्रभाव आदि के लिए आईएसआई के लिए वेतन सहायता अनुदान (41.50 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करना और सेवानिवृत्त होने वाले वरिष्ठ संकायों को भुगतान किए जाने वाले डीआर और टर्मिनल लाभों में वृद्धि के लिए भी।  
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Grants-in-aid Salaries (₹ 41.50 crore) for ISI.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 देखिये)

(See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	67.98	67.98
पूंजी	Capital	...	2.17	2.17
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>70.15</b>	<b>70.15</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>70.16</b>	<b>70.16</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>67.99</b>	<b>67.99</b>
पूंजी	Capital	...	<b>2.17</b>	<b>2.17</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारत में विशिष्ट स्टील के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाएँ (2.35 करोड़ रुपये), अन्य राजस्व व्यय (0.01 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Professional Services (₹ 2.35 crore), Other Revenue Expenditure(₹ 0.01 crore) under the Production Linked Incentive Scheme for Specialty Steel in India

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.



- (घ) (i) निर्यात संवर्धन अध्ययन और गतिविधियों के तहत कार्यालय व्यय (50.00 करोड़ रुपये), (ii) अनुसंधान और विकास के तहत सामान्य सहायता अनुदान (20.49 करोड़ रुपये), (iii) कौशल विकास के लिए एकीकृत योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (8.47 करोड़ रुपये), (iii) ईंधन और स्नेहक (0.01 करोड़ रुपये), विज्ञापन और प्रचार (0.01 करोड़ रुपये), कपड़ा आयुक्त के तहत लघु और सिविल इलेक्ट्रिक कार्य (0.25 करोड़ रुपये), (iv) जूट आयुक्त के तहत व्यावसायिक सेवाएं (0.50) करोड़ रुपये), (v) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (96.49 करोड़ रुपये)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ङ) हथकरघा विकास आयुक्त के तहत मोटर वाहन (0.40 करोड़ रुपये), मशीनरी और उपकरण (1.00 करोड़ रुपये)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (च) कपड़ा आयुक्त के तहत सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (0.24 करोड़ रुपये), फर्नीचर और फिक्स्चर (0.19 करोड़ रुपये)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (d) (i) Office Expenses (₹ 50.00 crore) under Export Promotion Studies & Activities, (ii) Grants-in-Aid General (₹ 20.49 crore) under Research and Development, (ii) Grants-in-Aid General (₹ 8.47 crore) under Integrated Scheme for Skill Development, (iii) Fuel and Lubricants (₹ 0.01 crore), Advertising and Publicity (₹ 0.01 crore), Minor and Civil Electric Works (₹ 0.25 crore) under Textiles Commissioner, (iv) Professional Services (₹ 0.50 crore) under Jute Commissioner, (v) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 96.49 crore) under National Institute of Fashion Technology
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) Motor Vehicle (₹ 0.40 crore), Machinery and Equipment (₹ 1.00 crore), under Development Commissioner Handloom
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 0.24 crore), Furniture and Fixtures (₹ 0.19 crore), under Textile Commissioner
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100  
जनजातीय कार्य मंत्रालय  
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 देखिये)

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	4905.91	7509.04	12414.95
पूंजी	Capital	...	46.93	46.93
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>4905.91</b>	<b>7555.97</b>	<b>12461.88</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	<b>4905.91</b>	<b>7556.00</b>	<b>12461.91</b>
राजस्व	Revenue	4905.91	7509.06	12414.97
पूंजी	Capital	...	46.94	46.94
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	...	0.01	(क) 0.01
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(ख) 0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01	(ग) 0.01
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) गैर-योजना "सचिवालय" के तहत 'लघु सिविल और इलेक्ट्रिक कार्यों' (0.25 करोड़ रुपये) हेतु व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (ii) व्यय के लिए अतिरिक्त आवश्यकता-1.जीआईए-सामान्य 'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता' योजना के तहत (10.00 करोड़ रुपये), 2. 'आदिवासी अनुसंधान सूचनाएं, शिक्षा, संचार और घटनाक्रम (टीआरआई-ईसीई)' (10.00 करोड़ रुपये) योजना के तहत विज्ञापन और प्रचार 3. योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति (क) 'अ.ज.जा.छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति' (55.00 करोड़ रुपये) (ख) राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना (3.00 करोड़ रुपये)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) (iii) "सचिवालय" के अंतर्गत 'मोटर वाहन' (0.09 करोड़ रुपये) के लिए पूंजी परिव्यय की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Meeting the additional requirement for expenditure towards 'Minor Civil and Electric Works' (₹ 0.25 cr.) under the Non-scheme "Secretariat"
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (ii) Additional requirement for expenditure-1.GiA-General under the scheme 'Aid to Voluntary Organization working for the welfare of Scheduled Tribes' (₹ 10.00 cr), 2. Advertising and Publicity under the Scheme 'Tribal Research informations, Education, Communication and Events (TRI-ECE)' (₹ 10.00 cr), 3. Scholarship under the scheme (a) 'National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST Students' (₹ 55.00 cr.) (b) National Overseas Scholarship Scheme (₹ 3.00 cr.)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (iii) Meeting the additional requirement for capital outlay towards 'Motor Vehicals' (₹ 0.09 cr.) under the "Secretariat"
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 101  
महिला और बाल विकास मंत्रालय  
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 देखिये)

(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	25943.67	25943.67
पूंजी	Capital	...	5.08	5.08
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>25948.75</b>	<b>25948.75</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	6.00	6.00
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>6.04</b>	<b>6.04</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>25954.79</b>	<b>25954.79</b>
राजस्व	Revenue	...	25943.71	25943.71
पूंजी	Capital	...	11.08	11.08
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (ग)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घ)	0.01
<b>जोड़ (राजस्व भाग)</b>	<b>Total (Revenue Section)</b>	...	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
<b>पूंजी भाग</b>	<b>CAPITAL SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	6.00 (ङ)	6.00
<b>जोड़ (पूरक)</b>	<b>Total (Supplementary)</b>	...	<b>6.04</b>	<b>6.04</b>

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (1) सामान्य सहायता अनुदान (i) केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (₹ 1.17 करोड़), (ii) राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (₹ 17.50 करोड़), (iii) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (₹16.50 करोड़), (iv) राष्ट्रीय महिला आयोग (₹2.09 करोड़), (v) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (₹7.65 करोड़), (vi) मिशन शक्ति - संबल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ - ₹5.00 करोड़, एक स्टॉप सेंटर - ₹1.90 करोड़, महिला हेल्पलाइन - ₹1.00 करोड़, नारी अदालत - ₹0.10 करोड़) (2) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) मिशन शक्ति - संबल (वन स्टॉप सेंटर - ₹1.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक प्रतीकात्मक अनुपूरक की मांग की जाती है। भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹ 15.00 करोड़ की भरपाई इस अनुपूरक के माध्यम से की जाएगी।

(ख) (1) योजना/गैर-योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय महिला आयोग (₹0.40 करोड़), (ii) मिशन शक्ति - संबल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ - ₹22.00 करोड़, वन स्टॉप सेंटर - ₹9.90 करोड़, महिला हेल्पलाइन - ₹5.00 करोड़, नारी अदालत - ₹0.10 करोड़) (2) योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) मिशन शक्ति - संबल (वन स्टॉप सेंटर - ₹5.00 करोड़)

The supplementary Grants are required for:

(a) (1) Grant-in-aid General under (i) Central Adoption Resource Authority (₹ 1.17 crore), (ii) National Institute of Public Cooperation and Child Development (₹ 17.50 crore), (iii) Central Social Welfare Board (₹16.50 crore), (iv) National Commission for Women (₹2.09 crore), (v) National Commission for Protection of Child Rights (₹7.65 crore), (vi) Mission Shakti - Sambal (Beti Bachao Beti Padhao - ₹5.00 crore, One Stop Center - ₹1.90 crore, Women Helpline - ₹1.00 crore, Nari Adalat - ₹0.10 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets (i) Mission Shakti - Sambal (One Stop Center - ₹1.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought (₹ (15.00 crore sanctioned from Contingency Fund of India will be recouped through this Supplementary)

(b) (1) Grant-in-aid General under the scheme/non-scheme (i) National Commission for Women (₹0.40 crore), (ii) Mission Shakti - Sambal (Beti Bachao Beti Padhao - ₹22.00 crore, One Stop Center - ₹9.90 crore, Women Helpline - ₹5.00 crore, Nari Adalat - ₹0.10 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i) Mission Shakti - Sambal (One Stop Center - ₹5.00 crore)

(ग)	<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p> <p>(1) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) मिशन शक्ति - संबल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ - ₹183.00 करोड़, वन स्टॉप सेंटर - ₹125.49 करोड़, महिला हेल्पलाइन - ₹10.00 करोड़, नारी अदालत - ₹1.70 करोड़), (ii) मिशन शक्ति - सामर्थ्य [विधवाओं के लिए घर (कृष्ण कुटीर) - 1.90 करोड़ रुपये] (2) योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (i) मिशन शक्ति - संबल (वन स्टॉप सेंटर - 35.00 रुपये) करोड़)</p>	(c)	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(1) Grant-in-aid General under the scheme (i) Mission Shakti - Sambal (Beti Bachao Beti Padhao - ₹183.00 crore, One Stop Center - ₹125.49 crore, Women Helpline - ₹10.00 crore, Nari Adalat - ₹1.70 crore), (ii) Mission Shakti - Samarthaya [Home for Widows (Krishna Kutir) - ₹ 1.90 crore] (2) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i) Mission Shakti - Sambal (One Stop Center - ₹ 35.00 crore)</p>
(घ)	<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p> <p>(1) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) मिशन शक्ति - संबल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ - ₹12.00 करोड़, वन स्टॉप सेंटर - ₹9.24 करोड़, महिला हेल्पलाइन - ₹1.66 करोड़, नारी अदालत - ₹0.10 करोड़) (2) पूंजीगत आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (वन स्टॉप सेंटर - ₹5.00 करोड़)</p>	(d)	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(1) Grant-in-aid General under the scheme under the scheme (i) Mission Shakti - Sambal (Beti Bachao Beti Padhao - ₹12.00 crore, One Stop Center - ₹9.24 crore, Women Helpline - ₹1.66 crore, Nari Adalat - ₹0.10 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets (One Stop Center - ₹5.00 crore)</p>
(ङ)	<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p> <p>सचिवालय के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹. 6.00 करोड़)</p> <p>अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;</p>	(e)	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment under the Secretariat (₹ 6.00 crore)</p> <p>Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 102

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 देखिये)

(See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>I. मूल अनुदान:</b>	<b>I. ORIGINAL GRANT:</b>			
राजस्व	Revenue	...	3389.56	3389.56
पूंजी	Capital	...	7.76	7.76
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>3397.32</b>	<b>3397.32</b>
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b>	<b>Supplementary Estimate of the amount now required:</b>			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>जोड़ (मूल और पूरक)</b>	<b>Total (Original plus Supplementary)</b>	...	<b>3397.33</b>	<b>3397.33</b>
राजस्व	Revenue	...	<b>3389.57</b>	<b>3389.57</b>
पूंजी	Capital	...	<b>7.76</b>	<b>7.76</b>
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b>	<b>REVENUE SECTION</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>	<b>MAJOR HEAD</b>			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अर्पित है:

(i) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) मेरा युवा भारत (₹150 करोड़), (2) खेल में मानव संसाधन विकास (₹0.80 करोड़) (3) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹10.01 करोड़) और (4) राष्ट्रीय डंप रोधी एजेंसी (₹2.43 करोड़), (ii) भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹0.24 करोड़), (iii) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹0.81 करोड़) और (2) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹4 करोड़), (iv) योजना के अंतर्गत अन्य राजस्व व्यय (1) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) (₹15.22 करोड़) और (2) पंडित दीनदयाय उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण के अंतर्गत खिलाड़ियों से संबंधित (₹0.75 करोड़), (v) राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत भूमि और भवन निर्माण के लिए किराया, दरें और कर (₹1.52 करोड़), (vi) राष्ट्रीय खेल विकास निधि के अंतर्गत अंशदान (₹1 करोड़) और (vii) खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के अंतर्गत सम्मान और पुरस्कार (₹39 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

(i) GIA General under the scheme (1) Mera Yuva Bharat (₹150 crore), (2) Human Resource Development in Sports (₹0.80 cr.) (3) Sports Authority of India (₹10.01 crore) and (4) National Anti-Doping Agency (₹2.43 crore), (ii) GIA Salary under the Sports Authority of India (₹0.24 crore), (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (1) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹0.81 crore) and (2) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹4 crore), (iv) Other Revenue Expenditure under the scheme (1) International Cooperation (IC) (₹15.22 crore) and (2) Pandit Deendadyay Upadhyay National Welfare for Sportspersons (₹0.75 crore), (v) Rent, Rates and Taxes for Land and Buildings under the National Service Scheme (₹1.52 crore), (vi) Contribution under the National Sports Development Funds (₹1 crore) and (vii) Awards & Prizes under the Incentive to Sports Persons (₹39 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.